शुक्रवार
18 मई 1956

लोक-सभा

वाद-विवाद

(भाग १—प्रश्नोत्तर)

खण्ड ४, १९५६

(१५ मई से ३० मई, १९५६)

1st Lok Sabha

बारहवां सत्र, १९५६

(खण्ड ४ में अंक ६१ से अंक ७२ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

विषय-सूची

(खंड ४—अंक ६१ से ७२—१५ मई से ३० मई, १९५६)

अंक ६१. मंगलवार, १५ मई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर— **पृष्ठ**

तारांकित प्रश्न संख्या २१९८, २२०१, २२०४ से २२०६, २२०९ से २२११, २२३२, २२१३ से २२१६, २२१८, २२१९, २२२१, २२२३ से २२२५, २२२७ और २२२८ २३९९–२४१९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २१९७, २१९९, २२००, २२०२, २२०३, २२०७, २२०८, २२१२, २२१७, २२२०, २२२२, २२२६, २२२९ से २२३१ और २२३३ से २२४० ... २४१९–२६

अतारांकित प्रश्न संख्या २०३२ से २०८४ और २०८६ से २०८८ २४२६–४४

दैनिक संक्षेपिका **२४४५–४७**

अंक ६२. बुधवार, १६ मई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २२४१ से २२४५, २२४७, २२४९, २२५२, २२५३, २२५५, २२५६, २२५८, २२५९ और २२६० से २२६६ ... २४४८–६७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २२४६, २२४८, २२५०, २२५१, २२५४, २२५७ और २२६७ से २२७९ २४६८–७३

अतारांकित प्रश्न संख्या २०८९ से २०९८, २१०० से २१०५ और २१०७ से २१४७ २४७३–९३

दैनिक संक्षेपिका **२४९४–९६**

अंक ६३. गुरुवार, १७ मई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २२८० से २२८२, २२८७ से २२९३, २२९५ से २२९७, २३०० से २३०४, २३०६ से २३१२ और २२८४ २४९७–२५१९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २२८३, २२८५, २२८६, २२९४, २२९८, २२९९, २३०५ और २३१३ २५१९–२१

अतारांकित प्रश्न संख्या २१४९ से २१७९ २५२१–३१

दैनिक संक्षेपिका **२५३२–३३**

अंक ६४. शुक्रवार, १८ मई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर-- **पृष्ठ**

तारांकित प्रश्न संख्या २३१५, २३१६, २३२३, २३२६, २३२८, २३३०, २३३२ से २३३६, २३३८, २३४०, २३४१, २३४३ से २३४६ और २३४८ से २३५० २५३४–५५

अल्प-सूचना प्रश्न संख्या १७ २५५६–५८

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या २३१४, २३१७ से २३२२, २३२४, २३२५, २३२७, २३२९, २३३१, २३३७, २३३९, २३४२, २३४७ और २३५१ से २३५६ २५५८–६३

अतारांकित प्रश्न संख्या २१८० से २२०६ और २२०८ से २२२५ २५६४–८०

दैनिक संक्षेपिका **२५८१–८३**

अंक ६५. सोमवार, २१ मई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या २३५७, २३५९, २३६२ से २३६८, २३७० से २३७२, २३७४, २३७५, २३७८ से २३८५ और २३८७ २५८५–२६०६

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या २३५८, २३६०, २३६१, २३६९, २३७३, २३७७, २३८६, २३८८ से २४०२ २६०६–१३

अतारांकित प्रश्न संख्या २२२६ से २२३२, २२३४ से २२७२ २६१३–२८

दैनिक संक्षेपिका **२६२९–३१**

अंक ६६. मंगलवार, २२ मई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या २४०३ से २४११, २४१३, २४१५ से २४१९, २४२१ से २४२५ और २४२७ से २४३० २६३३–५५

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १८ २६५५–५६

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या २४१२, २४१४, २४२०, २४२६ और २४३१ से २४४१ २६५७–६२

अतारांकित प्रश्न संख्या २२७३ से २२८४, २२८६ से २३००, २३०२, २३०३ और २३०५ ... २६६२–७१

दैनिक संक्षेपिका **२६७२–७४**

अंक ६७. बुधवार, २३ मई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या २४४२ से २४४४, २४४६, २४४७, २४४९ से २४५३, २४५८, २४६४, २३६६ से २४७०, २४७१–क, २४७१ और २४७२ २६७५–९४

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १९ २६९४–९७

पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर–

तारांकित प्रश्न संख्या २४४५, २४४८, २४५४, २४५५, २४५७, २४५९ से २४६१, २४६५, २४७३ से २४८३ और २४८५ से २४८९ २३९७–२७०४

अतारांकित प्रश्न संख्या २३०६ से २३४९ २७०५–२०

दैनिक संक्षेपिका **२७२१–२३**

अंक ६८. शुक्रवार, २५ मई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २४९१, २४९२, २४९४ से २४९६, २४९८, २५०२, २५०४, २५०९, २५११, २५१३ से २५१६ और २५१८ से २५२१ ... २७२५–४५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २४९०, २४९३, २४९७, २४९९ से २५०१, २५०३, २५०५ से २५०७, २५१२, २५१७ और २५२२ से २५२६ ... २७४६–५०

अतारांकित प्रश्न संख्या २३५० से २३५६ और २३५८ से २३९१ २७५०–६२

दैनिक संक्षेपिका **२७६३–६५**

अंक ६९. शनिवार, २६ मई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या२५२९, २५३२, २५३५, २५३६, २५३८, २५४२, २५४३, २५४५ से २५५०, २५५३, २५५६ से २५५८, २५६० से २५६२, और २५३७ २७६७–८७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २५२८, २५३०, २५३१, २५३३, २५३४, २५३९ से २५४१, २५४४, २५५१, २५५२, २५५५ और २५६३ से २५७२ ... २७८८–९४

अतारांकित प्रश्न संख्या २३९२ से २४०४, २४०६ से २४०९ और २४११ से २४१४ ... ... २७९४–२८०२

दैनिक संक्षेपिका **२८०३–०४**

अंक ७०. सोमवार, २८ मई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २५७२–क, २५७३ से २५८०, २५८२ से २५८६, २५८९, २६०८ और २५९० से २५९३ ... ... २८०५–२७

अल्प सूचना प्रश्न संख्या २०, २१ और २२ २८२७–३२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २५८१, २५८७, २५८८, २५९४, २५९५, २५९५-क, २५९६ से २६०७, २६०९ से २६११, २६१३ से २६१७, २६१७-क, २६१८ से २६२०, २७१० से २७३२ और २७३४ से २७३९ ... २८३२–५०

अतारांकित प्रश्न संख्या २४१५ से २४२२, २४२२-क, २४२३ से २४३३ और २५३२ से २५६३ ... ... २८५०–६९

दैनिक संक्षेपिका **२८७०–७३**

अंक ७१. मंगलवार, २९ मई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर— पृष्ठ

तारांकित प्रश्न संख्या २६२४ से २६३०, २६३२ से २६३४, २६३६, २६३७, २६३९ से २६४७ और २६५० से २६५२ ... २८७५–९६

अल्प सूचना प्रश्न संख्या २३ २७९७–९९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २६२१ से २६२३, २६३५, २६४१—क, २६४९, २६५३ से २६५८, २६५८-क, २६५८-ख, २६५९ से २६६३, २६६३-क, और २५०८ २८९९–२९०५

अतारांकित प्रश्न संख्या २४३४ से २४७७, २४७९ से २४८५, २४८५-क, २४८७ से २४९३ २९०५–२४

दैनिक संक्षेपिका **२९२५–८८**

अंक ७२. बुधवार, ३० मई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २६६४ से २६७१, २६७३, २६७३-क, २६७४ से २६७६, २६७८, २६७८-क, २६७९ और २६८० २९२९–४९

अल्प सूचना प्रश्न संख्या २४, २५, २६, २७, और २८ २९४९–५९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २६७२, २६७७, २६८१ से २६८९, २६८९-क, २६९० से २६९५, २६९५-क, २६९६ से २७०३, २७०५ से २७०९ और २५५९ २९५९–७०

अतारांकित प्रश्न संख्या २४९४, २४९५, २४९५-क, २४९६ से २५१८, २५१८-क और २५१९ से २५३१ ... ... २९७०–८३

दैनिक संक्षेपिका ... **२९८४–८६**

बारहवें सत्र का संक्षिप्त विवरण २९८७–८८

M72LSD—190—20-3-58—GIPF.

लोक-सभा

शुक्रवार, १८ मई, १९५६

लोक-सभा साढ़े दस बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

रेल दुर्घटना

*२३१५. **श्री आर० एस० तिवारी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जनवरी के तीसरे सप्ताह में पूर्वोत्तर रेलवे के डफू रेलवे स्टेशन पर नम्बर ५७४ सवारी गाड़ी ९४ अप मालगाड़ी से टकरा गई;

(ख) यदि हां, तो इस दुर्घटना में कितने व्यक्ति मरे; और

(ग) उससे कितनी हानि हुई ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : आप की अनुमति से मैं इसका उत्तर अंग्रेजी में दूंगा ।

(क) २१-१-५६ को लगभग ३ बजकर १५ मिनट पर जब कि ९४३ अप मालगाड़ी को (९४ अप मालगाड़ी को नहीं) यथावत् सिगनल दे कर पूर्वोत्तर रेलवे के पोंडू रीजन के लमडिंग सेक्शन पर डिफू यार्ड में लाइन संख्या २ पर स्टेशन म दाखिल कराया जा रहा था, उसी समय ५१४ डाऊन सवारी गाड़ी भी (५७४ नहीं) उसी लाइन पर आ गई और दोनों की सीधी टक्कर हो गई ।

(ख) इस दुर्घटना में कोई मरा नहीं । १२ व्यक्तियों को केवल कुछ हल्की चोटें आ गईं ।

(ग) अनुमान है कि इससे रेलवे सम्पत्ति को लगभग ५,८८० रुपयों की हानि पहुंची ।

श्री आर० एस० तिवारी : क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जब स्टेशन पर दोनों गाड़ियां थीं तब किसकी भूल से यह गाड़ी लड़ी ।

†**श्री अलगेशन** : ज़िला अधिकारियों न इसकी जांच की थी और उनका कहना यह है कि वह चालक का दोष था ।

सेठ अचल सिंह : क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह जो वाकया हुआ, इसके लिये कौन जिम्मेदार था और इसके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ?

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री अलगेशन** : मैं ने निवेदन किया कि वह चालक का दोष था। चालक के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ।

†**श्री टी० बी० विट्ठल राव** : इस दुर्घटना में कुछ ग़रीब व्यक्तियों को चोटें पहुंची हैं। क्या सरकार अपनी कार्य-प्रणाली में परिवर्तन करने और किसी दुर्घटना के फलस्वरूप किसी भी व्यक्ति की मृत्यु न होने पर भी निरीक्षण करने की प्रस्थापना करती है ? फिर चाहे, इस मामले की तरह कुछ व्यक्तियों को चोटें भर ही क्यों न आई हों ।

†**श्री अलगेशन** : मैं समझता हूं कि वर्तमान कार्य-प्रणाली को जारी रखने का एक औचित्य है। संविहित जांच केवल तभी की जायेगी जबकि किसी की मृत्यु हो, या संघातक चोटें आई हों या हानि एक सीमा से अधिक हुई हो। ऐसे मामलों में, जहां कुछ हल्की चोटें ही आई हों, यह ठीक समझा गया है कि अधिकारियों द्वारा की गई जांच ही पर्याप्त होगी ।

क्षय रोग क्लिनिक

†*२३१६. **श्री वोडयार** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार निम्न और मध्य वर्गीय जनता को सस्ती चिकित्सा सुविधा की व्यवस्था के लिये देश में क्षय रोग क्लिनिकों की स्थापना के लिये राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता देने की एक योजना पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, क्या उस योजना का ब्योरा तैयार कर लिया गया है ?

†**स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर)** : (क) जी, हां ।

(ख) उस योजना का ब्योरा तैयार किया जा रहा है ।

†**श्री वोडयार** : मैसूर सरकार को मैसूर राज्य में क्लिनिक स्थापित करने के लिये कुल कितनी वित्तीय सहायता दी जा रही है, या देने का प्रस्ताव है और क्या मलनाड को कोई प्राथमिकता दी गई है ?

†**श्रीमती चन्द्रशेखर** : जहां तक प्रश्न के अन्तिम भाग का सम्बन्ध है, मैं कह सकती हूं कि मैसूर सरकार ने हमें सूचित किया है कि उसने मलनाड क्षेत्र के चिकमंगलूर स्थान में एक क्लिनिक खोल दिया है। जहां तक प्रश्न के प्रथम भाग का सम्बन्ध है, मैं योजना के अन्तिम रूप से तैयार होने के बाद ही एक ब्योरेवार उत्तर दे सकूंगी ।

†**डा० रामा राव** : प्रत्येक राज्य को वास्तविक राशि देने में सरकार किस आधार पर निश्चित करती है ?

†**श्रीमती चन्द्रशेखर** : यह तो सम्बन्धित क्षेत्रों पर ही निर्भर रहेगा, क्योंकि योजना की लागत उपलब्ध भूमि और प्रत्येक क्षेत्र में संधारण लागत पर ही निभर करेगी। इसलिये, यह नहीं कहा जा सकता कि वह एक रूप है। वह प्रत्येक राज्य में विभिन्न होगी ।

†**श्री एस० सी० सामन्त** : कितनी राज्य सरकारों ने केन्द्रीय सरकार से सहायता मांगी है ?

†**श्रीमती चन्द्रशेखर** : केवल राज्य सरकारें ही मांग नहीं कर रही हैं। हमने भी सभी राज्य सरकारों को लिखा है और हमें अभी केवल कुछ ही राज्य सरकारों से उत्तर प्राप्त हुये हैं। इस से बिल्कुल अलग ही, उत्तर प्रदेश सरकार ने एक योजना भेजी है। पेप्सू, मध्यभारत, आसाम और मध्य प्रदेश की सरकारों से ब्योरेवार उत्तर प्राप्त हुये हैं और उन पर विचार किया जा रहा है ।

†**श्री कासलीवाल** : प्रत्येक क्लिनिक में रोगियों के कितने पलंग रहेंगे ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रीमती चन्द्रशेखर** : प्रत्येक क्लिनिक में रोगियों के थोड़े से ही पलंग रहेंगे, क्योंकि अधिकांश ज़िलों में तपेदिक के मरीजों के लिये सुविधाजनक स्थान नहीं होगा । मरीजों के उन के घरों में उनके शेष परिवार से अलग रखना कदाचित सम्भव न हो । इसलिये, क्लिनिक में या उन संस्थानों में जिनसे ये क्लिनिक सम्बद्ध रहेंगे, रोगियों के कुछ ही पलंग रहेंगे ।

†**पंडित डी० एन० तिवारी** : इन खोले जाने वाले क्लिनिकों की राज्यवार संख्या क्या होगी, और क्या प्रत्येक ज़िले में एक क्लिनिक रहेगा ?

†**श्रीमती चन्द्रशेखर** : मैं इस समय क्लिनिकों की कुल संख्या नहीं बता सकती । अगली योजना में प्रत्येक ज़िले और १,००,००० जनसंख्या वाले प्रत्येक नगर में एक क्लिनिक हो जाना चाहिये ।

†**श्रीमती खोंगमेन** : क्या यह वित्तीय सहायता केवल नये क्लिनिकों को ही दी जायेगी या वर्तमान क्लिनिकों को भी ?

†**श्रीमती चन्द्रशेखर** : देश में अभी लगभग १७० क्लिनिक मौजूद हैं । उनमें से सभी वास्तव में अच्छी दशा में नहीं हैं । कुछ क्लिनिकों को ऊंचे स्तर का बनाना पड़ेगा । इसलिये, वर्तमान क्लिनिकों को उच्च स्तर का बनाने और नयें क्लिनिकों को खोलने के लिये सहायता देनी पड़ेगी ।

†**श्री वी० पी० नायर** : क्या इस वित्तीय सहायता की परिमात्रा प्रत्येक राज्य में तपेदिक के मरीजों की वर्तमान संख्या के आधार पर निश्चित की जायेगी ?

†**श्रीमती चन्द्रशेखर** : योजना के अन्तिम रूप से तैयार किये जाने के बाद ही इन सब पर विचार किया जायेगा ।

केन्द्रिय सड़क निधि

*२३२३. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सड़क निधि में विभिन्न राज्यों के खातों में ऐसी बहुत सी धन राशियां बची हुई हैं जिसका वे उपयोग नहीं कर पाये हैं;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य के खाते में इस समय कितनी धन राशियां शेष हैं; और

(ग) भारत सरकार द्वारा उन धन-राशियों के शीघ्रातिशीघ्र उपयोग कराने के बारे में कौन सी विशेष कार्यवाही की जा रही है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) और (ख). एक विवरण सभा की मेज़ पर रख दिया गया है । [**देखिये परिशिष्ट १४, अनुबन्ध संख्या १**]

(ग) बची हुई धन राशियों का उपयोग करने का सम्बन्ध पूर्ण रूप से राज्य सरकारों पर है । परन्तु भारत सरकार देश में शीघ्र सड़क विकास के हित के लिये इन निधियों (Funds) का उपयोग करने की आवश्यकता (वाछंनीयता) पर राज्य सरकारों पर जोर दे रही है । सड़क विकास के लिये पंचवर्षीय कार्य-क्रम के बनाने का एक प्रस्ताव भी भारत सरकार के विचाराधीन है जिसकी आर्थिक व्यवस्था राज्य सरकारों के केन्द्रीय निधि (Central Road Fund) के खातों से की जायेगी ।

[यह उत्तर पहले हिन्दी में दिया गया था किन्तु सदस्य के आग्रह करने पर उसे अंग्रेजी में भी पढ़ा गया ।]

†**श्री फीरोज़ गांधी** : क्या मैं यह सुझाव दे सकता हूं कि उनको अंग्रेजी में अपना उत्तर पढ़ने की अनुमति दे दी जाये क्योंकि हम उनकी हिन्दी समझ नहीं पाते हैं ?

†**श्री अलगेशन** : मैं तो लोक-सभा और श्रीमान आप के निर्णय से बाध्य हूं । यदि लोक-सभा चाहती है तो मैं अंग्रेजी में पढ़ देता हूं :

---

†मूल अंग्रेजी में

(क) और (ख). एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट १४, अनुबन्ध संख्या १**]

(ग) शेष धनराशियों को उपयोग करना पूर्णरूप से राज्य सरकारों का ही कार्य है। फिर भी, भारत सरकार देश में सड़कों के शीघ्र विकास के हितों में राज्य सरकारों से यही कहती रही है कि इन निधियों का यथाशीघ्र उपयोग ही वांछनीय है। भारत सरकार राज्यों को बांटे गये धन से किये जाने वाले सड़क विकास के क्रमिक पंचवर्षीय कार्यक्रमों को तैयार करने के एक प्रस्ताव पर भी विचार कर रही है।

श्री भक्त दर्शन : इस विवरण से यह ज्ञात होता है कि लगभग ९ करोड़ रुपया इस समय विभिन्न राज्यों के खाते में जमा है। क्या मंत्री जी वे कारण बतला सकेंगे जिनकी वजह से इतनी बड़ी रकम रुकी पड़ी रही ? क्या राज्य सरकारों ने इस बारे में अपनी असमर्थता प्रकट की है ?

†**श्री अलगेशन :** मैं यह कहूंगा कि निधि के आरम्भ से ही इस निधि में लगभग ३९ करोड़ से कुछ अधिक रुपये जमा हैं। इस समय तक के व्यय का अनुभाव ३० करोड़ से कुछ अधिक है। यह राशि व्यय की जा चुकी है। यह सच है कि उसमें अभी ८९५ लाख रुपये शेष हैं, अर्थात् लगभग ९ करोड़ रुपये शेष हैं, और यह तमाम राज्यों के लिये हैं। जैसा कि मैं अपने उत्तर में बता चुका हूं, कि हम राज्य सरकारों से आग्रह कर रहे हैं कि वे शेष योजनाओं को भी शीघ्रता से आगे बढ़ायें और इस प्रकार सम्बन्धित मदों के अन्तर्गत राशियों को व्यय करें।

श्री भक्त दर्शन : मंत्री जी ने अभी बताया कि केन्द्रीय सरकार का यह विचार है कि अगली पंच-वर्षीय योजना में इस धन में से अधिक से अधिक पूंजी का व्यय किया जाय, और इस के लिये शायद योजनायें भी बनाई जा रही हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि कवल राज्य सरकारें जिन योजनायों की सिफारिश करेंगी, उन पर ही विचार किया जायेगा या संसद् सदस्य सीधे कोई सुझाव दें तो उन पर भी केन्द्रीय सरकार विचार करने की कृपा करेगी ?

†**श्री अलगेशन :** स्थिति यह है कि यह तो पूर्ण रूप से राज्य सरकारों से ही सम्बन्धित है। ये बंटवारे राज्य सरकारों के नाम जमा कर दिये जाते हैं और वे बहुधा विभिन्न योजनायें भेजती हैं। और ये योजनायें वास्तव में केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन के अधीन रहती है। जब भी संसद् सदस्य किसी निर्माण कार्य आदि के आरम्भ किये जाने की आवश्यकता की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं, तो हम भाविक रूप से उनके सुझाव राज्य सरकारों के पास भेज देते हैं जो उन पर अपनी ओर से विचार करती हैं और उन योजनाओं को अपने कार्यक्रमों में सम्मिलित करती हैं।

†**श्री मुहीउद्दीन :** क्या इस निधि को काम में न लाये जाने का कारण इंजीनियरों, सड़क कूटने के इंजनों जैसे प्रविधिक उपकरणों, इत्यादि का अभाव है ? क्या सरकार ने इस निधि के उपयोग में न लाये जाने के कारणों का पता लगाया है ?

†**श्री अलगेशन :** मैं पहले ही बता चुका हूं कि ये राशियां विभिन्न राज्यों में बांटी गई हैं। सभी मामलों में विभिन्न राज्यों की प्रशासन व्यवस्था को एक ही सीमा तक क्रियाशील नहीं किया जा सका है। 'ग' श्रेणी राज्य भी हैं, जहां की प्रशासन व्यवस्था इस कार्य को करने के लिये पर्याप्त नहीं है। लेकिन 'क' श्रेणी राज्यों में भी बड़ी-बड़ी बकाया राशियां पड़ी हैं। मैं पहले ही बता चुका हूं कि उनसे इसकी छानबीन करने के लिये कहा जा रहा है। यह पूर्ण रूप से राज्यों का उत्तरदायित्व है। मैं यहां यह भी बता दूं कि यह एक व्ययगत न होने वाली निधि है। यह प्रत्येक वर्ष व्ययगत नहीं होती है, और इसलिये संचित राशि के कुछ अधिक ही होने की आशा की जाती है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य ने प्रश्न यह पूछा था कि क्या प्रविधिक कर्मचारियों या सड़क कूटने के इंजनों जैसी मशीनों, इत्यादी के अभाव के कारण इसका उपयोग नहीं हुआ है ।

†**श्री मुहीउद्दीन** : जी, हां । प्रश्न यही पूछा गया है ।

†**श्री अलगेशन** : मैं अभी इस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूं ।

श्री आर० एस० तिवारी : माननीय मंत्री जी ने जो यह ९ करोड़ रुपया बताया है उस में से पार्ट 'सी' ('ग' श्रेणी) राज्यों के लिये कितना है, और उन राज्यों में क्यों खर्च नहीं किया गया जब कि केन्द्रीय सरकार को खुद खर्च करने का अधिकार है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या केन्द्रीय सरकार को इस राशि को वितरित करने या उसे प्रत्यक्ष रूप में खर्च करने का कोई अधिकार है ?

†**डा० राम सुभग सिंह** : जी, नहीं । उनका प्रश्न यह है : जब 'ग' श्रेणी के राज्यों में उस राशि को खर्च करने का प्राधिकार केन्द्रीय सरकार को प्राप्त है, तब वह राशि क्यों बिना व्यय की हुई पड़ी है ?

†**श्री अलगेशन** : 'ग' श्रेणी राज्यों की भी उन की अपनी व्यवस्था होती है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि केन्द्र का प्रत्यक्ष उत्तरदायित्व होते हुये भी इन राशियों को खर्च करने में क्या कठिनाई थी ।

†**श्री अलगेशन** : यह बहुत स्पष्ट रूप में समझ लेना चाहिये कि परिवहन मंत्रालय की सड़क सम्बन्धी शाखा एक कार्यपालिका अभिकरण नहीं है । विभिन्न निर्माण कार्य विभिन्न सम्बन्धित राज्य सरकारों के लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों द्वारा ही किये जाते हैं; चाहे वे राज्य 'क' श्रेणी राज्य हों, या 'ख' श्रेणी या 'ग' श्रेणी राज्य । निर्माण कार्यों को करने परिवहन मंत्रालय की सड़क सम्बन्धी शाखा नहीं है कार्य पालिका अभिकरण ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं इसे बिल्कुल भी नहीं समझ पाया हूं । मैं यह बिल्कुल भी नहीं समझ सका हूं कि माननीय मंत्री किस प्रकार से एक 'ग' श्रेणी राज्य के सम्बन्ध में भी यह कह सकते हैं कि उन्होंने निर्देश दे दिये हैं, पर उस कार्य को निष्पोदित करने का उत्तरदायित्व परिवहन मंत्रालय का नहीं है । तब, 'ग' श्रेणी राज्यों की सड़कों के लिये कौन उत्तरदायी है ? परिवहन मंत्रालय या 'ग' श्रेणी राज्यों का इस से सम्बन्धित विभाग । 'ग' श्रेणी राज्यों में सड़क सेवा उत्तरदायित्व कौन संभालेगा ? उसका अभिकरण क्या है ? यदि वह अभिकरण कार्य का निष्पादन नहीं करता है, तो उसका अन्त्य उत्तरदायित्व केन्द्रीय सरकार का ही है ।

मैं चाहूंगा कि 'ग' श्रेणी राज्यों के कार्य का उत्तरदायित्व केन्द्रीय सरकार ही सम्भाले, क्योंकि यदि वहां पर कार्यपालक उस काम को नहीं करता तो मंत्रालय से ही उसके सम्बन्ध में पूछा जाता है 'ग' श्रेणी राज्यों में इन बातों के सम्बन्ध में कार्य-पालिका परिवहन मंत्रालय है, और इसीलिये मंत्रालय को अपना उत्तरदायित्व समझना चाहिये । मुझे आशा है कि वह भविष्य में इस कार्य का भार संभालेगा ।

भोजन व्यवस्था के ठेके

†*२३२६. **सरदार ए० एस० सहगल** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने पश्चिम रेलवे और मध्य रेलवे के लिये यह निर्णय कर दिया है कि भोजन व्यवस्था करने वाले किसी भी ठेकेदार को पांच ठेकों से अधिक नहीं दिये जायेंगे; और

(ख) यदि हां, तो सरकार इसे कब से कार्यान्वित करने का विचार कर रही है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

सरदार ए० एस० सहगल : क्या मैं जान सकता हूं कि विभिन्न रेलवेज़ में कन्ट्रैक्टर्स (ठेकेदारों) को कितनें कन्ट्रैक्ट देने की पालिसी (नीति) तय की गई है ?

†**श्री अलगेशन** : एक ठेकेदार को दिये जाने वाले ठेकों की अधिकतम संख्या निर्धारित कर दी गई है । जहां तक रेलवे जलपानगृहों और उपहारगृहों का सम्बन्ध है, अभी दस से १२ तक ठेकों की सीमा अधिकतम है ।

†**एक माननीय सदस्य** : हमें यहां इस ओर उत्तर सुनाई नहीं पड़ता है ।

†**श्री अलगेशन** : स्पष्ट ही माइक में कुछ गड़बड़ी है । मुझे खेद है कि मैं इससे अधिक ज़ोर से नहीं बोल सकता । फेरी वाले ठेकों के लिये अधिकतम सीमा ५ से ७ तक की है । फेरीवाले, भोजनादि की व्यवस्था करन वाले, और भोजन गाड़ियों वाले सम्मिलित ठेकों की सीमा १५-२० है ।

सरदार ० एस० सहगल : क्या यह सत्य है कि दूसरी रेलवेज़ में जिन कंट्रैक्टर्स ने आठ माह तक काम कर लिया था उन से भी कंट्रेक्ट ले लिया गया है और क्या जो पालिसी (नीति) तय हुई थी, यह उस के मुताबिक था ?

†**श्री अलगेशन** : हो सकता है कि बहुत अधिक ठेके रखने वाले ठेकेदारों से उनके कुछ ठेके ले लिये गये हों । वे ठेके कितने काल से चलते चले आ रहे हैं यह मैं नहीं जानता । लेकिन ऐसे बड़े-बड़े ठेकेदार हैं, जिनके पास एक से अधिक ठेके हैं । इसलिये, हो सकता है कि उनके ठेकों की अवधि पूरी होने के पहले ही उनसे उनके कुछ ठेके ले लिये गये हों ।

†**श्री जांगड़े** : क्या किराये पर उठाने के कारण कुछ ठेकों की अनुज्ञप्तियां समाप्त कर दी गई हैं ?

†**श्री अलगेशन** : मुझे पूर्व-सूचना चाहिये । इसका उत्तर पहले दिया जा चुका है, फिर भी मुझे पूर्व-सूचना चाहिये ।

†**पंडित डी० एन० तिवारी** : देश में फैली हुई विशाल बेरोजगारी को दखत हुये, क्या सरकार एक व्यक्ति को एक ठेका देने की वांछनीयता पर विचार करेगी ?

†**श्री अलगेशन** : इस पर विचार किया जा चुका है । एक व्यक्ति को केवल एक ही ठेका देना कुछ व्यावहारिक नहीं होगा । जब कि पहले से स्थापित ठेकेदारों के ठेकों की संख्या ५०, ६० या उससे भी अधिक १०० तक पहुंचती है, तब उसे घटाना और उस संख्या को प्रति व्यक्ति एक सीमित करना कठिन काम है ।

राज्य विधान मण्डलों के सदस्यों के लिये रेलवे सुविधायें

†*२३२८. **श्री मादिया गौडा** : क्या रेलवे मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से यह अनुरोध किया है कि उनक विधान मण्डलों के सदस्यों को उनके राज्य के क्षेत्राधिकार की रेलवेज़ में निःशुल्क यात्रा करने की अनुमति दी जाये; और

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी, हां; उत्तर प्रदेश और आसाम सरकारों ने ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) एक विवरण लोक सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १४, अनुबन्ध संख्या २]**

†**श्री मादिया गौडा :** क्या राज्य विधान मण्डलों के सदस्यों को उनके राज्यों के क्षेत्राधिकारों की रेलों में नि:शुल्क यात्रा करने की अनुमति देने के विषय में सरकार की कोई एक निश्चित नीति है ?

†**श्री अलगेशन :** नि:शुल्क यात्रा का कोई प्रश्न ही नहीं उठता । संसद् सदस्य तक भी नि:शुल्क यात्रा नहीं करते । उसे नि:शुल्क यात्रा नहीं समझना चाहिये । जहां रेलवेज का सम्बन्ध है, संसद् सदस्यों की सभी यात्राओं के लिये लोक-सभा और राज्य-सभा के सचिवालय भुगतान करते हैं । राज्य सरकारों को भी यह बता दिया गया है कि यदि वे कुछ शर्तों पर उनकी यात्रा के लिये भुगतान को तैयार हैं तो उस पर विचार किया जायेगा । वे शर्तें उन्हें बता दी गई हैं ।

†**श्री मादिया गौडा :** अब उन्होंने क्या प्रबन्ध किया है—केन्द्रीय सरकार और आसाम सरकार के बीच क्या प्रबन्ध तय हुआ है ?

†**श्री अलगेशन :** रेलवे मंत्रालय द्वारा दोनों सरकारों को दिये गये सुझाव विवरण में दिये गये हैं, और हम उनके उत्तरों की प्रतीक्षा कर रहे हैं ।

रेल दुर्घटना के लिये प्रतिकर

†***२३३०. श्री संगण्णा :** क्या **रेलवे** मंत्री ५ अगस्त, १९५५ को १४१ डाऊन मद्रास पुरी पैसंजर की रेल दुर्घटना के बारे में १६ दिसम्बर, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ९२१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उसके पश्चात् प्रतिकर के लिये लम्बित दो आवेदन पत्रों का निबटारा कर दिया गया था; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) :** (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री संगण्णा :** अभी तक इन आवेदन पत्रों का निबटारा न किये जाने के क्या कारण हैं ?

†**श्री अलगेशन :** वे दावा आयुक्त क समक्ष हैं । मामले न्यायाधीन हैं ।

†**श्री संगण्णा :** किस वर्ग के व्यक्ति इस दुर्घटना के शिकार हुये ?

†**श्री अलगेशन :** यह प्रश्न दावों के भुगतान के सम्बन्ध में है । हमारी जानकारी यह है कि यह दोनों मामले दावा आयुक्त के समक्ष हैं ।

टेल्को

***२३३२. श्री के० सी० सोधिया :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५-५६ में टाटा लोकोमोटिव और इंजीनियरिंग कम्पनी द्वारा कितने इंजन तथा बॉयलर तैयार किये गये;

(ख) भारत सरकार ने उसमें कितने इंजन तथा बॉयलर खरीदे और प्रत्येक के लिये क्या कीमत दी; और

(ग) क्या टाटा लोकोमोटिव के इंजन और बॉयलर उसी प्रकार के हैं जैसे कि चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स के, और नहीं, तो दोनों में क्या अन्तर है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) १९५५-५६ में ४२ तैयार इंजन और ४२ बॉयलर मिले ।

(ख) सब । इन के दाम अभी तय नहीं हुये हैं । दाम बहुत ज्यादा जान पड़ते हैं और टैरिफ़ कमीशन इसकी जांच कर रहा है ।

(ग) जी नहीं । चित जन कारखाने में बड़ी लाइन के इंजन तैयार होते हैं और टाटा लोकोमोटिव वर्क्स में मीटर लाइन के । इन दोनों कारखानों में तैयार बॉयलर भी अलग-अलग ढंग के हैं ।

†**श्री क० सी० सोधिया** : सन् १९५५-५६ से पेश्तर जो इंजन और बॉयलर इस कम्पनी से लिये गये थे, क्या उन की कीमत तय हो गई थी ?

†**श्री अलगेशन** : प्रश्न मेरी समझ में नहीं आया ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य अंग्रेजी में प्रश्न पूछें ।

†**श्री के० सी० सोधिया** : वर्ष १९५५-५६ से पूर्व जो इंजन और बायलर खरीदे गये थे, क्या उनका मूल्य अन्तिम रूप से निश्चित तय हो गया है और भुगतान कर दिया गया है ?

†**श्री अलगेशन** : भुगतान किया जा रहा है ।

†**श्री के० सी० सोधिया** : १९५४-५५ और १९५५-५६ के मूल्यों में कितना अन्तर था ?

†**श्री अलगेशन** : १९५४ के लिये १-७-१९५४ से ३१-३-१९५५ तक वाई० जी० इंजनों का मूल्य ६,५४,५४४ रुपये बताया गया था और १९५५-५६ के लिये वाई० जी० इंजनों का मूल्य ५,८१,४६६ रुपये बताया गया था ।

†**श्री कासलीवाल** : टेल्को को छोटी लाइन इंजन और बॉयलर बनाने की अनुज्ञा दिये जाने से पूर्व अजमेर में एक कर्मशाला थी जिसमें यह कार्य किया जाता था । टेल्को को अनुज्ञा दिये जाने के पश्चात्, अजमेर कर्मशाला को इंजन और बॉयलर बनान की अनुज्ञा नहीं दी गई । क्या अब इस कार्य को अजमेर कर्मशाला को पुनः चालू करने का कोई विचार है ?

†**श्री अलगेशन** : अजमेर कर्मशाला में मरम्मत आदि का ही कार्य होता है । इस कर्मशाला की क्षमता पूर्ण रूप से इसी हेतु काम में लाई जा रही है ।

†**श्री फीरोज़ गांधी** : क्या रेलवे मंत्रालय और टाटा लोकोमोटिव कम्पनी के मध्य इस सम्बन्ध में कोई करार हुआ है कि इंजनों और बॉयलरों के निर्माण के लिये रेलवे मंत्रालय द्वारा कितना मूल्य दिया जाना था ?

†**श्री अलगेशन** : टेल्को को दिये जान वाल मूल्य के बारे में एक करार किया गया है । परन्तु टेल्को ने जो मूल्य बताये हैं हम उनसे सहमत नहीं ह और यह मामला प्रशुल्क आयोग को भेज दिया गया है ।

†**श्री फीरोज़ गांधी** : क्या टाटा लोकोमोटिव रेलव मंत्री को, उस मूल्य पर जो उन्होंने स्वीकार किया था, इंजनों तथा बॉयलरों का संभरण करने में असमर्थ है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : वे अभी सहमत नहीं हुये हैं । माननीय उपमंत्री ने बताया कि मूल्य तय नहीं हुये हैं ।

†**श्री फीरोज़ गांधी** : मेरे कथन में गलती हो सकती है परन्तु मेरे विचार से रेलवे मंत्रालय और टेल्को के मध्य इंजनों और बॉयलरों के मूल्यों क बारे में एक करार हुआ था ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री अलगेशन** : एक करार है जिसके अनुसार पारस्परिक सहमति से निश्चित किये गये मूल्य स्वीकार करने होंगे और सारा मामला उसी करार से शासित होता है। परन्तु टेल्को द्वारा बताये गये मूल्य को हम स्वीकार नहीं कर सके हैं इसलिये यह मामला प्रशुल्क आयोग को भेजा गया है,

†**श्री पी० सी० बोस** : क्या सरकार टाटा इंजनों के निर्माण लागत का परीक्षण कर सकती है ?

†**श्री अलगेशन** : प्रशुल्क आयोग को ऐसा करने के लिये कहा गया है और वह अपना पंचाट प्रस्तुत करेगा ।

†**श्री फीरोज़ गांधी** : यदि रेलवे मंत्रालय और टेल्को के मध्य कोई करार हुआ था तो यह नई स्थिति कैसे पैदा हुई है कि आप उन मूल्यों को स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं जिनको आपने पहले स्वीकार किया था ? मैं इस बात का स्पष्टीकरण चाहता हूँ ।

†**श्री अलगेशन** : करार में मूल्य नहीं बताये गये हैं। करार में कुछ परिमाप दिये गये हैं जिनके आधार पर मूल्य निश्चित किये जा सकते हैं। अब, उन्होंने जो मूल्य बताये हैं हम उन्हें स्वीकार नहीं कर सके हैं और यह मामला प्रशुल्क आयोग को सौंप दिया गया है ।

†**श्री एस० वी० रामस्वामी** : क्या मंत्रालय के पास यह स्पष्ट करने के लिये कोई तथ्य हैं कि जब कि टैल्को के मूल्य कम नहीं हुये हैं चितरंजन के मूल्य कम हो गये हैं ? यदि टेल्को के मूल्ल अब भी अधिक हैं तो उन्हें प्रशुल्क आयोग को क्यों सौंपा गया है ?

†**श्री अलगेशन** : क्योंकि रेलवे मंत्रालय इस विवाद में सम्मिलित है, इसलिये हमने यह ठीक समझा कि कोई निष्पक्ष न्यायाधिकरण इस सम्बन्ध में अपनी राय दे ।

†**श्री टी० बी० विट्ठल राव** : क्या प्राप्त किये गये इन इंजनों के लिये टैल्को को कोई भुगतान किया जा रहा है, और यदि हां, तो किस दर से; अथवा समस्त भुगतान को प्रशुल्क आयोग के पंचाट के प्राप्त होने तक के लिये रोक रखा गया है ?

†**श्री अलगेशन** : अन्तर्कायलीन भुगतान किया जा रहा है ।

†**श्री टी० बी० विट्ठल राव** : वह कितना है ?

†**श्री अलगेशन** : इसके लिये पूर्वसूचना की आवश्यकता है ।

गन्ने के मूल्य के लिये संविहित बोर्ड

†*२३३३. **श्री राधा रमण** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार गन्ने का मूल्य निश्चित करने के लिये केन्द्र में एक संविहित, स्थायी और स्वतन्त्र बोर्ड स्थापित करने की एक प्रस्थापना पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो ऐसा कोई स्थापित करते समय कौन से उद्देश्य ध्यान में रखे जायेंगे; और

(ग) क्या इस बोर्ड की शाखायें राज्यों में भी होंगी ?

†**खाद्य और कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा)** : (क) से (ग). १९५५ के मध्य में आस्ट्रेलिया और इंडोनीशिया को भेजे गये चीनी शिष्टमंडल ने अन्य बातों के साथ यह सिफारिश की है कि सरकार को इस सम्बन्ध में मंत्रणा देने के लिय कि प्रत्येक वर्ष गन्ने का मूल्य किस स्तर पर निश्चित की जाये एक स्थायी मंत्रणा समिति स्थापित की जाये। शिष्टमंडल का प्रतिवेदन राज्य सरकारों और अन्य रुचि रखने वालों में राय जानने के लिये परिचालित किया गया है और उनकी राय की प्रतीक्षा की जा रही है। इस विषय में सरकार ने अभी कोई निश्चय नहीं किया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री राधा रमण** : जब तक शिष्टमंडल के प्रतिवेदन पर सरकार विचार करे और कोई निर्णय करे तब तक सरकार गन्ने की दर निश्चित करने और उसे कम होने से रोकने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ।

†**श्री एम० वी० कृष्णप्पा** : सरकार ने राज्य सरकारों और अन्य सम्बन्धित हितों के परामर्श से १९५६-५७ की फसल के लिये गन्ने की दर निश्चित कर दी है ।

†**श्री राधा रमण** : शिष्टमंडल का प्रतिवेदन उपलब्ध होने की सरकार को कब तक आशा है और कोई निश्चय करने में कितना समय लगेगा ?

†**श्री एम० वी० कृष्णप्पा** : हम चाहते हैं कि इन मामलों के सम्बन्ध में यथासम्भव शीघ्र कोई निर्णय किया जाये । जिन राज्य सरकारों ने अभी तक अपनी रायें नहीं भेजी हैं हम उन्हें स्मरण करा रहे हैं ।

†**डा० राम सुभग सिंह** : योजना आयोग की इस नवीनतम सिफारिश को ध्यान में रखते हुये, जिसके द्वारा चीनी के बड़े बड़े व्यापारियों को एकाधिकार प्राप्त हो जाने को है, क्या सरकार यह समझती है कि शिष्टमंडल की सिफारिशों को अब कार्यान्वित करने की आवश्यकता होगी ?

†**श्री एम० वी० कृष्णप्पा** : जी हां । शिष्टमंडल की यह सिफारिशें बहुत महत्वपूर्ण हैं । गन्ने की दर के अतिरिक्त यह चीनी उद्योग के अन्य पहलुओं से भी सम्बन्ध रखती है जैसे कि चीनी का उत्पादन नियमित रखने के लिये गुड़ बाज़ार में स्थायी भाव कैसे बनाये रखे जायें निर्धारित लक्ष्य कैसे प्राप्त किये जायें आदि, आदि ।

†**डा० राम सुभग सिंह** : मेरा प्रश्न और था योजना आयोग की नवीनतम सिफारिशों के अनुसार चीनी के बड़े बड़े व्यापारी गन्ना उत्पादन के एकाधिकारी होने जा रहे हैं । इसलिये शिष्टमंडल की इस सिफारिश को कार्यान्वित करने की क्या आवश्यकता है ?

†**श्री एम० वी० कृष्णप्पा** : माननीय सदस्य ने कहा कि चीनी के बड़े-बड़े व्यापारी गन्ना उत्पादन का एकाधिकार प्राप्त करने जा रहे हैं इस से उनका क्या अभिप्राय है यह मेरी समझ में नहीं आया ।

†**डा० राम सुभग सिंह** : इसका अर्थ यह है कि आप ने योजना आयोग की सिफारिश को नहीं देखा है ।

†**श्री एन० वी० कृष्णप्पा** : मैं ने योजना आयोग की सिफारिश को देखा है । यदि माननीय सदस्य अपने प्रश्न की स्पष्ट व्याख्या करें तो मैं इसका उत्तर दे सकूंगा ।

†**पंडित डी० एन० तिवारी** : किदवई सूत्र का क्या हुआ जो गन्ने की दर का चीनी की प्राप्ति और चीनी की दर में परस्पर सम्बन्ध स्थापित करन के बारे में था ?

†**श्री एम० वी० कृष्णप्पा** : दर सम्बन्ध स्थापित करने वाले सूत्र की जांच एक विवरण विशेषज्ञ समिति द्वारा पुनः की जा रही है । वही समिति चीनी की प्राप्ति के अनुसार गन्ने के मूल्य का भुगतान करने की सम्भावना पर भी विचार कर रही है ।

†**पंडित के० सी० शर्मा** : साधारणतः आप किस मास में दर निश्चित करते हैं ?

†**श्री एम० वी० कृष्णप्पा** : सितम्बर या अक्तूबर में १९५४-५५ से १९५६-५७ तक की तीन फस्लों के लिये दरें एक वर्ष पहले से ही निश्चित कर दी गई हैं ताकि गन्ना उत्पादकों को पता चल जाये कि उन्हें कितना मूल्य मिल सकता है और उसके अनुसार व उत्पादन का आयोजन कर सकें क्योंकि गन्ना बोने और काटने में पूरे १२ मास लगते हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

पीलिया

†*२३३४ **श्री गिडवानी** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय चिकित्सा गवेषणा परिषद् ने पीलिया महामारी के कारणों के सम्बन्ध में जांच समाप्त कर ली है;

(ख) यदि हां, तो क्या उस ने कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है; और

(ग) किस प्रकार का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है ?

†**स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर)** : (क) भारतीय चिकित्सा गवेषणा परिषद् द्वारा की जा रही पीलिया महामारी की जांच अभी समाप्त नहीं हुई है ।

(ख) और (ग). अभी कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है ।

†**श्री गिडवानी** : प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया जायेगा ?

†**श्रीमती चन्द्रशेखर** : उस ने परिणामों को प्राप्त करने का कार्य समाप्त कर दिया है अब वह विश्लेषण कर रही है । विश्लेषण कार्य के पूर्ण होने पर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जायेगा ।

†**श्री गिडवानी** : क्या आज प्रातः के समाचारपत्र में प्रकाशित एक प्रतिवेदन की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है कि वीरस इंसेफैलिरिस की कुछ घटनायें हुई हैं ? क्या सरकार इसके महामारी का रूप धारण करने से पूर्व कुछ कार्यवाही करने के विचार से विशेषज्ञों की कोई बैठक बुला रही है ?

†**श्रीमती चन्द्रशेखर** : मैंने भी आज प्रातः यह समाचारपत्र देखा है । दिल्ली के नागरिकों के बचाव के लिये प्रत्येक आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

†**श्री वी० पी० नायर** : क्या जांच के दौरान में विषाणु की उन किस्मों का भी अध्ययन किया गया है जो इन्फैक्टिव हेपाटाईटिस का कारण बने, और यदि हां, तो क्या यह किस्में इस विषाणु विशेष की ज्ञात किस्में हैं या दिल्ली में नई किस्में हैं ?

†**श्रीमती चन्द्रशेखर** : अनुसन्धान पांच शीर्षों के अन्तर्गत किया गया : एपीडेमालोजी, हिस्टोलोजी, वायोकैमिस्ट्री तथा रेडियोलोजी, विरोलोजी इलैक्ट्रोनिक माइक्रोस्कोपिक अध्ययन और एनिमल एक्स-पैरिमैंटेशन और थेरापी । इन पांच विभिन्न तरीकों से वह इस रोग को फैलाने वाले कारणों की खोज निकालने की चेष्टा कर रहे हैं और इसका उपचार करने के लिये वह कोई कार्यवाही करेंग ।

†**श्री राधा रमण** : जब तक प्रतिवेदन नहीं मिलता और सरकार उस पर कार्यवाही नहीं करती तब तक जो प्रतिवेदन हमें प्राप्त हैं उनको देखते हुये कि पीलिया पानी के खराब होने के कारण फैला, सरकार इस बात को निश्चय करने के लिये कि इसकी पुनरावृत्ति न हो क्या तुरन्त कार्यवाही कर रही है ?

†**श्रीमती चन्द्रशेखर** : यह कई बार कहा जा चुका है कि यह रोग गन्दे पानी के कारण फैला और दिल्ली के नागरिकों को शुद्ध पानी का संभरण करन के लिय प्रत्येक सम्भव कार्यवाही की जा रही है ।

कटक में डाक व तार घर

†*२३३५. **श्री के० सी० जेना** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या डाक और तार निदेशक के कार्यालय को कटक से भबनेश्वर ले जान की कोई प्रस्थापना है;

(ख) क्या उड़ीसा की नई राजधानी में डाक और तार कार्यालयों क लिये भवन बनाने का कोई विचार है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) यदि हां, तो क्या भूमि अर्जित कर ली गई है; और

(घ) वह अन्तिम तिथि जब तक कि डाक और तार निदेशक के कार्यालय पूर्णरूप से कटक से भवनेश्वर ले जाये जायेंगे ?

†**संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : (क) से (घ). जांच अधीन प्रस्ताव केवल इस कार्य के लिये नई इमारतें बना कर एक नया क्रियाकारी कार्यालय अर्थात भुवनेश्वर में डाक और तार कार्यालय खोलने के सम्बन्ध में है। भूमि प्राप्त करने के बारे में राज्य सरकार से बातचीत हो रही है।

†**श्री के० सी० जेना** : क्या सरकार को विदित है कि स्थान की कमी के कारण कटक में डाक और तार निदेशक कार्यालय के विभिन्न भाग एक दूसरे से बहुत दूर स्थानों पर स्थित हैं जिसके कारण जनता को थोड़ा सा काम भी कराने के लिये बड़ी असुविधा होती है।

†**श्री जगजीवन राम** : स्थान की कमी है। राज्य सरकार के कुछ कार्यालयों के भुवनेश्वर चले जाने पर हमें और अधिक स्थान मिलने की आशा है।

†**श्री के० सी० जेना** : क्या यह सच है कि किसी फाइल ढूंढने में कई बार बड़ी कठिनाई होती है क्योंकि स्थान की कमी के कारण उन्हें नियमित ढंग से नहीं रखा जा सकता है; और यदि हां, तो सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार करती है ?

†**श्री जगजीवन राम** : प्रश्न मेरी समझ में नहीं आया।

†**श्री के० सी० जेना** : क्या यह सच है कि कटक में डाक और तार निदेशक कार्यालय के बहुत से कर्मचारियों को क्वार्टर नहीं दिये गये हैं जिसके कारण दलित जातियों के अधिकांश कर्मचारियों को बहुत असुविधा होती है क्योंकि उन के लिये कटक नगर में निजी मकान किराये पर लेना अत्यन्त कठिन है क्योंकि उक्त मकानों के अधिकतर मालिक अस्पृश्यता का दृढ़ता से पालन करते हैं ?

†**श्री जगजीवन राम** : मैं कह चुका हूँ कि वहां स्थान की कठिनाई है। यदि सरकार के और कार्यालय भुवनेश्वर चले जाने हैं तो हमें कार्यालय और कर्मचारियों के लिये और अधिक स्थान प्राप्त होने की आशा है।

श्री राधेलाल व्यास : मध्य भारत के एक दैनिक हिन्दी पत्र में यह समाचार निकला है कि डायरेक्टर जेनरल आफ़ पोस्ट एण्ड टैलीग्राफ (डाक तथा तार महानिदेशक) के दफ्तर ग्वालियार में लाये जा रहे हैं। क्या मैं जान सकता हूँ कि वह समाचार कहां तक सही है ? अगर वह सही नहीं है तो क्या यह उचित न होगा कि उन्हें ग्वालियर में काफी बिल्डिग (भवन) हैं इसलिये वे आफिसेज़ वहां ही ले जाय जायें और नई बिल्डिग बनाने की आवश्यकता न हो ?

†**श्री जगजीवन राम** : यह प्रश्न कैसे उत्पन्न होता है ? प्रश्न कटक के बारे में है। मेरे माननीय मित्र मध्य भारत के बारे में पूछ रहे हैं।

राजकुमारी खेल-कूद प्रशिक्षण योजना

*२३३६. **श्री कामत** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री २४ अप्रैल, १९५६ को राजकुमारी खेल-कूद प्रशिक्षण योजना के बारे में पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या १४३० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या योजना पर अब तक जो व्यय हुआ है उसका लेखापरीक्षण हो गया है;

(ख) यदि हां, तो लेखापरीक्षा किसने की है।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति लोक-सभा पटल पर रखी जायेगी ?

†**स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर)** : (क) हां ।

(ख) व्यय की लेखापरीक्षा एक पंजीबद्ध लेखापाल श्री जेड़० आर० ईरानी द्वारा की गई थी ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(घ) १९५३-५४, १९५४-५५ और १९५५-५६ इन तीन वर्षों के लेखापरीक्षित लेखों के तीन विवरण सभा पटल पर रखे जाते हैं । **[देखिये प्ररिशिष्ट १४, अनुबन्ध संख्या ३]**

†**श्री कामत** : क्या यह सच है कि उक्त लेखापरीक्षा जिसके विवरण सभा पटल पर रखे गये हैं, स्वयं प्रशिक्षण समिति का एक सदस्य है, और यदि हां, तो क्या सरकार एक ऐसे व्यक्ति द्वारा लेखा परीक्षा कराने की व्यवस्था को जारी रखने की प्रस्थापना करती है जो प्रशिक्षण समिति का एक सदस्य है और जिसकी उसमें दिलचस्पी स्पष्ट है ?

†**श्रीमती चन्द्रशेखर** : जिस व्यक्ति ने लेखापरीक्षा की थी वह केवल एक अवैतनिक कोषाधिकारी है । समिति से कोई पारिश्रमिक नहीं मिलता है । वह समिति का एक सदस्य है । उस की अर्हताओं को देखते हुए यह विचार किया गया था कि यदि उसने लेखापरीक्षा की तो ठीक रहेगा । इसलिये उसने लेखा परीक्षा की ।

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री ईरानी लेखापरीक्षा कितने समय से करते आ रहे हैं ?

†**श्रीमती चन्द्रशेखर** : तीन वर्ष से ।

†**श्रीमती ए० काले** : क्या सरकार किसी स्वतंत्र लेखापाल की सेवायें लेखापरीक्षा करने के लिये उपलब्ध नहीं कर सकती थीं ?

†**श्रीमती चन्द्रशेखर** : हम इस पर विचार करेंगे ।

†**सरदार ए० एस० सहगल** : क्या यह वाजिब नहीं होगा कि जो सदस्य हैं उनसे आडिट (लेखा-परीक्षा) न कराई जाये, चाहे वह आनरेरी (अवैतनिक) हों या किसी और तरह से हों ?

†**श्रीमती चन्द्रशेखर** : मेरा ख्याल है कि मैं उस प्रश्न का उत्तर दे चुकी हूं ।

†**श्री कामत** : मैं देखता हूं कि विवरणों में कई नामों की सूची दी गई है । क्या मैं जान सकता हूं कि कबड्डी और कुश्ती जैसे लोकप्रिय भारतीय खेलों के प्रशिक्षण के लिये इन तीन वर्षों में या उससे अधिक समय में कोई राशि व्यय नहीं की गई है ?

†**श्रीमती चन्द्रशेखर** : इसके लिये मुझे पूर्व-सूचना आवश्यक होगी ।

†**श्री कामत** : इस वर्ष के लेखापरीक्षा विवरण में "स्वकैश" नाम की मद के समक्ष १,५०० रुपये की एक राशि दिखाई गई है । क्या यह सच है कि जिस प्रयोजन के लिये राशि मंजूर की गई थी वह "स्वकैश" के प्रशिक्षण के लिये नहीं थी किन्तु वास्तव में वह उस व्यक्ति को दी गई थी जो अमरीका में हुई किसी खेल प्रतियोगिता में उक्त खेल खेलने के लिये गया था ?

†**श्रीमती चन्द्रशेखर** : माननीय सदस्य के प्रश्न के दूसरे भाग के बारे में मुझे जानकारी नहीं है । प्रश्न के प्रथम भाग के लिये मैं सूचना चाहती हूं ।

†**श्री कामत** : इस बात को देखते हुये कि निर्धन करदाताओं के धन से पिछले तीन वर्षों में इस योजना के लिये तीन लाख रुपये मंजूर किये गये.....

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : यह कहने की आवश्यकता नहीं है । जो भी धन एकत्रित किया जाता है वह कराधान से ही किया जाता है ।

†**श्री कामत** : तो उक्त योजना से राजकुमारी योजना नाम क्यों दिया गया और यह राजकुमारी कौन है ?

†**श्रीमती चन्द्रशेखर** : निश्चय ही वह स्वास्थ्य मंत्री हैं जिन्होंने इस योजना को प्रारम्भ किया है । इस योजना को राजकुमारी प्रशिक्षण योजना इसलिये कहा जाता है क्योंकि वह इस योजना में वास्तव में दिलचस्पी लेती हैं । उन्हें राष्ट्रीय खेलों में अत्यधिक रुचि है ।

†**डा० रामा राव** : विवरणों से ज्ञात होता है कि मंजूर की गई राशि में से एक काफी बड़ा हिस्सा टेनिस पर व्यय किया गया है । हाकी के बारे में काफी आत्मतुष्टि है । टनिस को ८५,००० रुपये प्राप्त हुये हैं जब कि हाकी को १३,००० रुपये । क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार हाकी पर, विशेषकर दक्षिण भारत के क्षेत्रों के लिये, अधिक धन व्यय करने का विचार करती है ?

†**श्रीमती चन्द्रशेखर** : यदि वह आवश्यक है तो उस पर विचार किया जायेगा ।

गाड़ियों की नियमितता

*२३३८. **श्री जांगड़े** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले तीन मास से हावड़ा-नागपुर लाइन पर सावारी और डाक गाड़ियां किस कारण से विलम्ब से चलती रही हैं और उन में नियमितता नहीं आई है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : खासतौर पर राज्य पुनर्गठन कमीशन की रिपोर्ट के सम्बन्ध में उपद्रव के कारण और भिलाई स्टील प्लान्ट और दूसरी बड़ी योजनाओं के लिये लाइन की क्षमता बढ़ाने क सम्बन्ध में इंजीनियरिंग के काम के कारण ।

†**श्री जांगड़े** : पिछले तीन महीनों में इतने प्रश्न पूछे जाने के बाद भी, न केवल इस मार्ग पर चलने वाली रेल गाड़ियां किन्तु विभिन्न रेलवेज़ में, शाखा मार्गों पर और विशेषकर ग्रैंड ट्रन्क एक्सप्रेस अकसर विलम्ब से चलती है ? सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही क्यों नहीं की है ।

†**श्री अलगेशन** : हमें इस मामले की जानकारी है और हमने विभिन्न रेलवे प्रशासनों को अदेश किये हैं कि वह देखें कि रेलगाड़ियों की समय पालन की स्थिति में सुधार होता है । किन्तु मैंने पहले ही यह बता दिया है कि इस विशिष्ट रेलमार्ग पर प्रमुख कारण कौन से हैं ।

†**श्री फीरोज गांधी** : प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ के समय रेलगाड़ियां विलम्ब से चला करती थीं, और अब जब प्रथम पंचवर्षीय योजना पूर्ण हो चुकी है हम देखते हैं कि जहां तक रेलगाड़ियों के पहुंचने और छूटने के समय का सम्बन्ध है, यात्री रेलगाड़ियों के आवागमन में, विशेषकर अप्रैल, मई, जून और जुलाई महीनों में, कोई सुधार नहीं हुआ है । मैं जान सकता हूं कि रेलवे मंत्रालय इतनी देर बाद भी यह देखने के लिये कि रेलगाड़ियां ठीक समय पर चलती हैं क्या कार्यवाही करने का विचार करती है ?

†**श्री अलगेशन** : इस सभा में कई बार यह बताया जा चुका है कि उन महीनों में जिनका उल्लेख माननीय सदस्य ने किया है.....

†**श्री फीरोज गांधी** : माननीय मंत्री के शब्दों को मैं सुन नहीं पा रहा हूं ।

†**श्री अलगेशन** : मुझे तो आपके शब्द सुनाई देते हैं.....कि कर्मचारियों के स्वास्थ्य और जल के सम्बन्ध में कुछ विशेष कठिनाइयां होती हैं, और सामान्यत: ग्रीष्म ऋतु में रेलगाड़ियां समय पर नहीं चलती हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**सरदार ए० एस० सहगल :** क्या मैं जान सकता हूं कि उपनगरीय रेलगाड़ियों को डाक और एक्सप्रेस रेलगाड़ियों पर प्राथमिकता देने की नीति की जांच की जायेंगी और क्या डाक व एक्सप्रेस रेलगाड़ियों को उपनगरीय रेलगाड़ियों पर प्राथमिकता दी जायेगी ?

†**श्री अलगेशन :** समय की पाबन्दी के बारे में मैं सभा को यह बता दूं कि प्राक्कलन समिति ने भी इस प्रश्न की जांच की है और उसे डाक तथा सवारी गाड़ियों की समय पालन प्रतिशतता निर्धारित कर दी है और हमने रेलवे प्रशासनों से उक्त बातों का यथासमय पालन करने को कहा है ।

आसाम रेल सम्पर्क का टूट जाना

†***२३४०. श्री देवेन्द्र नाथ शर्मा :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर रेलवे की आसाम सम्पर्क वर्षा ऋतु में टूटी रहती है;

(ख) यदि हां, तो १९५२, १९५३, १९५४ और १९५५ में उक्त सम्पर्क कितने समय के लिये टूटा रहा था;

(ग) इसके टूटने के कारण रेलवे को कुल कितनी हानि हुई; और

(घ) भविष्य में इस कड़ी टूटने न देने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार किया गया है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) :** (क) नहीं, सदैव नहीं ।

(ख) १९५२ में ५४ दिन ।
१९५३ में कोई नहीं ।
१९५४ में १२२ दिन और
१९५५ में ६५ दिन ।

(ग) लगभग २ करोड़ रुपये ।

(घ) उक्त कड़ी रेलमार्ग के स्थायित्व के सामान्य प्रश्न की जांच करने और प्रतिकारक उपायों का सुझाव देने के लिये एक समिति गठित की गई है ।

†**श्री देवेन्द्र नाथ शर्मा :** क्या मैं जान सकता हूं कि उक्त समिति का प्रतिवेदन प्राप्त होने में कितना समय लगेगा ?

†**श्री अलगेशन :** इस प्रश्न का उत्तर देने में मैं असमर्थ हूं । हमने उनसे शीघ्रता से जांच करने के लिये कहा है । एक या दो सर्वेक्षण भी किये जाने हैं और समिति द्वारा सर्वेक्षणों पर विचार किया जायेगा । इसलिये उसे कुछ समय लग सकता है किन्तु वह कितना होगा यह मैं नहीं कह सकता ।

†**श्री जी० पी० सिन्हा :** क्या मैं जान सकता हूं कि उत्तर बिहार में वर्षा ऋतु में रेलमार्ग विच्छिन्न होने के सम्बन्ध में भी यह समिति जांच करेगी ?

†**अध्यक्ष महोदय :** इसका सम्बन्ध तो आसाम से है ।

†**श्री अलगेशन :** इसका निर्देश आसाम रेल कड़ी से है ।

†**श्री बर्मन :** क्या मैं जान सकता हूं कि यह समिति कड़ी को स्थायी बनाने के उपाय खोजने के अतिरिक्त, आसाम सरकार द्वारा सुझाये गये वैकल्पिक मार्ग के बारे में भी जांच करेगी ?

†**श्री अलगेशन :** समिति द्वारा उस पर भी विचार किया जायेगा ।

†**श्री देवेन्द्र नाथ शर्मा :** क्या मैं जान सकता हूं कि हाल ही में उक्त मार्ग पर संचार रुक गया था ?

†**श्री अलगेशन :** संभव है कि वहां बाढ़ के कारण कुछ बाधा हुई हो ।

---

†मूल अंग्रेजी में

परिवार नियोजन

†*२३४१. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार नियोजन की विधियों के प्रसार के लिये सरकार ने कोई प्रस्थापना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्थापना का स्वरूप क्या है; और

(ग) परिवार नियोजन की प्रणालियों का प्रसार करने के लिये किस माध्यम का उपयोग किया जायेगा ?

†**स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर)** : (क) हां ।

(ख) और (ग). योजना के ब्योरे इस समय विचाराधीन हैं ।

†**श्रीमती ए० काले** : क्या मैं जान सकती हूं कि क्या सरकार कुछ कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देकर उन्हें परिवार नियोजन कार्य करने के लिये ग्रामों में भेजने की उपयोगिता पर विचार करेगी ?

†**श्रीमती चन्द्रशेखर** : उसका भी समावेश द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किया गया है क्योंकि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत खोले जाने वाले स्वास्थ्य केन्द्रों को चलाने के लिये हमें प्रशिक्षित कर्मचारियों की आवश्यकता है ।

†**डा० राम सुभग सिंह** : प्रश्न के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में माननीय मंत्री ने कहा कि ब्योरे विचाराधीन हैं । क्या मैं जान सकता हूं कि उन पर विचार माननीय स्वास्थ्य मंत्री के अमरीका लौटने के बाद किया जायेगा या पहले ?

†**श्रीमती चन्द्रशेखर** : श्रीमान, उसे शीघ्र पूर्ण कर लिया जायेगा ।

†**श्री एच० एन० मुकर्जी** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार का यह अनुभव है कि जीवन-यापन स्तर के उन्नयन के अभाव में ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार नियोजन का प्रचार निरर्थक हो जाता है, और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

†**श्रीमती चन्द्रशेखर** : जी, हां । हम कठिनाई को जानते हैं । यही कारण है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हमने लोगों को, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों को, इस विषय के बारे में दृश्य-श्रव्य साधनों, चलचित्रों और पोस्टरों के ज़रिये शिक्षा देने की योजनायें भी सम्मिलित की हैं ।

†**श्रीमती ए० काले** : इस बात को देखते हुये कि यह एक विराट प्रश्न है जिसे हल करना है क्या सरकार शहरों में चल रही महिला संस्थाओं की सेवायें प्राप्त करने का विचार रखती है ?

†**श्रीमती चन्द्रशेखर** : जी, हां । अब भी महिला संस्थाओं की सहायता ली जाती है जब कि वह ऐच्छिक संस्थाओं में परिवार नियोजन कार्य कर रही हैं ।

†**श्रीमती ए० काले** : क्या इन संस्थाओं को कोई आर्थिक सहायता दी जायेगी ?

†**श्रीमती चन्द्रशेखर** : मेरा ख्याल है कि माननीय महिला सदस्या को ऐच्छिक संस्थाओं को प्रदत्त सहायक अनुदानों की जानकारी होनी चाहिये । हमने केवल ऐच्छिक संस्थाओं को, इस कार्य को करने के लिये, १९५४-५५ में १,०७,७४८ रुपये और १९५५-५६ में ३,२८,३४९ रुपये दिये हैं ।

†**श्री जी० पी० सिन्हा** : खड़े हुये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे खेद है कि मैंने कई प्रश्न पूछने की अनुमति दे दी है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

भोजन व्यवस्था के ठेके

†*२३४३. **सरदार ए० एस० सहगल** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भोजन व्यवस्था के ठेकेदारों के ठेके एक से अधिक रेलवे में हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार भोजन व्यवस्था के एक ठेकेदार को एक ही क्षेत्रीय रेलवे तक सीमित रखने और अन्य रेलवे के उसके ठेकों को अन्य ठेकेदारों को देने के बारे में विचार कर रही है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) हां; कुछ मामलों में ।

(ख) बहुत ही कम मामलों को छोड़ कर, सरकार ने भोजन व्यवस्था ठेकेदारों के ठेकों को एक ही रेलवे के साधन क्षेत्र में सीमित करने के सम्बन्ध में पहले ही कार्यवाही कर दी है । जिन मामलों में अपवाद किया गया है वहां किन्हीं विशेष कारणों को ही एक ठेकेदार को एक से अधिक रेलवे पर ठेका लेने की अनुमति दी गई है ।

†**सरदार ए० एस० सहगल** : ऐसे कितने ठेकेदारों ने अपने ठेके जोनल रेलवे में अन्य लोगों को हस्तांतरित कर दिये हैं ?

†**श्री अलगेशन** : इस के लिये आंकड़े इकट्ठे करने पड़ेंगे ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अभी कोई जानकारी नहीं दी जा सकती ।

†**पंडित डी० एन० तिवारी** : रेलवे प्रशासन को कौन से विशेष कारणों से एक से अधिक रेलवे के लिये ठेके देने पड़े हैं ?

†**श्री अलगेशन** : जब दो स्थान एक दूसरे के बहुत समीप हों और वे एक ही क्षेत्र में आते हों, तो ऐसा किया जा सकता है ।

†**श्री बी० एस० मूर्ति** : इस बात का प्रबन्ध करने के लिये कि खौंचेवाले ठेकेदारों के बदले जाने से विस्थापित न हों क्या कार्यवाही की जा रही हैं ?

†**श्री अलगेशन** : मैं कई बार इस प्रश्न का उत्तर दे चुका हूं । चूंकि वे रेलवे कर्मचारी नहीं हैं इसलिये हम प्रत्यक्ष तथा कोई शर्त नहीं लगा सकते हैं, किन्तु हम ने रेलवेज़ से कहा है कि वे नये ठेकेदारों से यथासंभव प्रयत्न करें कि वे अधिक से अधिक पुराने कर्मचारियों को नियुक्त करें ।

†**सरदार ए० एस० सहगल** : क्या सरकार ने इस सदन में दिये गये इस सुझाव पर विचार किया है कि एक ज़ोनल रेलवे में एक ठेकेदार को एक ही ठेका दिया जाये ?

†**श्री अलगेशन** : जहां तक मुझे याद है यह सुझाव किसी माननीय सदस्य ने, प्रश्न पूछने वाले सदस्य ने भी, नहीं दिया था ।

†**श्री जी० पी० सिन्हा** : विभागीय भोजन व्यवस्था कब तक पूर्णरूप से चालू कर दी जायेगी ?

†**श्री अलगेशन** : नीति प्रत्येक ठेके का विभागीयकरण करने की नहीं है । किन्तु इस विभागीयकरण को पहले की अपेक्षा अधिक विस्तृत किया जा सकता है । यह व्यवस्था हम ने अभी शुरू की है किन्तु विचार निजी व्यक्तियों द्वारा की गई भोजन व्यवस्था को बिल्कुल बन्द कर देने का नहीं है । यह उस प्रकार का सहअस्तित्व होगा, और दोनों एक दूसरे के अनुसार अनुभव से लाभ उठा सकेंगे ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अगला प्रश्न ।

†**श्री जी० पी० सिन्हा** : उठे—

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : कुछ माननीय सदस्य सब प्रश्नों के समाप्त होने के बाद उठते हैं। उन्हें तैयार हो कर आना चाहिये और पहले खड़ा होना चाहिये। मैं उन्हें अवसर देने का प्रयत्न करूंगा।

विजयवाड़ा में रेल का पुल

†*२३४४. **श्री बी० एस० मूर्ति** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विजयवाड़ा में कृष्णा नदी पर रेल के पुल को बढ़ान की योजनायें पूर्ण की जा चुकी हैं;

(ख) इन योजनाओं पर कितना धन लगेगा; और

(ग) यह योजना कब शुरू की जायेगी ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) इस प्रकार की कोई प्रस्थापना विचाराधीन नहीं है।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

†**श्री बी० एस० मूर्ति** : इस बात को ध्यान में रखते हुये कि मद्रास से बैजवाड़ा तक रेलवे लाइन को दुहरा किया जा रहा है, क्या रेलवे मंत्रालय का विचार बैजवाड़ा में एक और पुल बनाने का नहीं है ?

†**श्री अलगेशन** : तेनालि और गुडुर के बीच रेलवे लाइन को दुहरा किया जा रहा है। विजयवाड़ा और तेनालि के बीच के विभागीय को दुहरा नहीं किया जा रहा है।

†**श्री टी० बी० विट्ठल राव** : विजयवाड़ा में होने वाले परिवहन गतिरोध को ध्यान में रखते हुए, विजयवाड़ा और तेनालि के बीच विभाग या रेलवे लाइन की क्षमता बढ़ाने के लिये क्या प्रबन्ध किये जा रहे हैं।

†**श्री अलगेशन** : गुन्टूर को जो कि अब छोटी लाइन द्वारा मिला हुआ है, बड़ी लाइन द्वारा मिलाया जायेगा।

†**श्री बी० एस० मूर्ति** : क्या माननीय मंत्री को विदित है कि बहुत सी गाड़ियों को जिन में ग्राण्ड ट्रंक एक्सप्रेस और मद्रास-कलकत्ता मेल भी हैं, पुल पर रास्ता न होने के कारण विजयवाड़ा पर रुकना पड़ता है, और यदि हां; तो इस तंगी को दूर करने के लिये वह क्या कार्यवाही करने की प्रस्थापना करते हैं ?

†**श्री अलगेशन** : जहां तक मुझे विदित है, यह पुल कोई गतिरोध उत्पन्न नहीं करता।

अंदमान में सड़कें

†*२३४५. **श्री इब्राहीम** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५५-५६ में अंदमान द्वीपों में सड़कों के विकास के लिये कितनी धनराशि व्यय की गई ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : वास्तविक व्यय के आंकड़े अभी मालूम नहीं हैं किन्तु अनुमानित व्यय ८,७९,२०० रुपये है।

†**श्री इब्राहीम** : १९५५-५६ के लिए कुल कितनी धनराशि रखी गई थी ?

†**श्री अलगेशन** : यही राशि तो मैं ने अभी बताई है।

†**श्री एस० सी० सामन्त** : क्या दक्षिण और उत्तर अंदमान को सड़क द्वारा मिलाने के लिये कोई सर्वेक्षण किया गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री अलगेशन** : सर्वेक्षण किया जा रहा है। वस्तुतः यह एक पहले प्रश्न का, जिसका मैं ने उत्तर दिया था, विषय था।

†**श्री के० के० बसु** : इस सड़क कार्यक्रम के अधीन बनाई जाने वाली सड़कों की लम्बाई क्या होगी ?

†**श्री अलगेशन** : दूसरी योजना भी बनाई जा चुकी है। मेरे पास लम्बाई के ठीक-ठीक आंकड़े नहीं हैं। कुछ आंकड़े मेरे पास हैं, जो इस प्रकार हैं। अण्डमान द्वीपों में प्रस्तावित नई सड़कों की लम्बाई ९० मील होगी और निकोबार द्वीप में २५ मील होगी।

†**डा० राम सुभग सिंह** : १९५५-५६ में उस राशि को खर्च कर के, जो मंत्री महोदय ने अभी बताई है कितने मील लम्बी सड़कें बनाई गई थीं ?

†**श्री अलगेशन** : पहली योजना में १३० मील से लम्बी सड़क सुधारी गई थी और ८३ मील लम्बी नई सड़कें बनाई गई थीं।

राष्ट्रीय राजपथ

†*२३४६. **श्री मादिया गौडा** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५५-५६ में राष्ट्रीय राजपथों के किनारों पर पेड़ लगाने पर कोई धनराशि व्यय की गई है;

(ख) कितने पेड़ लगाये गये हैं; और

(ग) इन पेड़ों की रक्षा कैसे की जाती है और किस के द्वारा ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी हां। व्यय की गई राशि के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है, क्योंकि यह व्यय संधारण खाते में डाल दिया जाता है और कोई अलग लेखे नहीं रखे जाते हैं।

(ख) यह जानकारी भी उपलब्ध नहीं है।

(ग) सामान्यतया पेड़ों की देख-रेख राज्य लोकनिर्माण विभागों के द्वारा की जाती है। जहां आवश्यक होता है वहां वे चौकीदार भी रखते हैं।

†**श्री मादिया गौडा** : क्या सरकार ने वर्तमान पेड़ों — उनकी संख्या और स्थिति का कोई सर्वेक्षण किया है ?

†**श्री अलगेशन** : हमें यह जानकारी सामान्यतया राज्य सरकारों से प्राप्त होती है और वस्तुतः इसे इकट्ठा करने में बहुत समय लगता है, क्योंकि राज्य सरकारें अपने उत्तर तुरन्त नहीं भेजती हैं।

†**श्री केशव अय्यंगार** : क्या सरकार को विदित है कि इन में से बहुत से पेड़ काट कर हटाये जा रहे हैं, और यदि हां तो इस बुराई को दूर करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार करती है ?

†**श्री अलगेशन** : राज्य सरकारों से उनकी देख-रेख करने और उनको ठीक दशा में रखने की आशा की जाती है। उन को पेड़ों की एक और पंक्ति भी लगाने की हिदायत दी गई है, ताकि वे वर्तमान पुराने पेड़ों और काटे गये पेड़ों का स्थान ले सकें।

†**श्री केशव अय्यंगार** : इस का इलाज क्या है ?

†**श्री कामत** : सड़कों के किनारे पेड़ लगाने और राष्ट्रीय राजपथों पर सुन्दर एवेन्यू बनाने के लिये क्या मंत्रालय ने कृषि मंत्रालय से सहयोग मांगा है, ताकि वार्षिक वनमहोत्सव आंशिक रूप से राष्ट्रीय राजपथों पर मनाया जा सके ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि क्या इन दोनों मंत्रालयों में कोई समन्वय है, ताकि वे एक दूसरे का उपयोग कर सकें।

†**श्री अलगेशन** : इन दोनों मंत्रालयों में अपेक्षित समन्वय है।

अलाभप्रद रेलवे लाइनें

*२३४८. **श्री के० सी० सोधिया** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार की रेलों के ऐसे प्रत्येक विभागों की मीलों में लम्बाई कितनी है जिनके लिये राज्य-सरकारों ने गारंटी दी है;

(ख) राज्य-सरकारों को अलग-अलग कितनी-कितनी रकम गारंटी के रूप में देनी पड़ती है; और

(ग) इस रकम में प्रत्येक वर्ष घटा-बढ़ी होने के कारण क्या हैं ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) और (ख). एक बयान सभा पटल पर रख दिया गया है। [**देखिये परिशिष्ट १४, अनुबन्ध संख्या ४**]

(ग) गारन्टी की रकम शुद्ध आमदनी के घटने और बढ़ने के साथ घटती-बढ़ती है; और शुद्ध आमदनी साल की कुल आमदनी और संचालन-व्यय पर निर्भर रहती है।

†**श्री के० सी० सोधिया** : विवरण से प्रकट होता है कि पिछले चार वर्षों से लगातार मद्रास सरकार के नाम बकाया चली जाती है। इन लाइनों को बनाने के लिये राज्य सरकार द्वारा यह गारंटियां किन परिस्थितियों के अधीन दी गई थीं ?

†**श्री अलगेशन** : कोई बकाया नहीं हैं; उनका भुगतान किया जा रहा है।

†**अध्यक्ष महोदय** : अगला प्रश्न।

†**श्री के० सी० सोधिया** : विवरण से मुझे मालूम होता है कि १९५१-५२ में गारंटी की देय राशि ६२,५४७ रुपये थी, १९५२-५३ में १,००,२०३ रुपये थी और १९५३-५४ में ४४,६९४ रुपये थी.....

†**अध्यक्ष महोदय** : मैंने अगले प्रश्न के लिये कहा है।

सामुदायिक परियोजनायें और राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंड

†*२३४९. **श्री संगण्णा** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों में स्थित किन्हीं सामुदायिक परियोजनाओं और राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंडों ने भारत के रक्षित बैंक की ग्राम्य ऋण सर्वेक्षण की विदेशक समिति की सिफारिश के अनुसार सहकारी संस्थाओं से लाभ उठाया है;

(ख) यदि हां, तो किन राज्यों में; और

(ग) कितना ऋण मांगा गया और कितना दिया गया ?

†**खाद्य और कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा)** : (क) जी, हां।

(ख) आंध्र, बम्बई, उड़ीसा, पेप्सू और विन्ध्य प्रदेश।

(ग) पेप्सू में १८ लाख रुपये की मांग की गई थी और ११ लाख रुपये दिये गये थे। विन्ध्य प्रदेश ने २ लाख रुपये की मांग की थी और १·५ लाख रुपये दिये गये थे। अन्य राज्यों के बारे में जानकारी इकट्ठी की जा रही है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री संगण्णा** : क्या सरकार को विदित है कि यद्यपि ये ऋण सुविधायें सामुदायिक परियोजनाओं और राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंडों में उपलब्ध है, फिर भी अनावश्यक औपचारिकताओं और प्रविधिक अड़चनों के कारण ग्रामीण लोगों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है ।

†**श्री एम० वी० कृष्णप्पा** : ऐसा वर्तमान सहकारी ऋण व्यवस्था के अधीन होता था । किन्तु यह एक अग्रिम योजना है जिसे चालू किया गया है । इन अग्रिम योजनाओं का प्रयोग कुछ राज्यों में किया जायेगा और यह एक नई योजना का भाग होगा जिसे क्रियान्वित किया जाने को है ।

†**श्री बी० एस० मूर्ति** : मद्रास और आंध्र राज्य सरकारों ने कितनी राशि की मांग की थी और उन्हें अभी तक कोई अनुदान क्यों नहीं दिये गये हैं ?

†**श्री एम० वी० कृष्णप्पा** : मैं ने कहा कि अन्य राज्यों के बारे में जानकारी इकट्ठी की जा रही है ।

†**श्री बी० एस० मूर्ति** : कितनी राशियों की मांग की गई है ?

†**श्री एम० वी० कृष्णप्पा** : मैं ने कहा है कि जानकारी इकट्ठी की जा रही है और जब यह हमें मिल जायेगी हम दे देंगे ।

†**श्री वेलायुधन** : क्या सरकार को इस अभिप्राय की कोई शिकायत प्राप्त हुई है कि राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंड़ों और सामुदायिक परियोजना क्षेत्रों को यह राशि बांटते समय, पदाधिकारी राशि का कुछ प्रतिशत भाग रिशवत के रूप में लेते हैं ?

†**श्री एम० वी० कृष्णप्पा** : यह तो एक पुरानी बात है । किन्तु एक नई योजना है । इस योजना के बारे में कोई शिकायतें नहीं हैं क्योंकि प्रक्रिया बहुत सरल बना दी गई है, जो भी व्यक्ति समय पर ऋण लेना चाहता है उसे पदाधिकारियों की दया पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है । नई योजना के अन्तर्गत नियम ढ़ीले कर दिये गये हैं ।

†**श्री एन० बी० चौधरी** : क्या ग्रामीण ऋण संभरण के प्रयोजन के लिये सहकारी संस्थाओं की इस योजना को राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंड और सामुदायिक परियोजनाओं से समायोजित कर दिया गया है या यह एक अलग योजना है, जिसका प्रशासन अन्य कार्यपालिका पदाधिकारियों द्वारा किया जाता है ?

†**श्री एम० वी० कृष्णप्पा** : यह सहकारिता विभाग के अधीन एक अलग योजना है किन्तु उन क्षेत्रों में यह अग्रिम योजनायें राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंड प्रशासन के सहयोग और सम्बन्ध से क्रियान्वित की जा रही हैं ।

मध्य प्रदेश में चावल का मूल्य

*२३५०. **श्री जांगड़े** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश के दुर्ग ज़िले में, जहां नहर निर्माण कार्य चल रहे हैं, सरोधा, गोंडली और दुधवा क्षेत्रों में चावल २६ रुपये से ३० रुपये प्रति मन के हिसाब से बिक रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह मालगाड़ी के डिब्बों के न मिलने के कारण हैं; और

(ग) इन क्षेत्रों में चावल का सस्ते मूल्य पर संभरण करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**खाद्य और कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा)** : (क) जी नहीं । सरोधा और गोंडली क्षेत्रों में चावल का मौजूदा चालू भाव साढ़े सोलह रुपये और सतरह रुपये प्रति मन के बीच में है । दुधवा रायपुर और बस्तर ज़िले की सीमा पर है और वहां चावल का भाव सोलह से उन्नीस रुपये प्रति मन बताया जाता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यह सवाल उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि इन तीनों केन्द्रों में रेल के स्टेशन नहीं है ।

(ग) राज्य सरकार वहां की स्थिति को ध्यानपूर्वक देख रही है और जब कभी ज़रूरत होगी तो मज़दूरों को उचित भाव पर चावल देने का प्रबन्ध किया जायेगा ।

श्री जांगड़े : माननीय मंत्री ने अभी बतलाया कि वहां चावल १६ से १९ रुपये तक प्रति मन के हिसाब से बिकता है । मैं स्वयं वहां गया था और देखा कि वहां वह २६ से ३२ रुपये प्रति मन तक बिकता है, यानी एक रुपये में पांच पाव चावल बिकता है जब कि पड़ोस के क्षेत्रों में रुपये का तीन सेर बिकता है । क्या मैं जान सकता हूं कि चावल के भाव बढ़ने के जो कारण हैं उन में क्या यह कारण भी शामिल नहीं है कि वहां पर कई हजार मज़दूर दूर-दूर के क्षेत्रों से पहुंच गये हैं और उन्होंने चावल का भाव बढ़ा दिया है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : यह बात सच है कि जब आप ने यह प्रश्न भेजा था तब चावल का भाव ज्यादा था, अब वह कम हो रहा है और बहुत तेजी से कम हो रहा है । मध्य प्रदेश सरकार को हम ने चावल दिया है और जिस-जिस जगह पर चावल का दाम बढ़ता है वहां पर वह उस को भेजती है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** अगला प्रश्न ।

†**सरदार ए० एस० सहगल :** उठे—

†**अध्यक्ष महोदय :** चावल सम्बन्धी प्रश्न प्रति दिन पूछे जाते हैं;

†**सरदार ए० एस० सहगल :** जहां तक मध्य प्रदेश का सम्बन्ध है, यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है ।

मंत्री महोदय ने जवाब में यह बताया कि राज्य सरकार इस को देख रही है । मैं जानना चाहता हूं कि अभी तक मध्य प्रदेश की सरकार ने इस के ऊपर क्या-क्या कार्यवाही की है जिस से कि दाम कम हो जायें ।

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : अध्यक्ष महोदय, मैं ने जवाब में बताया है कि जहां चावल का भाव बढ़ जाता है वहां पर मध्य प्रदेश की सरकार ने चावल सस्ते दाम पर बिक्री करने का इन्तजाम किया है ।

†**श्री वेलायुधन :** क्या चावल और अन्य खाद्यान्नों के मूल्य में यह वृद्धि केवल इस क्षेत्र में नहीं है बल्कि सब स्थानों पर है, और इस का कारण यह है, कि हाल ही में सरकार ने बहुत अधिक परिमात्रा में निर्यात किया है, क्या इस सम्बन्ध में भारत से किये गये निर्यात के बारे में सरकार के पास कोई आंकड़े हैं ?

†**श्री एम० वी० कृष्णप्पा :** यह धारणा गलत है । पर कहना ठीक नहीं है कि चावल के मूल्य में वृद्धि होने का एक कारण इस का निर्यात था । आयात की अपेक्षा हमारा निर्यात बहुत कम था । इस का प्रभाव अधिकतर मनोवैज्ञानिक था । यद्यपि हम ने २ लाख टन के निर्यात की घोषणा की थी, तथापि दो वर्षों में हम एक लाख टन ही निर्यात कर सके थे और वह भी बढ़िया किस्म का चावल था,जिसे कि ब्रिटिश उपनिवेशों में रहने वाले हमारे अपने लोग खाना पसन्द करते हैं; वे हमारा अपना चावल खाना चाहते हैं । कुछ सऊदी अरब देश भी इस पुलाव और अन्य प्रकार के बढ़िया चावल का उपयोग करते हैं । अतः इस का निर्यात से कोई सम्बन्ध नहीं

†**श्री वेलायुधन :** गेहूं के बारे में क्या स्थिति है ?

†**श्री एम० वी० कृष्णप्पा :** चावलों के निर्यात की घोषणा हम ने तब की थी जब चावल का मूल्य अलाभप्रद स्तर पर पहुंच गया था ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अल्प-सूचना प्रश्न और उत्तर

काठमांडू में विमान दुर्घटना

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १७--श्री संगण्णा : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १५ मई, १९५६ को दोपहर बाद एक आई० ए० सी० डकोटा जो सिमरा हवाई अड्डे से उड़ा था, काठमांडू हवाई अड्डे पर उतरते समय दुर्घटना ग्रस्त हो गया, जिसके परिणामस्वरूप १८ यात्री मर गये और कितने ही घायल हुये, और

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना का वास्तविक विवरण क्या है ?

संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) भारतीय विमान वाहिनी निगम (इन्डियन एयर-लाइन्स कारपोरेशन) का एक यात्री विमान जो नैपाल में सिमरा से काठमांडू को असूचित उड़ान कर रहा था १५-५-१९५६ को लगभग २ बजकर ५४ मिनट पर काठमांडू में जब कि वह उतर रहा था नष्ट हो गया। इसके फलस्वरूप १४ यात्रियों की, जिनमें एक शिशु भी सम्मिलित है, मृत्यु हो गई। तीन कासकों (क्यू) के अतिरिक्त विमान में २ शिशु, ११ बालक और १७ वयस्क कुल मिला कर तीस यात्री थे।

(ख) प्राप्त सूचना से यह विदित होता है कि उतरने के बाद विमान धावनपथ की सीमा के भीतर रुक न सका। वह विमानक्षत्र के बाहर चला गया, क्षेत्र की अन्तिम सीमा पर ढलान में दौड़ गया, और एक झोंपड़ी से टकरा गया। विमान में तुरन्त ही आग लग गई और वह नष्ट हो गया। नैपाल सरकार के दो प्रतिनिधियों के साथ भारतीय नागरिक विमान विभाग (इंडियन सिविल एवियेशन डिपार्टमेंट) के अधिकारियों द्वारा दुर्घटना की जांच की जा रही है।

†**श्री गिडवानी :** क्या यह सच है कि भारतीय विमान वाहिनी निगम के मुख्य कार्य-संचालन प्रबन्धक श्री ए० चिताम्बर दुर्घटना के बाद काठमांडू गये थे ? यदि हाँ, तो क्या उन्होंने कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है ?

†**श्री जगजीवन राम :** भारतीय विमान वाहिनी निगम और भारतीय असैनिक उड्डयन विभाग के कुछ पदाधिकारी उस स्थान पर गये थ, परन्तु अभी तक कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है।

†**श्री कामत :** क्या यह सच है कि नेपाल के प्रायः सभी हवाई-अड्डे आई० सी० ए० ओ० द्वारा निर्धारित प्रतिमान और ब्योरे के अनुरूप नहीं हैं; और इसके फलस्वरूप अनेक बार ऐसा हुआ है कि भारतीय विमान वाहिनी निगम के हमारे अनिच्छुक विमान चालकों को दण्ड, यहाँ तक कि नौकरी से निकाल दिये जाने तक की धमकी देकर इन हवाई अड्डों पर विमान ले जाने के लिये बाध्य और मजबूर किया गया है ?

†**श्री जगजीवन राम :** मैं प्रश्न के बाद वाले भाग का जोरदार शब्दों में खंडन करता हूँ। इसका कोई भी आधार नहीं है, क्योंकि हम ऐसे स्वयं सेवकों की मांग कर रहे हैं जो वहाँ एक बार में एक माह के लिये जा रहे हैं और उन्हें नेपाल में कार्य करने के लिये ३० रुपये प्रतिदिन विशेष भत्ता दिया जाता है। किसी भी व्यक्ति को निकाल देने अथवा इसी प्रकार की कोई धमकी देकर इस कार्य को करने के लिये बाध्य नहीं किया है। इस आरोप का कोई भी आधार अथवा बुनियाद नहीं है।

जहाँ तक नेपाल में हवाई-अड्डों के प्रतिमान का प्रश्न हैं, यह सच है कि सभी हवाई अड्डे प्रतिमान के अनुरूप नहीं हैं। भीतरी भाग में स्थित कुछ हवाई अड्डे आवश्यक उपकरणों से लैस नहीं हैं। जहाँ तक कि काठमांडू हवाई अड्डे का, जहाँ यह दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना हुई थी, सम्बन्ध है, वह प्रायः एक काफ़ी प्रमापित हवाई अड्डा है

†मूल अंग्रेजी में·

†**श्री कामत :** काफी ।

†**श्री जगजीवन राम :** .....है जिसमें पर्याप्त विमान धावन-पथ और उपकरण हैं, जो एक काफी अच्छी तरह रखे गये हवाई अड्डे क लिये आवश्यक होते हैं ।

†**श्री कामत :** क्या यह सच है कि इन हवाई-अड्डों को आई० सी० ए० ओ० द्वारा निर्धारित प्रतिमान के अनुरूप बनाने के लिये सरकार द्वारा ऋण अथवा अनुदान मंजूर किये गये हैं ? यदि हाँ, तो हवाई अड्डों सम्बन्धी कार्य में कितनी प्रगति हुई है ?

†**श्री जगजीवन राम :** हमने इन हवाई अड्डों में कुछ सुधार अवश्य किय थ । परन्तु, जेसा मैंने कहा है, भीतरी भाग में स्थित कुछ हवाई अड्डे काफ़ी संतोषप्रद नहीं हैं । जहाँ तक कि काठमाण्डू हवाई अड्डे का सम्बन्ध है, इस का विमान धावन-पथ १२५० गज़ है । जहाँ तक उपकरणों का सम्बन्ध है, वह एक प्रकाश-स्तम्भ से जिसका प्रकाश १०० से १२० मील तक जाता है, सुसज्जित है—यह कार्य हाल ही में किया गया था । निश्चय ही इन हवाई अड्डों को सुसज्जित करने में हमने रुचि ली है । काठमाण्डू हवाई अड्डे की यही वर्तमान स्थिति है ।

†**श्री जी० एस० सिंह :** समाचार-पत्रों की सूचनाओं से यह संकेत मिलता है कि दुर्घटना का कारण विमान के भूमि-छूते ही दाहिनी ओर के भाग का अचानक घूम जाना था, जिसको ठीक नहीं किया जा सका । क्या प्रारम्भिक जाँच से यह पता चलता है कि ऐसा टायर के फट जाने के कारण हुआ अथवा बनावट की कमजोरी या चालक की ग़लती से हुआ ?

†**श्री जगजीवन राम :** दुर्घटना के कारण के सम्बन्ध में अभी कुछ कहना समय से पूर्व की बात होगी, क्योंकि इरादा एक जाँच अदालत बैठाने का है । परन्तु अन्तर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार, जाँच अदालत उस देश के द्वारा नियुक्त की जाती है जहाँ कि दुर्घटना हुई हो । एक जाँच आयोग की नियुक्ति के सम्बन्ध में हम नेपाल सरकार से परामर्श कर रहे हैं और दुर्घटना के कारण की जाँच करना उसी आयोग का काम होगा ।

†**श्री कासलीवाल :** क्या यह सच है कि इस हवाई-अड्डे पर इस ढंग की यह तीसरी दुर्घटना है ?

†**श्री जगजीवन राम :** दुर्भाग्यवश वहां कुछ दुर्घटनायें हो चुकी हैं ?

†**श्री जी० पी० सिंह :** भूमि पर उतरने के बाद इस प्रकार की कितनी दुर्घटनायें हुई हैं ? या यह पहली ही है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** इसका उत्तर दिया जा चुका है ।

†**श्री मात्तन :** माननीय मंत्री ने कहा है कि काठमाण्डू हवाई अड्डा "प्राय" प्रतिमान के अनुरूप है और काफ़ी अच्छी तरह सुसज्जित है । क्या यह प्रतिमान के अनुरूप है या नहीं ?

†**श्री जगजीवन राम :** यदि मेरे माननीय मित्र ने मेरी बात पर ध्यान दिया होता तो उनको वह ब्योरा प्राप्त हो जाता जो मैंने दिया था। विमान धावन-पथ की लम्बाई १२५० गज़ है, जब कि साधारणतया भारत में न्यूनतम आवश्यकता केवल १२०० गज़ की है । इसलिये धावन मार्ग इस काम के लिये वह पर्याप्त है, और उसको आधुनिकतम प्रकार के प्रकाश स्तम्भ से सुसज्जित कर दिया गया है—मैं यह भी बता चुका हूँ ।

†**श्री टी० बी० विट्ठल राव :** एक डकोटा में अधिक से अधिक लगभग २३ यात्रियों के बैठने की क्षमता होती है । किन परिस्थितियों में इस डकोटा को २९ यात्रि और दो शिशुओं को ले जाने की अनुमति दी गयी थी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री जगजीवन राम :** मेरे माननीय मित्र कदाचित इस बात को भूल गये हैं कि अधिकतम क्षमता यात्रियों की संख्या से नहीं वरन् वजन से निर्धारित की जाती है .....

†**श्री एन० सी० चटर्जी :** क्या यात्रियों में सभी का वज़न कम था !

†**श्री जगजीवन राम :** .....कुछ डकोटा-विमानों में तो हमने २८ सीटें तक लगा दी हैं। इसका अर्थ यह हुआ है कि जब हमारे पास २८ यात्री होंगे उस समय काफ़ी कम सामान ले जाया जायेगा। परन्तु, मैं समझता हूं कि यात्रियों और सामान का वज़न कुल मिला कर २५,००० पौंड से अधिक नहीं होना चाहिये। इसलिये वह वज़न द्वारा निर्धारित किया जाना होता है, यात्रियों की संख्या द्वारा नहीं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

चलते डाकघर

†*२३१४. **श्री कृष्णाचार्य जोशी :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार शहरी चलते डाकघरों की योजना को चालू वर्ष में भारत के अन्य महत्वपूर्ण नगरों में भी बढ़ाने की प्रस्थापना करती है; और

(ख) यदि हाँ, तो किन स्थानों में ?

†**संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : (क) जी हाँ।

(ख) बम्बई और कलकत्ता।

रेलवे सेवा आयोग

†*२३१७. **श्री राघवैया** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण रेलवे के लिये अभ्यर्थियों का चुनाव करने वाले रेलवे सेवा आयोग में कितने सदस्य हैं; और

(ख) इस आयोग के लिये सदस्यों का चुनाव और नियुक्ति किस सिद्धांत के आधार पर की गई है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)**: (क) एक सभापति और एक सदस्य।

(ख) सेवा-निवृत घोषित पदाधिकारियों और सम्मानित ग़ैर-सरकारी व्यक्तियों को, यदि आवश्यकता हुई तो राज्य सरकारों के परामर्श से, चुना जाता है।

रेलवे में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों की भर्ती

†*२३१८. **श्री भीरवा भाई** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संविधान के अधिनियम के बाद से भारतीय रेलों में उनके लिये जो स्थान सुरक्षित किये गये थे, क्या सरकार द्वारा उनको पूरा करने के लिये अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के अभ्यर्थियों की भर्ती कर सकी है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों की भर्ती के लिये कोई पृथक परीक्षा ली जायेगी; और

(ग) यदि हाँ, तो कब ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) उनके लिये जितना पूरा कोटा सुरक्षित था, उस सीमा तक तो नहीं किया गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) और (ग). रेलवे सेवा आयोग, कलकत्ता ने १९५४ में केवल अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों के लिये ही एक चुनाव किया है और फरवरी १९५६ में पुनः कुछ स्थानों के लिये विज्ञापन दिया था। इसी प्रकार रेलवे सेवा आयोग, इलाहाबाद और बम्बई ने भी केवल अनुसूचित जातियों के लिये स्थानों का विज्ञापन दिया है। रेलवे सेवा आयोग मद्रास भी शीघ्र ही यही कार्य करने वाला है।

रेलवे लाइन कर्मचारी

†*२३१९. **चौधरी मुहम्मद शफी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि २६ जनवरी, १ मई, १५ अगस्त और २ अक्तूबर के बदले में सरकार द्वारा जिनको सवेतन छुट्टी घोषित किया गया है, कोई वेतन नहीं दिया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसका सम्बन्ध कुल कितनी राशि से है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) रेलवे में सेवायुक्त लाइन कर्मचारियों को घोषित छुट्टियाँ मनाने का अधिकार नहीं होता है, और जब वह किसी घोषित छुट्टी के दिन कार्य करते हैं तब उनको कोई अतिरिक्त वेतन नहीं दिया जाता है।

(ख) सम्बन्धित कर्मचारियों के कार्य गाड़ियों को चलाने, यात्रियों को टिकट बांटने आदि से सम्बन्धित हैं और उनको छुट्टी देना व्यवहार्य नहीं है।

(ग) इन कर्मचारियों की संख्या कई लाख है। प्रत्येक कर्मचारी के लिये धन राशि का हिसाब लगाना व्यवहार्य नहीं है।

सिंचाई की छोटी योजनायें

†*२३२०. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री ८ दिसम्बर, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ६६९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों में सिंचाई की छोटी योजनाओं के अन्तर्गत किये गये कार्यों का निर्धारण करने और उसके अग्रेतर विस्तार की संभावनाओं का पता लगाने के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा नियक्त की गयी समिति ने अपना कार्य पूरा कर लिया है; और

(ख) क्या कोई प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है ?

†**खाद्य और कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा)** : (क) अभी नहीं।

(ख) जी, नहीं।

भारतीय केन्द्रीय पटसन समिति

†*२३२१. **श्री शिवनंजप्पा** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय केन्द्रीय पटसन समिति ने हाल में कलकत्ते में अपना एक खुला अधिवेशन किया था; और

(ख) यदि हाँ, तो देश में पटसन के उत्पादन को विकसित करने के लिये इसमें क्या निर्णय किये गये ?

†**खाद्य और कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा)** : (क) जी हाँ।

(ख) एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १४, अनुबन्ध संख्या ५]**

---

†मूल अंग्रेजी में

युकलिप्टस सम्बन्धी विश्व सम्मेलन

†*२३२२. **श्री अमजद अली** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा आयोजित युकलिप्टस सम्बन्धी विश्व सम्मेलन में, जो आगामी अक्तूबर में रोम में होने वाला है, किसी प्रतिनिधि को भेजने की प्रस्थापना है ?

†**खाद्य और कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा)** : इस सम्मेलन में भाग लेने की प्रस्थापना पर विचार किया जा रहा है ।

केन्द्रीय सहकारी बैंक

*२३२४. **ठाकुर युगल किशोर सिंह** :
श्री अस्थाना :

क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या ग़ैर-सरकारी व्यक्तियों को केन्द्रीय सहकारी बैंकों का सभापति बनने का अवसर दे कर केन्द्रीय सहकारी बैंकों में सरकारी अधिकारियों की संख्या को कम करने की कोई प्रस्थापना है ?

खाद्य और कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : जी हाँ ।

सीमेंट कांक्रीट के शहतीर

†*२३२५. **श्री बी० एस० मूर्त्ति** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशेषज्ञों की राय लकड़ी और लोहे के शहतीरों को हटा कर उनके स्थान पर सीमेंट कान्क्रीट के शहतीर लगाने के पक्ष में है; और

(ख) इस परियोजना से कितना, यदि हो, वित्तीय लाभ होगा ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) बहुत थोड़ी मात्रा में एम० जी० प्रेसट्रेस्ट कन्क्रीट के शहतीरों का निर्माण करने का आदेश दिया गया है और जब यह तैयार हो जायेंगे तब इनको केवल प्रयोगात्मक रूप में पटरियों के नीचे लगाया जायेगा ।

(ख) अभी इसके सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा जा सकता है ।

पौधों का संरक्षण

†*२३२७. **श्री इब्राहीम** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पौधों के संरक्षण कार्य पर १९५५-५६ में सरकार द्वारा कितना धन व्यय किया गया ?

†**खाद्य और कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा)**: एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १४, अनुबन्ध संख्या ६]**

भारत-पाकिस्तान रेलवे यातायात

†*२३२९. **श्री के० पी० त्रिपाठी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आसाम से और आसाम तक रेलवे यातायात के लिये पाकिस्तान को प्रति वर्ष कितना धन दिया जाता है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : १ मई, १९५५, से ३१ मार्च, १९५६ की अवधि के बीच पूर्वी बंगाल रेलवे (पाकिस्तान) को पूर्वी बंगाल रेलवे (पाकिस्तान) पर भारत से भारत के लिये जाने वाले यातायात के किराये में से उसके हिस्से की ७·७२ लाख रुपये प्रति मास की राशि अर्थात् ९३ लाख रुपये प्रति वर्ष देय हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

खदानों में डाक्टरी निरीक्षण

†*२३३१. **श्री भागवत झा आजाद** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का भारत की खानों में डाक्टरी निरीक्षण की प्रणाली चलाने का विचार है; और

(ख) क्या सरकार का इस कार्य को चलाने के लिये पृथक् निदेशालय स्थापित करने का भी विचार है ?

†**श्रम मंत्री (श्री खण्डूभाई देसाई)** : (क) जी, हां ।

(ख) सरकार ने खानों के मुख्यनिरीक्षक के अधीन एक डाक्टरी निरीक्षणालय स्थापित करने का निश्चय किया है । एक खान निरीक्षक (डाक्टरी) की पहले ही नियुक्ति की जा चुकी है ।

गन्दी बस्तियों को हटाना

†*२३३७. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या गन्दी बस्तियों को हटाने के बारे में चर्चा करने के लिये हाल ही में दिल्ली में केन्द्रीय और राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों का एक उच्च सत्ता सम्मेलन हुआ था; और

(ख) यदि हां, तो वहां क्या निर्णय किये गये थे ?

†**स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर)** : (क) जी, हां ।

(ख) एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १४, अनुबन्ध संख्या ७]**

विमान समवायों को मुआवजा

†*२३३९. **श्री मुरारका** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक विभिन्न विमान समवायों को कुल कितना मुआवजा दिया गया है और कितना अभी देना शेष है; और

(ख) हिमालय उड्डयन समवाय तथा मिस्त्री एयरवेज को कितना मुआवजा दिया गया है ?

†**संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : (क) मैं लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखता हूं, जिस में बताया गया है कि भूतपूर्व विमान समवायों को कितना मुआवजा दिया जा चुका है । अभी जो मुआवजा देना शेष है, वह २०,००० रुपये बढ़ जाने की संभावना है । **[देखिये परिशिष्ट १४, अनुबन्ध संख्या ८]**

(ख) हिमालय उड्डयन लिमिटिड को कोई मुआवजा नहीं दिया गया, क्योंकि उसके दायित्व उसकी अस्तियों से अधिक थे । मिस्त्री एयरवेज को किसी भी निगम ने अपने कब्जे में नहीं लिया । इसलिये उस को मुआवजा देने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

कागज उद्योग

†*२३४२. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री २७ सितम्बर, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २२४८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटसन की छड़ी और रद्दी से कागज उद्योग के लिये लुगदी तैयार करने की योजना बनाने के बारे में भारतीय केन्द्रीय पटसन समिति की प्रौद्योगिक गवेषणा प्रयोगशाला द्वारा गवेषणा और अध्ययन पूरा कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना का भविष्य और आर्थिक पहलू क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**खाद्य और कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा)** : (क) जी, हां। कागज निर्माण के लिये पटसन की छड़ियों की उपयोगिता जानने के लिये एक परीक्षात्मक योजना तैयार की गई है और भारतीय केन्द्रीय पटसन समिति द्वारा कार्यान्वित की जायेगी ।

(ख) परीक्षात्मक योजना के परिणाम मालूम होने के पश्चात् इस प्रस्थापना के भविष्य और आर्थिक पहलू के बारे में ब्योरा तैयार किया जायेगा ।

विमान यातायात से आय

†*२३४७. **श्री के० पी० त्रिपाठी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आसाम से और आसाम तक के (१) यात्रियों से और (२) माल यातायात से इन्डियन एयरलाइन्ज कारपोरेशन को प्रति वर्ष भाड़े के रूप में कितनी आय होती है ?

†**संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : पत्री वर्ष १९५३ में आसाम क्षेत्र के मार्गों पर यात्री और मालवहन आय के रूप में इन्डियन एयरलाइन्ज कारपोरेशन को क्रमशः ५०,४३,८०८ रुपये और ५९,४२,३०९ रुपये की आय हुई है ।

पाण्डु में रेल के इंजन तथा डिब्बे आदि

†*२३५१. **श्री देवेन्द्र नाथ शर्मा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर रेलवे के पाण्डू प्रदेश में पुराने इंजन, माल डिब्बे और यात्री डिब्बे आदि रखे गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

†**रेलवे और परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी, नहीं। परन्तु इस प्रदेश का पूर्वोत्तर रेलवे के पुराने स्टाक का अपना हिस्सा है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

पीलिया

†*२३५२. **श्री कामत** :
श्री भक्त दर्शन :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री ७ मई, १९५६ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या १८२८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या उस प्रश्न के भाग (ख) में उल्लिखित जानकारी एकत्र की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या वह लोक-सभा के पटल पर रखी जायेगी; और

(ग) पीलिया के रोगी कर्मचारियों को विशेष आधार पर छुट्टी देने के प्रश्न पर क्यों विचार नहीं किया गया था ?

†**स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर)** : (क) जानकारी एकत्र की जा रही है ।

(ख) जी, हां, यथा समय ।

(ग) साधारण छुट्टी नियमों के अधीन सरकारी कर्मचारियों को छुट्टी मिल सकती थी और विशेष आधार पर छुट्टी देने की कोई आवश्यकता नहीं समझी गई ।

शिल्पकारों का प्रशिक्षण

†*२३५३. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या शिल्पकारों के प्रशिक्षण को प्रत्येक औद्योगिक उपक्रम की कार्रवाई का एक अवयवभूत अंग बनाने का विचार है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रम मंत्री (श्री खण्डु भाई देसाई)** : जी, नहीं ।

रेलवे भोजन व्यवस्था

†*२३५४. **श्री बी० एस० मूर्त्ति** : क्या **रेलवे** मंत्री २० अप्रैल, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १६० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक डिवीजन से हटाये जाने वाले भोजन व्यवस्था के ठेकेदारों को दूसरे डिवीजनों में लाइसेंस दे दिये जाते हैं;

(ख) १ जनवरी, १९५५ से उत्तर रेलवे पर ऐसे कितने ठेकेदार काम कर रहे हैं; और

(ग) जब ठेकेदार बदलते हैं तब कर्मचारियों का क्या संरक्षण किया जाता है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) चूंकि संबद्ध व्यक्ति रेलवे के कर्मचारी नहीं होते, इसलिये रेलवे उन की संरक्षण की कोई गारंटी नहीं दे सकती । तथापि अभी हाल में ये अनुदेश दिये गये हैं कि रेलवे को चाहिये कि वह नये ठेकेदारों को यह सलाह दें कि वे यथासंभव पुराने ठेकेदारों के कर्मचारियों को रख लें ।

आसाम के कोयले की खदानों तक रेलवे सम्पर्क

†*२३५५. **श्री के० पी० त्रिपाठी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम की कोयले की विभिन्न खदानों को रेल के द्वारा मिलाने का कोई विचार है; और

(ख) यदि हां, तो वे खदानें कौन सी हैं ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव दूसरी पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित नहीं किया गया है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

नई रेलवे पटरियां

*२३५६. **श्री जांगडे** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जुलाई या अगस्त १९५५ में पूर्वी रेलवे के बंटवारे के बाद सरकार ने एक पुस्तिका प्रकाशित करके यह घोषणा की थी कि बिजूरी और बरवाडीह के बीच द्वितीय पंचवर्षीय योजना में नई पटरियां बिछाई जायेंगी;

(ख) क्या १९५३ के पूर्व इस मार्ग पर १ करोड़ ६८ लाख रुपये व्यय किये गये थे;

(ग) यदि हां, तो किये गये कार्यों का ब्योरा क्या है, और किन-किन स्थानों पर वे कार्य किये गये; और

(घ) उन कार्यों को बन्द करने के क्या कारण थे ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी नहीं ।

(ख) बरवाडीह-सारनडीह शाखा लाइन बनाने में १·५४ करोड़ रुपये खर्च हुए ।

(ग) यह रकम खास तौर पर पुल और मिट्टी के काम और साफी, पारे, बिन्दा, नौका, बारगढ़ और भासमुण्डा में मकान आदि बनाने पर खर्च हुई ।

(घ) सरकार की तंग माली-हालत को देखते हुए यह तय किया गया कि इस काम को ऐसे स्टेज पर बन्द कर दिया जाय जिसमें कम से कम नुकसान हो ।

---

†मूल अंग्रेजी में

मैडिकल कालिज अध्यापकों की अखिल भारतीय सेवा

†२१८०. **श्री शिवमूर्ति स्वामी :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री १६ दिसम्बर, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ९२२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय प्रशासन सेवा के नमूने पर मैडिकल कालिज अध्यापकों की एक अखिल भारतीय पदालि बनाने के बारे में क्या प्रगति की गई है ?

†**स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) :** मैडिकल कालेज अध्यापकों की अखिल भारतीय पदालि बनाने के बारे में राज्य सरकारों से परामर्श लिया गया था, परन्तु चूंकि उन में से अधिकतर सरकारें इस के विरोध में थीं, इसलिये इस मामले को आगे न बढ़ाने का निर्णय कर लिया गया ।

जयपुर रेलवे स्टेशन

२१८१. श्री भीखा भाई : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात का पता है कि गत वर्षों में राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक स्टेशन बनवाने के लिये धनराशि की व्यवस्था की गयी थी;

(ख) यदि हां, तो इस राशि का उपयोग किन कारणों से नहीं किया गया; और

(ग) क्या यह भी सच है कि उक्त रेलवे स्टेशन पर फ्लश की टट्टियां और मूत्रालय भी नहीं हैं ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी हां ।

(ख) पिछले साल जो रकम रखी गयी थी वह खर्च नहीं की गयी क्योंकि निर्माण-योजना अन्तिम रूप से तैयार न थी । इसमें स्थानीय अधिकारियों की प्रार्थना के अनुसार संशोधन करना पड़ा । अब योजना तैयार हो गयी है और उस पर काम शुरू किया जा रहा है ।

(ग) जी हां । स्टेशन की जो नयी इमारत बनने को है उसमें फ्लश ढंग के पेशाबघर और टट्टियां बनायी जायेंगी ।

प्रसूति और शिशु कल्याण केन्द्र

†२१८२. **श्री देवगम :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि बिहार के किन स्थानों पर प्रसूति और शिशु कल्याण केन्द्र खोले गये हैं या खोलने का विचार किया गया है ?

†**स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) :** केन्द्रीय सहायता से बिहार के निम्न स्थानों पर प्रसूति और शिशु कल्याण केन्द्र खोले गये हैं :

प्रसूति और शिशु कल्याण केन्द्र का नाम और स्थान	जिला
१. माधेपुर	दरभंगा
२. बिरौल	दरभंगा
३. गौनाहा	चम्पारन
४. चौथम	मुंगेर
५. आलमनगर	सहरसा
६. कुमारगंज	सहरसा
७. वेलगांव	सहरसा
८. महशी	सहरसा
९. डुमका	सांथल परगना
१०. खारसवान	सिंहभूम

†मूल अंग्रेजी में

अखिल भारतीय आरोग्य-विज्ञान और लोक स्वास्थ्य संस्था

†२१८३. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि अखिल भारतीय आरोग्य-विज्ञान और लोक स्वास्थ्य संस्था, कलकत्ता में, १९५५ में कितने व्यक्तियों को ग्राम जल संभरण और स्वच्छता पाठ्यक्रम का प्रशिक्षण दिया गया है ?

†**स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर)** : १९५५ में, अखिल भारतीय आरोग्य-विज्ञान और लोक स्वास्थ्य संस्था, कलकत्ता में, जल संभरण और स्वच्छता के प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम में १६ इंजीनियरों को प्रशिक्षण दिया गया है। केवल ग्राम जल संभरण के लिये कोई पाठ्यक्रम नहीं है।

टेलीफोन कनेक्शन

†२१८४. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में कुल कितने टेलीफोन कनेक्शन हैं; और

(ख) टेलीफोन कनेक्शनों के कितने प्रार्थनापत्र निलंबित पड़े हैं ?

†**संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : (क) १० मई, १९५६ को पुरानी दिल्ली में ४०३४ टेलीफोन कनेक्शन थे, और पी० बी० एक्स एक्सटेंशनों को मिलाकार सब एक्सटेंशनों की संख्या १८९७ थी।

(ख) "अपने टेलीफोन के स्वामी बनिये" योजना के अन्तर्गत ६१५ और "मुक्त श्रेणियों" के अन्तर्गत १,७८० प्रार्थनापत्र थे।

विमान यातायात

†२१८५. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५५ में अनुसूचित और गैर-अनुसूचित विमान यातायात में कोई वृद्धि हुई थी; और

(ख) १९५५ के उत्तरार्द्ध में भारतीय विमान निगमों के द्वारा कितने यात्रियों ने यात्रा की ?

†**संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : (क) जी, हां।

(ख) १-७-१९५५ से ३१-१२-१९५५ के बीच एयर इन्डिया इन्टरनेशनल और इन्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के द्वारा क्रमशः २८,८९१ और २,३४,९४२ यात्रियों ने यात्रा की।

इमारती लकड़ी

†२१८६. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५१-५२ से अन्दमान और निकोबार द्वीपों से सरकार द्वारा और गैर-सरकारी अभिकरणों द्वारा, पृथक्-पृथक् रेलवे के स्लीपर बनाने के लिये कुल कितनी इमारती लकड़ी काटी गई;

(ख) क्या यह सच नहीं है कि इन द्वीपों में दस प्रकार की सख्त लकड़ी मिलती है, जिसके स्लीपर बनाये जा सकते हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या इस काम के लिये इन सब प्रकारों की लकड़ी को काम में लाया जाता है; और

(घ) क्या उनके स्लीपर बनाने के लिये उन को पक्का करना आवश्यक होता है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**खाद्य और कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा)** : (क) जानकारी नीचे दी जाती है :

वर्ष	जितनी इमारती लकड़ी काटी गई			
	सरकार द्वारा		गैर-सरकारी अभिकरण द्वारा	
	दूसरे प्रकार की	गुरजन	दूसरे प्रकार की	गुरजन
	टन	टन	टन	टन
१९५१-५२	४२,०५९	१५,९३३	९,९८०	४,५५७
१९५२-५३	३६,४२०	१३,०६६	...	...
१९५३-५४	३६,६७१	११,०७४	१०,९४३	५,७१२
१९५४-५५	४७,२९१	१८,९१६	१४,१०५	९,३८६

(ख) पता चला है कि वहां २३ प्रकार की लकड़ी मिलती है, जिस के स्लीपर बनाये जा सकते हैं ।

(ग) स्लीपर बनाने के लिये केवल गुरजन प्रकार की लकड़ी काटी जाती है, क्योंकि स्लीपर बनाने के अतिरिक्त चीरी हुई इमारती लकड़ी के रुप में इस की बहुत कम मांग है। दूसरी प्रकार की लकड़ी, जो इतनी बहुतायत से नहीं मिलती है, दूसरे कामों के लिये, बहुत महंगी बिकती है, इसलिये उस के स्लीपर बनाना वित्तीय दृष्टि से लाभदायक नहीं समझा जाता ।

(घ) लकड़ी को पक्का बनाना आवश्यक है किन्तु अण्डमान में वैज्ञानिक ढंग से लकड़ी को पक्का बनाने का अभी प्रबन्ध नहीं किया गया है । इस समय इमारती लकड़ी के स्लीपर बना कर, उन्हें भेजने से पहले, ३ महीने तक स्टोर किया जाता है ।

बम्बई सेन्ट्रल स्टेशन

†२१८७. **सरदार ए० एस० सहगल** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई सेन्ट्रल के विश्रामालय, आवास स्थान की कमी के कारण रेलवे कर्मचारियों से ही अधिकतर भरे रहते हैं जब कि जनता इस सुविधा से वंचित रह जाती है;

(ख) क्या बम्बई सेन्ट्रल विश्रामालय में नीचे उतरने के लिये लिफ्ट का प्रयोग जनता नहीं कर सकती; और

(ग) यदि हां, तो क्यों ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) नहीं । कुल ११ कमरों में से ६ कमरे जनता के उपयोग के लिये हैं जैसी कि रेलवे की समय सारणी (टाइम टेबल) व निर्देशिका में अधिसूचित किया गया है और शेष ५ कमरे विभागीय इस्तेमाल के लिये हैं (१ मेट्रन के कमरे के रूप में, २ अफसरों के विश्रामालयों के लिये रखे गये हैं और केवल दो कमरों का उपयोग मकानों की कमी के कारण रेलवे पदाधिकारियों द्वारा रहने के लिये किया जा सकता है) ।

(ख) सामान्यत: नीचे जाने के लिये लिफ्ट जनता के लिये नहीं है । दूसरे शब्दों में नीचे जाने के लिये लिफ्ट को ऊपर बुलाया नहीं जा सकता । यदि लिफ्ट सब से ऊपर वाली मंजिल पर हो, तो जनता को नीचे जाने के लिये उसका उपयोग करने की अनुमति है ।

†मूल अंग्रेजी में

(ग) चूंकि लिफ्ट केवल एक है इसलिये अधिक भीड़ होने के समय उसकी बड़ी मांग रहती है। अतः जनता को नीचे से ऊपरी मंजिलों पर जाने के लिये ही, प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर के अधीन, नियंत्रण लगा दिया गया है।

कृत्रिम वर्षा

†२१८८. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंत्रालय के अन्तरिक्ष विज्ञान विभाग ने अब तक केन्द्रीय सरकार की वैज्ञानिक और औद्योगिक गवेषणा परिषद् को और राज्य सरकारों को वर्षा करने के प्रयोगों में कहां तक सहायता की है;

(ख) कितनी राज्य सरकारों ने इस प्रयोग में सहायता मांगी है;

(ग) क्या किसी राज्य सरकार को हाइड्रोजन दी गई थी; और

(घ) क्या कोई प्रयोग सफल सिद्ध हुआ ?

†**संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : (क) वैज्ञानिक और औद्योगिक गवेषणा परिषद् के वर्षा और बादल भौतिक गवेषणा एकक ने अभी तक वर्षा करने का कोई बाहरी प्रयोग नहीं किया है। अतः इस एकक को भारतीय अन्तरिक्ष विज्ञान विभाग द्वारा वर्षा करने का प्रयोग करने में सहायता देने का कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं हुआ है। विभाग आवश्यकतानुसार ऐसी प्रयोगशाला और वर्कशाप की सुविधाओं का इच्छानुसार उपयोग करने और अन्तरिक्ष कार्यालय में अपना कार्य करने के लिये स्थान देने, जलवायु सम्बन्धी और अन्तरिक्ष विज्ञान सम्बन्धी सारी जानकारी देने और विभाग के राडर सम्बन्धी सामान का इस्तेमाल करने आदि की अनुमति देने में पूर्ण सहयोग देता रहा है। राज्य सरकारों द्वारा निवेदन किये जाने पर प्रविधिक सम्मति और अन्तरिक्ष विज्ञान सम्बन्धी आंकड़े दे दिये गये थे। विभाग के एक पदाधिकारी को वर्षा करने के परिणामों पर पुनर्विचार करने के लिये मद्रास सरकार द्वारा नियुक्त की गयी समिति में काम करने के लिये अनुमति दे दी गई है।

(ख) दो, नामतः मध्य प्रदेश और मद्रास।

(ग) नहीं।

(घ) अब तक जो प्रयोग किये गये हैं उनके बारे में यह कहा जा सकता है कि वे अभी पूर्ण नहीं हैं यद्यपि यह कहा गया है कि कुछ मामालों में कुछ परीणाम निकले हैं।

डाक तथा तार के कर्मचारियों के लिये वर्दी

†२१८९. **चौधरी मुहम्मद शफी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में डाक तथा तार विभाग के कितने सर्किलों में १९५२ से वर्ष वार और सर्किल-वार गर्म वर्दी नहीं दी गई थी;

(ख) उसके कारण क्या थे;

(ग) उसके लिये उत्तरदायी पदाधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई; और

(घ) क्या सरकार चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को अब वर्दी देने का विचार रखती है ?

†**संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : (क) जैसा कि विभागीय नियमों द्वारा निर्धारित किया गया है, दो वर्षों में एक ऊनी वर्दी का सेट १९५२ से उन सभी कर्मचारियों को और उन स्थानों पर दिया गया था जहां वर्ष के सबसे अधिक ठंडे मास का प्रति दिन का निम्न औसत तापक्रम ५३° फैरेनहाइट अथवा उससे कम रहता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

डालमिया दादरी स्टेशन

†२१९०. **श्री राम कृष्ण** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डालमिया दादरी रेलवे स्टेशन का पहले वाला नाम चरखी दादरी था;

(ख) यदि हां, तो यह परिवर्तन किस तारीख को और किन कारणोंवश किया गया ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी हां ।

(ख) चरखी दादरी रेलवे स्टेशन का नाम १-१०-३८ को बदल कर डालमिया दादरी कर दिया गया था ।

यह परिवर्तन जिन्द राज्य के राजनीतिक सचिव के निवेदन पर भूतपूर्व बम्बई-बड़ौदा और मध्य रेलवे ने किया था ।

मलेरिया गवेषणा संस्था

†२१९१. **श्री शिवनंजप्पा** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या फोर्ड फाउन्डेशन द्वारा सहायता प्राप्त एक मलेरिया गवेषणा संस्था, मैसूर राज्य में मान्ड्या में स्थापित की गई है;

(ख) इसके विशेष प्रकार के कार्य-कलाप क्या हैं; और

(ग) उसने कितनी प्रगति की है ?

†**स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर)** : (क) मैसूर में राकफेलर फाउन्डेशन की सहायता से कोई मलेरिया गवेषणा संस्था स्थापित नहीं की गई है । मैसूर राज्य में मन्ध्या में एक मलेरिया जांच और प्रशिक्षण केन्द्र है, जिसकी स्थापना अप्रैल, १९५२ में की गई थी तथा कुछ सामान के रूप में राकफेलार फाउन्डेशन द्वारा ५,५७० डालर की सहायता की गई थी ।

(ख) प्रशिक्षण केन्द्र के कार्यों में निम्नतम लागत पर मलेरिया नियंत्रण के आधुनिक तरीकों में लोक स्वास्थ्य कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के साथ ही निम्न कार्य भी सम्मिलित हं :

(१) सबलपक्षानुवंश प्राणिजात का सर्वेक्षण;

(२) बीमारी फैलाने वाले मच्छरों की प्रकारों की बायनामिक्स का अध्ययन;

(३) कृमि नाशकों पर चूने के पानी के प्रभाव का अध्ययन;

(४) मलेरिया नियंत्रण के आर्थिक पहलू का अध्ययन आदि ।

(ग) केन्द्र ने गत तीन वर्षों में १० वैज्ञानिक पत्रिकाओं का प्रकाशन किया है और निम्नलिखित व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया है :

(१) स्वास्थ्य चिकित्सा पदाधिकारी—२४

(२) सहायक स्वास्थ्य चिकित्सा पदाधिकारी—६१

(३) वरिष्ठ स्वास्थ्य निरीक्षक—८०

(४) कनिष्ठ स्वास्थ्य निरीक्षक—१३६

---

†मूल अंग्रेजी में

(५) कनिष्ठ एन्टोमालोजिस्ट—३

(६) स्वास्थ्य सहायक—१

यूनिसेफ (संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि)

†२१९२. **श्री गाडिलिंगन गौड़** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि १९५२ से यूनिसेफ ने भारत सरकार को कुल कितने धन की सहायता दी है ?

†**स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर)** : भारत को १९५२ से यूनिसेफ द्वारा प्राप्त होने वाली सहायता निम्न प्रकार से है :

१९५२	२,५४२,६०० डालर
१९५३	२,७११,५०० डालर
१९५४	२,६८१,००० डालर
१९५५	१,११०,४०९ डालर
१९५६ (मार्च तक)	१,५१४,००० डालर
योग	१०,५५९,५०९ डालर

उत्तर प्रदेश में डाक और तार विभाग के भवन

२१९३. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **संचार** मंत्री स्वतंत्रता प्राप्ति के समय (अर्थात् १५ अगस्त, १९४७) उत्तर प्रदेश सर्किल में डाक और तार विभाग के भवनों को बताने वाला एक विवरण लोक-सभा के टेबल पर रखने और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तब से ३१ मार्च, १९५६ तक प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कितने नये भवनों का निर्माण किया गया;

(ख) वित्तीय वर्ष १९५५-५६ में बनाये गये भवनों का ब्योरा क्या है;

(ग) वर्ष १९५६-५७ में भवनों के बनवाने का क्या कार्यक्रम है; और

(घ) उनमें से प्रत्येक पर लगभग कितना व्यय होगा ?

संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम) : १५ अगस्त, १९४७ को इस विभाग के २४५ भवन थे और प्रत्येक शाखा के भवनों का बंटवारा इस प्रकार था :

डाक-सम्बन्धी	२१५
रेल-मेल-व्यवस्था	३
तार	१३
टेलीफ़ोन	१४

(क) एक बयान सभा पटल पर रख दिया गया है । [**देखिये परिशिष्ट १४, अनुबन्ध संख्या ९**]

(ख) एक बयान सभा पटल पर रख दिया गया है । [**देखिये परिशिष्ट १४, अनुबन्ध संख्या ९**]

(ग) और (घ). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है जिस में वह निर्माण-कार्य दिखाये हैं जो या तो पहले ही प्रारम्भ किये जा चुके हैं या १९५६-५७ में इनके प्रारम्भ करने का प्रस्ताव है । [**देखिये परिशिष्ट १४, अनुबन्ध संख्या ९**] प्रस्तावित कार्यों के सम्बन्ध में उनका निर्माण उनकी विस्तृत जांच के फलस्वरूप उनके उचित पाये जाने पर निर्भर है ।

†मूल अंग्रेजी में

गलगण्ड

†२१९४. { **ठाकुर युगल किशोर सिंह** :
श्री अस्थाना :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार में जिला मुजफ्फरपुर के मजारेगंज पुलिस थाने के सिसौला गांव के लड़के-लड़कियों में राष्ट्रीय जल सम्भरण योजना के अन्तर्गत नलकूपों द्वारा दिये जाने वाले जल के इस्तेमाल करने से गलगण्ड के प्रकार की बीमारी फैली है; और

(ख) यदि हां, तो इस समाचार की सचाई जानने और बीमारी को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर)** : (क) भारत सरकार को मालूम हुआ है कि सिसौला गांव के लड़के-लड़कियों में गलगण्ड नामक बीमारी फैली हुई है, किन्तु यह नहीं मालूम कि यह बीमारी नलकूप का पानी पीने से हुई है क्योंकि इस पानी के नमूने का परीक्षण किया गया था और उसे सन्तोषजनक पाया गया था ।

(ख) बिहार के पोषक पदाधिकारी इसके कारण मालूम करने के लिये जांच कर रहे हैं। बीमारी के उपचार और नियंत्रण सम्बन्धी उपाय किये जा रहे हैं। बीमारी को रोकने के लिये उस क्षेत्र में पोटेशियम आयोडाइट की गोलियां बांटी जा रही हैं ।

देहरादून एक्सप्रेस

†२१९५. **सरदार ए० एस० सहगल** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदित है कि देहरादून एक्सप्रेस द्वारा बम्बई से आगरे की यात्रा करने वाले उच्च श्रेणी के यात्रियों को यात्रा करते समय बड़ी कठिनाइयों और असुविधाओं का सामना करना पड़ता है क्योंकि उन्हें रात्रि में बियाना में गाड़ी बदलनी पड़ती है और देहरादून एक्सप्रेस में उच्च श्रेणी के यात्रियों के लिये सीधा वहां तक जाने वाला कोई डिब्बा नहीं लगाया जाता; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) तथा (ख). बम्बई सेन्ट्रल से आगरा फोर्ट के बीच उच्च श्रेणी के यात्रियों के लिये कोई सीधा डिब्बा लगाना यातायात की दृष्टि से ठीक नहीं है ।

उदयपुर और अजमेर के रेलवे प्रशिक्षण स्कूल

†२१९६. **सरदार ए० एस० सहगल** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उदयपुर और अजमेर के प्रशिक्षण स्कूलों में भोजन व्यवस्था करने वाले ठेकेदारों के विरुद्ध बहुत सी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) उपर्युक्त संस्थाओं में विभागीय व्यवस्था जारी न करने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या किसी अन्य संस्था को ठेका देने का कोई प्रस्ताव है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं ।

(ख) तथा (ग). विभागीय भोजन व्यवस्था जारी करने का प्रश्न विचाराधीन है और इसी बीच नये टेण्डर मांगे जा र हैं। किसी संस्था को ठेका देने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अन्तर्राष्ट्रीय किसान युवक विनिमय कार्यक्रम

†२१९७. **श्री बूवराघस्वामी** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ४-एच क्लब और फोर्ड फाउंडेशन द्वारा प्रवर्तित अन्तर्राष्ट्रीय किसान युवक विनिमय कार्यक्रम के अधीन घरेलू अर्थशास्त्र सीखने के लिये हाल में कितनी भारतीय किसान लड़कियां विदेश भेजी गई हैं;

(ख) उन पर होने वाला व्यय कौन करेगा;

(ग) सरकार का इस प्रयोजन के लिये कितनी राशि व्यय करने का विचार है; और

(घ) इस प्रशिक्षण का विस्तृत स्वरूप क्या है ?

†**खाद्य और कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा)** : (क) राष्ट्रीय ४-एच क्लब और फोर्ड फाउंडेशन द्वारा प्रवर्तित अन्तर्राष्ट्रीय किसान युवक विनिमय कार्यक्रम के अधीन अप्रैल, १९५६ में १२ राज्यों से चुनी गयी १४ किसान लड़कियां अमरीका भेजी गई हैं ।

(ख) तथा (ग). भारत सरकार इस कार्यक्रम की वित्तीय सहायता करने के लिये कुछ नहीं देती । सारा व्यय ४-एच क्लब, गृह प्रदर्शन क्लब, किसान संगठन, व्यापारिक फर्में और अमरीका के व्यक्तियों द्वारा किया जाता है ।

(घ) लड़कियां चुने हुए अमरीकन किसान परिवारों में रहती और काम करती हैं और उन्हें विस्तार गृह विज्ञान कार्यक्रम में भाग लेना और अध्ययन करना पड़ता है क्योंकि इसका सम्बन्ध अमरीकन की ग्रामीण महिलाओं और युवकों से है, और उन्हें स्थानीय काऊंटी विस्तार अभिकर्ता के सभी कार्यक्रमों को देखना और वहां काम करना पड़ता है । प्रशिक्षार्थियों के खाद्य संरक्षण, पोषण, शिशुओं की देख-भाल, मुर्गी पालन और दस्तकारी आदि की गृह विज्ञान विस्तार परियोजनाओं में प्रशिक्षण दिया जाता है ।

भैषजिक पौधे

†२१९८. **श्री बी० एस० मूर्त्ति** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडोनेशिया से भैषजिक पौधे मंगाये जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो उन में महत्वपूर्ण पौधे कौन-कौन से हैं; और

(ग) वे किस स्थान अथवा स्थानों पर लगाये जायेंगे ?

†**खाद्य और कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा)** : (क) से (ग). जानकारी एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर लोक-सभा पटल पर रखी जायेगी ।

आयुर्वेदिक प्रणाली

†२१९९. **श्री इब्राहीम** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) औषधों की आयुर्वेदिक प्रणाली का प्रशिक्षण देने वाली उन संस्थाओं के क्या नाम हैं जिन्हें केन्द्रीय सरकार वित्तीय सहायता देती है; और

(ख) वर्ष १९५५-५६ में उन्हें कितनी धनराशि अनुदान में दी गई ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर)** : (क) तथा (ख). औषधों की आयुर्वेदिक प्रणाली का प्रशिक्षण देने वाली संस्थाओं के नाम और १९५५-५६ में केन्द्रीय सरकार द्वारा उन्हें दी गई अनुदान राशियां नीचे दी जाती हैं :

संस्था का नाम	१९५५-५६ में मंजूर की गई सहायता-अनुदान की राशि
१. देशी औषधि का सरकारी कालेज, मद्रास	४,५०० रुपये
२. आयुर्वेदिक कालेज, गोहाटी	५,४०० रुपये
३. आयुर्वेद महाविद्यालय, पूना	१,००० रुपये
४. गोपाबंधु आयुर्वेद विद्यापीठ, पुरी	१४,२०० रुपये
५. आयुर्वेदिक कालेज, बनारस हिन्दू युनिवर्सिटी	१,००,००० रुपये
६. झांसी आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय, झांसी	१५,००० रुपये
७. आयुर्वेदिक स्नातकोत्तर प्रशिक्षण केन्द्र, जामनगर	५०,००० रुपये

ग्रामीण डाकघर (मैसूर राज्य)

†२२००. **श्री मादिया गौडा** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर राज्य में ऐसे गांव अथवा गांवों के समूह कितने हैं जिन की जन संख्या २,००० से अधिक है और जिन में डाकघर नहीं हैं; और

(ख) ऐसे गांवों को डाक की सुविधायें देने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम)**: (क) मैसूर में कोई ऐसे गांव नहीं हैं जिन में २,००० या उस से अधिक जन संख्या हो और उनके लिये डाक घर न हों। प्रथम पंचवर्षीय योजना में उपबंधित नीति के अनुसार अर्थात् २ मील की परिधि में २,००० की जन संख्या के गांवों के समूह में जहां डाकघर को ७५० रुपये से अधिक हानि न उठानी पड़े और जहां वर्तमान डाकघर ३ मील की परिधि में न हो, २ मील की परिधि के गांवों के समूह के आधार पर सभी स्थानों में डाकघर खोल दिये गये हैं।

(ख) क्योंकि ४ मील की परिधि में २,००० की जनसंख्या के और ग्राम समूह बन सकते हैं, इसलिये मैसूर के कम जन संख्या वाले क्षेत्रों में और डाक घर खोलने की आशा है।

लखनऊ से अमीन गांव को डिब्बे

†२२०१. **श्री के० पी० त्रिपाठी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या लखनऊ से अमीन गांव तक के लिये सीधे डिब्बे चलाने का कोई विचार है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)**: जी, नहीं। किन्तु प्रथम, द्वितीय और ततीय श्रेणी के डिब्बों का एक मिलाजुला डिब्बा पहले ही कानपुर अनवरगंज और अमी गांव के बीच चलता है जो अन्य स्थानों के साथ ही लखनऊ और अमीन गांव के सेक्शन में भी काम आता है।

रेलगाड़ी के इंजन

†२२०२. **श्री के० पी० त्रिपाठी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ऐसे नये रेल के इंजनों की संख्या क्या है जिन्हें गत पांच वर्ष में ब्रह्मपुत्र के दक्षिण तट पर चलाया गया है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)**: ४ नये रेल गाड़ी के गेरेट इंजन गत पांच वर्षों में ब्रह्मपुत्र के दक्षिण तट के लिये आवंटित किये गये थे।

†मूल अंग्रेजी में

रेल के इंजन तथा डिब्बे आदि

†२२०३. **श्री के० पी० त्रिपाठी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे के आसाम विभाग में रेल के डिब्बों, इंजनों आदि के सामान्य सामयिक मरम्मत व जीर्णोद्धार के लिये क्या कालावधि निर्धारित की गई है;

(ख) दूसरे रेल के जोनों में निर्धारित कालावधियां इन की तुलना में क्या हैं;

(ग) क्या आसाम विभाग में कालावधि और बढ़ा दी गई है;

(घ) यदि हां, तो कितनी; और

(ङ) इन रेल के डिब्बों और इंजनों की मरम्मत किन स्थानों पर होती है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) तथा (ख). समय-समय पर जो मरम्मत की जाती है उसके लिये कोई निर्धारित कालावधि नहीं है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि सवारी और मालगाड़ी के इंजनों ने कितने मील की यात्रा तय की है, डिब्बों आदि की स्थिति कैसी है और वर्कशाप में कितने डिब्बों आदि की मरम्मत हो सकती है। इंजनों और डिब्बों के लिये औसत यात्रा मीलों में और तदनुसार मरम्मत की निर्धारित कालावधियां नीचे दी गई हैं :

इंजन :

सवारी गाड़ी	१,२०,००० मील
माल गाडी	१,००,००० मील

इतनी मीलें सामान्यतः तीन या चार वर्षों में तय होती हैं।

शंटिंग करने वाले इंजनों की मरम्मत चार वर्ष में एक बार होती है। रेल के डिब्बों की मरम्मत की कालावधि रेलों के महत्व और डिब्बों की किस्म के अनुसार ९ से २४ मास के बीच है।

(ग) आसाम में पूर्वोत्तर रेलवे में मरम्मत की निर्धारित कालावधियां निम्नलिखित हैं :

इंजन	४८ मास
सवारी गाड़ी के डिब्बे	२४ मास
अन्य डिब्बे	२८ मास

(घ) मरम्मत की कालावधि में वृद्धि नहीं की गई है।

(ङ) आसाम जोनों के इंजनों और डिब्बों की मरम्मत निम्नलिखित वर्कशापों पर होती है :
इंजन : १. डीब्रूगढ़, २. गोरखपुर, ३. पूर्वी रेलवे पर कंचरापारा।
डिब्बे : १. डिब्रूगढ़, २. बोंगाईगांव, ३. समस्तीपुर।

बोंगाईगांव में रेलवे वर्कशाप

†२२०४. **श्री के० पी० त्रिपाठी** :
श्री देवेन्द्रनाथ सर्मा :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोंगाईगांव में रेलवे वर्कशाप का निर्माण आरम्भ हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो यह कब पूरा होगा ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

---

†मूल अंग्रेजी में

वस्तुओं के लिये भाड़े की दरें

†२२०५. **श्री के० पी० त्रिपाठी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता से आसाम के लिये निम्नलिखित वस्तुओं की दरों में क्या वृद्धि हुई है :

(१) चीनी, (२) नमक, (३) सीमेंट, (४) लोहा और इस्पात, (५) खालें और चमड़ा, (६) आलू, (७) पटसन, (८) चाय, (९) इमारती लकड़ी, (१०) कपड़ा, (११) खाद्यान्न, (१२) मशीनरी; और

(ख) शेष भारत में इतने फासले के भाड़े की दरें उपरोक्त दरों की तुलना में क्या हैं ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) तथा (ख). कलकत्ता से आसाम के लिये उपरिवर्णित वस्तुओं के भाड़े की दरों में हाल में कोई वृद्धि नहीं की गई है ।

१-४-५५ से अधिक दूरी के लिये कम दरों की श्रेणियों के आधार पर कुछ समायोजन किया गया था जो समान रूप से सभी क्षेत्रों में लागू किया गया। १-४-५५ से और उस से पूर्व से कलकत्ता से गौहाटी (आसाम) के लिये उपरिवर्णित वस्तुओं के भाड़े की दरों और उतनी ही दूरी की दरों का एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट १४, अनुबन्ध संख्या १०**] । इस के साथ ही १-४-५६ से सिवाय कुछ अपवादों के सब भाड़े के यातायात पर एक आना प्रति रुपया अनुपूरक भार लगाया गया है ।

नलकूप

†२२०६. **श्री पी० एल० बारूपाल** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छोटी सिंचाई योजना के अन्तर्गत भारत सरकार राजस्थान में कितने नलकूप बनवाना चाहती है और उन पर १९५६-५७ में कितनी राशि खर्च की जायेगी;

(ख) उक्त राशि में से कितनी राशि बीकानेर डिवीजन में खर्च की जायेगी;

(ग) उस राशि से कितने नलकूप बनवाये जायेंगे; और

(घ) बीकानेर डिवीजन के उन क्षेत्रों के लोगों को जहां पानी खारा है, मीठा पानी देने की व्यवस्था करने के लिये सरकार ने क्या योजना तैयार की है ?

खाद्य और कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : (क) राजस्थान की द्वितीय पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में इस राज्य में ३५ लाख रुपयों के अनुमानित व्यय से ५० सिंचाई सम्बन्धी नलकूप बनाने की व्यवस्था की गई है। इन नलकूपों के बनाने की व्यवस्था खुद राज्य सरकार को करनी होगी।

इन ५० नलकूपों का निर्माण भारत सरकार द्वारा राजस्थान के लिये बनाये हुए गवेषणात्मक (एक्सप्लोरेटरी) नलकूपों के कार्यक्रम के नतीजे पर निर्भर है । यह कार्यक्रम १९५६ के अन्त से पहले शुरू करने की उम्मीद नहीं है इसलिये १९५६-५७ की अवधि में इन पर कुछ भी व्यय करने की संभावना नहीं दीखती ।

(ख) तथा (ग). ये सवाल ही नहीं उठते ।

(घ) जहां तक सिंचाई के लिये आवश्यक जल का सम्बन्ध है ऐसी कोई भी योजना नहीं बनायी गयी है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

वस्तुओं के लिये भाड़े की दरें

†२२०५. **श्री के० पी० त्रिपाठी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता से आसाम के लिये निम्नलिखित वस्तुओं की दरों में क्या वृद्धि हुई है :

(१) चीनी, (२) नमक, (३) सीमेंट, (४) लोहा और इस्पात, (५) खालें और चमड़ा, (६) आलू, (७) पटसन, (८) चाय, (९) इमारती लकड़ी, (१०) कपड़ा, (११) खाद्यान्न, (१२) मशीनरी; और

(ख) शेष भारत में इतने फासले के भाड़े की दरें उपरोक्त दरों की तुलना में क्या हैं ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) तथा (ख). कलकत्ता से आसाम के लिये उपरिवर्णित वस्तुओं के भाड़े की दरों में हाल में कोई वृद्धि नहीं की गई है ।

१-४-५५ से अधिक दूरी के लिये कम दरों की श्रेणियों के आधार पर कुछ समायोजन किया गया था जो समान रूप से सभी क्षेत्रों में लागू किया गया। १-४-५५ से और उस से पूर्व से कलकत्ता से गौहाटी (आसाम) के लिये उपरिवर्णित वस्तुओं के भाड़े की दरों और उतनी ही दूरी की दरों का एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट १४, अनुबन्ध संख्या १०**] । इस के साथ ही १-४-५६ से सिवाय कुछ अपवादों के सब भाड़े के यातायात पर एक आना प्रति रुपया अनुपूरक भार लगाया गया है ।

नलकूप

†२२०६. **श्री पी० एल० बारूपाल** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छोटी सिंचाई योजना के अन्तर्गत भारत सरकार राजस्थान में कितने नलकूप बनवाना चाहती है और उन पर १९५६-५७ में कितनी राशि खर्च की जायेगी;

(ख) उक्त राशि में से कितनी राशि बीकानेर डिवीजन में खर्च की जायेगी;

(ग) उस राशि से कितने नलकूप बनवाये जायेंगे; और

(घ) बीकानेर डिवीजन के उन क्षेत्रों के लोगों को जहां पानी खारा है, मीठा पानी देने की व्यवस्था करने के लिये सरकार ने क्या योजना तैयार की है ?

खाद्य और कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : (क) राजस्थान की द्वितीय पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में इस राज्य में ३५ लाख रुपयों के अनुमानित व्यय से ५० सिंचाई सम्बन्धी नलकूप बनाने की व्यवस्था की गई है। इन नलकूपों के बनाने की व्यवस्था खुद राज्य सरकार को करनी होगी।

इन ५० नलकूपों का निर्माण भारत सरकार द्वारा राजस्थान के लिये बनाये हुए गवेषणात्मक (एक्सप्लोरेटरी) नलकूपों के कार्यक्रम के नतीजे पर निर्भर है। यह कार्यक्रम १९५६ के अन्त से पहले शुरू करने की उम्मीद नहीं है इसलिये १९५६-५७ की अवधि में इन पर कुछ भी व्यय करने की संभावना नहीं दीखती ।

(ख) तथा (ग). ये सवाल ही नहीं उठते ।

(घ) जहां तक सिंचाई के लिये आवश्यक जल का सम्बन्ध है ऐसी कोई भी योजना नहीं बनायी गयी है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

गृह विज्ञान परिशिक्षण केन्द्र

†२२११. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितनी ग्रामसेविकाओं को अब तक प्रशिक्षण दिया गया है; और

(ख) वर्ष १९५६-५७ के दौरान में गृह विज्ञान प्रशिक्षण के कितने केन्द्र खोलने का विचार है और वे कहां-कहां खोले जायेंगे ?

†**खाद्य और कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा)** : (क) किसी को भी नहीं ।

(ख) १९५६-५७ के दौरान में चार गृह विज्ञान केन्द्र खोलने का विचार है । उनमें से दो तो बम्बई राज्य के मंजरी और निजामपुर में तथा शेष दो केन्द्र उत्तर प्रदेश के दोहाई और सरोजनीगगर में खोलने का विचार है ।

रायगढ़ रेलवे स्टेशन

†२२१२. **श्री संगण्णा** : क्या **रेलवे** मंत्री रायगढ़ रेलवे स्टेशन पर बिजली लगाने के बारे में २१ दिसम्बर, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १०८२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उसके बारे में अंतिम निर्णय हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) तथा (ख). जी, हां । रायगढ़ रेलवे स्टेशन पर बिजली लगाने के लिये मछकुंड परियोजना से ऊंची शक्तिवाली और काफी मात्रा में बिजली लेने के बारे में निश्चय किया गया है। प्रशुल्क की दर के बारे में विद्युत् संभरण पदाधिकारियों से बातचीत चल रही है और १९५६-५७ में इस कार्य को करने का विचार है ।

रेलवे कर्मचारी

†२२१३. **श्री संगण्णा** : क्या **रेलवे** मंत्री रेलवे कर्मचारियों के बारे में २१ दिसम्बर, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १११० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण-पूर्व रेलवे खंड के कुछ स्टेशनों को बड़ा बनाने तथा कुछ पदों के ग्रेड बढ़ाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम हुआ ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी, हां। दक्षिण-पूर्व रेलवे के सात स्टेशन मास्टरों की पदोन्नति करने का अर्थात् १००-१८५ रुपये से १५०-२२५ तक करने का है ।

(ख) यह विचाराधीन है ।

रेलवे स्टेशनों पर बांस की बनी चीजों का विक्रय

२२१४. **श्रीमती अनुसूयाबाई बोरकर** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे स्टेशनों पर बांस की बनी हुई चीजों के बेचने की आज्ञा न देने का क्या कारण है जब कि सरकार कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना चाहती है; और

(ख) गत वर्ष में इटारसी रेलवे स्टेशन पर बांस की बनी हुई चीजों को बेचने के लिये कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और उन को कितनी राशि जुरमाने के रूप में देनी पड़ी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) स्टेशन के अंदर बांस के बने हुये सामान बेचने के लिये फेरीवालों को लायसेंस देना यात्रियों के लिये जरूरी सुविधा नहीं समझा जाता । इसके अलावा इस तरह के सामान बेचने वालों को बड़ी तादाद में स्टेशन पर आने देने से प्लेटफार्म पर बेकार की भीड़ बढ़ सकती है जिससे यात्रियों को असुविधा और परेशानी होगी ।

(ख) पिछले माली साल में बिना टिकट के सिर्फ एक फेरीवाले पर भारतीय रेलवे अधिनियम १८९० की धारा ४७ (२) के अनुसार मुकदमा चलाया गया और उस पर एक रुपया जुर्माना हुआ ।

आम

†२२१५. **श्री बी० एस० मूर्त्ति** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आंध्र राज्य सरकार को आमों की विभिन्न किस्मों का सुधार करने के लिये अनुदान अथवा सहायता के रूप में कितना धन दिया गया है ?

†**खाद्य और कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा)** : क्योंकि राज्य सरकार से इस मामले की गवेषणा की कोई योजना प्राप्त नहीं हुई है, अतः आंध्र राज्य सरकार को आमों की विभिन्न किस्मों का सुधार करने के लिये भारतीय कृषि गवेषणा परिषद् से कोई वित्तीय सहायता नहीं दी गई है ।

कृष्णा सड़क विनियामक (रेग्युलेटर)

†२२१६. **श्री बी० एस० मूर्त्ति**: क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृष्णा सड़क विनियामक कार्य की ३० अप्रैल, १९५६ तक कितनी प्रगति हुई है;

(ख) क्या कार्य दोनों ओर हो रहा है; और

(ग) क्या १९५५ में व्यय में कोई परिवर्तन हुआ है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) निर्माण के पुल वाले भाग में अप्रैल, १९५६ के अंत तक कुल ३० प्रतिशत की प्रगति हुई है ।

(ख) कार्य दोनों ओर हो रहा है ।

(ग) जी हां । दिसम्बर, १९५४ तक कोई व्यय नहीं हुआ था । दिसम्बर, १९५५ के अंत तक १६·८८ लाख रुपये व्यय हुये थे ।

मलेरिया

†२२१७ **श्री बी० एस० मूर्त्ति** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या आंध्र राज्य ने अपने यहां मलेरिया पर काबू पाने के लिये केन्द्रीय सरकार से कोई सहायता तथा अनुदान मांगा है;

(ख) यदि हां, तो १९५४-५५ तथा १९५५-५६ में कितना धन स्वीकृत किया गया था; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या प्रविधिक सहायता दी गई ?

†**स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर)** : (क) जी, हां ।

(ख) १९५४-५५ और १९५५-५६ में संभरणों और उपकरणों के रूप में क्रमशः ४,२६,६३० रुपये तथा ४,२३,८८८ रुपये का सहायता-अनुदान दिया गया ।

(ग) भारत की मलेरिया संस्था में तीन चिकित्सा पदाधिकारी तथा दो मलेरिया निरीक्षकों को प्रशिक्षित किया गया था ।

---

†मूल अंग्रेजी में

सांप के काटे की दवाई

†२२१८. **श्री बी० एस० मूर्त्ति**: क्या **स्वास्थ्य** मंत्री २ मई, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १८९३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) वर्ष १९५५ में किन-किन देशों को सांप के काटे की दवाई का निर्यात किया गया है;

(ख) उसका कुल कितना मूल्य था; और

(ग) क्या इस वर्ष की मांग में कुछ वृद्धि हुई है ?

†**स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर)** : (क) सांप के काटे की दवाई का निर्यात १९५५ में बर्मा, लंका, ईरान, मलाया, नाइजेरिया, नेपाल, सउदी अरेबिया, थाइलैंड और अमरीका के लिये किया गया था ।

(ख) १ अप्रैल, १९५५ से ३१ मार्च, १९५६ तक ६०,६५१–१२–० रुपये की सांप के काटे की दवाई का निर्यात किया गया था ।

(ग) नहीं ।

रेलवे कर्मचारी

२२१९. **श्री जांगड़े** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५३, १९५४ और १९५५ में विभिन्न रेलवे कार्यालयों और बिलासपुर रेलवे कोलोनी के छोटे वर्कशाप में चतुर्थ श्रेणी की सेवाओं में कितने आदमियों को नियुक्त किया गया; और

(ख) अनुसूचित जाति के कितने व्यक्तियों को नियुक्त किया गया ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) तथा (ख). सूचना मंगायी जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

यात्रियों को सुविधायें

२२२०. **श्री जांगड़े** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५२ से १९५६ तक गाड़ियों की रफ्तार बढ़ाने, मेले के दिनों में यात्रियों की भीड़ के लिये पर्याप्त व्यवस्था करने और दक्षिण पूर्वी रेलवे के रायपुर और धौतरी ब्रांच लाइन स्टेशनों पर यात्रियों की सुविधाओं के बढ़ाने के लिये सरकार ने क्या ठोस कार्यवाही की है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : किसी लाइन पर गाड़ी की रफ्तार नियत करते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि उस लाइन पर गाड़ी अधिक से अधिक कितनी रफ्तार से चलायी जा सकती है । साथ ही इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि पटरियां कितनी मजबूत हैं और रेल-पथ किस हालत में है । गाड़ियां नियत की गयी अपनी पूरी रफ्तार के हिसाब से भेजी जाती हैं, लेकिन चूंकि बहुत से इंजनों में 'स्पीडोमीटर' नहीं होता, इसलिये लाइन की रफ्तार का पता लगाने में ड्राइवर से होने वाली गलती की गुंजाइश के साथ-साथ इन बातों पर भी ध्यान दिया जाता है कि गाड़ी में कितने डिब्बे जुड़े हैं और इंजन किस ढंग का है । इसके अलावा यह भी देखा जाता है कि रेलवे लाइन की मरम्मत के कारण कितना अधिक समय लगेगा । रायपुर-धमतरी और रायपुर-राजीम सेक्शनों पर गाड़ियों की अधिक से अधिक रफ्तार प्रति घंटा १५ मील है ।

मेले के दिनों में यात्रियों की भीड़ को हटाने के लिये अतिरिक्त गाड़ियां भी चलायी जाती हैं ।

इन शाखा लाइनों पर यात्रियों को जो सुविधायें दी गयी हैं उनके बारे में सूचना मंगायी जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

चम्पा-कोरबा रेलवे लाइन

२२२१. **श्री जांगड़े :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चम्पा-कोरबा लाइन पर सवारी गाड़िया कब चालू की जायेंगी;

(ख) क्या यह गाड़ियां बिलासपुर से कोरबा तक जायेंगी; और

(ग) चम्पा-कोरबा रेलवे लाइन के बनाने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) ज्यों ही डाक और तार विभाग द्वारा तार लगा दिये जायेंगे, इस सेक्शन पर एक मिली-जुली गाड़ी चलायी जायेगी ।

(ख) जी नहीं, ये गाड़ियां चम्पा और कोरबा के बीच चलेंगी ।

(ग) पुल के गर्डर देर से मिले, इसलिये यह लाइन नवम्बर, १९५५ में यातायात के लिये खोली न जा सकी जैसा कि पहले निर्धारित किया गया था । लाइन अप्रैल, १९५६ में बन कर तैयार हो गयी और २८-४-५६ से माल गाड़ियों के चलने के लिये इसे उपयुक्त घोषित किया गया ।

रेलवे प्रशिक्षण स्कूल, अजमेर

†२२२२. **श्री भीखा भाई :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शिशिक्षुओं के प्रशिक्षण के लिये अजमेर में एक प्रशिक्षण स्कूल चल रहा है;

(ख) उन में से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के शिशिक्षुओं की संख्या कितनी है; और

(ग) यदि बिलकुल नहीं, तो प्रशिक्षण के लिये अनुसूचित आदिम जाति के शिशिक्षार्थी क्यों नहीं चुने गये ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) :** (क) जी, हां ।

(ख) अनुसूचित जाति—९
अनुसूचित आदिम जाति—२

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता ।

महू और नीमच में रेलवे बस्तियां

†२२२३. **श्री भीखा भाई :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महू और नीमच की रेलवे बस्तियों में बिजली की सुविधाओं की व्यवस्था नहीं की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि महू और नीमच में रेलवे पदाधिकारियों के पास बिजली लगे हुए बंगले हैं; और

(ग) इस विभेद के क्या कारण हैं ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) :** (क) जी हां ।

(ख) महू में केवल जिला पदाधिकारियों के बंगलों में बिजली है और यह बिजली १९२७ में लगाई गई थी । नीमच में किसी भी पदाधिकारी के बंगले में बिजली नहीं है ।

(ग) कोई विभेद नहीं किया गया है । कर्मचारियों के क्वार्टरों में बिजली लगाने के लिये आवश्यक अतिरिक्त बिजली देने के लिये बिजली संभरण कम्पनी अभी तक असमर्थ है । अभी कुछ बिजली मिली है और कुछ क्वार्टरों में १९५६-५७ तथा १९५७-५८ में बिजली लगाने का कार्यक्रम है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

बिहार में सिंचाई की छोटी योजनायें

†२२२४. **श्री देवगम :** क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४-५५ और १९५५-५६ में बिहार में सिंचाई की कितनी छोटी योजनायें पूरी हुई हैं और बिहार सरकार ने उन पर कितना व्यय किया है;

(ख) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित किया गया था कि छोटा नागपुर में अधिकतर सिंचाई की योजनायें बिल्कुल असफल हुई हैं;

(ग) कितनी योजनायें रद्द कर दी गई हैं और उन्हें फिर से चालू नहीं किया जायेगा; और

(घ) रद्द की गई योजनाओं पर कितना व्यय हुआ ?

†**खाद्य और कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) :**

(क)

वर्ष	पूरी हुई योजनाओं की संख्या	व्यय किया गया धन (लाख रुपयों में)
१९५४-५५	४०२७	८३·०७
१९५५-५६	४५७२	९२·९७

(ख) जी नहीं ।

(ग) तथा (घ). ये प्रश्न नहीं उठते ।

रेल के इंजन

†२२२५. **पंडित लिंगराज मिश्र :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण पूर्व रेलवे के रूपसा-वरीपाड़ा-बंजरीपोसी नेरो गेज के क्षेत्र में वास्तव में कितने इंजन कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या यह सच है कि ये इंजन बहुत पुराने हैं अतः जल्दी-जल्दी कारखानों में मरम्मत के लिये भेजे जाते हैं, और उस लाइन के यातायात में काफी गड़बड़ी हो जाती है, जिससे यात्रियों और व्यापारियों को काफी असुविधा उठानी पड़ती है; और

(ग) क्या जो इंजन सेवा के योग्य नहीं हैं उनके स्थान पर निकट भविष्य में नये इंजिन लाने का विचार है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) :** (क) तथा (ख). दक्षिण पूर्व रेलवे के रूपसा-वरीपाडा-बंजरीपोसी-खंड में ४ नेरो गेज इंजन काम कर रहे हैं। इनमें से दो तो ५० वर्ष पुराने हैं। यातायात आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिये कम से कम तीन इंजनों की आवश्यकता है। ऐसे अवसरों पर जब एक इंजन मरम्मत के लिये जाता है तो यातायात की आवश्यकताओं को पूरा करने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है ।

(ग) इस खंड में रेल की पटरियों की वर्तमान स्थिति को देखते हुए नेरो गेज के दूसरे इंजन चलाना इस लाइन पर संभव नहीं है। यदि इनको बदलने की आवश्यकता हुई तो अवश्य इस पर उस समय विचार किया जायगा जब कि इस नेरो गेज को अन्य साथ वाले गेजों में बदलने के बारे में तय कर लिया जाता है ।

†मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

[शुक्रवार, १८ मई, १९५६]

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर ...		२५३४–५८
तारांकित प्रश्न संख्या		
२३१५	रेल दुर्घटना	२५३४–३५
२३१६	क्षय-रोग क्लिनिक	२५३५–३६
२३२३	केन्द्रीय सड़क निधि	२५३६–३८
२३२६	भोजन व्यवस्था के ठेके	२५३८–३९
२३२८	राज्य विधान मण्डलों के सदस्यों के लिये रेलवे सुविधायें	२५३९–४०
२३३०	रेल दुर्घटना के लिये प्रतिकर ...	२५४०
२३३२	टेल्को	२५४०–४२
२३३३	गन्ने के मूल्य के लिये संविहित बोर्ड	२५४२–४३
२३३४	पीलिया	२५४४
२३३५	कटक में डाक व तारघर ...	२५४४–४५
२३३६	राजकुमारी खेल-कूद प्रशिक्षण योजना	२५४५–४७
२३३८	गाड़ियों की नियमितता	२५४७–४८
२३४०	आसाम रेल-सम्पर्क का टूट जाना	२५४८
२३४१	परिवार नियोजन	२५४९
२३४३	भोजन व्यवस्था के ठेके	२५५०–५१
२३४४	विजयवाड़ा में रेल का पुल ...	२५५१
२३४५	अंदमान में सड़कें	२५५१–५२
२३४६	राष्ट्रीय राजपथ	२५५२–५३
२३४८	अलाभप्रद रेलवे लाइनें	२५५३
२३४९	सामुदायिक परियोजनायें और राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड ...	२५५३–५४
२३५०	मध्य प्रदेश में चावल का मूल्य	२५५४–५५
अल्प सूचना प्रश्न संख्या		
१७	काठमांडू में विमान दुर्घटना	२५५६–५८

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर	— ... —	२५५८–८०
तारांकित प्रश्न संख्या		
२३१४	चलते डाकघर ... ... —	२५५८
२३१७	रेलवे सेवा आयोग	२५५८
२३१८	रेलवे में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों की भर्ती	२५५८–५९
२३१९	रेलवे लाइन कर्मचारी	२५५९
२३२०	सिंचाई की छोटी योजनायें	२५५९
२३२१	भारतीय केन्द्रीय पटसन समिति	२५५९
२३२२	युकलिप्टस सम्बन्धी विश्व सम्मेलन	२५६०
२३२४	केन्द्रीय सहकारी बैंक	२५६०
२३२५	सीमेन्ट कांक्रीट के शहतीर	२५६०
२३२७	पौधों का संरक्षण	२५६०
२३२९	भारत-पाकिस्तान रेलवे यातायात	२५६०
२३३१	खदानों में डाक्टरी निरीक्षण	२५६१
२३३७	गन्दी बस्तियों को हटाना	२५६१
२३३९	विमान समवायों को मुआवजा	२५६१
२३४२	कागज उद्योग ... —	२५६१–६२
२३४७	विमान यातायात से आय	२५६२
२३५१	पाण्डू में रेल के इंजन तथा डिब्बे आदि	२५६२
२३५२	पीलिया	२५६२
२३५३	शिल्पकारों का प्रशिक्षण	२५६२–६३
२३५४	रेलवे भोजन व्यवस्था	२५६३
२३५५	आसाम में कोयले की खदानों तक रेलवे सम्पर्क	२५६३
२३५६	नई रेलवे पटरियां	२५६३
अतारांकित प्रश्न संख्या		
२१८०	मैडिकल कालिज अध्यापकों की अखिल भारतीय सेवा ...	२५६४
२१८१	जयपुर रेलवे स्टेशन	२५६४
२१८२	प्रसूति और शिशु-कल्याण केन्द्र	२५६४
२१८३	अखिल भारतीय आरोग्य विज्ञान और लोक स्वास्थ्य संस्था ...	२५६५
२१८४	टेलीफोन कनेक्शन	२५६५
२१८५	विमान यातायात	२५६५
२१८६	इमारती लकड़ी	२५६५–६६
२१८७	बम्बई सेन्ट्रल स्टेशन	२५६६–६७
२१८८	कृत्रिम वर्षा ... ... —	२५६७
२१८९	डाक तथा तार के कर्मचारियों के लिये वर्दी ...	२५६७–६८
२१९०	डालमिया दादरी स्टेशन	२५६८

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर--(क्रमशः)

अतारांकित
प्रश्न संख्या

२१९१	मलेरिया गवेषणा संस्था	२५६८–६९
२१९२	यूनिसेफ़ (संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि)	२५६९
२१९३	उत्तर प्रदेश में डाक और तार विभाग के भवन ...	२५६९
२१९४	गलगण्ड	२५७०
२१९५	देहरादून एक्सप्रेस	२५७०
२१९६	उदयपुर और अजमेर के रेलवे प्रशिक्षण स्कूल	२५७०
२१९७	अन्तर्राष्ट्रीय किसान युवक विनिमय कार्यक्रम	२५७१
२१९८	भैषजिक पौधे	२५७१
२१९९	आयुर्वेदिक प्रणाली	२५७१–७२
२२००	ग्रामीण डाकघर (मैसूर राज्य)	२५७२
२२०१	लखनऊ से अमीन गांव को डिब्बे	२५७२
२२०२	रेलगाड़ी के इंजन	२५७२
२२०३	रेल के इंजन तथा डिब्बे आदि ...	२५७३
२२०४	बोंगाईगांव में रेलवे वर्कशाप	२५७३
२२०५	वस्तुओं के लिये भाड़े की दरें ...	२५७४
२२०६	नलकूप	२५७४
२२०८	फल परिरक्षण	२५७५
२२०९	किसानों के लिये प्रत्यास्मरण पाठयक्रम	२५७५
२२१०	गन्ना मूल्य विशेषज्ञ समिति	२५७५
२२११	गृह विज्ञान प्रशिक्षण केन्द्र	२५७६
२२१२	रायगढ़ रेलवे स्टेशन	२५७६
२२१३	रेलवे कर्मचारी ...	२५७६
२२१४	रेलवे स्टेशनों पर बांस की बनी चीजों का विक्रय	२५७६–७७
२२१५	आम ...	२५७७
२२१६	कृष्णा सड़क विनियमक	२५७७
२२१७	मलेरिया ...	२५७७
२२१८	सांप के काटे की दवाई	२५७८
२२१९	रेलवे कर्मचारी	२५७८
२२२०	यात्रियों की सुविधायें	२५७८
२२२१	चम्पा-कोरबा रेलवे लाइन	२५७९
२२२२	रेलवे प्रशिक्षण स्कूल, अजमेर	२५७९
२२२३	महू और नीमच में रेलवे बस्तियां	२५७९
२२२४	बिहार में सिंचाई की छोटी योजनायें	२५८०
२२२५	रेल के इंजन	२५८०

M64LSD—21-8-57—190—GIPF.

Preservation Unit
Fumigated
Parliament Library

लोक-सभा

वाद-विवाद

(भाग--२ प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

खण्ड ५, १९५६

(९ मई से ३० मई, १९५६)

1st Lok Sabha

(XII Session)

सत्यमेव जयते

बारहवां सत्र, १९५६

(खण्ड ५ में अंक ६१ से ६७ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय

नई दिल्ली

विषय-सूची

[वाद-विवाद; भाग २—खण्ड ५; ९ मई से ३० मई, १९५६]

	पृष्ठ
अंक ६१—बुधवार, ९ मई, १९५६	
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	३२७९
कार्य मंत्रणा समिति—	
पैंतीसवां तथा छत्तीसवां प्रतिवेदन	३२८०
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति	
बावनवां प्रतिवेदन	३२८०
अनुपस्थिति की अनुमति ...	३२८०–८१
तारांकित प्रश्न के उत्तर की शुद्धि	३२८१
कार्य मंत्रणा समिति—	
चौतीसवां प्रतिवेदन	३२८१–८२
सभा का कार्य	३२८२–८४
भारतीय टंक अधिनियम के अन्तर्गत जारी की गई	
प्रारूप अधिसूचनाओं के बारे में प्रस्ताव	३२८४–९०
संविधान (दसवां संशोधन)—	
संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव	३२८४–९०
कृषि उत्पाद (विकास तथा भाण्डागार-व्यवस्था) निगम विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव	३३१७–२५
दैनिक संक्षेपिका ...	३३२६
अंक ६२—गुरुवार, १० मई, १९५६	
सभा-पटल पर रखा गया पत्र	३३२७
सदस्यों का बन्दीकरण तथा निरोध ...	३३२७–२८
भारतीय रड क्रास सोसाइटी (संशोधन) विधेयक ...	३३२८–२९
कृषि उत्पाद (विकास तथा भाण्डागार-व्यवस्था) निगम विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव	३३२९–८५
दैनिक संक्षेपिका ...	३३८६
अंक ६३—शुक्रवार, ११ मई, १९५६	
राज्य-सभा से सन्देश	३३८७
मनीपुर राज्य पहाड़ी लोग (प्रशासन) विनियमन (संशोधन) विधेयक	३३८७
समितियों के लिये निर्वाचन—	
प्राक्कलन समिति	३३८८
लोक लेखा समिति	३३८८
राज्य-सभा के सदस्यों का लोक लेखा समिति में सम्मिलित किये जाने के	
बारे में प्रस्ताव	३३८८
कार्य मंत्रणा समिति—	
पैंतीसवां और छत्तीसवां प्रतिवेदन ...	३३८९–९१

पृष्ठ

सभा का कार्य ३३९१–९२

कृषि उत्पाद (विकास तथा भाण्डागार-व्यवस्था) निगम विधेयक––

विचार करने का प्रस्ताव ... ३३९२–३४२७

खण्ड २ से ५५ और १ तथा अनुसूची ३३९९–३४२५

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ... ३४२५

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति––

बावनवां प्रतिवेदन ३४२७

व्यक्ति की अधिकतम आय के बारे में संकल्प ३४२७–५०

दैनिक संक्षेपिका ३४५१

अंक ६४––सोमवार १४ मई, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ३४५३–५४

विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति ३४५४

अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति––

चौथा प्रतिवेदन ३४५४

राज्य पुनर्गठन विधेयक ... ३४४४–५६

संविधान (नवां संशोधन) विधेयक ३४५६

जीवन बीमा निगम विधेयक ३४५६

त्रावनकोर-कोचीन आय-व्ययक––

सामान्य चर्चा ३४५७–३५००

अनुदानों की मांगें ... ३५००–३२

त्रावनकोर-कोचीन विनियोग विधेयक ३५४७–४८

दैनिक संक्षेपिका ... ३५४९

अंक ६५––मंगलवार, १५ मई, १९५६

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बारे में वक्तव्य ३५५१–५४

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ३५५४

राज्य-सभा से सन्देश ३५५४

लोक प्रतिनिधित्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक––

विचार करने का प्रस्ताव, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में ३५५४–३६०२

दैनिक संक्षेपिका ... ३६०३

अंक ६६––बुधवार, १६ मई, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ३६०५

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति––

त्रेपनवां प्रतिवेदन ३६०५

सभा का कार्य––

द्वितीय पंचवर्षीय योजना पर चर्चा ३६०६–१०

भारतीय आयकर (संशोधन) विधेयक ... ३६१०–११

लोक प्रतिनिधित्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक––

विचार करने का प्रस्ताव, प्रवर समिति द्वारा

प्रतिवेदित रूप में ३६११–६१

पृष्ठ

खण्डों पर विचार--

खण्ड ४, ५ और ७ ... ३६१४–२९

खण्ड २, ३, ६ और ८ से ४० ३६२९–५४

खण्ड ४१, ४२ और ४७ ३६५४–६१

राज्य-सभा से सन्देश ३६६२

दैनिक संक्षेपिका ३६६३

अंक ६७--गुरुवार, १७ मई, १९५६

संविधान (दसवां संशोधन) विधेयक ३६६५–६६

लोक प्रतिनिधित्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में ३६६६–३७१६

खण्ड ४१ से ८३ तक ... ३६६६–३७१५

पारित करने का प्रस्ताव, संशोधन रूप में ३७१६

दैनिक संक्षेपिका ... ३७१७

अंक ६८--शुक्रवार, १८ मई, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ३७१९

राज्य-सभा से संदेश ... ३७१९–२०

औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक ... ३७२०

प्राक्कलन समिति--

सत्ताईसवां प्रतिवेदन ३७२०

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था (खड्गपुर) विधेयक ३७२०

त्रावनकोर-कोचीन राज्य विधान-मण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक ३७२१–२२

लोक प्रतिनिधित्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में ... ३७२२–३५

पारित करने का प्रस्ताव संशोधित रूप में ३७२२

जीवन बीमा निगम विधेयक--

विचार करने का प्रस्ताव, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में ३७३५–५३

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति--तिरपनवां प्रतिवेदन ३७५४

भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक (धारा ४९४ का संशोधन) ... ३७५४

खान संशोधन, विधेयक (धारा ३३ और ५१ का संशोधन) ३७५४–६२

विचार करने का प्रस्ताव ३७५४

भारतीय बाल दत्तक-ग्रहणन विधेयक ३७६३–६४, ३७६५–७३

विचार करने का प्रस्ताव ३७६३

सभा का कार्य ३७६४–६५

नियम समिति--

चौथा प्रतिवेदन ३७६५

दैनिक संक्षेपिका ३७७४–७५

अंक ६९--सोमवार, २१ मई, १९५६ **पृष्ठ**

स्थगन प्रस्ताव ३७७७–७८
सभा का कार्य ... ३७७८–७९
सभा-पटल पर रखे गये पत्र ३७७९–८०
राज्य-सभा से सन्देश ३७८०–८६
प्राक्कलन समिति--
अट्ठाईसवां प्रतिवेदन ... ३७८६
जीवन बीमा निगम विधेयक--
विचार करने का प्रस्ताव, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में ३७८६–३८३५
खण्डों पर विचार--
खण्ड २ ३८३१--३५
दैनिक संक्षेपिका ३८३६

अंक ७०--मंगलवार, २२ मई, १९५६

स्थगन-प्रस्ताव--
भुखमरी के कारण कुछ नागाओं की कथित मृत्यु ३८३७–३९
सदस्यों की रिहाई ३८३९
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--
अल्जीरिया के सम्बन्ध में सरकार की नीति ... ३८३९–४२
जीवन बीमा निगम विधेयक, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में--
खण्ड ४, १९ और २२ ३८४३–५८
खण्ड ११ और १२ ३८५८–६८
खण्ड १४ ३८६८–७०
खण्ड २५ और २९क ... ३८७०–८५
सभा-पटल पर रखे गये पत्र ३८८५
दैनिक संक्षेपिका ३८८६

अंक ७१--बुधवार, २३ मई, १९५६

स्थगन प्रस्ताव और अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--
खडगपुर और काजीपेट जंकशनों पर रेलवे श्रमिकों की हड़ताल ... ३८८७–९३
सभा-पटल पर रखे गये पत्र ३८९३–९४
राज्य-सभा से सन्देश ३८९४
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति--
चौवनवां प्रतिवेदन ३८९४
भारतीय डाक और तार अधिनियम के बारे में याचिका ... ३८९४
संविधान (दसवां संशोधन) विधेयक ३८९४
पूर्वी पाकिस्तान से हिन्दुओं के सामूहिक निष्क्रमण के बारे में वक्तव्य ३८९४–९८
जीवन बीमा निगम विधेयक, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में ३८९८–३९४१
खण्ड ४३ ३८९८–३९०५

पृष्ठ

खण्ड १६, ३५, ३६ और अनुसूचियां ३९०६–३०

खण्ड ५ से १०, १३, १५, १७, १८, २०, २१, २३, २४, २६ से ३४, ३७ से ४२, ४४ से ४९ और १ ... ३९३०–४१

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ३९४१

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बारे में संकल्प ३९४१–६०

कार्य मंत्रणा समिति––

सैंतीसवां प्रतिवेदन ३९६०

दैनिक संक्षेपिका ३९६१–६२

अंक ७२––शुक्रवार, २५ मई, १९५६

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना––

काजू के कारखानों में तालाबन्दी ३९६३–६४

द्वितीय पंचवषीय योजना के बारे में संकल्प ३९६४–७०, ३९७१–९४

सभा का कार्य ३९७०–७१

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति––

चौवनवां प्रतिवेदन ... ३९९४

व्यक्ति की आय पर उच्चतम सीमा सम्बन्धी संकल्प ३९९४–४००७

आयकर विभाग के कार्य की जांच के बारे में संकल्प ४००८–१३

गन्ने के बारे में आधे घण्टे की चर्चा ४०१३–२०

दैनिक संक्षेपिका ४०२१

अंक ७३––शनिवार, २६ मई १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ४०२३, ४०२५–२६

प्राक्कलन समिति––

उनतीसवां और तीसवां प्रतिवेदन ... ४०२३

भारतीय डाक और तार अधिनियम के बारे में याचिका ... ४०२४

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना––

त्रिपुरा में चावल के भाव में वृद्धि ... ४०२४

पाकिस्तानी सेनाओं द्वारा भारतीय राज्य-क्षेत्र में लगातार गोलीबारी ... ४०२४–२५

कार्य मंत्रणा समिति––

सैंतीसवां प्रतिवेदन ४०२६–२७

मालिक-मजदूर झगड़े सभा के सामने लाने के बारे में विनिर्णय ४०२७–२८

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बारे में संकल्प ४०२८–७२

राज्य-सभा से संदेश ... ४०७२–७४

लोक प्रतिनिधित्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक ४०७४

दैनिक संक्षेपिका ४०७५–७६

पृष्ठ

अंक ७४--सोमवार, २८ मई, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ४०७७-७९
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति ४०७९
प्राक्कलन समिति--
इकत्तीसवां प्रतिवेदन ... ४०७९
सभा का कार्य ४०८०-८१
त्रावणकोर-कोचीन राज्य विधान-मण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन)
विधेयक ४०७९, ४०८१-४१०१
विचार करने का प्रस्ताव ४०७९
खण्ड २, ३ और १ ... ... ४०९३-४१०१
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . ४१०१
भारतीय आयकर (संशोधन) विधेयक ... ४१०२-०७
विचार करने का प्रस्ताव ४१०२
खण्ड १ और २ ... ४१०७
पारित करने का प्रस्ताव ... ४१०७
खड्गपुर में हड़ताल की स्थिति के बारे में चर्चा ४१०८-३३
राष्ट्रीय अनुशासन योजना के बारे में आध घंटे की चर्चा ... ४१३४-३९
दैनिक संक्षेपिका ... ४१४०-४१

अंक ७५--मंगलवार, २९ मई, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ४१४३-४४
प्राक्कलन समिति--
बत्तीसवां प्रतिवेदन ... ४१४४
लोक लेखा समिति--
सोलहवां प्रतिवेदन ४१४४
सभा की बैठकों से सदस्यों को अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति--
पन्द्रहवां प्रतिवेदन ४१४४
काजू के कारखानों में तालाबन्दी के बारे में वक्तव्य ४१४४-४५
सदस्यों का बन्दीकरण और रिहाई ४१४५
सभा का कार्य ४१४५-४६
संविधान (दसवां संशोधन) विधेयक--
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव ४१४६-८६
खण्ड २ से ४ और १ ... ... ४१८०-८६
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ... ४१८६
निवारक निरोध अधिनियम की कार्यान्विति के बारे में प्रस्ताव ... ४१८७-९३
पीलिया जांच समिति के प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही के बारे में आधे घंटे
की चर्चा ... ४१९३-९८
राज्य-सभा से संदेश ४१९८
दैनिक संक्षेपिका ४१९९-४२००

पृष्ठ

अंक ७६—बुधवार, ३० मई, १९५६

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना तथा स्थगन प्रस्ताव—

कालका रेलवे स्टेशन पर उपद्रव ४२०१–०८

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ४२०८–०९

प्राक्कलन समिति—

तैंतीसवां प्रतिवेदन ४२०९

याचिका समिति—

नवां प्रतिवेदन ४२१०

अनुपस्थिति की अनुमति ... ४२१०

अतारांकित प्रश्न के उत्तर की शुद्धि ४२१०

मनीपुर राज्य पहाड़ी लोग (प्रशासन) विनियमन (संशोधन) विधेयक ... ४२१०–११

लोक प्रतिनिधित्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक—

राज्य-सभा द्वारा किये गये संशोधनों पर सहमति ४२११–१६

सभा का कार्य ४२१६–१७

निवारक निरोध अधिनियम का कार्यान्विति के बारे में प्रस्ताव ... ४२१७–४५

पूर्वी पाकिस्तान से हिन्दुओं के भारत की ओर सामुहिक निष्क्रमण के बारे में चर्चा ४२४५–६३

राज्य-सभा से संदेश ४२६३

भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिये आपातकालीन भर्ती के बारे में नियमों पर चर्चा ४२६३–७३

कर्मचारी भविष्य-निधि अधिनियम के बारे में आधे घंटे की चर्चा ४२७३–७६

प्रतिलिप्याधिकार विधेयक ४२७६

दैनिक संक्षेपिका ... ४२७७–७९

बारहवें सत्र की कार्यवाही का सारांश ४२८०–८१

M148LSD—190—8-4-58—GIPF.

लोक-सभा

शुक्रवार, १८ मई, १९५६

लोक-सभा साढ़े दस बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नोत्तर

(**देखिये** भाग १)

११-४० म० पू०

सभा पटल पर रखा गया पत्र

त्रिपुरा खाद्यान्न (यातायात) नियंत्रण आदेश

†**खाद्य और कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा)** : मैं अत्यावश्यक पण्य अधिनियम १९५५ की धारा ३ की उपधारा (६) के अन्तर्गत, खाद्य और कृषि मंत्रालय अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ०, दिनांक २ मई, १९५६ में प्रकाशित त्रिपुरा खाद्यान्न (यातायात) नियन्त्रण आदेश, १९५६ की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एस—१८२/५६**]

राज्य सभा से सन्देश

†**सचिव** : मुझे राज्य सभा के सचिव से प्राप्त इन तीन संदेशों की सूचना देनी है :

(१) "कि राज्य सभा को लोक-सभा से त्रावनकोर-कोचीन विनियोग विधेयक १९५६ के बारे में, जो लोक-सभा द्वारा १४ मई, १९५६ को पारित किया गया था, कोई सिफ़ारिश नहीं करनी है"

(२) "मुझे लोक-सभा को यह सूचित करने का आदेश मिला है कि राज्य सभा ने अपनी सोमवार, १४ मई, १९५६ की बैठक में लोक-सभा की इस सिफ़ारिश से सहमत होते हुए कि राज्य-सभा वर्ष १९५६–५७ के लिये लोक-लेखा समिति में काम करने के लिये राज्य-सभा के सात सदस्यों को नाम निर्देशित करने से सहमत हो, निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकार कर दिया है :

"कि यह सभा लोक-सभा की इस सिफ़ारिश से सहमत है कि राज्य-सभा १९५६–५७ में लोक-सभा की लोक-लेखा समिति में काम करने के लिये सात सदस्यों को नाम निर्देशित करने के लिये सहमत हो और उक्त समिति में काम करने के लिये सभापति द्वारा बताये गये रूप में अपने में से सात सदस्यों को चुने।"

†मूल अंग्रेजी में।

[सचिव]

(२) मुझे लोक-सभा को यह भी सूचित करना है कि राज्य-सभा की वृहस्पतिवार, १७ मई, १९५६ की बैठक में सभापति ने साज्य-सभा के निम्नलिखित सदस्यों को उक्त समिति के लिये विधिवत् निर्वाचित घोषित किया है :

१. श्री जी० रंगा
२. श्री आर० एम० देशमुख
३. श्रीमती पुष्पलता दास
४. श्री श्यामधर मिश्र
५. श्री पी० टी० ल्यूवा
६. श्री बी० सी० घोष
७. श्री जे० वी० के० वल्लभराव

(३) "कि राज्य सभा ने अपनी १० मई, १९५६ की बैठक में औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक १९५६ को पारित कर दिया है"

औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक

†**सचिव** : श्रीमान, मैं १० मई, १९५६ को राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में, औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधयक १९५६ लोक-सभा-पटल पर रखता हूं ।

प्राक्कलन समिति

सत्ताईसवाँ प्रतिवेदन

†**श्री वी० जी० मेहता** (गोहिलवाड़) : अध्यक्ष महोदय, मैं उत्पादन मंत्रालय के सम्बन्ध में एस्टीमेट्स (प्राक्कलन) समिति की सत्ताइसवीं रिपोर्ट को पेश करता हूं ।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था (खड्गपुर)* विधेयक

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० एम० एम० दास)** : मैं शिक्षा मंत्री की ओर से, प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था, खड्गपुर, नामक संस्था को राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित करने और उसके निगमन तथा तत्सम्बन्धी मामलों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था, खड्गपुर, नामक संस्था को राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित करने और उसके निगमन तथा तत्सम्बन्धी मामलों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**डा० एम० एम० दास** : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

*भारत के सूचना-पत्र असाधारण भाग २, अनुभाग २, दिनांक १८-५-५६ में प्रकाशित

देखिये पृष्ठ ....

त्रावनकोर-कोचीन राज्य विधान-मण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन)* विधेयक

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि राष्ट्रपति को त्रावनकोर-कोचीन राज्य के विधान मण्डल की विधियां बनाने की शक्ति प्रदान करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि राष्ट्रपति को त्रावनकोर-कोचीन राज्य के विधान-मण्डल की विधियां बनाने की शक्ति प्रदान करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

†**श्री पुन्नूस** (आल्लप्पि) : त्रावनकोर-कोचीन के लिये विधि बनाने के अधिकार सभा के पास हैं और यह विधेयक राष्ट्रपति को यह अधिकार देने के बारे में है । परन्तु इसके लिये कोई विशेष परिस्थिति का उल्लेख नहीं किया गया है । दूसरे यह विधेयक राष्ट्रपति को पूर्ण शक्ति देने के बारे में है—किसी विशेष मामले या विशेष समय के लिये नहीं, अतः मैं समझता हूं कि यह सभा इस प्रकार अपनी शक्ति का प्रत्यायोजन नहीं कर सकती, क्योंकि हम उस राज्य के लोगों के लिये उत्तरदायी हैं ।

†**श्री कामत** : (होशंगाबाद) : मुझे कुछ मूलभूत आपत्तियां हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रक्रिया का यह नियम है कि पुरःस्थापन के समय माननीय सदस्य इस आधार पर विरोध कर सकते हैं कि विधेयक अवैध है । किन्तु नीति के मामले पर यदि आपत्ति करनी हो, तब माननीय सदस्य को एक या दो बातें कहनी चाहियें कि वह क्यों विरोध करते हैं, तब मैं माननीय मंत्री को उत्तर देने के लिये कहूंगा और प्रश्न को मतदान के लिये रखूंगा । माननीय सदस्य उद्देश्यों और कारणों के विवरण से संतुष्ट हो सकते हैं या असंतुष्ट ।

†**श्री टी० बी० विट्ठलराव** (खम्मम) : बहुत असंतोषजनक है । विधेयक के इस उपबन्ध को कि संसद् के सत्र के समय भी राष्ट्रपति विधान बना सकता है यह सभा स्वीकार नहीं कर सकती ।

†**श्री वी० पी० नायर** (चिरपिन्कील) : माननीय मंत्री को त्रावनकोर-कोचीन के विधान मण्डल के सामने निलंम्बित विधेयकों की संख्या दर्शाने वाली अनुसूची इसके साथ लगानी चाहिये थी, और कारणों और उद्देश्यों के विवरण में यह भी होना चाहिये था कि संसद् के पास उनका निपटारा करने के लिये समय नहीं होगा । और क्या विवरण देने से पूर्व इस सभा के अध्यक्ष का परामर्श लिया गया था ? इस बात का फैसला अध्यक्ष महोदय और सभा को करना है कि क्या त्रावनकोर-कोचीन राज्य के कार्य के लिये समय दिया जा सकता है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं इस विषय पर चर्चा की अनुमति नहीं दे सकता । इन बातों पर बाद में विचार किया जा सकता है ? अब मैं इसे सभा के मतदान के लिये रखूंगा । क्या माननीय मंत्री कुछ कहना चाहते हैं ?

†**श्री दातार** : जहां तक पहली बात का सम्बन्ध है, त्रावनकोर-कोचीन राज्य के विधान मण्डल के सामने ३ या ४ विधेयक निलंबित हैं और विधियां बनाने के लिये राष्ट्रपति को कुछ शक्ति की आवश्यकता होगी, विशेष कर इसलिये कि वे विधेयक काश्तकारी के बारे में हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

*भारत के सूचना-पत्र असाधारण भाग २, अनुभाग २, दिनांक १८-५-५६ में प्रकाशित ।

[श्री दातार]

जहां तक दूसरे प्रश्न का सम्बन्ध है, इस विधेयक के लिये यथाशीघ्र समय देना आपके ऊपर निर्भर है। विधेयक के गुण अवगुणों सम्बन्धी दूसरे सभी प्रश्नों पर तब चर्चा की जायेगी, जब मामला विचारार्थ पेश होगा ।

†**श्री कामत** : क्या इसी सत्र में ?

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं समझता हूं इसी सत्र में इसका निपटारा किया जायगा।

प्रश्न यह है :

"कि राष्ट्रपति को त्रावनकोर-कोचीन राज्य के विधान-मण्डल की विधियां बनाने की शक्ति प्रदान करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**श्री दातार** : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

लोक प्रतिनिधित्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा इस प्रस्ताव पर अग्रेतर विचार करेगी कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५१ में अग्रेतर संशोधन करने वाले और भाग 'ग' राज्य सरकार अधिनियम, १९५१, संशोधन में, कुछ आनुषंगिक संशोधन करने वाले विधेयक को पारित किया जाये ।

†**विधि-कार्य मंत्री (श्री पाटस्कर)** : माननीय सदस्यों के भाषणों को सुनने के बाद मैं उत्तर दूंगा ।

†**श्री ए० के० गोपालन** (कन्नूर) : यह विधेयक बहुत ही महत्वपूर्ण विधान है। प्रवर समिति के सदस्यों ने कुछ संशोधन किये हैं किन्तु खेद है कि सरकार ने उनमें से कुछ अत्यन्त महत्वपूर्ण संशोधनों को स्वीकार नहीं किया है। देश में संसदीय लोकतन्त्र लाने के लिये यह अत्यावश्यक है कि जनता के प्रतिनिधियों का चयन अच्छे ढंग, स्वतन्त्रता एवं निष्पक्षता से किया जाय। जनता को मताधिकार का अधिकार दे देना ही काफी नहीं है, अपितु उनको ऐसे अवसर भी देने चाहिये कि वे अपना मताधिकार अच्छे ढंग से, स्वतन्त्र रूप से तथा निष्पक्ष होकर प्रयुक्त कर सकें लोकतंत्र में मतदान व्यक्ति के स्वतन्त्र विचारों का द्योतक है। अतः मतदाता को अपनी स्वतन्त्र राय देने के लिये किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं होनी चाहिये। पिछले आम चुनावों में, विशेषतः गांवों में देखा गया है कि जमींदार किसानों पर अपना प्रभाव डालते हैं और यहां तक कि निर्वाचन के दिन मतदान के लिये उन्हें नहीं जाने दिया गया था। त्रावणकोर-कोचीन में कुछ धर्म के ठेकेदारों ने परचे बटवाये कि यदि कांग्रेस को मत नहीं दिया गया और किसी दूसरे दल को मत दिया गया तो वे दैवी प्रकोप के शिकार होंगे। जब ऐसे मामले उच्च न्यायालय में लाये गये तो दुर्भाग्यवश उसका निर्णय भी यही था कि कुछ मामलों में ऐसा हो सकता है ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

अगला प्रश्न धन देने के बारे में है। भ्रष्टाचार की प्रथायें न केवल संसदीय अथवा राज्यीय निर्वाचनों में ही पाई जाती हैं अपितु पंचायत के निर्वाचनों में भी पाई जाती हैं।

एक बात की ओर श्री कामत ने कल ध्यान दिलाया था कि कुछ प्रान्तों में महात्मा गांधी और प्रधान मंत्री के चित्र लेकर कहा जाता है कि अमुक उम्मीदवार को मत दो क्योंकि उसको मत देने का अभिप्रायः कांग्रेस को तथा इन चित्र वाले व्यक्तियों को मत देना है। इस प्रकार खुले तौर स उन लोगों को फुसलाया जाता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

प्रथम आम चुनावों के बारे में, निर्वाचन आयोग ने अपने प्रतिवेदन में दो बातों की ओर ध्यान दिलाया था। पहली बात यह कि चुनाव दलीय भावना के आधार पर संचालित नहीं होने चाहियें और दूसरी बात यह है कि सत्ता प्राप्त दल को अपना प्रभाव नहीं डालना चाहिये। विधेयक में इन्हीं दोनों बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिये।

यदि विरोधी सदस्यों के संशोधनों में से कुछ संशोधन स्वीकार किये गये तो निश्चय ही ये दोनों कमियां दूर हो जायेंगी।

स्वतन्त्र रूप से और निष्पक्ष निर्वाचन करने के लिये विधेयक में निर्वाचनों की प्रक्रिया और प्रतिनिधियों के चुनने की प्रक्रिया के सम्बन्ध में उपयुक्त उपबन्ध होने आवश्यक हैं। इस विधेयक के उपबन्ध क्या हैं? सर्वप्रथम, अनर्हता के खण्ड को लीजिये। यह कहा गया है कि जो दो वर्ष से अधिक के लिये जेल गये हैं वे अनर्ह होंगे और चुनाव नहीं लड़ सकते। मेरी समझ में यह बात नहीं आई कि स्वतन्त्रता से पूर्व आज के नेता तथा सदस्यों ने भी कई वर्षों तक कारावास भोगा है और कई लोगों को तो आजीवन कारावास का दण्ड मिला था। उन दिनों निर्वाचन के समय जब तत्कालीन सरकार निर्वाचन में भाग लेने के लिये इस आधार पर अनुमति नहीं दी थी तो इसका विरोध किया गया था। किन्तु आज जब आपके पास शक्ति है और दूसरी ओर आप यह दावा करते हैं कि चुनाव स्वतन्त्र रूप से और निष्पक्ष हों तो फिर इस प्रकार ये खण्ड विशेष का उपबन्ध क्यों किया गया है। एक संशोधन रखा गया था कि जिन व्यक्तियों के जेल जाने का कारण नैतिक कदाचार नहीं था उनको अनर्ह नहीं करना चाहिये। इसे स्वीकार किया जाना चाहिये।

संविधान के अनुसार आप एक व्यक्ति को उसी अपराध के लिये केवल एक बार दण्ड दे सकते हैं। एक व्यक्ति जो एक बार जेल जा चुका है उसे छूटने पर चुनाव में भाग लेने के लिये अनर्ह घोषित कर दुबारा दण्ड क्यों देते हैं? प्रत्येक व्यक्ति का यह मूल अधिकार है कि वह अपनी राय प्रकट करे। यह उसकी इच्छा पर निर्भर करता है कि वह सरकार के उन कामों के विरुद्ध जिन्हें वह नहीं पसन्द करता अपनी राय दे। उस बारे में हमारा एक संशोधन था जो स्वीकृत नहीं हुआ।

मैं समझता हूं कि विरोधी दलों से बदला लेने के लिये ही यह रखा गया है। राज्य पुनर्गठन आयोग के सिलसिले में बहुत से लोगों को बन्दी बनाया गया और बहुतों को दो वर्ष से अधिक का कारावास दिया गया। यहां तक कि इस सभा के एक सदस्य को दस वर्ष का कारावास मिला है और वह आज विदेशी सरकार के नियमों के अधीन जेल में हैं। उनके बारे में क्या होगा?

†**श्री पाटस्कर** : हम उसे सज़ा नहीं मानते।

†**श्री ए० के० गोपालन** : मुझे प्रसन्नता है कि अनर्हत नहीं ठहराये गये। मैं पूछना चाहता हूं कि जो बम्बई में प्रदर्शन के सिलसिले में दो वर्ष से अधिक के लिये कारावास में डाल दिये गये हैं उनका क्या होगा? कभी-कभी हड़ताल कर देने पर मज़दूरों को दो वर्ष से अधिक कारावास के लिये भेजा जाता है। निर्वाचन के समय व्यक्तियों को अपनी राय प्रकट करने का मूलभूत अधिकार है, किन्तु साथ ही बहुत सी अनर्हतायें भी हैं जिनके द्वारा हज़ारों व्यक्तियों का यह अधिकार छीन लिया जाता है। जब तक ये बातें मौजूद हैं तब तक इस विधेयक के द्वारा लोग अपने विचार अधिक स्वतन्त्रतापूर्वक कैसे प्रकट कर सकते हैं?

निर्वाचन निक्षेप की ५०० रुपये की राशि घटा देनी चाहिये। इस सम्बन्ध में जो संशोधन रखा गया था वह स्वीकृत नहीं किया गया। इसका तात्पर्य यह हुआ कि जिस व्यक्ति के पास ५०० रुपये नहीं होंगे वह चुनाव नहीं लड़ सकेगा। एक संशोधन इस बारे में भी रखा गया था कि अन्य

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री ए० के० गोपालन]

दलों को भी रेडियो से प्रसारण करने के बारे में सुविधायें दी जानी चाहिये। मतदाताओं और जनता को कुछ लाभ दिये जा सकते हैं। अतः मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे इस सम्बन्ध में नियम बनाकर संसद् के सम्मुख रखें। जो संशोधन रखे गये थे यदि उन्हें स्वीकार कर लिया जाय तो चुनाव स्वतन्त्र रूप से और निष्पक्ष हो सकते हैं। मुझे खेद है कि सरकार ने चुनाव आयोग के दोनों मूल-भूत सिद्धान्तों को स्वीकार नहीं किया।

†**श्री एन० सी० चटर्जी** (हुगली) : मैं भिन्न विचार रखते हुए भी श्री पाटस्कर को हिन्दू उत्तरा-धिकार विधेयक और लोक प्रतिनिधित्व जैसे विधेयकों को सफलतापूर्वक सदन में प्रवर्तित करने के लिये बधाई देता हूं। मैं देखता हूं कि हमने इस विधेयक में कुछ सुधार किये हैं। पहला यह है कि निर्वाचन आयोग को यह शक्ति दी कि वह बेहूदी अनर्हताओं को हटा सके। दूसरी बात यह कि हमने कुप्रथाओं का पता लगाना आसान कर दिया है जिनसे चुनाव में अब उतनी गड़बड़ी नहीं हो सकती। तीसरी बात यह ह कि हमने नामनिर्देशन प्रक्रिया को भी सरल बना दिया है। और अंत में हमने न्यायाधिकरण प्रक्रिया को भी आसान बना दिया है। मैं चाहता हूं कि पंडित ठाकुर दास भार्गव का संशोधन स्वीकार किया जाये जिससे निर्वाचन व्यय का लेखा निर्वाचन याचिका के पश्चात् फाइल किया जाए जिससे सफल उम्मीदवार को परेशान करने के लिये किसी प्रकार की बेईमानी न की जा सके। मुझे विश्वास है कि श्री पाटस्कर को ही राज्य पुनर्गठन सम्बन्धी ऐसा विधेयक निकट भविष्य में प्रस्तुत करना है जिससे भाग क, ख और ग श्रेणी के राज्यों का कृत्रिम भेद दूर हो जायेगा और उनमें समानता लाई जा सकेगी। मुझे प्रसन्नता है कि उपरि सीमा निर्धारित की गई है किन्तु उसका पालन कठोरतापूर्वक नहीं किया जाता। यदि उपरि सीमा को प्रभावी बनाना है तो श्री देशपांडे के संशोधन क आधार को स्वीकार किया जाना चाहिये जिससे कि सभी दल समान स्थिति में हों। यदि किसी विशेष उम्मीदवार के विशेष हित में धन व्यय किया गया है तो उसका विवरण भी इसमें सम्मिलित होना चाहिये।

श्री गोपालन के साथ-साथ मुझे भी खेद है कि धारा ७ के खण्ड (ख) को अभी तक नहीं हटाया गया है। मुझे प्रसन्नता है कि इस बात का आश्वासन दिया गया है कि कुछ लोग जो गोवा के सत्याग्रह में जेल गये हैं किसी प्रकार से अनर्हता सम्बन्धी हानि नहीं होगी। क्योंकि ऐसा करना संविधान के प्रतिकूल होगा। इस कारण इन उपबन्धों का रखना ठीक नहीं है। मुझे खेद है कि श्री कामत का अन्य व्यक्ति का रूप धारण करने सम्बन्धी खंड स्वीकार नहीं किया गया। मुझे खेद है कि कांग्रेस जैसे बड़े दल ने जिसके नेता श्री जवाहरलाल नेहरू जैसे व्यक्ति हैं, इस खंड का विरोध किया है। इससे पता लगता है कि वे यह नहीं चाहते कि चुनाव स्वतन्त्र रूप से और निष्पक्ष हों।

मैं यह भी चाहता था कि मंत्रियों के दौरों से सम्बन्धित संशोधन स्वीकार किया जाय। उप निर्वाचन के समय हम देखते हैं कि मंत्री कुछ न कुछ सरकारी काम निकाल कर प्रचार कार्य करते हैं। इससे वे जनता पर सरकारी प्रभाव डालकर मत लेना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि ऐसी चीज़ें रोकी जायें। मुझे विश्वास है कि श्री जवाहरलाल नेहरू या पंडित पंत जैसे लोग यह नहीं चाहते कि निर्वाचनों में उनके पक्ष की सफलता बेईमानी से हो किन्तु मैं यह अवश्य चाहता हूं कि ऐसे तरीके अपनाने चाहिये जो सब की समझ में आ सकें और लोग यह समझें कि वह कोई अनुचित उपाय नहीं अपना रहे हैं।

विधेयक में संशोधन करते समय हमें विशेष तौर पर इस बात पर ध्यान देना होगा कि चिन्ह निर्धारण के बारे में जो असंतोष व्यक्त किया गया है उसे दूर किया जाय। मैं नहीं चाहता कि मंत्री जी

†मूल अंग्रेजी में।

निर्वाचन आयोग पर कोई अनुचित प्रभाव डालें किन्तु निर्वाचन आयोग स्वयं इस प्रकार कार्य करे जिससे कि शिकायत का मौका न मिले। मुझे खेद है कि इस विधेयक में नैतिक दृष्टि से किये गये अपराध जैसा उपबन्ध इस विधेयक में नहीं है। मैं समझता हूं कि इससे किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होगी। मुझे इस बात से पूर्ण सन्तोष है कि प्रवर समिति ने इसमें काफी सुधार किया है। कुछ अनर्हताओं को हटा देना वास्तव में एक बहुत बड़ा सुधार है। इससे एक बहुत बड़ा लाभ यह है कि चुनाव स्वतन्त्र रूप से तथा निष्पक्ष रूप से हो सकेगें। न केवल मत्री ही वरन् प्रत्यक व्यक्ति को बहुत सतर्क रहना होगा। यह एक ऐसा प्रयत्न है जिससे हमारे देश में लोकतन्त्र उचित रूप से कार्य कर सकेगा।

†**श्रीमती जयश्री** (बम्बई–उपनगर): इस विधेयक में निर्वाचन प्रक्रिया को सरल बनाने के लिये मैं मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहती हूं। हमारी स्वतन्त्रता प्राप्ति अपूर्व थी। हमारा प्रथम निर्वाचन भी अपूर्व था। हमने दिखा दिया कि हमारे लोग यद्यपि निरक्षर हैं परन्तु वे सभ्य ढंग से व्यवहार कर सकते हैं।

मुझे अपनी महिलाओं पर गर्व है। अशिक्षित होते हुए भी मतदाताओं की आधी संख्या महिलाओं की थी। गत निर्वाचन में लगभग ५१ प्रतिशत मतदाताओं ने मत दिये जिससे यह सिद्ध होता है कि अनिवार्य मतदान की आवश्यकता नहीं है।

कुछ सदस्यों ने सुझाव दिया है कि मतदान के ढंग में परिवर्तन होना चाहिये। परन्तु मैं समझती हूं कि गत निर्वाचन के मतदान के ढंग से सुगम और कोई ढंग नहीं हो सकता।

मैं प्रसन्न हूं कि हमने अधिकतम व्यय की सीमा निर्धारित करने वाले खण्ड में परिवर्तन नहीं किया है। यदि हम इस पर स्थिर नहीं रहते तो हम सदस्यों को लेखे में गड़बड़ करने का अवसर देंगे। सदस्यों को यह अवसर नहीं देना चाहिये।

मुझे हर्ष है कि हमारी निर्वाचन प्रक्रिया से सभी दलों के साथ न्याय होगा और उसमें केवल बहुसंख्यक दल का हित नहीं है। यह पक्षपात रहित निर्वाचन प्रक्रिया है और मुझे आशा है कि अगले निर्वाचन भी शांत और सभ्य ढंग से होंगे।

†**श्री एम० के० मैत्र** (कलकत्ता-उत्तर-पश्चिम): सभा में कई बार कहा गया है कि वयस्क मताधिकार के आधार पर सामान्य निर्वाचन इस दश में लोकतन्त्र के सब से बड़े अनुभव थे। परन्तु सरकार के संशोधनों से पता चलता है कि लोगों में मताधिकार प्रयोग के लिये उत्साह पैदा करने के लिये कोई प्रयत्न नहीं है।

द्वितीय वाचन के पश्चात् लोक प्रतिनिधित्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक जिस रूप में हमारे सामने है उसमें निर्वाचन प्रक्रिया को पर्याप्त रूप से सुगम नहीं बनाया गया है। इंगलैण्ड और अन्य देशों से तुलना करते समय हमें अपने देश की कठिनाइयों को नहीं भूलना चाहिये। उदाहरणतः यहां साक्षरता की कम प्रतिशतता और संचार साधनों की कठिनाई है। मुझे खेद है कि इन तथ्यों पर विचार नहीं किया गया है।

श्री गोपालन और श्री चटर्जी ने कहा कि दो वर्ष या अधिक बन्दी रहने आदि से मतदाता उम्मीदवार बनने के लिये अनर्हत हो जाता है। सरकार को यह नियम हटा देना चाहिये क्योंकि लोकतन्त्र में छोटी से छोटी मांग पूरी करने के लिये व्यवहारिक अवज्ञा का आश्रय लेना पड़ता है। यह कहा गया है कि निर्वाचन आयुक्त उस नियम में ठीक कर सकता है। ऐसे अनिश्चित अधिकार किसी सरकारी प्राधिकारी को नहीं देने चाहियें।

---

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री एम० के० मैत्र]

मेरे मित्र श्री गोपालन ने बताया है कि इस देश में निक्षेप राशि कम होनी चाहिये। लोक-सभा और राज्य सभाओं के लिये इस समय निर्धारित निक्षेप राशियां प्रतिव्यक्ति आय के अनुकूल नहीं हैं। निस्संदेह इस सम्बन्ध में देश की आर्थिक अवस्था का ध्यान रखना चाहिये।

गत चार वर्षों में मंत्रियों और उपमंत्रियों ने कोई अच्छी प्रथायें प्रारम्भ नहीं की हैं। तीन ही सप्ताह पूर्व कलकत्ता के उपनिर्वाचन में मैंने देखा कि मंत्री सरकारी कारों में भाषण देने के लिये गये थे। अधिकार को दुरुपयोग से रोकने के लिये नियम बनाने चाहिये।

मंत्रियों को प्रसारण की सुविधा देने के सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि जब निर्वाचन से पूर्व अथवा पश्चात मंत्री सरकार के कार्यों के सम्बन्ध में भाषण प्रसारित करते हैं तो ठीक है परन्तु निर्वाचन के समय उनके द्वारा ऐसा करने से लोगों पर प्रभाव पड़ता है।

संशोधनों का उद्देश्य निर्वाचन प्रक्रिया को सरल बनाना और भ्रष्टाचार को रोकना होना चाहिये था। परन्तु खेद है कि ऐसा नहीं किया गया है। झूठे रूप से किसी और का नाम धारण करने के सम्बन्ध में श्री कामत के साधारण सुझाव को भी स्वीकार नहीं किया गया। सरकार को यह सुझाव स्वीकार कर लेना चाहिये था।

गत निर्वाचनों में मतदान स्थानों से ४५० शलाका पत्र गुम हो गये। ऐसी बातें समाप्त होनी चाहिये। हमें आशा थी कि सरकार इस सम्बन्ध में विरोधी पक्ष के सुझावों को स्वीकार कर लेगी। परन्तु ऐसा लगता है कि सरकार ने सत्ताधारी दल को सत्तारूढ़ रखने के लिये ही ये संशोधन रखे हैं।

†**श्री कामत** (होशंगाबाद) : सर्वप्रथम मुझे इस बात पर खेद है कि यह अधिनियम अभी तक जम्मू और काश्मीर पर लागू नहीं हैं। विधि-कार्य मंत्री ने निर्वाचन आयोग की शलाघा की है। स्वभावतः सर्वप्रथम जम्मू और काश्मीर को इस आयुक्त के क्षेत्राधिकार में लाना चाहिये था।

दूसरे, मुझे यह खेद है कि मैंने इस उपबन्ध के लिये कि जब कोई दल उच्च न्यायालय में अपील करने की सूचना दे तो निर्वाचन न्यायाधिकरण को कार्यवाही रोकनी चाहिये, जो संशोधन प्रस्तुत किया था उसे स्वीकार नहीं किया गया। मुझे विश्वास है कि इस सम्बन्ध में व्यवहारिक कठिनाइयां पैदा होंगी और फिर सरकार को संशोधक विधेयक लाना होगा।

दल द्वारा अपने उम्मीदवारों के निर्वाचन में व्यय करने के सम्बन्ध में जिस संशोधन का कल सभी विरोधी दलों ने विरोध किया था उसके सम्बन्ध में मुझे पता लगा है कि सरकार की स्वीकृति की विभिन्न व्याख्यायें की जा रही हैं। सरकार द्वारा इस संशोधन के शब्दों को नहीं वरन् इसकी भावना को स्वीकार करना चाहिये। यदि ऐसा नहीं किया गया तो मैं इसे सरकार की दुर्भावना और बेईमानी समझूंगा। मैं आशा करता हूं कि सरकार विपक्ष की सामूहिक भावनाओं का ध्यान रखते हुए विशिष्ट नियमों का उपबन्ध करेगी जो इस संशोधन की भावना के अनुकूल होंगे। मैं श्री ए० के० गोपालन के इस सुझाव का हार्दिक समर्थन करता हूं कि यदि सरकार वस्तुतः यह चाहती है कि सभा स्वतन्त्र और पक्षपातहीन निर्वाचन के लिये नियमों की जांच करे तो खण्ड ८१ के अधीन बनाये गये नियम अगले सत्र में संसद् के दोनों सदनों के समक्ष रखने चाहियें। उससे हमें इतना समय मिल जायेगा कि हम नियमों में सभा के दोनों पक्षों के तात्पर्य को समन्वित कर सकेंगे।

मैंने यह संशोधन रखा था कि गलत नाम धारण करने को भ्रष्टाचार करार देना चाहिये। सभा ने इसे स्वीकार नहीं किया। मुझे भय है कि यह अस्वीकृति की प्रतिक्रिया दूसरे पक्ष के लिये

†मूल अंग्रेजी में।

बहुत अशोभनीय होगी। देहात में एक शब्द कहते सुना गया है वह है "चार सौ बीस"। यदि यह संशोधन स्वीकार नहीं किया गया तो लोग यह बार-बार कहेंगे कि यह सरकार चार सौ बीस है।

†**श्री वेंकटरामन्** (तंजोर) : संविधान के अध्याय ३ के अतिरिक्त जिस विधान से भारत के लोगों को राजनैतिक अधिकार प्राप्त होते हैं वह लोक प्रतिनिधित्व विधेयक है। सभा के सभी पक्षों ने जो इस विधान का समर्थन किया है उससे पता चलता है कि न केवल शब्दों वरन् भावना की दृष्टि से भी सरकार लोकतन्त्र को प्रचलित करने के लिये इच्छुक है। इस पर कुछ आक्षेप किये गये हैं जिनका कांग्रेस की ओर से कोई उत्तर नहीं दिया गया। श्री ए० के० गोपालन ने कहा था कि मतदाताओं को मत देने के लिये डराया धमकाया गया था। ये आरोप केवल एक दल पर ही नहीं लगाये जा सकते दूसरे दल के सम्बन्ध में भी बहुत कुछ कहा जा सकता है।

†**श्री ए० के० गोपालन** : मैं ने किसी दल विशेष पर आरोप नहीं लगाये थे वरन् यह कहा था कि गत सामान्य निर्वाचनों में ऐसी बातें हुई थीं जो कि नहीं होनी चाहियें।

†**श्री वेंकटरामन्** : इस स्पष्टीकरण के लिये मैं श्री ए० के० गोपालन का धन्यवाद करता हूं।

जो विधि अधिनियमित की जा रही है इससे निर्वाचन याचिकाओं के निबटारे के सम्बन्ध में बहुत सुधार किया गया है। पहले इन मामलों के सम्बन्ध में बहुत गड़बड़ थी। यह ज्ञात नहीं था कि निर्वाचन न्यायाधिकरण के निर्णय के पश्चात् किस प्राधिकार के पास अपील करनी चाहिये। अब यह सब गड़बड़ समाप्त कर दी गई है। अब हम ने उपबन्ध कर दिया है कि उच्च न्यायालय के समान किसी ऐसे प्राधिकारी के पास अपील की जा सकती है जिस पर सभी दल संतुष्ट हों।

निर्वाचन व्यय के सम्बन्ध में मैंने कहा था कि यदि खण्ड ७७ के उपखण्ड (४) को हटा दिया जाये तो इससे यह वाद-विवाद पैदा होगा कि दल का व्यय उम्मीदवार के अनुज्ञेय व्यय में सम्मिलित होना चाहिये अथवा नहीं। मैंने यह भी कहा था कि दल ने बिना निश्चित सीमा के जो व्यय किया उसे निर्वाचन व्यय में सम्मिलित नहीं समझा जायेगा। उपखण्ड (४) को हटाने का प्रभाव स्पष्ट था। अतः मैंने और अन्य कुछ कांग्रेसी सदस्यों ने दल के व्यय पर सीमा लगाना चाहा था क्योंकि कई प्रकार के आरोप लगाये जा रहे हैं। श्री अशोक मेहता ने दो दिन पहले कहा था कि कांग्रेस ने ३ करोड़ रुपये एकत्र किये थे। श्री कामत ने कल कहा था कि ५ करोड़ रुपये एकत्र किये गये थे। यह सर्वथा निरर्थक है। ऐसे ही आरोप और लगाये गये हैं कि अन्य दलों को विदेशों से धन मिला है। केवल अफ़वाहों पर विधान नहीं बनाया जा सकता। मैंने संशोधन २२९ में सुझाव दिया था कि प्रचार, सभा करने, परिपत्र निकालने आदि पर दल के व्यय को उपयुक्त व्यय समझना चाहिये। इसके अतिरिक्त व्यय को अवैध समझा जाये। वह स्वीकार नहीं किया गया। अब विपक्ष को यह नहीं कहना चाहिये कि वे कुछ और चाहते थे और उन्होंने किसी और बात के लिये मत दिया है और कि सरकार को उनके अभिप्राय का पालन करना चाहिये।

†**श्री एस० एस० मोरे** (शोलापुर) : मैं निर्वाचन विधि में किये गये सुधारों की सराहना करता हूं। भारत जैसे बड़े देश में इतनी विभिन्नतायें हैं कि कोई भी दल सभी को संतुष्ट नहीं कर सकता।

मैं भविष्य की ओर देखना चाहता हूं। यदि आप समाज की समाजवादी व्यवस्था का निर्माण करना चाहते हैं तो उसके लिये एक और प्रकार की लोकतन्त्र सरकार और एक और प्रकार की निर्वाचन पद्धति का निर्माण करना होगा। इसके लिये अंग्रेजों की लोकतन्त्र की पद्धति पर्याप्त नहीं है। इस समय अनिवार्य मतदान का विरोध किया जा रहा है। भविष्य में इस सदन में वे राजनीतिज्ञ

†मूल अंग्रेजी में ।

[श्री एस० एस० मोरे]

आयेंगे जो दरिद्र होंगे परन्तु लोकप्रिय होंगे । वे सदन में आ सकें इसके लिये अनिवार्य मतदान आवश्यक होगा ।

मैं एक और सुझाव यह देना चाहता था कि यहां जो बहुसंख्यक दल हो वह देश की बहुसंख्यक राय को व्यक्त करने वाला होना चाहिये और उसके लिये हमें निर्वाचन पद्धति में भी परिवर्तन करना होगा । जब तक सत्ताधारी दल में बहुमत की अभिव्यक्ति न हो उसे लोगों के बहुमत का प्रतिनिधि नहीं कहा जा सकता । अल्प-संख्यक मतों से सत्ताधारी होना धोखापूर्ण है । इसे दूर करना होगा ।

मेरे मित्र श्री कामत ने गलत नाम धारण के सम्बन्ध में संशोधन रखा था । परन्तु इस बड़े देश में उम्मीदवार सभी मतदाताओं को नहीं जानते । हमारे शत्रु किसी व्यक्ति द्वारा परनाम धारण करवा के निर्वाचन को हानि पहुंचा सकते हैं । परनाम धारण को रोकने का तो सब से अच्छा साधन यह है कि मतदान सभी के लिये अनिवार्य बना दिया जाये ।

मुझे विश्वास है कि विधि कार्य मंत्री निर्वाचन पद्धति में और सुधार करने के लिये एक और विधान लायेंगे ।

†**श्री वल्लाथरास** (पुदुकोटै) : मैं समझता हूं कि यह प्रथम अवसर है जबकि दोनों पक्षों ने एक दूसरे के प्रति समान सहिष्णुता प्रकट की है ।

यह निर्वाचन विधि हमारे देश की न होकर इंग्लैण्ड की है । हम इसकी बुराइयां भी जानते हैं और १९४४ से इसके बारे में जानते हुए भी हम अपने यहां कोई भिन्न और सुधरी हुई निर्वाचन पद्धति न बना सके । कुछ मित्रों ने हमने जो कुछ किया है उस पर प्रसन्नता प्रकट की है । हमारे यहां के दो-एक व्यक्तियों ने १ लाख या ७५,००० रुपये निर्वाचन में व्यय किये हैं जिससे वे दिवा-लिये हो गये । यद्यपि कांग्रेस अभी भी उन्हें खड़ा करना चाहती है, किन्तु वे मना कर रहे हैं । इसी प्रकार मेरे विरोधी ने २·५ लाख रुपया व्यय किया था । कुछ भी हो इस बारे में मुझे केवल यह कहना है कि व्यय की कोई अधिकतम राशि नहीं निश्चित की जानी चाहिये और व्यय की विवरणी नहीं सम्बद्ध की जानी चाहिये । इस विषय में तो प्रत्येक व्यक्ति को मनमाना अपनी शक्ति के अनुसार व्यय करने का अधिकार होना चाहिये ।

इस अंग्रेजी पद्धति के आठ-नौ दोष हमारे यहां भी लागू होते हैं । पहला दोष तो यह है कि निर्वाचन पद्धति प्रभावी और वास्तविक नहीं है । दूसरा दोष यह कि दल प्रणाली के कारण बेवकूफ, गैर-जिम्मेदार और मानवीय मनोविज्ञान का कुछ भी ज्ञान न रखने वाले लोग चुन लिये जाते हैं । इसका तीसरा दोष यह है कि यह तरीका खर्चीला होने के कारण उम्मीदवार की वित्तीय स्थिति को कमजोर कर देता है । समय की कमी के कारण उन सारे दोषों का उल्लेख कर सकना सम्भव नहीं । इससे न केवल स्वतन्त्र निर्वाचन में ही बाधा पड़ती है अपितु योग्य सदस्य नहीं चुने जाते ।

मेरा निवेदन है कि निर्वाचन विधि से ही राष्ट्रीय कल्याण की सुरक्षा की जा सकती है । मेरी समझ में यह नहीं आता कि क्या लोकतन्त्र का तात्पर्य यही है कि वे पढ़े-लिखे और अयोग्य लोग ही चुने जाकर मंत्री, मुख्य मंत्री अथवा राज्य विधान सभाओं के सदस्य बनाये जायें । यदि हमें ऐसे ही लोगों का निर्वाचन करना है तो फिर शिक्षा पर इतना धन व्यय करने में हमें लज्जा आती है । मैं किसी मनुष्य को निर्वाचन के अधिकारों से वंचित नहीं करना चाहता, किन्तु इतना अवश्य चाहता हूं कि केवल योग्य और कुशल व्यक्ति चुने जाने चाहिये । अतः जब तक ऐसे प्रतिनिधि नहीं चुने जाते तब तक अन्य महत्वाकांक्षायें आदि बेकार हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

इस कारण हमारी सरकार को भी अब इस प्रश्न पर विचार करना चाहिये। इंग्लैण्ड में भी लेबर पार्टी ने एक संकल्प पास किया था कि अध्यक्ष की अध्यक्षता में एक समिति इस प्रश्न पर विचार करने के लिये नियुक्त करे इसी प्रकार हमारे यहां भी निर्वाचन पद्धति के बारे में जो नियम बनाये जाने हैं उन पर स्वयं अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में स्वतन्त्रतापूर्वक विचार किया जाना चाहिये।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

हम चाहते हैं कि १९५२ से जो युग प्रारम्भ हुआ है उससे पुराने युग का अन्त होकर एक नया युग आरम्भ हो जिससे हमारी योजनायें पूरी हो सकें और भविष्य में राष्ट्र का हित हो।

†**श्री वी० जी० देशपांडे** (गुना) : अध्यक्ष महोदय, जन प्रतिनिधित्व विधान इस सदन में स्वीकार होने के पश्चात् बधाई के उद्गारों का यहां पर उच्चारण किया जा रहा है। मुझे यह समय निन्दा करन के लिये या नुक्ताचीनी करने के लिये व्यतीत नहीं करना है। यह भी यहां पर कहा गया है कि हमारा जो सरकारी दल है यह इस समय बड़ा उत्तरदायी रहा है और रिसपौंसिव रहा है पहले समय की अपेक्षा और यह रिसपौंसिवनेस [उत्तरदायित्व] उसने विरोधी दलों की बात को मान कर दिखा दी है। परन्तु मुझे माननीय श्री वेंकटरामन् का भाषण सुनने के बाद यह प्रतीत होता है कि हमारा सरकारी दल जो है उसने हमारा कहना स्वीकार नहीं किया, जो संशोधन श्री वेंकटरामन् दे रहे थे उनको स्वीकार नहीं किया। माननीय मंत्री जी ने कहा कि जान बूझ कर अब हम कनफ्यू-शन [गड़बड़ी] पदा करेंगे। और पार्टियां चाहे कुछ करें लेकिन कांग्रेस वाले तो दो-चार करोड़ रुपया खर्च करके दिखा देंगे। उनका कहना था कि तुम इसका विरोध करते थे, इसमें से दोष निकालते थे, अब हम इसका बदला लेंगे और अब दूसरों को रोना पड़ेगा। फ्रस्ट्रेशन [निराशा] से कोई सुधार हो सकता है, ऐसा मैं नहीं मानता हूं। मैं तो इस बिल की तरफ इस दृष्टि से देखता हूं कि जो चुनाव होन हैं व अच्छे ढंग से हों, निष्पक्षतापूर्वक हों और न्यायोचित हों। मुझे यह शिकायत जरूर है कि पिछले चुनावों में सरकारी प्रभाव डाला गया था और दूसरे देशों में जो बातें नहीं होती हैं वे बातें यहां हुई थीं। मिनिस्टर सरकारी कारें लेकर घूमते थे और अपने प्रभाव से काम लेते थे। जहां तक सरकारी नौकरों का ताल्लुक है, कुछ को आपने फेहरिस्त में से निकाल लिया है लेकिन आपने हमारा संशोधन स्वीकार नहीं किया है। फिर भी अब जो कानून बना है, इसको हम बड़ी कद्र की नज़र से देखते हैं। अब देखने वाली चीज यह है कि जो नियम आप बनाते हैं जो रूल्स [नियम] आप बनाते हैं, वे कैसे बनाते हैं। इससे भी ज़रूरी चीज जो देखने वाली है वह यह है कि आप कहां तक इन सब नियमों का पालन करते हैं और किस प्रकार से चुनाव करवाते हैं। अभी यहां पर बताया गया है कि मिस्टर एटली अपने घर की मोटर गाड़ी को लेकर तथा अपनी पत्नी को उसका सार्थी बना कर इलैक्शन [निर्वाचन] के दिनों में घूमा करते थे। इसक विपरीत हमारे प्रधान मंत्री सरकारी एयरोप्लेन [विमान] लेकर इलेक्शन के दिनों में देश भर में घूमते हैं। हमारे मिनिस्टर लोग भी सरकारी कारों को लेकर आज तक जहां पर भी उपचुनाव हुए हैं जैसे भलसा म, त्रावनकोर-कोचीन में, आफिशल टूर [सरकारी दौरे] के बहाने वहां का चक्कर लगाते थे और कनवेसिंग [प्रचार] करते थे। अब मैं चाहता हूं कि जो सरकारी पक्ष हैं तथा जो विरोधी दल हैं तथा जितनी भी दूसरी पार्टियां हैं, वे तमाम अच्छी भावना से इस कानून को यदि कार्यान्वित करने का यत्न करेंगी तो इस देश में जो लोक-राज्य या जनतन्त्र आपने लाया है वह यशस्वी हो सकता है।

†**श्री बर्मन** (पूर्वी बंगाल——रक्षित——अनुसूचित जातियां) : श्री कामत ने अपने भाषण में खण्ड ४१ के बारे में जो शिकायत की ह उसमें कोई तथ्य नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

[श्री बर्मन]

यदि मेरे माननीय मित्र संशोधित खण्ड ४१ पढ़ें तो उन्हें पता लगेगा कि चुनाव में कुछ काल विषेश के व्यय का सारा हिसाब रखकर चुनाव समाप्त हो जाने के पश्चात् प्रस्तुत करना चाहिये। धारा ७७ की उप-धारा (४) से यह स्पष्ट हो जाता है कि दल का व्यय इस हिसाब में नहीं आता। किन्तु चूंकि उसका तीव्र विरोध किया गया अतः हमने उस उप-धारा को निकाल देने की सम्मति दे दी।

जहां तक इस दल का सम्बन्ध है, श्री गाडगिल का कथन है कि दल को भी हिसाब रखना चाहिये। किन्तु उनका यह मतलब नहीं है कि दल का हिसाब उम्मीदवार के हिसाब में सम्मिलित किया जाये।

†**श्री कामत :** श्री गाडगिल ने ऐसा ही कहा था। उन्होंने कहा कि दल की आय के साधन भी बताये जाने चाहिये।

†**श्री बर्मन :** जहां तक मैं समझ सका उन्होंने यह नहीं कहा था। इसके अलावा मैं माननीय मित्र से पूछना चाहूंगा कि क्या किसी उम्मीदवार के लिये यह सम्भव होगा कि वह व्यय का उतनी अच्छी प्रकार से हिसाब रख सके जितनी अच्छी तरह किसी अखिल भारतीय दल या मान्यताप्राप्त दल आदि का रखा जाता है। यदि ऐसा सम्भव है, तो फिर हम यह प्रस्ताव कैसे रख सकेंगे कि उम्मीदवार के चुनाव के व्यय के हिसाब में दल का व्यय भी सम्मिलित किया जाना चाहिय। इससे बड़ी कठिनाई प्रस्तुत होगी क्योंकि हमारी विधि के आधीन उसे राशि व्यय करने की अनुमति है जिसका निर्धारण निर्वाचन आयोग करेगा। यदि कोई उम्मीदवार नियत की गई उच्चतम राशि से कम व्यय करता है तो क्या होगा ?

†**एक माननीय सदस्य :** निर्धारित राशि से अधिक व्यय करने पर पदच्युत कर दिया जायेगा।

†**श्री बर्मन :** उम्मीदवार अखिल भारतीय संगठन का हिसाब नहीं रख सकेगा और न यही चीज ठीक होगी कि चुनाव के दौरान में दल द्वारा किये गये व्यय को उम्मीदवार के व्यय के विवरण में शामिल किया जाये।

†**श्री कामत :** पहले ऐसा होता रहा है।

†**श्री बर्मन :** इसका उपाय एक ही है और वह यह कि अखिल भारतीय दल जनता को यह बताये कि समय और परिस्थितियों के अनुसार वे अपनी नीतियों का और चुनाव के दौरान में किये गये वादों का पालन कर रहे हैं। सभी दलों का यह कर्तव्य है कि वे अपने कार्यों से जनता को अवगत करें। क्या चुनाव के दौरान में दल के कार्यों को रोक दिया जाये ? ऐसा भला कैसे हो सकता है। इस चीज को स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसमें चोरी छपे करने वाली कोई चीज नहीं है। हमने पवित्र आत्मा से यह सब किया है।

†**सरदार हुकम सिंह** (कपूरथला–भटिंडा) : मैं विधि कार्य मंत्री को इस विधि को सफलता-पूर्वक सर्वप्रथम प्रस्तुत करने के लिये बधाई देता हूं। प्रवर समिति ने इसमें कुछ स्पष्ट सुधार किये हैं।

इसमें कुछ संशोधन अभी तक स्वीकार नहीं किये गये हैं। नाम-निर्देशन-पत्र बहुत सादा होने चाहिये। हम चाहते हैं कि इसमें अनुमोदक का स्थान ही न हो। मुझे खेद है कि नाम-निर्देशन पत्र को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार न्यायाधिकरण पर ही छोड़ दिया गया है। वर्तमान पद्धति से पहले वाली प्रक्रिया अच्छी थी। कई बार कुछ पत्र दूसरे दल को गलत सिद्ध करने के लिये सम्बद्ध कर दिये जाते हैं और जब दूसरा दल सफल हो जाता है तो निर्वाचन याचिका दी जाती है और तमाम

†मूल अंग्रेजी में।

परेशानी उठानी पड़ती है। यदि पहले जो प्रक्रिया सुझाई गई थी वह अपनाई गई होती तो अच्छा होता। मैं इससे सहमत नहीं कि इससे चुनावों में विलम्ब होता या सारे भारत में एक साथ चुनाव न हो पाते। अधिनिर्णय के लिये कुछ समय दिया जा सकता था। खेद है कि यह अभी तक किया नहीं जा सका है।

निर्वाचन न्यायाधिकरण में एक जिला न्यायाधीश भी होगा। यह अच्छा है। हम लोगों का विचार है कि जो न्यायाधीश अभी सेवा में हैं उन पर सरकार का प्रभाव रहेगा और जो अवकाश प्राप्त हैं, वे स्वतन्त्र होंगे किन्तु मेरा अनुभव इससे कुछ विपरीत है। इसमें सन्देह नहीं कि इसमें कुछ अवनति हो गई है। बड़ी गड़बड़ी तो उस समय होती है जबकि एक व्यक्ति निर्वाचित होकर आ जाता है और बाद में उसे पदच्युत कर दिया जाता है। हम पहले वाला तरीका क्यों न अपनायें जो स्वीकृत हो चुका था जिससे कि आदेश गजट में प्रकाशित होने के बाद प्रभावी हो। इससे उसे उच्च न्यायालय में जाकर रोकने का आदेश जारी करवाने के लिये दो या तीन दिन मिल जायेंगे। किन्तु वर्तमान दशा में वह आदेश तत्काल लागू होगा। मेरा विरोध यह है कि जब यह तय हुआ था कि तीन व्यक्ति निर्णय देंगे और उनका निर्णय अन्तिम निर्णय होगा तथा किसी भी न्यायालय में इसके बारे में प्रश्न नहीं किया जा सकता तो गजट में प्रकाशित हो जाने के पश्चात् यह क्यों लागू किया गया। निर्णय करने के लिये केवल एक न्यायाधीश है और विधेयक में यह उपबन्ध है कि इस आदेश के विरुद्ध केवल उच्च न्यायालय में ही अपील की जायेगी। यह सब कुछ किया गया है। कहा यह जाता है कि यह तत्काल ही लागू होगा। इस बात पर जोर दिया गया है कि निर्वाचन याचिका फाइल करने के बाद निर्वाचन व्यय प्रस्तुत करना चाहिये। हमने इस बात की व्यवस्था की है कि इसके लिये उपरिसीमा निर्धारित की जानी चाहिये। उपरिसीमा के पश्चात् ही विवरण भेजना चाहिये अन्यथा इस उपरिसीमा का कोई अर्थ नहीं होगा। व्यय उपरिसीमा के भीतर ही होना चाहिये और विरोधी दलों को यह अवसर देना चाहिये कि वे इस बात की जांच करें कि व्यय सीमा के भीतर ही होता है।

यह कहा गया था कि याचिका देने वाले व्यक्ति को विवरण की जांच करने के लिये वहां नहीं जाना चाहिये। जब हमारी विधि में यह व्यवस्था की गई है कि उपरिसीमा होनी चाहिये और विवरण भेजने चाहिये तो याचिका प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को उस विवरण को दिखाने में क्या आपत्ति हो सकती है? उस विवरण में कमियां निकालने के लिये उसे अवसर मिलना चाहिये।

†**श्री पाटस्कर :** तृतीय वाचन के समय जो आलोचना की गई थी मैं उसकी विस्तार में चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि कुछ ऐसे मामलों पर जहां मतभेद था मुझे अपने विचार प्रकट करने का अवसर मिला है। मैं तो यह कहूंगा कि ऐसे महत्वपूर्ण मामलों में जनता एकमत हो सकती है किन्तु मैं इस समस्या को एक दूसरे दृष्टिकोण से देखूंगा।

जैसा कि इस विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय मैंने कहा था, हम इस मामले को केवल एक दल विशेष की दृष्टि से नहीं देखते हैं चाहे वह सत्तारूढ़ हो अथवा विरोध में। सम्पूर्ण देश के हित को ध्यान में रखते हुए हमें यथासम्भव इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि चुनाव जो कि संसदीय लोकतन्त्र के आधार हैं, स्वतन्त्र रूप से हों। मुझे प्रसन्नता है कि कुछ बातों को छोड़कर यह विधेयक इस सभा के सभी वर्गों के सहयोग का परिणाम है। दुर्भाग्य से इसमें कुछ अन्तर्विष्ट कमियां हैं। उदाहरणतः हमारा लोकतन्त्र संसदीय लोकतन्त्रवादी है। जैसा कि पिछले अवसर पर मैंने कहा था कुछ बातें वे ही चली आ रही हैं जो उस समय प्रस्तुत की गई थीं जबकि हमारा देश स्वतन्त्र नहीं था। अतः हमको इस समस्या पर उन परिणामों के आधार पर विचार करना चाहिये जो हमने प्राप्त किये हैं।

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री पाटस्कर]

इस प्रकार की कोई भी विधि पूर्ण नहीं हो सकती थी। ऐसी कोई भी विधि नहीं है जिस पर शत-प्रतिशत सदस्य सहमत हों। बल्कि उन देशों में भी जहां पर संसदीय लोकतन्त्र प्रणाली कई शताब्दियों से चल रही है, यह विधि समय-समय पर प्राप्त किये गये अनुभवों के आधार पर ही विकसित हुई है। उस दृष्टि से मैं यह कहने में हर्ष का अनुभव करता हूं कि इतना मतभेद होने पर भी इस प्रश्न पर प्रवर समिति में बड़े अच्छे प्रकार से विचार किया गया है। इसलिये मैं उन सदस्यों से, जो यह समझते हैं कि उनके दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं किया गया है, यह निवेदन करता हूं कि वे खेद न करें बल्कि यह समझने का प्रयत्न करें कि इस प्रकार की समस्याओं के हल में इस प्रकार की बातें हुआ ही करती हैं।

प्रजातन्त्र का प्रथम प्रयोग, जिसमें वयस्क मताधिकार दिया गया था, सफल सिद्ध हुआ है। मैं समझता हूं कि कुछ एक व्यक्तियों ने यह आशंका प्रकट की थी कि इतनी भारी आबादी को वयस्क मताधिकार देने का यह प्रयोग सफल न होगा अथवा समुचित रीति से कार्य न करेगा। अब यदि वे उस बात पर निष्पक्षतापूर्वक विचार करें तो अनुभव करेंगे कि उनकी वे सभी आशंकायें झूठी सिद्ध हुईं। मुझे उस प्रयोग की सफलता पर गर्व है। हमारी संसदीय लोक तन्त्र प्रणाली इतने भारी पैमाने में सफल हुई है और उसने राष्ट्र की सामाजिक तथा आर्थिक प्रगति में बहुत सहायता की है। उस सफलता का श्रेय केवल सरकार को ही नहीं है, अपितु सारी जनता को भी है, और हमने इसी दृष्टि से इसकी परीक्षा की है कि क्या हमने प्रजातन्त्र की जिस संसदीय प्रणाली को स्थापित किया है, वह सफल हुई है या नहीं।

दूसरी बात यह है कि क्या हम उस अनुभव से पूरा लाभ उठा रहे हैं, जिसे हमने पिछले चुनावों में प्राप्त किया था। मुझे विश्वास है कि चार-पांच विवादास्पद बातों के अतिरिक्त, अन्य सभी त्रुटियों से हमने अनुभव प्राप्त करने का प्रयत्न किया है। निर्वाचन आयोग ने जो भी सुझाव दिये थे, उन पर अच्छी प्रकार से विचार किया गया है और इस विधेयक में चुनावों को सुधारने का भी प्रयत्न किया गया है। संसदीय लोक तन्त्र का यह सारभूत गुण है कि एक लोकतंत्रात्मक विरोधी दल होना चाहिये जो कि उतना ही समर्थ तथा उतना ही प्रतिष्ठित हो, जितना कि शक्तिशाली दल अभी हमें वह स्थिति प्राप्त करनी है। हम उस स्थिति को एक दम नहीं पहुंच सकते। परन्तु मुझे इस बात की खुशी है कि वे सदस्य भी, जोकि किसी ऐसी पार्टी से सम्बन्ध रखते हैं जो नेताशाही में विश्वास रखती है, अब शनैः शनैः यह अनुभव करने लगे हैं कि किसी भी देश की प्रतिभा केवल लोकतंत्रात्मक शासन में ही प्रकट हो सकती है। श्री गोपालन ने भी यही कहा कि यह सारा कार्य संसद् के नाम पर होना चाहिये था। मुझे इस बात की खुशी है कि श्रमजीवियों की एक तानाशाही में विश्वास रखने वाले सदस्य भी यह अनुभव कर रहे हैं कि प्रत्येक कार्य इसी लोकतन्त्रात्मक ढंग से किया जाना चाहिये। वह भले ही इस प्रकार के विचारों से पूर्णरूपेण सहमत न हों, परन्तु फिर भी उनकी और हमारी मनोवृत्तियों में एक परिवर्तन होना चाहिये और बड़े हर्ष की बात है कि स्थिति सुधर रही है। मुझे बड़े अच्छे लक्षण दिखाई दे रहे हैं कि मेरे वे सभी मित्र जो पहले श्रमजीवियों की तानाशाही में विश्वास रखते थे, अब उसे छोड़ कर संसदीय लोकतन्त्र को सफल बनाने का विचार कर रहे हैं। इस महान् परिवर्तन से मैं महान् हर्ष का अनुभव करता हूं आखिर हर देश को अपना तरीका विकसित करना पड़ता है।

वैसे ही एक और कठिनाई का भी सामना करना पड़ा है। अपने स्वतन्त्रता के इतिहास में हम एक ऐसे काल से गुजरे हैं जबकि साम्प्रदायिकता को प्रोत्साहन दिया जाता था। उसके परिणामस्वरूप हमें इतनी भारी क्षति उठानी पड़ी; हमारे देश का विभाजन हो गया। अतः अब हमें नये सिरे से कार्य प्रारम्भ करना है। बड़े हर्ष की बात है कि अब शुभ लक्षण दीख रहे हैं, सारी जनता अब लोकतन्त्रात्मक ढंग की ओर बढ़ रही है, सात वर्षों के बाद इस सभा के प्रत्येक सदस्य का मन इसी बात पर केन्द्रित हो रहा है कि देश में स्वतन्त्र तथा न्यायपूर्ण चुनावों पर आधारित एक अच्छा संसदीय लोकतन्त्र स्थापित हो। उनमें अब यह भावना जाग्रत हो रही है और मैं सच्चे हृदय से उनको धन्यवाद देता हूं। मुझे यह

दीखता है कि भले ही कुछ मतभेद हो, वैसे अब सभी सदस्य इकट्ठे होकर इसे सुधारने का प्रयत्न कर रहे हैं।

चुनाव व्यय आदि के बारे में बहुत कुछ आलोचना की गई है। मैं उसके बारे में पहले ही बहुत कुछ कह चुका हूं, अब और कुछ भी नहीं कह सकता।

निर्वाचन आयोग ने उन आधारों पर, जहां सम्भवतः कोई भी नैतिक पतन नहीं है, किसी भी अनर्हता को हटाने में कभी भी संकोच नहीं किया है, परन्तु फिर भी हमारी इच्छा यह नहीं है कि यदि किसी व्यक्ति को बम्बई में सत्याग्रह करने पर अथवा कलकत्ता में कोई हड़ताल करने पर कुछ सजा दी गई है तो उसे व्यर्थ में ही दण्डित किया जाये। परन्तु कठिनाई यह है कि नैतिक पतन के सम्बन्ध में हमारे विचार समय समय पर बदलते रहते हैं।

इस सम्बन्ध में मैं एक बात पूछना चाहता हूं। राज्य से अभक्ति से आपका क्या तात्पर्य है ? क्या यह सरकार के प्रति द्रोह है ? नहीं, कदापि नहीं। राज्य के प्रति द्रोह का एक विशेष निश्चित अर्थ है। मैं समझता हूं कि प्रत्येक देशभक्त नागरिक यह अच्छी प्रकार से समझता है कि उसका क्या अर्थ है। तो भी यह एक ऐसी शब्दावली है जिसका अनुचित लाभ उठाया जा सकता है और उठाया जा रहा है। हो सकता है कि निरोध तथा अन्य बातों से कुछ एक लोगों को कठिनाइयां हुई हों, परन्तु वे सभी बातें हमारे देश के बाहर की हैं।

मेरे मित्रों का कहना है कि उनके प्रश्नों का मैं कोई उत्तर नहीं देता हूं। परन्तु मैं क्या उत्तर दूं, जबकि श्री कामत यह कहते हैं कि यह सरकार एक "४२० सरकार" है। इस प्रकार के आरोपों का मैं क्या उत्तर दे सकता हूं ? मैंने इस श्रमजीवियों की तानाशाही पर भी विचार किया है। यह ठीक नहीं है कि हम नये-नये शब्दों के आविष्कार पर ही आपत्ति करते रहें।

मुझ से एक बड़ा ही विचित्र सा प्रश्न पूछा गया था। मैंने धारा ७७ के महत्व को समझाने का बड़ा प्रयत्न किया था। मैंने अच्छी प्रकार से समझाया था कि उसमें खण्ड (४) को रखने का वास्तविक उद्देश्य क्या था। मैं ने बताया था कि इस धारा के खण्ड (४) धारा ७७ (१) में और कुछ नई बात नहीं जोड़नी है, वह तो केवल स्थिति स्पष्ट करने के लिये है ताकि लोग उसे अच्छी प्रकार से समझ सकें। धारा ७७ के आधार को अधिक स्पष्ट करने के लिये ही यह कहा गया है कि प्रचार अथवा किसी अन्य कार्य पर किया गया खर्च उसमें न दिखाया जाये। उसमें कई कठिनाइयां हैं जिनका मैं कई बार उल्लेख कर चुका हूं। परन्तु वास्तव में वह कोई भयंकर वस्तु नहीं है। वह खण्ड तो केवल यही बताता है कि हमें करना क्या है। और उस खण्ड को वहां पर रखना उचित भी है क्योंकि हम चाहते थे कि किसी भी पार्टी द्वारा किया गया कोई भी खर्च दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। कई एक व्यक्ति उस खण्ड को व्यर्थ में ही हौवा समझ कर उसका विरोध करने लगे। मैंने भी यही कहा कि अच्छा है कि उसे छोड़ दिया जाये, और अब हमने उसे छोड़ दिया है। जब हमने उसे छोड़ दिया है तो अब कुछ लोग दुःखी हो रहे हैं कि क्या कर दिया गया है। परन्तु दुःखी होने की कोई बात नहीं है। आप चाहते थे कि उसे छोड़ दिया जाये और हमने छोड़ दिया है। लोकतन्त्र देश में सरकार का यह कर्तव्य है कि वह विपक्ष के दृष्टिकोण को स्वीकार करे, और इसीलिये हमने भी उस दृष्टिकोण को एकदम स्वीकार कर लिया था। उनके मन में यदि आशंकायें हैं तो उन्हें मैं शीघ्र ही दूर करने का प्रयत्न करूंगा। आशंकाओं के दूर होने पर भी विधि के शब्दों की ओर मत जाइये, उसकी भावना को समझने का प्रयत्न कीजिये। परन्तु यह कार्य है बड़ा कठिन, क्योंकि कोई व्यक्ति कहेगा कि इसका भावार्थ यह है और दूसरा कहेगा कि इसका भावार्थ और कुछ है, और इस प्रकार से स्थिति बड़ी उलझ जायेगी। विधान का वास्तविक उद्देश्य क्या है ? उसका उद्देश्य यही है कि हमारे जो भी विचार हों उन्हें ठीक-ठीक स्पष्ट शब्दों में अभिव्यक्त किया जाये।

[श्री पाटस्कर]

हम जानते हैं कि विभिन्न प्रसंगों में शब्दों के विभिन्न अर्थ होते हैं और यह स्वयं में एक विज्ञान है। मलतः हमने स्पष्ट तथा विशिष्ट रूप में इसे रखा था परन्तु कुछ लोगों का विचार था "शब्दों पर मत जाइये बल्कि भावना पर जाइये" .....

†**श्री कामत :** हमें प्रसन्नता है कि आपने इसे हटा दिया।

†**श्री पाटस्कर :** अब जब सरकार इसे स्वीकार कर चुकी है, तो कुछ अन्य व्यक्ति यह कहते हैं कि यह नहीं समझ सके हैं कि इसके पीछे भावना क्या है। वे यह समझते थे कि वे एक प्रसिद्ध पुस्तक के उस नायक की भांति दैत्य के साथ शूरवीर बनकर युद्ध कर रहे हैं और दैत्य की हत्या कर रहे हैं जो हवाई चक्की से युद्ध करते समय यह समझता था कि वह एक दैत्य से जूझ रहा है और अन्त में उसे यह पता चला कि वह बिल्कुल भी दैत्य नहीं था। फिर भी यह एक विभिन्न विषय है। हम चाहे जो कुछ भी करें उन सभी बातों का विरोध अवश्य होगा, मंत्रियों की, उनके उपायों की और अन्य सभी बातों की आलोचनायें की गई हैं। यह आलोचनाओं के लिये अवसर था। इन सभी बातों के होते हुए भी मुझे विश्वास है कि लोक-सभा के माननीय सदस्यों ने निर्वाचन विधान को, उचित तथा स्वतन्त्र निर्वाचनों के सम्बन्ध में हम जिस भावना को अन्तर्निहित रखना चाहते थे, उसके अधिक अनुरूप और अधिक सरल बना दिया है। आलोचनाओं के होते हुए भी मैं यह कहूंगा कि लोक-सभा के प्रत्येक पक्ष ने अपनी ओर से सर्वोत्तम कार्य करने का प्रयत्न किया है। परन्तु जब निर्वाचन का मामला आएगा तो निःसंदेह पक्ष-भावना भी वहां आएगी। किन्तु जहां तक वर्तमान विधेयक का सम्बन्ध है, मेरे विचार में हमें इस पर विभिन्न दृष्टिकोण से देखना चाहिये।

मेरे माननीय मित्र श्री कामत ने पूछा था कि इस विधि को जम्मू तथा काश्मीर पर भी क्यों न लागू किया जाये ? मैं विधि-कार्य मंत्री हूं, मैं संविधान को छोड़ नहीं सकता और सभी प्रकार की बातें नहीं कर सकता। राष्ट्रपति के जिस आदेश द्वारा हमने विधियां बनाने का अधिकार दिया है, उसमें विशिष्ट रूप से कहा गया है कि ३२५, ३२६, ३२७, ३२८ तथा ३२९ अनुच्छेदों को लुप्त किया जायेगा। संविधान के अनुच्छेद ३२७ द्वारा हमें जो अधिकार दिये गए हैं, उनके अधीन हम यह विधि पारित कर रहे हैं। मैंने कल बताया था कि संविधान के अधीन उचित ही निर्वाचन आयोग को एक स्वतन्त्र प्राधिकारी बनाया गया है। अनुच्छेद ३२७ के अधीन विधान बनाने के लिये संविधान हमें कुछ अधिकार देता है। यदि इस आदेश से उस अनुच्छेद को लुप्त कर दिया गया है, तो जम्मू तथा काश्मीर पर इसे लागू करने के लिये इस विधान-मंडल में मेरे लिये करने योग्य कुछ भी शेष नहीं रह जाता।

अब हम वृहत्तर प्रश्न पर विचार करते हैं। समस्या के समाधान के सम्बन्ध में हमारे दृष्टिकोण तथा हमारे धैर्य में मतभेद है। परन्तु मुझे प्रसन्नता है कि इस लोक-सभा में और उन लोगों में भी, जो किसी समय यह समझते थे कि हमें जितना कुछ करना चाहिये उतना नहीं कर रहे हैं, यह प्रवृत्ति है कि सभी संबंधित व्यक्तियों के संतोष के अनुसार, सदैव के लिये प्रश्न का समाधान करने के सम्बन्ध में, हर सम्भव कार्यवाही की जा रही है। वह समय दूर नहीं है जब इस प्रकार की आलोचना, जिसे हमें लोक-सभा में सुनने का अवसर मिला है, सुनने में नहीं आयेगी। इस समय मैं केवल यही कह सकता हूं।

†**श्री कामत :** क्या राष्ट्रपति के आदेश का कार्यक्षेत्र विस्तृत करना सम्भव नहीं है ?

†**श्री पाटस्कर :** इस अवस्था में नहीं है। ऐसी सभी बातों को करने के लिये यह समय उपयुक्त नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

मैं अन्त में विरोधी पक्ष सहित सभी सदस्यों का, और उन सदस्यों का भी धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने उपबन्धों पर मतभेद प्रकट किया था और जिनके दृष्टिकोणों को मैं स्वीकार नहीं कर सकता था। इस समय मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष निर्वाचनों पर आधारित संसदीय लोकतन्त्र के जिस आदर्श को हम अपनाना चाहते हैं, धैर्य रख कर हम यह अनुभव करेंगे कि इस विधान को अधिनियमित करके हमने, लोक-सभा के प्रत्येक पक्ष ने, उस आदर्श के अनुकूल एक अधिक अच्छी और अधिक प्रभावशाली विधि बनाने में अंशदान दिया है।

†**श्री कामत :** संसद् के समक्ष नियम कब प्रस्तुत किये जायेंगे ?

†**श्री पाटस्कर :** ज्यों ही वे निर्मित हो जायेंगे।

†**श्री कामत :** क्या अगले सत्र से पहले ?

†**श्री पाटस्कर :** मैं यह देखूंगा कि उन्हें शीघ्र ही निर्मित किया जाता है, इसमें विलम्ब नहीं किया जायेगा।

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को संशोधित रूप में पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

जीवन बीमा निगम विधेयक

†**वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) :** मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि जीवन बीमा व्यवसाय के लिये स्थापित निगम को इस प्रकार का सब व्यवसाय हस्तान्तरित कर, भारत में जीवन बीमा व्यवसाय के राष्ट्रीयकरण तथा निगम के कार्य के विनियमन तथा नियन्त्रण और उससे सम्बन्धित अथवा प्रासंगिक मामलों की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर, प्रवर समिति द्वारा, प्रतिवेदित रूप में, विचार किया जाये।"

जीवन बीमा व्यवसार के राष्ट्रीयकरण के लिये उपबन्ध करने के सम्बन्ध में लोक-सभा द्वारा विधेयक पर सामान्य रूप से पहले ही विचार किया जा चुका है और उस समय मैंने उन कारणों की विस्तार में चर्चा की थी, जिनके कारण सरकार ने राष्ट्रीयकरण करने का निर्णय किया है। अब हमारे सामने योजना को सफलतापूर्वक चलाने के लिये व्यवस्था का प्रश्न है और लोक-सभा के समक्ष जो विधेयक है, वह इस प्रश्न का समाधान करने जा रहा है, प्रवर समिति द्वारा विधेयक में जो संशोधन प्रस्तुत किये गये हैं अब मैं उनकी संक्षेप में चर्चा करूंगा।

प्रथम परिवर्तन जिसका कुछ महत्व है, खंड ६ (२) (घ) से सम्बन्धित है। भारत से बाहर व्यवसाय को चलाने में निगम के मार्ग में हमने जिन कठिनाइयों को देखा था, मैंने आपात उपबन्ध विधेयक पर वाद-विवाद के समय उनकी चर्चा की थी। मैं बता चुका हूं कि निगम को वैदेशिक व्यवसाय, औरों को हस्तान्तरित करना होगा, यह परिवर्तन अब कर दिया गया है, अर्थात् 'या व्यक्ति' शब्द जोड़ने से यह स्पष्ट हो गया है कि यदि. यह प्रक्रिया अपनायी जाती है तो व्यवसाय का हस्तान्तरण एक समवाय को बिल्कुल नहीं किया जायेगा। भारत से बाहर जीवन व्यवसाय करने की अनुमति पाने के लिये हम किसी भी वर्तमान समवाय की प्रार्थना पर ध्यानपूर्वक सोच विचार करेंगे और जहां हमें यह विश्वास होगा कि सम्बन्धित समवाय के पास पर्याप्त साधन हैं और देश से बाहर सफलतापूर्वक व्यवसाय

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री सी० डी० देशमुख]

चलाने के सम्बन्ध में पर्याप्त मात्रा में कारबार है, तो हम तुरन्त ही आवश्यक अनुमति दे देंगे और कम से कम उसका अपना वैदेशिक जीवन कारबार उसे हस्तान्तरित कर देंगे ।

अगला परिवर्तन खंड ८ में है। यद्यपि किसी को भी यह ख्याल हो सकता है कि एक महत्वपूर्ण संशोधन कर दिया गया है तथापि यह परिवर्तन स्वयं बहुत ही मामूली है। हमारी इस इच्छा को और स्पष्ट रूप से प्रकट करने के लिये यह एक दूसरा प्रारूप मात्र है कि व्यक्तिगत बीमा करने वालों द्वारा स्थापित सभी भविष्य निधियां आदि निगम में निहित रहेंगी और नियम, यथा समय, अपने कर्मचारियों के लाभ के लिये कुछ न्यास स्थापित करेगा ।

खंड ११ में एक परिवर्तन है, जो केवल एक स्पष्टीकरण मात्र है । व्याख्या में यह स्पष्ट है कि सेवा की समाप्ति पर कर्मचारी को जो प्रतिकर दिया जायेगा वह ऐसे किसी अधिकार से अतिरिक्त होगा जो उसने अपनी ठेके की सेवा के अन्तर्गत कमाया हो ।

अब मैं खंड १२ की चर्चा करता हूं । प्रवर समिति द्वारा पुरःस्थापित खंड ३६ द्वारा मुख्य एजेंटों के ठेके खत्म किये जा रहे हैं । मैं इस उपबन्ध के कारणों की यथासमय चर्चा करूंगा । खंड १२ में मुख्य एजेंटों के कर्मचारियों को निगम में खपाने का उपबन्ध है। यथार्थ रूप से मुख्य एजेंटों के कर्मचारी बीमा समवाय के कर्मचारी नहीं हैं। सरकार की इच्छा यह थी कि बीमा व्यवसाय के पूर्णकालिक कर्मचारियों को जिस प्रकार का आश्वासन दिया गया है, उसकी बात को छोड़ कर और अन्य प्रकार से उन पर उचित ध्यान दिया जाए। प्रवर समिति इस सम्बन्ध में चिन्तित थी कि मुख्य एजेंटों को हटाने से यह परिणाम न हो कि वास्तविक पूर्णकालिक कर्मचारी बेरोजगार हो जायें और उसने उपबन्धित किया था कि सरकार की यह इच्छा एक औपचारिक आधार पर रख दी जानी चाहिये, इसके साथ ही उन्होंने यह अनुभव किया कि यह भी सुनिश्चित करना चाहिये कि जो भी रियायत दी जाय, उसका उपयोग, उनको जो यथार्थ में पूर्णकालिक कर्मचारी नहीं हैं, भुगतान देकर निगम पर बोझ डालने के लिये न किया जाये । इस बात को जानना काफी आसान है कि बीमा कम्पनी में नियोजित कोई व्यक्ति पूरे समय के लिये नियोजित है या नहीं । किन्तु मुख्य एजेंटों द्वारा नियोजित व्यक्तियों के बारे में यह जानना कठिन है। यही कारण है कि इस प्रकार के कर्मचारियों को स्थान देने के लिये हमने कुछ कसौटी निश्चित की है, जिसके आधार पर हम उन लोगों का पता लगा सकेंगे जो बीमा कम्पनियों के नियमित कर्मचारियों की भांति पूर्णरूपेण बीमा व्यवसाय पर निर्भर हैं ।

खण्ड १५ में कुछ विशेष परिवर्तन किये गये हैं। इस खण्ड के द्वारा निगम को कुछ सौदों के बारे में रियायत दी गई है ।

दो वर्ष के बजाय पिछले पांच वर्ष तक के जो सौदे हैं वे पुनः प्रारम्भ किये जा सकते हैं। इस प्रश्न पर अनेक मत थे। कुछ सदस्यों ने सोचा कि बीमा कराने वालों के हित में यह अवधि दस वर्ष होनी चाहिये और कुछ ने कहा कि इसके लिये दो वर्ष ही पर्याप्त हैं। दोनों के मेल के लिये पांच वर्ष का समय रख दिया गया ।

इस खण्ड में उन लोगों का भी उपबन्ध है, जिन्हें रियायत पाने का अधिकार है । प्रारम्भ में तो केवल निगम को ही यह अधिकार दिया गया था, किन्तु प्रवर समिति में यह सोचा गया कि न्यायाधिकरण द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को भी रियायत दिये जाने का अधिकार मिलना चाहिये। यद्यपि हमारी राय यह है कि किसी व्यक्ति के साथ कोई अन्याय किये जाने की संभावना नहीं है तथापि सरकार को इसमें कोई आपत्ति नहीं है ।

दूसरा विशेष परिवर्तन खण्ड १८ में किया गया है। प्रारम्भ में विधेयक में चार महाखंडों का उपबन्ध किया गया था, किन्तु सब बातों पर विचार करने के बाद प्रवर समिति ने पांच महाखंडों का

होना ठीक समझा और तय किया कि पांचवें महाखंड का प्रधान कार्यालय कानपुर में रखा जाय। राज्यों के पुनर्गठन से पहले यह कहना कठिन है कि विभिन्न क्षेत्रों के अन्तर्गत कौन से राज्य होंगे। फिर भी, जैसा कि प्रस्ताव चल रहा है उसके अनुसार जो राज्य बनेंगे उनके क्षेत्र इस प्रकार होंगे :—उत्तरी क्षेत्र का प्रधान कार्यालय दिल्ली में होगा और उसके क्षेत्र में दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, और जम्मू तथा काश्मीर के नये राज्य होंगे। मध्य क्षेत्र का प्रधान कार्यालय कानपुर में होगा, जिसके अन्तर्गत उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का नया राज्य होगा। पूर्वी क्षेत्र का प्रधान कार्यालय कलकत्ते में होगा, जिसके अन्तर्गत बंगाल, आसाम, बिहार, उड़ीसा मनीपुर, त्रिपुरा और अन्दमान द्वीप होंगे। दक्षिणी क्षेत्र का प्रधान कार्यालय मद्रास में होगा जिस के अन्तर्गत तेलंगाना सहित आंध्र, मद्रास, केरल और मैसूर राज्य होंगे और पश्चिमी क्षेत्र का प्रधान कार्यालय बम्बई में होगा, जिसका क्षेत्र मैसूर में जाने वाले भाग के अतिरिक्त वर्तमान बम्बई राज्य तथा नये राज्य महाराष्ट्र और गुजरात के अतिरिक्त क्षेत्र होंगे अर्थात् मराठवाड़ा, महाविदर्भ, सौराष्ट्र और कच्छ।

अब मैं खण्ड १९ को लेता हूं। उसमें बहुत थोड़ा परिवर्तन किया गया है यद्यपि उसकी बगल की पंक्ति से कुछ और ही प्रतीत होता है। हमारा सदैव यही उद्देश्य रहा है कि निगम को एक विनियोजन समिति बनानी चाहिये जो उसे विनियोजन के मामले में सलाह दे। विधेयक के खंड १७ (३) में ऐसी समिति की अनुमति दी गई थी किन्तु इसके महत्व पर विचार करते हुए प्रवर समिति ने ऐसी समिति व उसके निर्माण के लिये विशेष उपबन्ध करना उचित समझा। अतः खण्ड १९ के उपखण्ड (२) में यह उपबन्ध किया गया है।

खण्ड २० में निगम को यह अधिकार दिया गया है कि वह एक से अधिक प्रबन्ध निदेशक रख सकता है।

खण्ड २१ में यह उपबन्ध है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा जो भी निदेश दिया जायेगा वह लिखित रूप में होगा। व्यक्तिगत रूप से मैं इसकी आवश्यकता नहीं समझता हूं, क्योंकि सरकार द्वारा लिखित रूप में ही निदेश दिये जाते हैं।

खण्ड २२ के उपखण्ड (३) में एक महत्वपूर्ण उपबन्ध किया गया है। हमने यह महसूस किया कि प्रत्येक क्षेत्र में निगम और उसके कर्मचारियों तथा एजेंटों में मैत्री सम्बन्ध बढ़ाने के लिये एक समिति होनी चाहिये। यह विचार हमने एयरलाइन्स निगम अधिनियम से लिया है जिसके अन्तर्गत ऐसी समितियां बहुत लाभप्रद सिद्ध हुई हैं। इस समिति में एजेंटों को एक वर्ग के रूप में प्रतिनिधित्व दिया गया है। जीवन बीमा संगठन में एजेंटों का बहुत महत्व होता है। उन्हें भी समिति में सम्मिलित करके, हम व्यापारी वर्ग के सभी विभागों को प्रतिनिधित्व तो देंगे ही, साथ ही साथ हम उन सब में एक यह भी भावना जगा देंगे कि वे एक ही सामान्य उद्देश्य के लिये कार्य कर रहें हैं, अर्थात् निगम की सफलता के लिये कार्य कर रहे हैं। हमारी हार्दिक आशा यही है कि ये समितियां निगम के कार्य-संचालन को सुगम बनाने में बहुत सहयता देंगी और राष्ट्रीयकरण को सफल बनाने में अपना भरसक योग देंगी।

प्रवर समिति के प्रतिवेदन में संलग्न चार विमति टिप्पणियों में खण्ड २५ के सम्बन्ध में प्रश्न उठाया गया है। उसके बार में मैं बाद में कहूंगा। वह प्रश्न है निगम के लेखों की नियंत्रक-महालेखा परीक्षक द्वारा लेखा-परीक्षा किये जाने के सम्बन्ध में। इस लोक-सभा में प्रश्न के घण्टे में भी इसका उल्लेख हुआ था, और मेरा विचार है कि उसीके परिणाम स्वरूप सदस्यगण इस विषय के सम्बन्ध में सरकार द्वारा अपनाये गये रुख से परिचित हैं। जो भी हो, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, और इस अवसर पर भी मैं उसके सम्बन्ध में कुछ शब्द कहूंगा।

[श्री सी० डी० देशमुख]

संविधान के अनुच्छेद १४९ के अन्तर्गत यह निर्धारित किया गया है कि "नियंत्रक-महालेखा-परीक्षक संघ के और राज्यों के तथा अन्य प्राधिकारी या निकाय के, लेखाओं के सम्बन्ध में ऐसे कर्त्तव्यों का पालन और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जैसे कि संसद् निर्मित विधि के द्वारा या अधीन विहित किये जायें. . . . ."। क्योंकि उक्त निगम एक स्वायत्तशासी निकाय होगा, इसलिये उसके लेखे संघ सरकार के लेखों से अलग रखे जायेंगे, और अभी तक संसद् द्वारा ऐसी कोई विधि नहीं बनाई गई है जो यह विहित करती हो कि स्वायत्तशासी निकायों के लेखों की लेखा-परीक्षा, सरकार की उनमें वित्तीय रुचि होने पर भी, नियंत्रक-महालेखा-परीक्षक द्वारा की जायेगी ।

†**श्री साधन गुप्त** (कलकत्ता––दक्षिण-पूर्व) : वायु निगम अधिनियम के बारे में क्या है ?

†**श्री सी० डी० देशमुख** : वह संसद् द्वारा निर्मित एक अलग ही विधि है ।

इसके सम्बन्ध में कोई भी सामान्य विधि निर्मित नहीं की गई है । अब हम एक विधान विशेष पर विचार कर रहे हैं, जैसे कि वायु-निगम अधिनियम है, या इम्पीरियल बैंक––राज्य बैंक के राष्ट्रीय-करण के सम्बन्ध में एक अधिनियम है ।

मैं वैधानिक औपचारिकताओं का आश्रय लेकर इससे पीछा नहीं छुटाना चाहता हूं । मैं इसका उल्लेख केवल इसीलिये कर रहा हूं कि कुछ हल्कों में यह जो एक गलत आशंका जम चुकी है कि नियंत्रक-महालेखा-परीक्षक द्वारा ऐसी लेखा-परीक्षा कराना एक संवैधानिक आवश्यकता ही है, उसे दूर कर दूं । सरकार ने इस विषय पर बड़ी सतर्कता से विचार किया है, और मैं इसे एक बार ही में स्पष्ट कर दूं, कि सरकार राज्य उपक्रमों के वित्तीय कार्य-संचालन के साथ नियंत्रक-महालेखा-परीक्षक का यथा सम्भव अधिकतम सम्बन्ध स्थापित करने के लिये तैयार ही नहीं है, बल्कि वह वास्तव में इसके लिये चिन्तित भी है । तदनुसार, नियंत्रक-महालेखा-परीक्षक को दामोदर घाटी निगम, औद्योगिक वित्त निगम या एयर लाइन्स कार्पोरेशन जैसे कमोबेश सरकारी शर्तों के अधीन चलने वाले प्राधिकारों के लेखों की लेखा-परीक्षा करने का कार्य सौंप दिया गया है । इतना ही नहीं, सरकार द्वारा आयोजित समवायों की लेखा-परीक्षा का कार्य भी उसे सौंपा गया है । नियंत्रक-महालेखा-परीक्षक के कर्मचारी इन समवायों के सौदों से परिचित तो रहेंगे ही । लेकिन राज्य बैंक या बीमा निगम जैसे निकायों के महत्वपूर्ण व्यावसायिक हितों का सम्बन्ध है, और चूंकि सरकारी अधिकारियों को ऐसे उपक्रमों में कार्य करने का अनुभव नहीं है, इसलिये सरकार यह नहीं चाहती कि हाल में ही राष्ट्रीयकृत किये गये इन उपक्रमों की सफलता को उनकी प्रणाली में कुछ भारी परिवर्तन करके नष्ट कर दिया जाये । क्योंकि ऐसी संस्थायें उच्चस्तरीय कार्यपालिका अधिकारियों द्वारा काफी अधिक स्वविवेक का प्रयोग किये बिना नहीं चलाई जा सकती हैं, और जो भी प्रणाली जो ऐसे स्वविवेक के प्रयोग किये जाने के सम्बन्ध में लेखा-परीक्षा को कोई आपत्ति करने का अवसर देती है, वह उनके कार्य संचालन को अवश्य ही ठप्प कर देगी । बीमा निगम जैसे उपक्रम आधारभूत रूप में साधारण सरकारी कार्यवाही से भिन्न हैं, और जब तक कि हमें उनके कार्यकरण का कुछ अनुभव प्राप्त नहीं हो जाता, तब तक हमें यही सर्वोत्तम लगता है कि यथापूर्व स्थिति ही बनाये रखी जाये । मैं इसका भी स्पष्टीकरण कर दूं कि खण्ड २५ में सुझाया गया उपबन्ध निगम के संसद् के प्रति उत्तरदायित्व पर कोई प्रभाव नहीं डालता है ।

खण्ड २९ में यह निर्धारित किया गया है कि लेखा-परीक्षकों का प्रतिवेदन संसद् के सामने रखा जायेगा, और उसके बाद लोक-सभा उस प्रतिवेदन पर पूर्ण और स्वतन्त्र रूप से चर्चा कर सकेगी ।

इस सम्बन्ध में, ऐसे ही मामलों में इंग्लैण्ड में प्रचलित व्यवहार का उल्लेख करना शायद उपयोगी होगा क्योंकि इस मामले में हम सामान्यतः इंग्लैण्ड की प्रणाली का ही अनुसरण करते रहे हैं । उस देश

†मूल अंग्रेजी में ।

में भी, हमारे देश की ही भांति, उद्योग में एक काफी बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र है और एक नियंत्रक-महालेखा-परीक्षक भी है, जो कार्यपालिका से सर्वथा स्वतन्त्र है। लेकिन जहां तक हमारी जानकारी है, इंग्लैण्ड में नियंत्रक-महालेखा-परीक्षक राष्ट्रीयकृत व्यावसायिक संस्थाओं के लेखों की लेखा-परीक्षा नहीं करता है और न ही उसने उनकी लेखा-परीक्षा करने के किसी अन्तर्विष्ट अधिकार का दावा ही किया है। इंग्लैण्ड में एक प्रवर समिति ने राष्ट्रीयकृत उपक्रमों की लेखा-परीक्षा के लिये नियंत्रक-महालेखा-परीक्षक के उत्तरदायित्व के प्रश्न की जांच की थी। और उसने भी इसके विरुद्ध ही निर्णय किया था और इसके उसने जो कारण गिनाये थे, वे बहुत कुछ वही थे जो मैं आप को पहले बता चुका हूं।

किसी ने भी किसी अवस्था पर यह नहीं कहा है कि इसकी वजह से इन व्यावसायिक संस्थाओं के उत्तरदायित्व में कोई कमी आ गई है। नियंत्रक-महालेखा-परीक्षक द्वारा या उसके परामर्श से इसकी लेखा-परीक्षा की व्यवस्था करने में एक व्यावहारिक कठिनाई यह है कि उसके पास वरिष्ठ कर्मचारियों की बड़ी कमी है। यहां मैं यह भी बता दूं कि नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का दृष्टि-कोण यह है कि उसे ऐसी व्यावसायिक संस्थाओं की लेखा-परीक्षा से सम्बन्धित रखा जाना चाहिये। उसके अतिवयस्क अधिकारियों के सेवा-काल में, इसी कमी के कारण, बार-बार विस्तार करना पड़ा है। इस महत्वपूर्ण विषय के सम्बन्ध में, इस समय मुझे इतना ही कुछ कहना है।

खण्ड २७ और खण्ड २९ में बहुत छोटे-छोटे परिवर्तन किये गये हैं। इनको मैं इसके बाद लूंगा। खण्ड २७ में यह उपबन्ध किया गया है कि निगम अपने कार्य-करण के सम्बन्ध में प्रति वर्ष एक प्रतिवेदन तैयार करेगा। खण्ड २९ में उपबन्ध किया गया है कि इस प्रतिवेदन को, और खण्ड २६ के अन्तर्गत तैयार किये गये प्रबन्धकों [जीवनांकिकों] के प्रतिवेदन को दोनों सभाओं के सामने प्रस्तुत किया जायेगा।

अब मैं नये जोड़े जाने वाले खण्ड ३१ को लेता हूं। यह खण्ड निगम को अपना सारा या आंशिक वैदेशिक व्यापार किसी अन्य को हस्तांतरित करने की शक्ति प्रदान करता है, और यह खण्ड ६ (२) (घ) का समानार्थक है। यह स्वाभाविक ही है कि निगम का वैदेशिक व्यापार अपने हाथ में लेने वाले समवाय उन देशों में नये व्यापार भी करना चाहेंगे। खण्ड ३१ (१) केन्द्रीय सरकार को इसकी अनुमति देने की शक्ति प्रदान करता है। सदस्यगण उसके वास्तविक शब्दों के जाल में शायद कुछ उलझ जायें। उसमें बीमा करने वालों को साधारणतया भारत से बाहर रहने वाले व्यक्तियों के जीवन के सम्बन्ध में भी भारत में जीवन बीमा कारबार कर सकने के लिये प्राधिकृत किया गया है। इसके सम्बन्ध में वैधानिक मत यह है कि मुख्य कार्यालय के भारत में स्थित मान लेने के कारण समवायों को भारत में भी कारबार करता हुआ माना जायेगा, उस पर इस तथ्य का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा कि उनका कार्य भारत से बाहर के प्रदेशों में भी होता है। इसीलिये, खण्ड ३१ (१) में यह विशेष व्यवस्था की गई है।

उपखण्ड (१) में प्रयुक्त शब्दावली के कारण, खण्ड ३१ का उपखण्ड (२) भी आवश्यक हो जाता है। यह इस बात को स्पष्ट कर देता है कि उपखण्ड (१) के अन्तर्गत दी गई कोई भी अनुमति सम्बन्धित बीमा-कर्ताओं को इस बात का अधिकार नहीं देगी कि वे भारत में अस्थायी रूप से रहने वाले व्यक्तियों के जीवन की पालिसी को जारी रख सकें, फिर वे चाहे साधारणतया बाहर के निवासी ही क्यों न हों।

इसके बाद, मैं खण्ड ३४ को लेता हूं। यह भी एक नया खण्ड है। बीमा अधिनियम की धारा ६ क के अनुसार यह आवश्यक है कि जीवन बीमा व्यवसाय करने वाले समवायों, अर्थात् जीवन बीमा और मिले-जुले बीमा व्यापार करने वाले सामासिक समवायों, के सभी अंशधारी अपने अंशों को अपने सम्बन्धित जीवन बीमा समवाय को प्रदत्त पूंजी के दस प्रतिशत तक घटा लें। इसे घटाने के लिये

[श्री सी० डी० देशमुख]

अंशधारियों को १ जून, १९५३ तक का समय दिया गया था । उस तिथि को, इस सीमा से अधिक सभी अंश सम्बन्धित राज्यों के महाप्रशासक में निहित कर दिये गये थे । बीमा अधिनियम के इस उपबन्ध का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि जीवन बीमा व्यवसाय करने वाले किसी भी ऐसे बीमा समवाय के मामलों में किसी एक व्यक्ति का प्रभुत्व न हो सके । यह अधिनियम शुद्ध रूप से गैर-जीवन बीमा व्यवसाय करने वाले समवायों पर लागू नहीं होता है । सभी अंशधारी अपनी सीमा से अधिक अंशों का विक्रय करने में समर्थ नहीं हो सके थे और तमाम अंश विभिन्न महाप्रशासकों में निहित कर दिये गये थे । इस प्रकार निहित किये गये कुछ अंशों को अब महाप्रशासकों ने बीमा नियमों के उपबन्धों के अनुसार बेच दिया है, और उनके विक्रय से मिले हुए धन को मूल अंशधारियों को दे दिया गया है, लेकिन अब भी कुछ अंश बिना बिके हुए रह गये हैं । राष्ट्रीयकरण के बाद, सभी समवाय शुद्ध रूप से गैर-जीवन-बीमा समवाय बन जायेंगे और इसीलिये किसी भी जीवन बीमा समवाय में किसी एक व्यक्ति के प्रभुत्व का कोई प्रश्न नहीं उठता है । इसलिये, सीमा से अधिक बिना बिके हुए अंश बड़ी आसानी से, लोक हित को कोई हानि पहुंचाये बिना ही, मूल अंशधारियों को लौटाये जा सकते हैं । इसीलिये, खण्ड ३४ के इस संशोधन द्वारा यह प्रस्ताव किया गया है कि इन अंशों को पुनः मूल अंशधारियों में निहित कर देना चाहिये । हां, महाप्रशासक उसमें से अपना वह व्यय काट सकते हैं जो उन्होंने उस पर किया हो ।

दूसरा परिवर्तन खण्ड ३५ के सम्बन्ध में है । यह खण्ड विदेशी बीमा-कर्ताओं के मामले में आस्तियों और देयताओं के प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में है । प्रवर समिति द्वारा इसमें किया गया परिवर्तन एक बहुत ही सामान्य प्रकार का है और उसका आशय प्रत्यावर्तन के कार्य को अधिक शीघ्रता से करना है । पुरःस्थापित किये गये विधेयक के एक सापेक्ष खण्ड में निगम को कुछ आस्तियों और देयताओं से 'वंचित' करने की व्यवस्था की गई है । किसी को किसी भी चीज से वंचित तभी किया जा सकता है जबकि पहले उसे उसमें निहित किया गया है । इसका अर्थ यह है कि 'अतिरिक्त आस्तियों' और स्टर्लिंग मुद्रा में दी गई पालिसियों और आस्तियों का प्रत्यावर्तन 'निर्धारित तिथि' तक नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि केवल उसी तिथि को विभिन्न बीमा-कर्ताओं की आस्तियां और देयतायें निगम में निहित होंगी । अब ऐसा कोई भी वास्तविक कारण नहीं रह गया है कि इस मामले को उस तिथि तक रोके रखा जाये । वास्तव में, इससे सम्बन्धित सभी लोगों की सुविधा के दृष्टि-कोण से यही सुविधाजनक रहेगा कि विधेयक के पारित होते ही शीघ्र ही उस प्रत्यावर्तन का कार्य आरम्भ कर दिया जाये । इसीलिये, यह संशोधन केन्द्रीय सरकार को निर्धारित तिथि से पहले और बाद में प्रत्यावर्तन करने की शक्ति प्रदान करता है ।

इसके बाद मैं खण्ड ३६ को लेता हूं । यह भी इसमें नया जोड़ा गया है । इसमें मुख्य अभि-कर्ताओं और विशेष अभिकर्ताओं के ठेकों की समाप्ति की व्यवस्था की गई है । कुछ बीमा समवाय, अधिकांशतः छोटे समवाय, शाखाओं के सम्बन्ध में मुख्य अभिकर्ताओं द्वारा अपना कार्य कर रहे थे । बीमा अधिनियम की शर्तों के अनुसार, मुख्य अभिकर्ताओं को एक जिले के बराबर, इससे छोटे नहीं, क्षेत्रों पर अनन्य क्षेत्राधिकार दिया जाना आवश्यक था । उनमें से कुछ को तो समूचे राज्य दे दिये गये थे । इसे इस प्रकार के संगठन की उपयोगिता समझा जाये या कुछ और, मैं तो यही कहूंगा कि राष्ट्रीयकरण से पहले भी अनेक बड़े-बड़े बीमा समवाय मुख्य अभिकर्ताओं की प्रणाली को त्याग कर शाखाओं को प्रणाली को अपनाने लगे थे । मेरा विचार है कि इस बारे में कोई भी मतभेद नहीं होगा कि इस नयी व्यवस्था में मुख्य अभिकर्ताओं के लिये कोई भी स्थान नहीं रह गया है । निगम विकास के उत्तरदायित्व को ऐसे कुछ व्यक्तियों के कंधों पर नहीं छोड़ सकता जिन पर कि उसका कोई वास्तविक नियंत्रण नहीं है । वास्तव में इस विषय पर पूर्ण सर्वसम्मति थी । मेरे विचार से उन

मुख्य अभिकर्ताओं ने भी जिन्होंने प्रवर समिति के समक्ष साक्ष्य दिया था अपनी सेवा के जारी रखे जाने के लिये गम्भीरता से अनुरोध नहीं किया था। इन्हीं कारणों से आयोग से पारिश्रमिक प्राप्त करने वाले विशेष अभिकर्ताओं के स्थान पर वैतनिक इंस्पैक्टर रखने होंगे। इन व्यक्तियों को दिये जाने वाले प्रतिकर को तीसरी अनुसूची में बताया गया है।

अगला परिवर्तन, यदि इसे परिवर्तन कहा जा सकता है तो, वह खण्ड ३७ में है। संशोधित खण्ड में उपबन्धित है कि बीमाधारियों को नगद भुगतान किया जाना चाहिये। एक प्रतिवेदन में कहा गया था कि अब जबकि सारा कार्य सरकार ने संभाल लिया है भुगतान बन्ध-पत्रों के रूप में किया जायेगा। इस प्रतिवेदन का इतना प्रचार हो गया था कि प्रवर समिति के लिये यह उपबन्ध करना आवश्यक हो गया कि भुगतान नगद दिया जायेगा।

खण्ड ४० में निगम की सम्पत्ति अथवा पुस्तकों को छपाये रखने का दण्ड छः मास से बढ़ा कर एक वर्ष तक कर दिया गया है।

अब मैं खण्ड ४३ को लेता हूं जो बीमा अधिनियम को निगम पर लागू करने के बारे में है। इस विषय में मैं विस्तारपूर्वक कुछ कहूंगा क्योंकि इस बारे में काफी गलतफहमियां हैं। हम मानते हैं कि निगम और प्रत्येक व्यक्ति के हित में निगम के कार्यों पर निर्धारित आन्तरिक रोक के अतिरिक्त बाह्य नियन्त्रण भी रहना चाहिये। हम यह भी स्वीकार करते हैं कि बीमा अधिनियम एक सुविचारित विधान है और इसके बहुत से उपबन्धों को निगम पर लाभदायक ढंग से लागू किया जा सकता है। परन्तु साथ ही हमें यह तथ्य नहीं भूलना चाहिये कि १६० से अधिक समवायों के स्थान पर एक विशालकाय सरकारी निगम की व्यवस्था करने से जीवन बीमा क्षेत्र में काफी परिवर्तन हो गया है। हमने सोचा कि सबसे अच्छा तरीका यही होगा कि बीमा अधिनियम के प्रत्येक उपबन्ध का परीक्षण इस दृष्टिकोण से किया जाये कि बदली हुई परिस्थितियों में इनकी क्या उपयोगिता है और केवल उन्हीं धाराओं को लागू किया जाये जिनसे वास्तविक लाभ होता हो। हमारे परीक्षण से पता चला कि कुछ धारायें ऐसी थीं जिनको बिना उनमें कोई रूप भेद किये निगम पर लागू किया जा सकता था। कुछ अन्य उपबन्ध उतने ही हितकर थे, परन्तु उन्हें लागू करने से पूर्व उनमें कुछ रूपभेद करने की आवश्यकता थी; शेष या तो लागू नहीं किये जा सकते थे अथवा परिस्थितियों के बदल जाने के कारण अनावश्यक थे। अतः खण्ड ४३ में बताया गया है कि कौन सी धारायें समग्र रूप से लागू होंगी और किन में रूपभेद करना पड़ेगा। मैं यह भी बता दूं कि इस खण्ड के अन्तर्गत जारी की गई सभी अधिसूचनाओं को संसद् के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाना आवश्यक होगा। कुछ सदस्यों ने अपने विमति टिप्पणों में सुझाव दिया कि जिन धाराओं को छोड़ दिया गया है उनमें से भी कुछ को निगम पर लागू किया जाना चाहिये। उदाहरणतः एक धारा ४० ख है जो बीमा सवमाय द्वारा वैध रूप से किये जाने वाले व्यय को सीमित करती है। इस सिद्धांत का कोई विरोध नहीं करता है कि निगम का प्रबन्ध मितव्ययितापूर्वक किया जाना चाहिये। यदि पहले हमने धारा ४० ख के उपबन्धों को औपचारिक रूप से लागू करना आवश्यक समझा था तो उसका कारण यह था कि हमें विश्वास था कि निगम द्वारा बीमा नियमों में निर्धारित सीमाओं को पार करने का प्रश्न ही नहीं उठ सकता था। अब भी बहुत से बड़े-बड़े बीमा समवायों का नवीकरण व्यय अनुपात १५ प्रतिशत से भी कम है, जो कि नियमों के अन्तर्गत विहित अधिकतम है। निगम को अपना नवीकरण व्यय अनुपात १५ प्रतिशत से जो कि कुछ अधिक है बहुत कम रखने में समर्थ होना चाहिये, यदि किसी कारण से निगम ऐसा करने में असमर्थ रहता है और व्यय अनुपात बढ़ जाता है, तो इसमें कोई सन्देह नहीं कि संसद् में अनेक प्रश्न पूछे जायेंगे और इस प्रश्न की जांच करने के लिये संसद् को अनेक अवसर प्राप्त होंगे। अतः इस प्रकार के खण्ड का और क्या प्रयोजन हो सकता है? इसके अभाव से निगम को अपव्यय करने का

[श्री सी० डी० देशमुख]

प्रोत्साहन नहीं मिलेगा। वस्तुतः यदि एक कठिनाई न होती तो मैं इस व्यय अनुपात में तुरन्त कमी किये जाने का वचन दे देता। निगम को इतने कर्मचारियों की आवश्यकता नहीं होगी जो उसे विभिन्न बीमा समवायों से मिलेंगे। फालतू कर्मचारियों की छंटनी करके, निगम बिना अपनी कार्य-क्षमता पर प्रभाव डाले व्यय अनुपात में तुरन्त कमी कर सकता था। परन्तु मैं जानता हूं कि सदस्य-गण इस बात के लिये कितने उत्सुक हैं कि राष्ट्रीयकरण के परिणामस्वरूप बेरोजगारी नहीं होनी चाहिये और इसीलिये मैंने यह निश्चित आश्वासन दिया था कि छंटनी नहीं की जायेगी। सबसे अच्छा हल यही है कि कारबार को बढ़ाया जाये और सबके लिये कार्य की व्यवस्था की जाये। हमें विश्वास है कि हम यथासमय ऐसा करने में योग्य हो जायेंगे। परन्तु जब तक कार-बार नहीं बढ़ता तब तक व्यय अनुपात को उतना शीघ्र कम नहीं किया जा सकेगा जितना कि हम चाहते हैं। जब तक एकीकरण नहीं हो जाता तब तक हमें कार्यालयों का पुनर्गठन करने में, उन्हें एक भवन से दूसरे भवन में ले जाने में, एक स्थान, नगर, जिला, और राज्य से दूसरे स्थान, नगर, जिला और राज्य में लेजाने में, अनिवार्यतः अधिक व्यय करना पड़ेगा।

एक और सुझाव पर बड़ा जोर दिया गया है कि बीमा अधिनियम के विनियोजन सम्बन्धी उपबन्धों अर्थात् धारा २७क, धारा २९ और धारा ३० को भी लागू किया जाये। इन्हें भी न लागू करने के वही कारण हैं, अर्थात् वह अनावश्यक प्रतीत होते हैं। यह उपबन्ध जिसमें विनियोजन सम्बन्धी प्रसिद्ध सिद्धांतों का समावेश किया गया है जिनको प्रबन्धकों को बीमाधारियों के धन का प्रयोग अपने लाभ के लिये करने से रोकने के लिये अधिनियमित किया गया था। विधेयक के अनुसार विनियोजन एक उच्च शक्ति प्राप्त विनियोजन समिति के परामर्श से किये जाने हैं। इसमें एक और भी सुरक्षण है कि केन्द्रीय सरकार को विनियोजन के मामले में निगम को निदेश देने का अधिकार है अतः यह नहीं माना जा सकता कि निगम द्वारा किसी गलत नीति का अनुसरण किया जायेगा। मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि जहां भी हमने बीमा अधिनियम के किसी भाग को नये निगम पर लागू नहीं किया है, तो उसके उचित और अनिवार्य कारण हैं।

अब मैं पुनः जीवन बीमा निगम विधेयक को लेता हूं। पहले मैं विधेयक के खण्ड ४४ के उपखण्ड (च) को लेता हूं, जैसा कि उसे प्रवर समिति ने संशोधित किया है। यह उपखण्ड राज्य सरकारों को अपने कर्मचारियों की कोई वर्तमान अनिवार्य जीवन बीमा योजना को जारी रखने अथवा इसके पश्चात् ऐसी किसी योजना चालू करने की स्वीकृति देता है। मूल उपबन्ध में किया गया परिवर्तन बजाये इसके कि यह अधिकार केवल उन्हीं राज्य सरकारों को दिया जाता जो पहले ही ऐसी योजनायें चालू कर चुकी हैं प्रत्येक राज्य सरकार को यदि वह चाहे तो, अपने कर्मचारियों के लिये अनिवार्य जीवन बीमा योजना चालू करने का अवसर देता है।

अब मैं खण्ड ४४ क और खण्ड ४५ को लेता हूं। इन्हें मैं एक साथ ही लेता हूं क्योंकि इनका विषय एक ही है। दुष्प्रबन्ध के कई मामलों और कई हालतों में अत्यधिक गबन के कारण सरकार को बीमा अधिनियम की धारा ५२ क के अन्तर्गत कतिपय बीमा-कर्ताओं के लिये प्रशासक नियुक्त करने पड़े हैं। धारा ५२ क के उपबन्ध केवल उन समवायों पर लागू होते हैं जो या तो केवल जीवन बीमा कारबार करते हैं या अन्य प्रकार के कारबार के साथ-साथ वह इसे भी करते हैं। अतः किसी विशेष उपबन्ध के न होते हुए, उस निश्चित दिन, जब जीवन बीमा सम्बन्धी समस्त कार्य निगम को सौंप दिया जायेगा तो यह प्रशासक समाप्त कृत्य हो जायेंगे। केवल जीवन बीमा कार्य करने वाले समवायों में कोई कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि सब आस्तियां निगम में निहित होंगी और अभिलेख आदि निगम को सौंप दिये जायेंगे। मिला-जुला बीमा कारबार करने वालों के मामले में धारा ५२ क के अन्तर्गत, प्रशासकों द्वारा किये जा रहे प्रबन्ध समाप्त हो जाने से काफी कठिनाइयां पैदा हो जायेंगी।

यह समवाय पुनः उन्हीं के अधिकार में चले जायेंगे जिन के पंजे से इन्हें छुड़ाया गया था। एक सामासिक समवाय के मामले में इस बात पर भी सन्देह किया गया है कि क्या प्रबन्धकों का उन अंशों पर कोई वास्तविक अधिकार था जो पुस्तकों में विभिन्न नामों के अन्तर्गत दिखाये गये थे। वस्तुतः यह दीवानी और फौजदारी कार्यवाहियों की विषय वस्तु है। इसलिये प्रत्येक के दृष्टिकोण से यही उचित समझा गया कि धारा ५२क के अन्तर्गत प्रशासन को उस समय तक जारी रखा जाये जब तक कि उन कार्यवाहियों को समाप्त न कर लिया जाये। इन दोनों खण्डों में यह व्यवस्था की गई है कि सामासिक समवायों का जीवन बीमा कारबार निश्चित तिथि को निगम को नहीं सौंपा जायेगा बल्कि बाद में एक योजना के द्वारा प्रशासक से इनका हस्तान्तरण किया जायेगा।

अब मैं खण्ड ४८ को लेता हूं जो नियम बनाने की शक्ति से सम्बन्धित है। उपखण्ड (३) में किये गये परिवर्तन के अतिरिक्त, जो यह व्यवस्था करता है कि इस अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गये सब नियम संसद् के दोनों सदनों के समक्ष रखे जायेंगे और उनमें वे रूपभेद, जो संसद् उस सत्र के दौरान में जब वे रखे जायें अथवा बाद में होने वाले सत्र में करें, किये जा सकेंगे, कोई विशेष परिवर्तन नहीं किये गये हैं।

अब अनुसूचियां ही शेष रहती हैं। पहले मैं प्रथम अनुसूची को लेता हूं जो प्रतिकर निर्धारित करने के सिद्धांतों के बारे में है। इस विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव करते समय मैंने विस्तारपूर्वक इन सिद्धांतों की व्याख्या की थी। मैं प्रवर समिति द्वारा किये गये परिवर्तनों का उल्लेख करने से पूर्व इन्हें संक्षेप में दोहराऊंगा।

अनुसूची का भाग क उन मालिकाना समवायों के बारे में है जिसके पास वितरण करने योग्य अतिरेक था, भाग ख अन्य मालिकाना समवायों के बारे में है और भाग ग पारस्परिक सहकारी और अपंजीबद्ध निकायों के बारे में हैं। भाग क सबसे अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि इस भाग के अन्तर्गत प्रतिकर का दावा करने वाले समवायों ने देश में अधिकांश कारबार किया है अतः उनका प्रतिकर भी अधिक होगा। संक्षेप में इस भाग के अन्तर्गत देय प्रतिकर कम से कम दो जीवनांकिक मूल्यांकनों में अंशधारियों को दिये गये औसत वार्षिक आवंटन का २० गुना है। जब विधेयक प्रवर समिति को सौंपा गया था उस समय प्रत्येक मामले में अधिकतम आवंटन बचत को ५ प्रतिशत और निम्नतम को ३ प्रतिशत रखा गया था। एक विकल्प भी बताया गया था कि समवाय इसकी बजाये उपरोक्त राशि का आधा अर्थात् औसत वार्षिक बचत का दस गुना और प्रदत्त पूंजी को रखने का दावा कर सकता था। यथा पुरःस्थापित विधेयक में यही प्रस्ताव रखा गया था। अब मैं इस भाग में प्रवर समिति द्वारा किये गये परिवर्तनों की व्याख्या करूंगा।

पहला परिवर्तन भाग क में रखे जाने के आधार के सम्बन्ध में है। पुरःस्थापित किये गये विधेयक में यह व्यवस्था की गई थी कि बीमा समवाय को अतिरेक का कुछ भाग अंशधारियों में बांटना चाहिये था। यह देखा गया था कि कुछ भारतीय और विदेशी समवायों ने समस्त अतिरेक को बीमाधारियों में बांट दिया था। ऐसे बीमाकर्ताओं को उनकी प्रगतिशीलता के लिये दण्ड नहीं मिलना चाहिये। इसी कारण प्रवर समिति ने सारी बचत अथवा उसका कुछ भाग अंशधारियों में बांटने की कसौटी को बदल कर सारी बचत अथवा उसके कुछ भाग को बीमाधारियों में बांटने की कसौटी निर्धारित की।

दूसरा परिवर्तन जो कि और अधिक बुनियादी और महत्वपूर्ण है, कारबार को बढ़ाने के लिये है। पहले हुए वाद-विवाद में मैंने बताया था कि मुझे कुछ अभ्यावेदन मिले थे कि यद्यपि प्रतिकर देने के प्रश्न का सामान्य आधार समन्याय्य था कोई ऐसा परिवर्तन किया जाना आवश्यक था जिससे कि बचत वाले समवायों के विभिन्न गुटों में भी समन्याय रखा जा सके। जैसा कि मैंने पहले बताया, प्रतिकर को

[श्री सी० डी० देशमुख]

पिछले दो संविहित मूल्यांकनों के परिणामों पर आधारित किया गया था परन्तु कुछ समवायों का गत मूल्यांकन ३१ दिसम्बर, १९५४ को किया गया है, कई समवायों ने ३१ दिसम्बर, १९५३ और कई एक ने इससे भी पहले मूल्यांकन कराया था। उन समवायों को अन्य की तुलना में लाभ रहा जिन्होंने गत मूल्यांकन ३१ दिसम्बर, १९५४ को किया था। यह सुविधा बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि समय के साथ-साथ कारबार बढ़ता गया है और वर्ष १९५४ और १९५५ में कारबार काफी बढ़ा है। अतः एक सुझाव दिया गया था कि प्रतिकर सब बीमा-कर्ताओं पर एकरूपता से लागू होने वाली प्रमाप अवधि के आधार पर दिया जाये और उस प्रमाप अवधि में १९५५, गत पूर्ण पत्ती वर्ष को भी, सम्मिलित किया जाये। मैंने बताया था कि मैं इस दृष्टिकोण से पूर्णरूप से सहमत था। प्रवर समिति द्वारा किये गये परिवर्तन इस सुझाव को व्यवहार में लाने के लिये हैं। पुनरीक्षित विधेयक में देय प्रतिकर पुरःस्थापित विधेयक में देय प्रतिकर के अनुसार ही हैं किन्तु प्रतिकर की गणना करने में उसे उस अनुपात से गुणा कर दिया गया है जो १९५०-५५ के वर्षों में औसत आश्वासित राशि और अन्तर्मूल्यांकन अवधि में लागू औसत आश्वासित राशि में है। यह प्रणाली कुछ उलझी दिखाई पड़ती है। परन्तु परिवर्तन का यह प्रभाव है कि कारबार में हुई वृद्धि के अनुपात में प्रतिकर भी बढ़ गया है।

तीसरा परिवर्तन व्याख्या दो के बारे में है। पुरःस्थापित किये गये मूल विधेयक में आवंटित की जाने वाली बचत की निम्नतम प्रतिशतता ३ थी। यह अनुभव किया गया कि यह निम्नतम बहुत कम था और इससे उन समवायों के, जिन्होंने अपने कर्तव्य बुद्धिमत्ता से निभाये हैं और बचत का थोड़ा भाग अंशधारियों में बांट दिया है, अंशधारियों को हानि पहुंचती है। इस विचार से रियायत करते हुए तीन प्रतिशत को बढ़ाकर साढ़े तीन प्रतिशत कर दिया गया है।

एक और परिवर्तन विदेशी बीमा-कर्ताओं के बारे में है। पुरःस्थापित विधेयक में विदेशी बीमा-कर्ताओं को देय प्रतिकर उनके भारतीय कारबार के उन मूल्यांकनों के आधार पर दिया जाना था जो उन्होंने संसार भर में अपने कारबार का मूल्यांकन करते समय किया था। यह अभ्यावेदन किया गया था कि इससे उनके साथ बड़ा अन्याय होता था। अतः यह निश्चय किया गया था कि उनके मामलों में भी, बिना इस बात पर ध्यान दिये कि संसार भर के उनके कारबार का मूल्यांकन उसी दिन किया गया था अथवा नहीं, प्रतिकर भारतीय कारबार के संविहित मूल्यांकन पर आधारित किया जाये। परन्तु इसने एक कठिनाई उत्पन्न कर दी है। विदेशी बीमा कम्पनियों में अपने सम्पूर्ण व्यवसाय का मूल्यांकन करते समय अतिरिक्त राशि को नियत करने की प्रथा नहीं है। विशेष रूप से उस समय जैसा कि भारतीय व्यवसाय में किया जाता है, जबकि वह अंश बहुत ही कम हो। इसलिये हमने ऐसे तरीके को उद्घिकसित किया है जिसको भारतीय अतिरेक में अंशधारियों के अंश का प्रतिनिधि माना जा सकेगा। हम इस बात को पहले ही माने लेते हैं कि भारतीय अतिरेक के जिस अनुपात का नियतन किया गया मान लिया गया था वह अंशधारियों के लिये नियत किये गये विश्व अतिरेक के अनुपात के समान ही था। मैं समझता हूं कि लोक-सभा इस बात से सहमत होगी। निश्चय ही यह अनुपात ३·५ प्रतिशत के न्यूनतम और ५ प्रतिशत अधिकतम के अधीन अवश्य हैं।

अब मैं भाग 'ख' पर आता हूं। इस भाग के अन्तर्गत आने वाले समवाय अधिकांशतः घाटे वाले समवाय होंगे, अर्थात् जिनकी जीवन बीमा-निधि बीमा कराने वालों को देय राशि से कम होगी। हम तो केवल दायित्व पर आस्तियों के आधिक्य को ही लौटायेंगे। प्रारम्भिक कण्डिका में किया गया परिवर्तन तो केवल मौखिक परिवर्त्तन ही है और उस पर किसी टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है। दूसरे परिवर्त्तन का सम्बन्ध कण्डिका ३ (ख) से है। जिस रूप में इस विधेयक को पुरःस्थापित किया गया था, उसके अनुसार अंशों अथवा अन्य विनियोगों का मूल्यांकन बाजार-मूल्य अथवा क्रय-मूल्य पर, जो भी कम हो, किया जाना था। "अथवा क्रय मूल्य पर, जो भी कम हो" शब्दों को निकाल कर प्रवर समिति ने यह उपबन्ध

कर दिया है कि इन आस्तियों का मूल्यांकन उनके बाजार मूल्य पर ही किया जायेगा। यह परिवर्तन बीमे की तालिका बनाने के सिद्धांतों के अनुसार ही किया गया है और यदि इस विषय पर विमति टिप्पण न होता तो इस परिवर्तन का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं थी। इस बात पर जोर देना, कि आस्तियों का मूल्यांकन बाजार-मूल्य अथवा क्रय-मूल्य, जो भी कम हो, पर किया जाये एक ऐसी बात है जो बीमा व्यवसाय में नहीं पायी जाती है। बीमा अधिनियम [प्रथम अनुसूची के भाग १ के विनियम ७ के खण्ड (क) और (ख)] के अनुसार आवश्यकता केवल इसी बात की है कि इस अधिनियम के अन्तर्गत जो भी सन्तुलन पत्र प्रस्तुत किया जाये उसके साथ इस आशय का एक प्रमाण-पत्र भी दिया जाना चाहिये कि दिखाई गई सभी आस्तियों की राशियां उनके बाजार मूल्य से अधिक नहीं हैं। बीमा समवाय मूल्यांकन करने के लिये स्वतन्त्रतापूर्वक ऋण लेते रहे हैं और इस तरह का कोई आरोप नहीं लगाया गया है कि उन्होंने मूल्यांकन के लिये ऋण लेकर अदूरदर्शितापूर्ण कार्य किया है। जहां कहीं भी बाजार-मूल्य का निश्चय किया जा सके, वहां वह क्रय-मूल्य की अपेक्षा उसका वास्तविक मूल्यांकन कम करने के लिये अधिक अच्छा आधार हो सकता है, क्योंकि क्रय-मूल्य का उसके वास्तविक मूल्य से कोई सम्बन्ध नहीं भी हो सकता है; वह आसानी से ही बहुत कम भी हो सकता है और बहुत अधिक भी हो सकता है। क्रयमूल्य का एक मात्र गुण उसकी निश्चितता है। समग्र रूप से यही प्रतीत है कि बाजार मूल्य को आधार मानना अधिक अच्छा है यद्यपि इस का हिसाब लगाने में अधिक कठिनाई होने की सम्भावना है।

घटनावश, इस भाग के अन्तर्गत आने वाले समवाय इस प्रकार के हैं जिनके सम्बन्ध में हमको स्थापित सिद्धांतों को दूर रख कर व्यवहार करना पड़ेगा। इस भाग के अन्तर्गत आने वाले अधिकांश समवाय ऐसे होंगे जो घाटे में हैं और इसलिये 'प्रकितर' प्रदत्त पूंजी से भी कम रहेगा। अभागे अंश-धारियों द्वारा उठायी गयी हानि में और अधिक वृद्धि करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

दूसरा परिवर्तन खण्ड (ङ) में है, जो एक लुप्ति को ठीक करता है। "अनुग्रह दिनों में बीमे की अवशिष्ट किस्तें"—जैसा कि इनको कहा जाता है—सभी सन्तुलनपत्रों में इनका उल्लेख आस्तियों के रूप में किया जाता है और वास्तव में, बीमा अधिनियम द्वारा निर्धारित संतुलनपत्रों में भी इस मद के लिये विशिष्ट उपबन्ध किया गया है।

मुझे इस भाग का स्पष्टीकरण देना चाहिये, यद्यपि यह व्याख्यात्मक प्रकार का है। इस स्पष्टीकरण के द्वारा हम केवल इसी बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि यदि खण्ड ३५ के अनुसार कुछ अतिरेक आस्तियों को विदेशी बीमा-कर्ताओं को लौटा दिया गया तो आस्तियों में से दायित्व को घटाकर उनका मूल्यांकन करने के लिये उन आस्तियों का उल्लेख नहीं किया जा सकेगा, अर्थात् दूसरे शब्दों में, उसी राशि का भुगतान दुबारा नहीं करना होगा। भाग 'ख' के सम्बन्ध में मुझे यही कहना है।

भाग 'ग' में किया गया परिवर्तन बहुत मामूली और व्याख्यात्मक प्रकार का है, पारस्परिक सहकारी एवं अपंजीबद्ध निकायों को दिया जाने वाला प्रतिकर नाममात्र है जो बीमा कराने वालों के लिये थोड़ा लाभांश होगा। कुछ सहकारी समितियों के पास अंश-पूंजी अवश्य है, यद्यपि उस पर कोई लाभांश अथवा बोनस नहीं दिया जाता है और इसीलिये हम यह उपबन्ध कर रहे हैं कि उस पूंजी को लौटा दिया जायेगा। इससे प्रथम अनुसूची की बात पूरी होती है।

द्वितीय अनुसूची पर अधिक समय लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसका सम्बन्ध विदेशी बीमा-कर्ताओं के मामले में अतिरेक आस्तियों का निर्धारण करने के उद्देश्य से बीमा-पत्र दायित्वों का हिसाब लगाने से है। काण्डिका १ क खण्ड (ख) को छोड़कर, जो हिसाब लगाने के ढंग को अधिक कठोर, अर्थात् निगम के अधिक अनुकूल बना देता है, शेष सभी में किये गये परिवर्तन व्याख्यात्मक प्रकार के हैं।

[श्री सी० डी० देशमुख]

अन्तिम अर्थात् तीसरी अनुसूची का सम्बन्ध मुख्य अभिकर्ता को दिये जाने वाले प्रतिकर को निर्धारित करने वाले सिद्धांतों से है। बीमा अधिनियम के अनुसार, मुख्य अभिकर्ताओं के पारिश्रमिक उनके अभिकरणों से प्राप्त होने वाली बीमे की किस्तों पर सर्वोपरि कमीशन के रूप में दिया जाता है। सम्पूर्ण सर्वोपरि कमीशन को ही शुद्ध पारिश्रमिक नहीं माना जा सकता है क्योंकि उस कमीशन में से मुख्य अभिकर्ताओं को एक कार्यालय को चलाने का पूरा खर्च, जिसमें उनके द्वारा सेवायुक्त किये गये विशेष अभिकर्ताओं को दिया जाने वाला कमीशन भी शामिल है, देना पड़ता है। मुख्य अभिकर्ताओं के संविदे भी १० वर्ष से अधिक की अवधि के नहीं होते हैं। सम्बन्धित बातों पर सावधानी से विचार करने के बाद सरकार ने यह अनुभव किया कि यदि मुख्य अभिकर्ताओं को आठ वर्ष तक सर्वोपरि कमीशन का ६० प्रतिशत भाग दिया जाये तो उचित ही होगा। परन्तु प्रवर समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि १० वर्ष तक संविदे में निर्दिष्ट सर्वोपरि कमीशन का ७५ प्रतिशत प्रतिकर का भुगतान करना अधिक उचित होगा। विशेष अभिकर्ता प्रायः कमीशन पर काम करने वाले निरीक्षक ही होते हैं। उनको पहले वर्ष की बीमे की किस्त पर १५ प्रतिशत का सर्वोपरि कमीशन दिया जाता है, परन्तु उसका नवीकरण नहीं किया जाता है। उनको पिछले कुछ वर्षों की औसत आय के आठवें भाग के बराबर प्रतिकर देने की प्रस्थापना की गयी है।

प्रवर समिति द्वारा किये गये परिवर्तनों के इस लम्बे परन्तु आवश्यक उल्लेख के साथ मेरे आज के विचार समाप्त होते हैं और इन शब्दों के साथ मैं प्रस्ताव को प्रस्तुत करता हूं।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

पन्द्रह घंटे आवंटित किये गये हैं। मंत्री महोदय लगभग एक घंटा बोल चुके हैं। सामान्य चर्चा के लिये ६ घंटे और दिये जायेंगे। हमारे पास आठ घंटे और शेष रहेंगे जिनमें से एक घंटा मैं तृतीय वाचन के लिये सुरक्षित कर दूंगा। इस प्रकार खण्डवार विचार करने के लिये सात घंटे शेष रहेंगे।

†**श्री वेलायुधन** (क्विलोन व मावेलिक्करा—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : मेरा निवेदन है कि मंत्री महोदय के भाषण को परिचालित कर दिया जाये।

†**अध्यक्ष महोदय** : अच्छी बात है। यह कर दिया जायेगा।

दलों के नेताओं को २० मिनट और अन्य लोगों को १५ मिनट दिये जायेंगे।

†**श्री तुलसीदास** (मेहसाना—पश्चिम) : बीस मिनट पर्याप्त नहीं हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : अच्छी बात है। उपयुक्त मामलों में इसको बढ़ाकर आधा घंटा कर दिया जायेगा।

†**श्री तुलसीदास** : यह विधान इस देश के जीवन बीमा व्यवसाय को बिल्कुल दूसरे ही सांचे में ढालना चाहता है। राष्ट्रीयकरण क प्रश्न पर म सभा का अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि इस प्रश्न पर हुई चर्चा के समय तथ्यों और आंकड़ों की सहायता से मैंने यह सिद्ध कर दिया था कि राष्ट्रीयकरण के पीछे सरकार की कौन सी मनोवृत्ति काम कर रही थी। साथ ही मैंने यह भी संकेत किया था कि वित्त मंत्री आमतौर पर जिस कदाचार की चर्चा करत हैं उसका परिमाण बहुत ही नगण्य था।

---

†मूल अंग्रेजी में।

[**श्री बंसल** पीठासीन हुए]

इन कदाचारों के कारण चाहे जो भी हों, परन्तु जीवन बीमा (आपात उपबन्ध) विधेयक पर चर्चा के समय मैंने यह स्पष्ट कर दिया था कि निकट भूतकाल में जो दुर्भाग्यपूर्ण घटनायें हुईं उनका उत्तरदायित्व नियंत्रण विभाग की असफलता और सरकार की प्रशासनिक अयोग्यता पर था। मैं राष्ट्रीयकरण के प्रश्न के गुणावगुणों पर विचार न करके अपनी बातों को इस विशेष विधेयक के उपबंधों तक ही सीमित रखूंगा।

मैं यह कह सकता हूं कि इस कार्यवाही के द्वारा बीमा व्यवसाय में राज्य के एकाधिकार की स्थापना हो जायेगी और संसार के किसी भी भाग में उसके जैसी कोई संस्था नहीं मिलेगी। इसके फल-स्वरूप जिस निगम की स्थापना की जायेगी उसके कोष में करोड़ों बीमा-पत्रधारियों की बचत जमा होगी। यह भी आशा की जाती है कि यह राष्ट्रीयकृत उद्योग छोटे आदमियों में अल्प बचत की गति को भी बढ़ा देगा और गतिशील आर्थिक विकास के लिये देश के संसाधनों को उचित प्रोत्साहन देने में भी सहायक सिद्ध होगा।.

परन्तु हम क्या देखते हैं? हमें इस बात पर खेद प्रकट करना चाहिये कि इस विधेयक में बीमा-पत्रधारियों के हितों तक का उल्लेख नहीं किया गया है, उनकी रक्षा के लिये उपबन्ध किये जाने की तो बात ही क्या है। यह और भी खेद की बात है कि निगम को बीमा-पत्रधारियों के हितों के सुरक्षित रखने के सम्बन्ध में कोई स्पष्ट निर्देश न दिये जाने और निगम में बीमा-पत्रधारियों के किसी प्रतिनिधि के न होने के कारण इस बात की पूरी संभावना है कि या तो उनके हितों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा जायेगा अथवा बाहरी व्यक्तियों के हितों को वरियता दी जाये। साथ ही यह बात भी निगम और देश के हित में नहीं है कि इस कारण से उसके सम्मानित बीमा-पत्रधारियों का विश्वास उस पर से उठ जाये।

बीमा-पत्रधारियों के हितों को पर्याप्त रूप से सुरक्षित रखने के लिये यह आवश्यक है कि निगम में और क्षेत्रीय आधार पर बोर्डों में उनके प्रतिनिधि रखे जायें। निगम के मुख्य बोर्ड में तो बीमा-पत्रधारियों के निर्वाचित प्रतिनिधि का नियुक्त किया जाना कठिन है इसलिये इसको तो नामनिर्देशित किया जा सकता है, परन्तु कम से कम क्षेत्रीय बोर्डों में तो निर्वाचित प्रतिनिधि ही नियुक्त किये जाने चाहियें।

यदि ओरियन्टल जैसा कोई समवाय, जो देश के २० प्रतिशत जीवन बीमा व्यवसाय पर नियंत्रण रख रहा था, बोर्ड में बीमा-पत्रधारियों के निर्वाचित प्रतिनिधि को रखा जा सकता था तो इन क्षेत्रीय बोर्डों में इनके निर्वाचित प्रतिनिधियों को क्यों नहीं रखा जा सकता है। इसलिये मेरा सुझाव है कि जहां तक मुख्य निगम का सम्बन्ध है एक व्यक्ति सरकार द्वारा नामनिर्देशित किया जाये।

अब मैं एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू पर आता हूं, जिसको इस विधेयक में छोड़ दिया गया है। जब सार्वजनिक क्षेत्र का तीव्र गति से विस्तार हो रहा है, जब आर्थिक क्षेत्र में विभिन्न कार्यों के लिये सरकारी उपक्रमों की स्थापना की जा रही है, तब इस बात को नीति का मूल सिद्धांत मान लिया जाना चाहिये कि संसद् में बैठे जनता के प्रतिनिधियों द्वारा सार्वजनिक कोष में से जिन उपक्रमों की स्थापना की जा रही है उनका पूरा-पूरा हिसाब बताया जाना चाहिये। और वह पूर्णरूप से संसद् के समक्ष उत्तरदायी होने चाहयें।

मैंने नियंत्रक-महालेखा-परीक्षक के सम्बन्ध में मंत्री महोदय की टिप्पणी सुनी है। मेरी समझ में नहीं आता है कि नियंत्रक-महालेखा-परीक्षक को इस निगम का लेखा-परीक्षक बनाने में

[श्री तुलसीदास]

क्या आपत्ति हो सकती है, क्योंकि, अन्ततोगत्वा वह ऐसे किसी लेखा-परीक्षक को ही नियुक्त करेगा जो उसकी हिदायतों के अनुसार लेखा-परीक्षा करे। वित्त मंत्री द्वारा इस सम्बन्ध में यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि यदि नियंत्रक-महालेखा-परीक्षक का उपबन्ध किया गया तो लचीलापन नहीं रहेगा। इस सम्बन्ध में उन्होंने यह भी कहा कि राज्य बैंक में अधिनियम में भी इसी प्रकार का उपबन्ध है और नियंत्रक-महालेखा-परीक्षक का कोई भी स्थान नहीं है।

इस सम्बन्ध में मैं यह नहीं जानता हूं कि इस सभा के सभी सदस्योंको नियंत्रक-महालेखा-परीक्षक द्वारा परिचालित वह टिप्पणी प्राप्त हुई या नहीं जिसमें उन्होंने यह बताया है कि जिन अन्य देशों में हमारे समान संचित निधि से धन दिया जाता है वहां सरकार के उपक्रमों की देखभाल का दायित्व नियंत्रक-महालेखा-परीक्षक पर स्वतः आ जाता है। कल राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री ने कहा कि ब्रिटेन में ऐसा नहीं होता है।

†**राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री एम० सी० शाह)** : मैंने जो कुछ कहा था वह सही है।

†**श्री तुलसीदास** : नियंत्रक-महालेखा-परीक्षक ने इस बात का उत्तर पहले ही दे दिया है···

†**श्री एम० सी० शाह** : आपको उसका अध्ययन करना चाहिये।

†**श्री तुलसीदास** ···· और उन्होंने यह बताया है कि इंगलैंड में सार्वजनिक निधि से कोई धन नहीं दिया गया है।

मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि इस सभा के हितों की देखभाल एक ही व्यक्ति, अर्थात् नियंत्रक-महालेखा-परीक्षक कर सकता है·····

†**सभापति महोदय** : क्या नियंत्रक-महालेखा-परीक्षक द्वारा एक टिप्पणी परिचालित की गई है?

†**वित्त उपमंत्री (श्री बी० आर० भगत)** : क्या सभी सदस्यों को ?

†**श्री तुलसीदास** : मेरा खयाल यही है। दो टिप्पणियों में से एक प्रवर समिति के सदस्यों को परिचालित की गई थी।

†**श्री बी० आर० भगत** : माननीय सदस्य का निर्देश किस टिप्पणी से है? हमारे पास कोई टिप्पणी नहीं है।

†**श्री तुलसीदास** : मेरे पास वह टिप्पणी है जो प्रत्येक सदस्य को परिचालित की गई थी। मैं इसी टिप्पणी का निर्देश कर रहा हूं।

†**श्री बी० आर० भगत** : मेरा ख्याल है कि यह टिप्पणी प्रवर समिति के सभी सदस्यों को परिचालित नहीं की गई थी। सम्भव है कि वह कुछ सदस्यों को निजी तौर पर परिचालित की गई हो। मुझे तो दी नहीं गई। मैं समिति का एक सदस्य था।

†**श्री तुलसीदास** : माननीय मंत्री उसे नियंत्रक-महालेखा-परीक्षक से प्राप्त कर सकते हैं। मेरी समझ में यह नहीं आता है कि नियंत्रक-महालेखा-परीक्षक द्वारा लेखा-परीक्षक किये जाने की बात को स्वीकार करने में सरकार को संकोच क्यों हो रहा है।

मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार के किसी उपक्रम के उत्तरदायित्व की जानकारी इस सभा को केवल नियंत्रक-महालेखा-परीक्षक से प्राप्त हो सकती है। इसलिये यह आवश्यक है कि इस सभा की ओर से नियंत्रक-महालेखा-परीक्षक को सभी सम्बन्धित मामलों की जांच करने का अधिकार होना

†मूल अंग्रेजी में।

चाहिये। सरकार को उसका लेखा परीक्षण पसंद हो या न हो सरकार द्वारा किसी उपक्रम का राष्ट्रीयकरण तभी किया जाना चाहिये जबकि महालेखा-परीक्षक के लेखा-परीक्षा के अधिकार को वह स्वीकार करे ।

वित्त मंत्री ने कहा कि केवल राज्य बैंक की लेखा-परीक्षा महालेखा-परीक्षक द्वारा नहीं की जाती है। यह गलत बात है और हम जानते हैं कि ऐसी ही एक बात को सुधारने के लिये हमें औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम में संशोधन करना पड़ा था। मेरी समझ में नहीं आता है कि यह कार्यवाही अब तक क्यों नहीं की गई थी और मुझे विश्वास है कि सभा इस बात को सभा की प्रतिष्ठा का एक विषय समझ कर आवश्यक कार्यवाही करेगी ।

भारतीय समवाय अधिनियम और बीमा अधिनियम में, यह देखने के लिये कि निगम और समवाय सही तरीके से कार्य करें, कई उचित उपबन्ध किये गये हैं। हो सकता है किसी गैर-सरकारी क्षेत्र में कई समवाय हों जबकि यह केवल एक ही निगम है। मुझे प्रसन्नता है कि बीमा अधिनियम की कुछ धाराओं के लागू करने का जहां तक सम्बन्ध है, प्रवर समिति ने कुछ उपबन्ध किये हैं ।

मैंने अपनी विमत टिप्पणी में धारा २७, २७-क और ४०-ख का निर्देश किया है। वित्त मंत्री ने इस बात के कारण बताये हैं कि इन उपबन्धों का निगम पर लागू करना क्यों आवश्यक नहीं था। उनके कारण मुझे संतोषजनक प्रतीत नहीं होते। उन्होंने बताया कि व्यय-अनुपात निश्चय ही कम हो जायेगा और इसलिये वह आवश्यक नहीं है। किन्तु यदि कार्य करने वाले समवायों के लिये यह निर्बन्ध था तो उसे इस निगम पर क्यों लागू नहीं किया जा सकता है। सरकार इस प्रस्थापना से क्यों सहमत नहीं है, यह मेरी समझ में नहीं आ रहा है।

विनियोग से सम्बन्धित अन्य उपबन्ध २७ और २७ क हैं। विनियोग किस प्रकार किया जाता है केवल इसी दृष्टिकोण से देखना पर्याप्त नहीं है क्योंकि विनियोग का प्रभाव जीवन बीमा पत्रधारियों पर पड़ता है। जहां तक पिछले लाभांशों का प्रश्न है सरकार ने प्रत्याभूति दी है किन्तु भावी लाभांश निगम के विनियोग से प्राप्त होने वाले ब्याज पर निर्भर करेगा। वह निगम के व्यय अनुपात पर भी निर्भर करेगा।

मेरा ख्याल है कि व्यय अनुपात और विनियोग सम्बन्धी यह जो निर्बन्ध है वह इस निगम पर लागू किया जाना चाहिये। सामान्य परिस्थितियों में विनियोग का ५५ प्रतिशत सरकारी प्रतिभूतियों में और धारा २७ के अनुसार शेष का विनियोग मान्यता-प्राप्त प्रत्याभूतियों में किया जाना है। इसके बाद प्राप्ति और विनियोग के विभाजन का प्रश्न भी है। इसलिये बीमा पत्रधारियों के हित में मैंने यह सुझाव दिया है कि अधिक से अधिक ५५ प्रतिशत का विनियोग सरकारी प्रतिभूतियों में किया जाये, किन्तु शेष का विनियोग ऐसे तरीकों से किया जाये कि बीमा पत्रधारियों को प्राप्त होने वाला लाभ प्रभावित न हो । यदि ऐसा किया जाता है तो अंशधारियों को अधिक लाभ प्राप्त होगा और वह अधिक लाभांश प्राप्त करने की आशा कर सकेंगे। विशेषकर माननीय मंत्री द्वारा दिये गये आश्वासन को देखते हुए, उस हद तक, धारायें २७, २७ क और ४० ख इस विगम पर लागू की जानी चाहियें ।

मौजूदा बीमा समवायों के सहायक समवायों के कार्यभार के निगम द्वारा ले लिये जाने के प्रश्न के बारे में मैं कुछ निवेदन करूंगा। इस बारे में मुख्य पहलू है सामान्य बीमा व्यवसाय। मैं जानता हूं कि कुछ सदस्य सामान्य बीमा व्यवसाय के राष्ट्रीयकरण के पक्ष में हैं किन्तु मेरी समझ में नहीं आता है कि बीमा का वह भाग इस विधान में क्यों सम्मिलित न किया जाये।

[श्री तुलसीदास]

जैसा कि आपने देखा होगा कि मुख्य कठिनाई विदेशों में जीवन बीमा के कार्य के सम्बन्ध में हैं। यह बताया गया है कि भारत से बाहर जीवन बीमा का जो कुछ व्यवसाय किया गया है उसे ऐसे जीवन बीमा समवायों अथवा अन्य समवायों को सौंप दिया जायेगा जो इस कार्य को करने के इच्छुक हैं। कारण यह है कि विदेशों में वह किसी ऐसी संस्था को पसंद नहीं करते हैं जिसका राष्ट्रीयकरण किया गया हो। सामान्य बीमा व्यवसाय में आन्तरिक व्यवसाय से अन्तर्राष्ट्रीय व्यवसाय अधिक होता है। इसलिये मैं यह सुझाव देता हूं कि उक्त जीवन बीमा समवायों को अथवा अन्य समवायों को, यदि वह चाहते हैं तो, मौजूदा समवायों के सहायक समवायों का कार्यभार भी सौंप दिया जाये।

अब मैं क्षतिपूर्ति के प्रश्न को लेता हूं। यहां मैं यह बताना चाहता हूं कि सरकार जो क्षतिपूर्ति देने जा रही है वह उस निधि से दे रही है जो उसे समवायों और परिणामतः इस निगम से प्राप्त होगी। इसलिये सरकार को अपने पास से कुछ देना नहीं पड़ रहा है।

दूसरा पहलू यह है कि जब आप जिस किसी भी व्यवसाय को लेते हैं आप उसे लेने के लिये उसका जो मूल्य है उसके हिसाब से लेते हैं न कि वर्षों पहले के मूल्य के हिसाब से। आप देखेंगे कि १९५२ में कुल व्यवसाय में लगी हुई राशि ८०० करोड़ रुपये थी जबकि १९५५ के अन्त में यही राशि १,००० करोड़ रुपये थी; इस प्रकार आप २२–२४ प्रतिशत कम भुगतान कर रहे हैं।

मौजूदा अधिनियम के अन्तर्गत समवायों को ढाई प्रतिशत.....

†**सभापति महोदय :** माननीय सदस्य ने २ बज कर २४ मिनट पर अपना भाषण आरम्भ किया था। जैसा कि माननीय अध्यक्ष महोदय ने बताया कि दलों के नेताओं और कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों को आधे घंटे का समय दिया जायेगा और आप आध घंटे से अधिक बोल चुके हैं।

†**श्री तुलसीदास :** जी, नहीं। मैंने २ बजकर २४ मिनट पर बोलना आरम्भ किया और २ बज कर ५४ मिनट पर आधा घंटा समाप्त होगा। मैं अन्तिम बात कहने जा रहा हूं। मैं यह बताना चाहता हूं कि जिन समवायों ने साढ़े सात प्रतिशत आवंटन किया है उन्हें पांच प्रतिशत की दर से भुगतान किया जायेगा और वह भी १९५२ के मूल्यांकन के आधार पर। इसके कारण उन्हें मौजूदा मूल्यांकन का केवल ४१ प्रतिशत प्राप्त हो रहा है। मेरी समझ में नहीं आता है कि सरकार इन समवायों को आवंटित राशि के अनुसार क्षतिपूर्ति का भुगतान क्यों नहीं करती है। इसके अतिरिक्त विभिन्न समवायों के ५०,००० अंशधारी हैं और यदि क्षतिपूर्ति कम दी जायेगी तो यह अंशधारी प्रभावित होंगे।

दूसरा पहलू यह है कि जब यह निगम कार्य करेगा तो वह आवंटन आधिक्य का पांच प्रतिशत लेना चाहेंगे। निगम अंशधारियों के धन को काम में लायेगा किन्तु क्षतिपूर्ति का भुगतान करते समय वह केवल ५ प्रतिशत देना चाहते हैं जबकि अंशधारियों के आधिक्य में से साढ़े सात प्रतिशत आवंटन किया गया है। मेरा ख्याल है कि यह क्षतिपूर्ति बहुत कम है। मेरा निवेदन है कि जिन समवायों ने साढ़े सात प्रतिशत आवंटन किया है उन्हें यदि साढ़े सात प्रतिशत नहीं तो कम से कम सवा छः प्रतिशत दिया जाना चाहिये। मैं प्रश्न के गुणावगुणों की चर्चा में पड़ना नहीं चाहता। यह प्रश्न प्रविधिक हैं और जिन समवायों ने केवल साढ़े तीन प्रतिशत आवंटन किया था उनके साथ क्या हुआ यह मैं बताना नहीं चाहता हूं। मेरा ख्याल है कि जिन समवायों ने साढ़े सात प्रतिशत की दर से आवंटन किया है उन्हें पांच प्रतिशत की दर से क्षतिपूर्ति का भुगतान करना उनके साथ अन्याय करना होगा।

---

†मूल अंग्रेजी में।

आधिक्य का मूल्यांकन उस दिन किया जाना चाहिये जबकि निगम इन सभी समवायों से कार्यभार ले ले। या तो मूल्यांकन उस वर्ष के सामान्य बीमा व्यवसाय के आधार पर होना चाहिये अथवा तीन वर्ष की औसत होनी चाहिये न कि ६ वर्ष की।

मेरा ख्याल है कि जब तक आप सम्पत्ति के अधिकारों की रक्षा नहीं करते हैं तब तक वह किसी समाज के हित को लाभान्वित नहीं कर सकती है।

†**श्री साधन गुप्त :** मुझे इस बात का अत्यन्त दुःख है कि बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण केवल जीवन बीमा तक ही सीमित है और उसका विस्तार व्यवसाय के सामान्य क्षेत्र तक नहीं किया गया है।

जीवन बीमा को गैर-सरकारी क्षेत्र से समाप्त कर देने के लिये एक और कारण था जोकि सामान्य बीमा व्यवसाय पर भी लागू होता है। हम एक ऐसे देश में रहते हैं जो तीव्र औद्योगीकरण के लिए संसाधनों की खोज करने में अत्यंत व्यग्र हैं। हम विदेशी सहायता प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं किन्तु उसके अनिश्चित होने के कारण उस पर आधारित कोई योजना बनाई नहीं जा सकती है। हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम घाटे की अर्थ-व्यवस्था का आश्रय ले रहे हैं और ऐसी स्थिति में जीवन बीमा समवायों की और सामान्य बीमा समवायों की निधि को काम में लाने से इन्कार कैसे कर सकते हैं।

जीवन बीमा समवायों के पास इस समय लगभग ३८० करोड़ रुपये की निधि है और इसलिये इस निधि को लेकर राष्ट्र की आर्थिक प्रगति के लिये काम में लाया जाना उचित ही है।

सामान्य बीमा, व्यवसाय को छोड़ दिये जाने का मुझे वास्तव में दुःख है। विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के विवरण में कदाचार की जिन घटनाओं का उल्लेख किया गया है वह सामान्य बीमा समवायों पर अधिक लागू होती हैं। यदि आप इन सब बातों को छोड़ भी दें तो भी सेवा-युक्त कर्मचारियों के दृष्टिकोण से यह नितांत आवश्यक था कि सामान्य बीमा समवायों का कार्यभार ले लिया जाता। सामान्य बीमा व्यवसाय को जीवन बीमा व्यवसाय से काफी समर्थन मिलता है और मैं कह सकता हूं कि जीवन बीमा व्यवसाय के राष्ट्रीयकरण के बाद इनमें से अधिकांश समवायों का दिवाला निकल जायेगा। मुझे इस आशय के कई तार प्राप्त हुये हैं कि सामान्य बीमा विभाग में कर्मचारियों की छंटनी अभी से शुरू हो गई है। कम से कम कर्मचारियों को राहत देने के लिये ही, सरकार द्वारा सामान्य बीमा क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिये था। सरकार यह नहीं कह सकती कि उसे इस समस्या की जानकारी नहीं थी। मैं इस मामले में सरकार पर घोर उदासीनता का आरोप लगाता हूं और मैं यह जानना चाहता हूं कि सामान्य बीमा-क्षेत्र में एक बड़े पैमाने पर कर्मचारियों की छंटनी किये जाने पर सरकार क्या कार्यवाही करने का इरादा रखती है।

मैंने जो बातें कही हैं उनके अतिरिक्त मैं विधेयक के सिद्धांत का पूर्ण समर्थन करता हूं। इसमें संदेह नहीं है कि विधेयक के विभिन्न पहलुओं के बारे में काफी मतभेद है तथापि विधेयक के सिद्धांत से हम सहमत हैं। उदाहरण के लिये क्षतिपूर्ति सम्बन्धी उपबन्ध को लीजिये। किसी अंशधारी को उसके अंशों से कुछ आय होती है और उसे उस आय के प्राप्त होते रहने के प्रत्याभूति दी जानी चाहिये। श्री तुलसीदास की यह शिकायत है कि हम में से कुछ स्वामित्व हरण करना चाहते है। किन्तु हम चाहते हैं कि क्षतिपूर्ति समुचित होनी चाहिये। आज स्थिति यह है कि यदि कोई श्रमिक अपने कर्तव्य पालन में किसी दुर्घटना के कारण अपनी अर्जन क्षमता खो बैठता है तो वह जीवन भर के लिये बेरोजगार हो जाता है। इस विधेयक के अन्तर्गत यदि निगम आधुनिकरण के जरिये किसी कर्मचारी का वेतन कम करता है तो उसे केवल तीन माह की मजूरी दी जाती है। मैं आपको यह बता सकता हूं कि बहुत से समवाय उत्पादन या भविष्य निधि की व्यवस्था नहीं करते हैं। ऐसी स्थिति में आप अंशधारी को अधिक क्षतिपूर्ति किस प्रकार दे सकते हैं ? उसने तो केवल पूंजी

†मूल अंग्रेजी में

[श्री साधन गुप्त]

लगा दी है और उसे खाली बैठे रहने पर भी आय प्राप्त होती है। उसे कोई खतरा उठाना नहीं होता है। मैंने समूचे समाज के दृष्टिकोण से यह बताया है कि इस प्रकार की भारी क्षतिपूर्ति दी जानी अनावश्यक है क्योंकि समाज के सभी वर्गों के साथ हम ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते हैं। क्षतिपूर्ति को पूंजीपति के दृष्किोण से देखिये। पूंजीपति को दी जाने वाली क्षतिपूर्ति उसके द्वारा जो खतरा उठाया जाता है उसकी क्षतिपूर्ति समझी जाती है। जीवन बीमा व्यवसाय में कभी घाटा नहीं होता है। यह देखा गया है कि जापान में भूकम्प के कारण जबकि एक-तिहाई जनसंख्या तबाह हो गई थी तब भी जीवन बीमा व्यवसाय पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा था। जीवन बीमा व्यवसाय में शायद ही कोई खतरा होता है? बीमा व्यापार को बढ़ाने का श्रेय किसको है? क्या इसका विकास केवल बीमा समवायों के द्वारा ही हुआ है। आप जानते हैं कि हाल ही में राज्य ने बीमा व्यापार के विकास के लिये बहुत से उपाय किये हैं। निर्धायों को आय-कर में छूट दी गई हैं और सरकारी क्षेत्र से बहुतसा रुपया खर्च करने की योजना बनाई गई है। चूंकि इससे लोगों की आय बढ़ेगी इसलिये इसका प्रभाव बीमा व्यापार के विकास पर भी पड़ेगा। अतः बीमा व्यापार को बढ़ाने का श्रेय केवल बीमा कम्पनियों को ही नहीं है। हमने इस बात का निर्णय, कि प्रतिकर उचित है या नहीं, अन्य आधारों पर करना है। एकमात्र आधार यह है कि यह देखा जाये, कि इसी प्रकार की परिस्थितियों में समाज के अन्य वर्गों को मिलने वाले प्रतिकर की तुलना में यह प्रतिकर क्या अत्यधिक है। और साथ ही यह इतना कम भी न हो कि इससे वह व्यक्ति जो बीमा कम्पनी में लगाये गये धन से होने वाली आय पर ही निर्भर करता है, अपना गुजारा न कर सके। इसीलिये मैंने अपने विमति-टिप्पण में कहा है कि अंशधारियों को २० वर्षों की बजाय दस वर्षों की औसत आय के बराबर प्रतिकर दिया जाय। मैं तो यह कहने के लिये भी तैयार हूं कि उन्हें अन्तिम लाभांश का जो सबसे अधिक होता है, दस गुना दे दिया जाये। यह पर्याप्त होना चाहिये।

दूसरा पहलू कर्मचारियों को प्रतिकर देने का है। यदि कम्पनी ने गारंटियां नहीं दी हैं तो किसी कर्मचारी को, जो वैज्ञानिकन को स्वीकार नहीं करता तीन मास का पारिश्रमिक देकर अलग किया जा सकता है। मैं नहीं समझ सका कि कर्मचारियों को इतना कम प्रतिकर क्यों दिया जाये, जबकि बीमा व्यापार को बढ़ाने और फैलाने में उनका उतना ही हाथ है जितना कि अंशधारियों का?

बीमा-पत्रधारियों के साथ भी यही व्यवहार किया गया है। खण्ड १४ के अन्तर्गत, दिवालिया कम्पनियों के बीमापत्र धारियों के बीमा-पत्रों का मूल्य घटाया जा सकता है। कभी-कभी घाटा आस्तियों के कम मूल्यांकन के कारण या दायिताओं के अधिक मूल्यन से होता है। इस प्रकार कमी दिखाई जाती है। लेकिन साथ ही हमें याद रखना चाहिये कि ऐसा करने से उनकी मनोवृत्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बीमा-पत्रों के मूल्य में कमी किये जाने से बीमा-पत्रधारियों को उनमें विश्वास नहीं रहेगा। वे समझेंगे कि निगम अपने दायित्व को पूरा करने या उनके बीमा पत्रों का भुगतान करने में असमर्थ है। आप प्रत्येक बीमा-पत्रधारी से यह आशा नहीं कर सकते कि वह सरकार द्वारा किये गये विधि के निर्वचन को समझे। इसलिये मैं समझता हूं कि एक राष्ट्रीयकृत उपक्रम के लिये यह बात बहुत अशुभ है। कहा गया था कि राज्य उन बीमा पत्रधारियों के बीमा-पत्रों की गारंटी नहीं दे सकता जिन्होंने खराब कम्पनियों में बीमा करा लिया था। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह विचार गलत है। हो सकता है कि बहुतसी कम्पनियां दिवालिया हो गई हैं। पूछा गया है कि क्या सरकार उस कम्पनी के बीमा-पत्रों की भी गारंटी दे, जिसने जीवन-निधि के ३२ लाख रुपये में से ३० लाख रुपया गंवा दिया है? किन्तु याद रखना चाहिये कि ऐसी कम्पनी भी सरकार से लाइसेंस लेकर काम कर रही थी और सरकार ने इसे मान्यता प्रादान कर रखी थी। बीमा नियन्त्रक का एक पृथक् विभाग है, जिसको बहुत अधिकार प्राप्त हैं और बीमा नियन्त्रक

का यह कर्तव्य है कि वह कुप्रबन्ध और दुरुपयोग को रोके। बीमा-पत्रधारी भी इस विचार से किस्तें देते रहे हैं कि उनके बीमा पत्रों का भुगतान किया जायेगा, विशेष कर उस समय जबकि यह व्यापार सरकार अपने हाथ में ले रही है। यदि सरकारी विभागों ने, बीमा नियन्त्रक के कार्यालय ने, इस भ्रष्टाचार को, धन के इस दुरुपयोग की अकार्यकुशलता या कर्मचारियों की संख्या कम होने के कारण नहीं रोका या नहीं रोक सका तो इस कारण बीमा-पत्रधारियों की हानि क्यों होने दी जाये ?

अब लेखा-परीक्षा के प्रश्न को लीजिये । वित्त मंत्री ने कहा है कि इस प्रकार के वाणिज्यिक निगम में नियन्त्रक महा-लेखा-परीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा की व्यवस्था किये जाने की आवश्यकता नहीं है। किन्तु मैं समझता हूं कि सिद्धांत रूप से यह स्वाभाविक है कि इस प्रकार के निगम के, जिसमें राज्य का बहुत-सा धन पूंजी के रूप में लगाया जायेगा, लेखों की लेखा परीक्षा नियन्त्रक महा-लेखा-परीक्षक द्वारा ही की जानी चाहिये। विमान निगम औद्योगिक वित्त निगम आदि सबके लेखों की परीक्षा नियन्त्रक महा-लेखा-परीक्षक द्वारा ही की जाती है। इस निगम में क्या विशेषता है ? कहा गया है कि यह एक वाणिज्यिक समवाय है कि और कार्य-पालिका को विवेक से कार्य करना पड़ता है। मैं नहीं समझ सका कि नियन्त्रक महा-लेखापरीक्षक किस तरह विवेक के प्रयोग को रोक सकेंगे ? वह तो केवल इस बात का ध्यान रखेंगे कि इस विवेक के प्रयोग द्वारा निकाय धन का अपव्यय न करे ? क्या हम नहीं चाहते कि धन का अपव्यय न हो ? वास्तव में सरकार के इस रवैये का कारण यह है कि नियन्त्रक महा-लेखापरीक्षक ने औद्योगिक वित्त निगम की बहुत-सी अनियमिताओं का पता लगाया है और सरकार ऐसी बात पसन्द नहीं करती है। वह चाहती है कि नियन्त्रक महा-लेखापरीक्षक उसकी इच्छानुसार काम करे। हम यह बात स्वीकार नहीं कर सकते। हम स्वतन्त्र और निष्पक्ष लेखा परीक्षा चाहते हैं और निगम को चलाने वाले किसी भी ईमानदार व्यक्ति को ऐसी लेखा-परीक्षा का भय नहीं होना चाहिये। हमने देखा है कि नियन्त्रक महा-लेखापरीक्षक लेखापरीक्षा करने के लिये स्वतन्त्र है और हम यही चाहते हैं।

सरकार ने गैर-सरकारी क्षेत्र को यह आश्वासन दिया है कि उसमें अब तक जितना विनियोग किया जाता था, उसे कायम रखा जायेगा किन्तु यह आश्वासन देने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस लिये मैं सुझाव देता हूं कि निगम की निधि का पहले जो विनियोग हो वह सरकारी प्रतिभूतियों में होना चाहिये और सरकार को इन प्रतिभूतियों पर ३।। से ४ प्रतिशत तक ब्याज देना चाहिये। इस के बाद निगम की सारी निधि सरकार द्वारा ले ली जाये और उसे राष्ट्रीय विकास के हित में प्राथमिकताओं के अनुसार विनियोजित किया जाये।

अब कर्मचारियों के बारे में कुछ सुझाव हैं। पहला यह है कि खण्ड २८ के अन्तर्गत जो आधिक्य है, उसका आवंटन कर्मचारियों को मूल्यांकन लाभांश का भुगतान करने के लिये कम से कम २।। प्रतिशत होना चाहिये। कर्मचारियों का स्थानांतरण जोन के बाहर उनकी सहमति के बिना न किया जाये और निगम के कर्मचारियों और प्रबन्धकों के बीच उत्पन्न होने वाले सभी विवादों का निर्णय न्यायाधिकरण द्वारा किया जाना चाहिये और केन्द्रीय सरकार का निर्णय अन्तिम नहीं होना चाहिये ।

अन्त में मैं इस बात पर जोर देता हूं कि अभिकर्ताओं को प्राप्त होने वाले कमीशन के सम्बन्ध में धारा ४४ और धारा ४०-क की उपधारा (१) पूर्ण रूप से लागू होनी चाहिये।

खण्ड ४९ के अन्तर्गत निगम को विनियम बनाने का अधिकार दिया गया है और संसद् का इन विनियमों पर कोई नियन्त्रण नहीं है। इसलिये इस अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गये विनियमों में संशोधन करने का अधिकार संसद् को होना चाहिये।

†**सभापति महोदय :** अब हम गैर-सरकारी सदस्यों सम्बन्धी कार्य को आरम्भ करेंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

तिरपनवाँ प्रतिवेदन

†**श्री आल्तेकर** (उत्तर सतारा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के तिरपनवें प्रतिवेदन से, जो १६ मई, १९५६ को सभा के समक्ष उपस्थापित किया गया था, सहमत है।"

इस रिपोर्ट में दो बातों की चर्चा की गई है। पहली श्री टी० बी० विट्ठल राव के कारखाना (संशोधक) विधेयक के वर्गीकरण के बारे में है। विचार के बाद इसे वर्ग (ख) में रखा गया है और इसके लिये तीन घंटे दिये गये हैं।

दूसरी बात यह है कि श्री नंद लाल शर्मा ने दूसरी बार प्रार्थना की है कि उनके गोहत्या सम्बन्धी विधेयक को वर्ग (ख) की बजाय वर्ग (क) में रखा जाये। उनकी एक पहली ऐसी प्रार्थना इस कारण अस्वीकार कर दी गई थी कि इसी प्रकार के एक और विधेयक पर कुछ समय सदन में चर्चा हुई थी। इसलिये अब इसे वर्ग (क) में रखने का कोई नया कारण नहीं है।

†**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के तिरपनवें प्रतिवेदन से जो १६ मई, १९५६ को सभा के समक्ष उपस्थापित किया गया था, सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक*

धारा ४९४ में संशोधन

†**श्री एस० बी० रामस्वामी** (सैलम) : मैं प्रस्ताव करता हूं "कि भारतीय दण्ड-संहिता, १८६० में और आगे संशोधन करने वाली विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

†**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय दण्ड-संहिता, १८६० में और आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**श्री एस० बी० रामस्वामी** : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

खान (संशोधन) विधेयक

(धारा ३३ और ५१ का संशोधन)

†**सभापति महोदय** : अब सभा ४ मई, १९५६ को श्री टी० बी० विट्ठल राव द्वारा रखे गये इस प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा करेगी :

"कि खान अधिनियम, १९५२ में और आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

---

*भारत के सूचना-पत्र असाधारण भाग २, अनुभाग २, दिनांक १८-५-५६ में प्रकाशित

†मूल अंग्रेजी में

१ १/२ घंटे के समय में से २९ मिनट ४ मई को खर्च हो चुके थे, अब केवल एक घण्टा और एक मिनट शेष हैं। श्री टी० बी० विट्ठल राव संक्षेप में अपना भाषण समाप्त करेंगे।

†**श्री टी० बी० विट्ठल राव** (खम्मम) : वर्तमान अधिनियम में खानों के मजदूरों में दो श्रेणियां रखी गई हैं। मासिक वेतन वालों को वर्ष में १४ दिन की वेतन समेत छुट्टी मिलती है, जबकि दैनिक मजूरी के मजदूरों को केवल सात दिन की, और वह भी इस शर्त पर कि वे कभी हड़ताल नहीं करेंगे। मैं इस भेद को मिटाना चाहता हूं।

चूंकि अभ्यावेदन का कोई दूसरा उपाय नहीं है, इसलिये मैंने यह विधेयक रखा है। विभिन्न समितियां बनी हुई हैं, परन्तु श्रम मंत्रालय की अकुशलता के कारण उनकी नियमित बैठकें नहीं होतीं, जबकि अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संघ के अनुदेशों के अनुसार इन समितियों की नियमित बैठकें होनी चाहियें। १९५२ से खान सम्बन्धी औद्योगिक समिति की कोई बैठक नहीं हुई। हालांकि अनेक समस्याएं हमारे सामने हैं, जिनको त्रिदलीय आधार पर हल करके खदानों के मजदूरों की हालत को सुधारा जा सकता है।

अमलाबाद विस्फोट और पारासिया की खान दुर्घटना के जांच न्यायालयों की सिफारिशों की ओर श्रम मंत्रालय ने कोई ध्यान नहीं दिया है। खानों में सुरक्षा के उपाय करने के लिये उच्च शक्ति सम्पन्न आयोग की स्थापना की सिफारिश की गई है, परन्तु अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इससे मंत्रालय की अकुशलता सिद्ध होती है।

विदेशों में भारत की अपेक्षा बहुत अधिक उत्पादन होता है, कहीं पर दुगना, कहीं तिगना, कहीं दस गुना और कहीं बारह गुना उत्पादन होता है। इसका यह अर्थ है कि हम औद्योगिक दृष्टि के विकसित दूसरे देशों से उत्पादन के मामले में बहुत पीछे रह गये हैं। देश में उत्पादन बढ़ाने और दूसरे देशों के बराबर आने के लिये आवश्यक है कि हम शीघ्र से शीघ्र खानों में काम करने वाले लोगों की अवस्था को सुधारें। जब तक उनकी हालत में सुधार नहीं किया जाता है, उन्हें अधिक उत्पादन के हेतु काम करने के लिये प्रेरित नहीं किया जा सकता। पंचवर्षीय योजना में खनिजों के बारे में एक अध्याय है जिसमें कहा गया है कि जिस ढंग से हम खनिज संसाधनों को निकालते हैं और जिस प्रकार हम उनका उपयोग करते हैं वे देश की आर्थिक उन्नति के द्योतक हैं, अतः माननीय मंत्री को इस संशोधक विधेयक को स्वीकार कर लेना चाहिये।

जब तक काम करने वाले लोग संगठिन नहीं होते, तभी तक सरकार और मालिक लाभ उठा सकते हैं, परन्तु जब हम संगठित हो जायेंगे तब श्रम जीवी लोग इस असहनीय दशा को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुझे सरकार से जिसने समाजवादी समाज बनाने का उद्देश्य बनाया है, आशा है, कि वह शीघ्र ही कोई कार्रवाई करेगी और इस छोटे संशोधन को स्वीकार करेगी। मैं सभा से इस प्रस्ताव की स्वीकृति के लिये प्रार्थना करता हूं।

†**सभापति महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

†**श्री एच० एन० मुकर्जी** (कलकत्ता--उत्तर-पूर्व) : यह विधेयक क्रांतिकारी नहीं है, बल्कि इसमें खानों के कर्मचारियों के लिये कुछ सुविधायें मांगी गई हैं, जो उन्हें बहुत पहले मिल जानी चाहिये थीं।

खानों में काम करने वाले लोगों को बड़ा कठिन और सख्त काम करना पड़ता है और बदले में बहुत ही कम मजूरी मिलती है, और अधिकतर लाभ विदेशी लोगों की जेबों में जाता है। इस

†मूल अंग्रेजी में

[श्री एच० एन० मुकर्जी]

विधेयक में उन के लिये ७ दिन की बजाए एक महीने की छुट्टी और अधिक समय काम करने के लिये दूसरे फैक्टरी के कर्मचारियों के समान डेढ़े वेतन की बजाये दुगने वेतन की मांग की गई है। मैं समझता हूं कि यह उचित मांग है और सरकार को इसे स्वीकार कर लेना चाहिये।

इस सभा में भेदभाव के विरुद्ध बड़ी-बड़ी युक्तियां दी जाती हैं, परन्तु खानों के मजदूरों को फैक्ट्रियों और बागान के मजदूरों की अपेक्षा छुट्टियां और अधिक समय काम करने का वेतन कम मिलते हैं। इस विधेयक में इस भेद को मिटाने का प्रयास किया गया है।

प्रस्तावक ने अपने भाषण में दूसरे देशों में उपलब्ध सुविधाओं के साथ तुलना करते हुये बताया है कि हमारे देश के खानों में कर्मचारियों को बहुत ही कम सुविधायें मिलती हैं। कोयला उद्योग के राष्ट्रीयकरण के विरुद्ध मालिक लोग लड़ रहे हैं और उद्योग में काम करने वालों को लाभ तो क्या होना था, १९२६ की अपेक्षा वास्तविक वेतन कम मिलते हैं। श्री विट्ठल राव ने कच्चे मैंगनीज के बारे में मध्य प्रदेश में होने वाली लूट की ओर, और कोलार स्वर्ण खानों की हालत की ओर ध्यान आकर्षित किया है। दुर्घटनाओं की संख्या पहले की अपेक्षा कई गुना हो गई है और फैक्ट्रियों की अपेक्षा कहीं अधिक है। बल्कि प्रति वर्ष यह संख्या बढ़ती ही जा रही है। श्रम संरक्षण विधियां अपर्याप्त होने के साथ-साथ यहां लागू भी कम की जाती हैं। मजदूरों के बारे में खानों का निरीक्षण भी अच्छी तरह नहीं होता और मकान बनाने के लिये दिया गया धन व्यपगत हो जाता है, तथा मालिक कुछ सौ रुपया जुर्माना देकर मकान बनाने के उत्तरदायित्व से बरी हो जाते हैं। खनिज कर्मचारियों के साथ अमानुषिकता का व्यवहार किया जा रहा है। इसलिये यह विधेयक खनिज मजदूरों के लिये कुछ थोड़ी सुविधाओं की मांग करता है, अर्थात् आराम के लिये कुछ अधिक दिनों की तथा फैक्टरी मजदूरों के समान अधिक समय काम करने के लिये अधिक वेतन की।

हमारे खानों के मजदूरों में आदिवासियों की संख्या अधिक है जिन्होंने अपने परिश्रम से भारत की सभ्यता का निर्माण किया है, परन्तु उनकी अपनी अवस्था अत्यन्त दयनीय है और उनके साथ घृणा का व्यवहार किया जा रहा है। जब हमारी सरकार समाजवादी ढंग के समाज की घोषणा करती है, यह विधेयक उसके लिये एक परीक्षा है। यदि हम इन लोगों की न्यूनतम आवश्यकतायें भी पूरी नहीं कर सकते, तो बड़ी शर्म की बात है। सरकार सदा दलबन्दी की भावना से प्रेरित होकर मजदूरों के हितों को रद्द करती रहती है और समाजवादी समाज की खोखली बातें करती है। इसलिये मैं सरकार से अपील करता हूं कि वह इस छोटी मांग को पूरा करने के लिये अग्रसर होकर इस विधेयक को स्वीकार करे।

सरकार इस विधेयक के सिद्धांत को स्वीकार करे या इसे सरकारी उपक्रम के रूप में लाये परन्तु देश के खनिकों के प्रति न्याय होना चाहिये।

†**श्री एन० श्रीकान्तन नायर** (क्विलोन व मावेलिक्करा) : यदि इस सुझाव के बारे में माननीय मंत्री जी की प्रतिक्रिया मालूम हो जाती तो अच्छा होता।

यद्यपि यहां के फैक्टरी कर्मचारियों की अवस्था दूसरे देशों के फैक्टरी कर्मचारियों की तुलना में बुरी है, परन्तु खानों के कर्मचारियों की अवस्था उनसे कहीं अधिक खराब है। उन्हें खानों में जाकर मालिकों और सरकारी कर्मचारियों के दुर्व्यवहार के अधीन रहते हुये बड़ा कठिन काम करना पड़ता है और कई बार चोटें लगती हैं तथा मृत्यु भी हो जाती है। ये खानें अधिकतर बड़े-बड़े लोगों के कब्जे में हैं जिसका राज्य सरकारों पर पूरा नियंत्रण होता है। पुलिस के साथ मिलकर इन मालिकों के गुंडे मजदूरों को और उनसे सहानुभूति रखने वाले लोगों को तंग करते हैं।

†मल अंग्रेजी में

मैं धनवाद में गया तो मेरा जीवन वहां इन गुन्डों के कारण खतरे में था, क्योंकि वहां बिहार सरकार और पुलिस इनके साथ है।

†**श्रम-उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : माननीय सदस्य के लिये बिहार सरकार और बिहार पुलिस की कार्रवाई का उल्लेख करना उचित नहीं है, क्योंकि वे यहां नहीं हैं जो अपना बचाव कर सकें ।

†**सभापति महोदय** : यह एक सामान्य वक्तव्य है। यदि कोई विशिष्ट बात कही गई होती तो मैं माननीय सदस्य को साक्ष्य प्रस्तुत करने को कहता। इसलिये सामान्य वक्तव्यों को सर्वथा अवरुद्ध नहीं किया जा सकता ।

†**श्री एन० श्रीकान्तन नायर** : मैंने किसी मंत्री आदि के विरुद्ध नहीं कहा, मैंने साधारण बात कही है। खानों के मजदूरों का जीवन बहुत बुरा है और उनका वेतन दूसरे फैक्टरी मजदूरों की अपेक्षा कम है। मासिक वेतन वालों और दैनिक वेतन वालों में भी अन्तर किया गया है। मजदूरों ने कई बार मांग की है कि उन्हें भी मासिक वेतन वाले कर्मचारी बनाया जाये चूंकि वे मासिक वेतन वाले कर्मचारी नहीं हैं, इसलिये हमारे लिये उनकी मांग पर जोर देना भी कठिन हो गया है। मासिक वेतन वाले कर्मचारी न होने के कारण उनको बड़ी. यातनायें और कष्ट सहने पड़ते हैं। इसलिये उनकी कार्यावधि निश्चित की जानी चाहिये तथा उनको वे सभी सुविधायें मिलनी चाहियें जो मासिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों को प्राप्त होती हैं। छुट्टी और दूसरी सुविधाओं के बारे में दैनिक वेतन और मासिक वेतन वाले मजदूरों में जो भेद रखा गया है उससे मजदूर संघों, मालिकों और सरकार के लिये बड़ी कठिनाइयां पैदा हो गई हैं ।

इन दोनों श्रेणियों में अन्तर क्यों रखा जाय ? इस अन्तर और भेद को हटाना चाहिये। दैनिक वेतन वाले मजदूरों को अधिक छुट्टी देने से उत्पादन कम हो जायेगा यह केवल मात्र भ्रम है, इसमें कोई सार नहीं है। कुछ खर्च अवश्य बढ़ जायेगा परन्तु मजदूरों का स्वास्थ्य तो ठीक रहेगा और अच्छी सेहत के साथ वह अधिक काम करके उत्पादन को बढ़ा सकेंगे। कुल मजदूरों की संख्या का बारहवां भाग अधिक भरती करना होगा और मजदूर बारी-बारी से एक महीने की छुट्टी पर जा सकते हैं। इससे उत्पादन में कोई हानि नहीं होगी। केवल कुछ खर्च बढ़ेगा और वह हमें मजदूरों के स्वास्थ्य के लिये करना ही चाहिये, अन्यथा एक-दो पीढ़ियों के बाद मजदूर ढूंढ़ने से भी नहीं मिलेंगे।

मैं नहीं चाहता कि किसी भी मजदूर से अधिक समय तक काम करवाया जाये। फैक्टरियों के मजदूरों को अधिक समय काम करने के लिये दुगना वेतन दिया जाता है, परन्तु खानों के मजदूरों को भूतल पर काम करने के लिये थोड़ा और भूमि के नीचे काम करने के लिये दुगना वेतन दिया जाता है। मुझे इस भेद का कोई कारण समझ में नहीं आता। आठ घण्टे काम करने के बाद मजदूर इतने थक जाते हैं, फिर उनसे अधिक काम नहीं लेना चाहिये। और यदि मालिक अपने किसी आवश्यक काम को करवाता है तो मजदूर को अधिक परिश्रम करने लिये उचित मजूरी मिलनी चाहिये। इसी आधार पर फैक्टरी मजदूरों को दुगना वेतन मिलता है। वही तर्क इस संशोधन के बारे में भी लागू होता है ।

माननीय मंत्री ने इन कठिनाइयों को और दैनिक वेतन वालों तथा मासिक वेतन वालों के प्रति किये जाने वाले भेदभाव के व्यवहार के कारण उत्पन्न होने वाले झगड़ों को अनुभव किया होगा। यह झगड़ों का मूल कारण है। इसलिये मैं आशा करता हूं कि वह इस छोटे से संशोधन को स्वीकार कर लेंगे। वास्तविक काम तो मजदूरों द्वारा किया जाता है, इसलिये उन्हें भी उतना ही लाभ होना चाहिये जितना कम काम करने वाले मासिक वेतन वालों को होता है। हमें कम से कम छुट्टी के

†मूल अंग्रेजी में

[श्री एन० श्रीकान्तन नायर]

मामले में दैनिक वेतन और मासिक वेतन वाले लोगों में कोई भेद नहीं करना चाहिये। मुझे विश्वास है कि यदि यह बात स्वीकार कर ली गई तो श्री विट्ठल राव दोनों श्रेणियों के मजदूरों के लिये १५ दिन की छुट्टी को स्वीकार कर लेंगे। माननीय मंत्री को छुट्टी और अधिक काम के लिये वेतन के इस प्रश्न के बारे में इस छोटे विधेयक को स्वीकार कर लेना चाहिये।

†**डा० जयसूर्य** (मेदक) : मैं दो कारणों से इस विधेयक का समर्थन करता हूं। सब कोयला-खानों पर लागू होने वाली कोई एकरूप विधि नहीं है, और कुछ खानें छोटी हैं, कुछ बड़ी, कुछ का प्रबन्ध अच्छा है और कुछ का बुरा।

मजदूरों के काम का समय तब से गिना जाता है जब वह खान के द्वार से मील-डेढ़ मील दूर कोयला निकालने के स्थान पर काम करने जाते हैं और वहां काम समाप्त करते हैं। परन्तु समय तबसे गिना जाना चाहिये। जब वे द्वार पर पहुंच जायें और द्वार तक आने के समय को मिलाकर उनके आठ घंटे काम लेना चाहिये।

दूसरे, ब्रिटेन का कोयला-खान उद्योग यूरोप में सबसे पिछड़ा हुआ है। रूस और चीन में कानून है कि किसी भी मजदूर को खान में छः घण्टे से अधिक और भारी रसायन उद्योगों में चार घण्टों से अधिक काम नहीं करना पड़ता। हमारे यहां समाजवादी ढंग के समाज के संकल्प पारित किये जाते हैं परन्तु उन्हें कार्यान्वित किया जाना चाहिये। हमें इस प्रस्ताव को यथार्थ स्वरूप देना चाहिये। मैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना की गम्भीरता और सरकार के इरादों का अनुमान इस बात से लगाऊंगा कि सरकार श्री विट्ठल राव के इस छोटे से सरल प्रस्ताव को स्वीकार करती है या रद्द करती है।

कोयला-खोनों के मजदूरों का जीवन कम होता है, क्योंकि फेफड़ों में कोयला भर जाने के कारण उनको क्षय जैसे भयानक रोग पकड़ लेते हैं। रूस और चीन में उनको प्रतिवर्ष पूरे वेतन पर स्वास्थ्य केन्द्रों में भेजा जाता है। परन्तु भारत में ऐसा कोई स्वास्थ्य-केन्द्र नहीं है। कम से कम उनको अपना स्वास्थ्य कायम रखने के लिये एक महीने की छुट्टी तो दी ही जानी चाहिये। इसमें कोई बुरी बात और अपराध नहीं है। सरकार इतनी बड़ी-बड़ी बातें करती है। अब हम देखते हैं कि वह इसे आज पूरा करती है या नहीं।

†**श्री सत्येंद्र नारायण सिंह** (गया-पश्चिम) मैं अपने मित्र श्री टी० बी० विट्ठल राव के संशोधन का समर्थन करता हूं जो कारखाने और कोयला खदानों के मजदूरों में भेद को समाप्त करने के बारे में है। मैं समझता हूं कि सरकार को इस तर्कपूर्ण संशोधन को स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होगी। यद्यपि कोयला खदानों के मजदूरों के बारे में मुझे बहुत अधिक जानकारी नहीं है किन्तु फिर भी मैं इतना जानता हूं कि कोयला-खदानों के मालिक और मैनेजर मजदूरों के कल्याण की किंचित मात्र भी परवाह नहीं करते यद्यपि उन्हें इन्हीं मजदूरों की बदौलत अत्यधिक लाभ होता है। इस लाभ का थोड़ा सा भाग भी वे उनको नहीं देना चाहते। कोयला-खदानों में निरीक्षण भी सन्तोषजनक नहीं होता। मैं श्री राव की भांति अधिक विस्तार में न जाकर केवल इतना अवश्य कहूंगा कि कोयला-खदानों के मालिक नियमों का किंचित मात्र भी पालन नहीं करते और न निरीक्षक ही उनकी रिपोर्ट करता है। जो कुछ मैंने देखा उसके आधार पर मैं यह कह सकता हूं कि निरीक्षण जितना विस्तृत और भली प्रकार होना चाहिये उतना नहीं होता।

सफाई, पीने का पानी और मकानों की व्यवस्था के बारे में भी खदानों के मालिक ध्यान नहीं देते। खदान के मैनेजर के बाग में दल का प्रबन्ध रहता है जब कि मजदूरों को पीने के लिये भी

---

†मूल अंग्रेजी में

पानी नहीं मिलता। यह दशा देखकर मैं दंग रह गया। अपने कुछ व्यक्तियों से मुझे पता चला कि निरीक्षक या तो इस सब की रिपोर्ट करना नहीं चाहते हैं अथवा वह समझता है कि इस पर कोई कार्यवाही नहीं होगी इस कारण मालिकों का बुरा क्यों बनाया जाय। इस विधेयक के कारण मैं यह चाहता हूं कि इस प्रकार का भेदभाव समाप्त किया जाय और सरकार को इस संशोधन को स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये।

†**सभापति महोदय** : माननीय उपमंत्री कितना समय लेंगे ?

†**श्री आबिद अली** : २० मिनट।

†**सभापति महोदय** : माननीय सदस्य कितना समय चाहते हैं ?

†**श्री एन० राचय्या** : जितना समय आप दे सकें।

†**सभापति महोदय** : तीन या चार मिनट।

†**श्री एन० राचय्या** (मैसूर—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं क्योंकि इससे खदानों के मजदूरों को विशेष सुविधायें प्राप्त होंगी। इस विधेयक में यह उपबन्ध किया गया है कि किसी भी खान में कार्य करने वाले मजदूर को बारह मास की नौकरी के पश्चात् औसत मजदूरी पर ३० दिन का अवकाश मिल सकेगा। यह उपबन्ध देखने में साधारण लगता है किन्तु उससे बेचारे मजदूरों को काफी सहायता मिलेगी। श्री टी० बी० विट्ठल राव ने मंत्रालय पर यह आरोप लगाया है कि वह अकुशल है और मजदूरों के हितों पर ध्यान नहीं देता। मैं उनकी इस बात से सहमत नहीं हूं। मुझे मंत्रालय से केवल इतनी ही शिकायत है कि केन्द्र द्वारा दी गई विधियों का पूर्ण उपयोग करने और औद्योगिक श्रम को प्रोत्साहन एवं संरक्षण देने के बावजूद भी उसने खेतिहर मजदूरों की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया है। यहां तक कि पंचवर्षीय योजना में भी खेतिहर मजदूरों की दशा पर ध्यान नहीं दिया गया है। जहां तक मैं समझता हूं औद्योगिक मजदूरों की सांख्या की तुलना में खेतिहर मजदूरों की संख्या दस गुने से भी अधिक होगी किन्तु फिर भी उन पर ध्यान नहीं दिया जाता। मैं समझता हूं कि विरोधी दल के सदस्य भी मेरी इस बात से सहमत होंगे। अन्य देशों में मजदूरों की तुलना में एक साधारण व्यक्ति की आर्थिक स्थिति कहीं अच्छी होती है किन्तु हमारे देश में जहां साधारण व्यक्ति ही कृषि श्रमिक है स्थिति भिन्न है। उसे समाज में उचित स्थान प्राप्त नहीं है। समयाभाव के कारण मैं खेतिहर मजदूरों के बारे में कुछ अधिक न कह-कर केवल इतना ही कहूंगा कि विरोधी दल के सदस्य खेतिहर मजदूरों के उद्धार की ओर अधिक ध्यान देंगे। साथ ही मैं माननीय मंत्री से निवेदन करूंगा कि वे द्वितीय पंचवर्षीय योजना में खेतिहर मजदूरों को अब अधिक से अधिक संरक्षण देना शुरू कर दें। इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

†**श्री आबिद अली** : खदानो में काम करने वाले मजदूरों के काम के बारे में मुझे भी ज्ञान है। आम तौर से यह कहा जाता है कि एक वायुयान-चालक अथवा मजदूर अपना घर छोड़ते समय अपने सम्बन्धियों से 'शुभ दिन' न कहकर 'अन्तिम नमस्कार' करता है। यदि वह वापस लौट आये तो उसके सम्बन्धियों को प्रसन्नता होती है। इस बात को तथा देश की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुये हम केवल मजदूरों के लिये ही नहीं अपितु देश के दूसरे उद्योगों के कर्मचारियों के लिये भी यथासम्भव कार्य कर रहे हैं।

विरोधी सदस्यों ने जो आंकड़े दिये हैं उन पर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। पता नहीं कहां से उन्होंने ये आंकड़े एकत्रित किये हैं। श्री टी० बी० विट्ठल राव ने रूस की खदानों में होने वाली

†मूल अंग्रेजी में

[श्री आबिद अली]

दुर्घटनाओं के आंकड़े दिये थे । मुझे वे आंकढ़े कहीं भी नहीं मिले । मैंने उन्हें लिखा कि उन्होंने ये आंकड़े कहां से प्राप्त किये किन्तु इसका उन्होंने आज तक कोई उत्तर नहीं दिया । विश्वस्त सूत्रों के आधार पर जो आंकड़े नहीं हैं उनको दृष्टि में रख कर वक्तव्य देना बड़ा सरल है । मेरे माननीय विरोधी सदस्य को ऐसे वक्तव्य देने की बहुत आदत है ।

बंगाल में खदानों की दुर्घटनाओं के बारे में एक सदस्य ने उल्लेख किया है । जब मैंने अपने आंकड़ों से उनकी तुलना की तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ क्योंकि उनसे प्रकट होता है कि पिछले वर्षों में दुर्घटनायें अधिक हुई थीं किन्तु इसका कारण यह था कि भूतपूर्व भारतीय रियासतों की खदानों को मिला लिया गया था और उन्हें भारतीय खदान अधिनियम के अधीन लाया गया था । पहले यह नियम उन पर लागू नहीं होता था । धीरे-धीरे खदानों में दुर्घटनाओं की संख्या कम होती गई । १९५४ में न्यूटन चिकली नामक खदान की दुर्घटना के कारण दुर्घटनाओं की संख्या में वृद्धि हुई थी किन्तु १९५५ में अमलाबाद की बड़ी दुर्घटना के बावजूद भी ये आंकड़े घटकर ०.६६ रह गये थे । जब मैं इन आंकड़ों की तुलना दूसरे देशों से करता हूं तो मुझे यह अन्तर दिखाई देता है । रूस की दुर्घटनाओं की संख्या के बारे में माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है किन्तु मुझे वे आंकड़े कहीं नहीं मिले । दूसरे देशों के बारे में मैं पहले कई बार बता चुका हूं । अत्यधिक उन्नत देशों की तुलना में हम अच्छे हैं । जर्मनी, आस्ट्रेलिया, अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका संघ के आंकड़े क्रमशः १.३५, १.०९, १.४६ और १.५६ है । जब इन देशों के दुर्घटना सम्बन्धी आंकड़ों की तुलना मैं अपने यहां के आंकड़ों से करता हूं तो मुझे यह देखकर हर्ष होता है कि हमारे यहां की संख्या कम है । अगर हमारे यहां बिल्कुल ही दुर्घटना न हो तो मुझे और भी प्रसन्नता होगी । दुर्घटनाओं की संख्या और उनकी भयंकरता कम करने के लिये हम पूरा प्रयत्न कर रहे हैं । यह कहना कि खदानों में दुर्घटनायें बिल्कुल ही समाप्त हो जायेंगी, सम्भव नहीं है । जब तक खदानें हैं, दुर्घटनायें होनी अवश्यम्भावी हैं । हमें तो केवल उनकी संख्या और भयंकरता कम करने का प्रयत्न करना है ।

श्री विट्ठल राव ने कहा था कि दो दुर्घटनाओं के बारे में जो प्रतिवेदन दिये गये थे उनके सम्बन्ध में हमने कुछ भी नहीं किया है । मेरी समझ में यह नहीं आया कि उन्होंने किस आधार पर ऐसा कहा है । इस बारे में काफी काम हुआ है । अधिक कर्मचारी रखे गये हैं । विशेष जांच की गई है और कुछ कार्यवाही भी की गई है । दुर्भाग्य से इस सभा के दोनों ओर के सदस्य किसी कर्मचारी अथवा पदाधिकारी, चाहे वह सरकारी सेवा के किसी भी श्रेणी का क्यों न हो, के विरुद्ध कार्यवाही करने पर कहने लगते हैं कि उसके साथ इतना कठोर व्यवहार न कीजिये और यदि उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जाती तो शिकायत करने लगते हैं । मैं सभा को यह आश्वासन देता हूं कि ऐसे मामलों में हम बहुत गहराई से तथ्यों की जांच करते हैं और जो कुछ करते हैं वह अच्छी नीयत से तथा कर्मचारियों के हित में करते हैं । अतः मामले के बारे में तथ्यों को जाने बिना किसी सदस्य को इतनी उत्सुकता नहीं दिखानी चाहिये और यह कह कर कि की गई कार्यवाही गलत है, प्रभाव डालने का प्रयत्न नहीं करना चाहिये ।

समय से अतिरिक्त काम करने के भुगतान के बारे में दूसरे देशों का उल्लेख माननीय सदस्यों ने किया है । हम देखते हैं कि निकटवर्ती देश पाकिस्तान में खदान मजदूर को १० घंटे और रूस में भी उसे ८ घंटे प्रतिदिन काम करना पड़ता है । अधिक समय काम करने के भुगतान सम्बन्धी आंकड़े भी हमारे पक्ष में हैं । अमरीका के सामान्य वेतन के ये आंकड़े ५० प्रतिशत, इंगलैंड में पहले २ घंटों के २५ प्रतिशत, रूस में पहले २ घंटों के ५० प्रतिशत और भारत में खदान खोदने वालों को १०० प्रतिशत अतिरिक्त भत्ता देते हैं जो दूसरे देशों की अपेक्षा दुगना है ।

श्री एच० एन० मुकर्जी ने कहा था कि इस सुझाव को स्वीकार करके सरकार को दिखा देना चाहिये कि वह समाजवादी ढंग का समाज बनाने के लक्ष्य की ओर जा रही है। यदि यह हो गया तो शायद वे यह बात मान जायें कि हम समाजवाद की ओर बढ़ रहे हैं और मुझे इससे प्रसन्नता होगी।

खदान खोदने वाले और जमीन के ऊपर काम करने वाले कर्मचारियों के अधिक समय काम करने के भत्ते में जो अन्तर है उसके बारे में हम विभिन्न उद्योगों और वर्गों के कर्मचारियों के लिये समान विधि बना रहे हैं। पाक्षिक अवकाश, अथवा सवेतन छुट्टी अथवा एक सप्ताह के अवकाश के लिये उपबन्ध में जो अन्तर है उसको भी हम दूर करना चाहते हैं। इस सम्बन्ध में कई बार हमने प्रश्न काल में उल्लेख भी किया है। जहां कहीं थोड़े दिनों के लिये छुट्टी दी जाती है उसको भी हम कारखाना अधिनियम में निहित स्तर पर लाना चाहते हैं। खदान कर्मचारियों के अपंग होने के कारण जब वे छुट्टी पाने के अधिकारी हो जाते हैं और उनकी उपस्थिति पर्याप्त नहीं होती तो ऐसे मामलों में भी कारखाना अधिनियम में निहित शर्तों के अनुसार हम इसे कम करना चाहते हैं।

अवैध हड़ताल सम्बन्धी सुझाव को मैं स्वीकार नहीं कर सकता क्योंकि कर्मचारियों को ऐसा नहीं करना चाहिये। जब तक हड़ताल करना आवश्यक न हो जाये तब तक हड़ताल नहीं की जानी चाहिये। हम चाहते हैं कि कुछ समय तक वे इस अधिकार को अपने पास सुरक्षित रखें और अवैध हड़ताल न करें। मुझे खेद है कि मैं इस कमी की पूर्ति न कर सकूंगा।

यह कहा गया था कि मजूरी में वृद्धि नहीं हुई। आय-व्यय चर्चा के दौरान में मैंने आंकड़े दिये थे और मैं समझता हूं कि सभी लोग इस बात से सहमत हो गये होंगे कि न केवल मजूरी १ रुपये से बढ़कर २ रुपये हो गई है अपितु खाद्य पदार्थों और कपड़ा आदि के मूल्यों की वृद्धि की दृष्टि से भी वास्तविक मजूरी बढ़ गई है। न्यायाधिकरण द्वारा दिया गया पंचाट छप रहा है और १० दिनों में प्रकाशित हो जायेगा। मुझे विश्वास है कि मजदूर बहुत प्रसन्न होंगे क्योंकि उनकी मजूरी में काफी वृद्धि हुई है।

कर्मचारियों की देखभाल के सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि उनके स्वास्थ्य की देख-रेख के लिये हमारे यहां निरीक्षक हैं। ये लोग खदानों में औद्योगिक बीमारियों को रोकने के लिये होते हैं जो काम के कारण तथा खान की बनावट और उपकरणों के कारण होती हैं। इसका उद्देश्य वातावरण सुधारकर तथा व्यवसायिक बीमारियों की जांच और परीक्षण करके उनकी बारंबारिता को रोकने की दृष्टि से उनके स्वास्थ्य की वृद्धि करना और खदानों के मजदूरों के स्वास्थ्य और उनकी कार्यकुशलता को बढ़ाने के लिये विधान लागू करना है। अतः खानों के लिये निरीक्षक, जो डाक्टर कहलाता है, नियुक्त किया गया है। उसने कार्य करना आरम्भ कर दिया है। बहुत से निरीक्षक नियुक्त किये जा रहे हैं। हम स्वयं भी इस विषय में बहुत सजग हैं। यह उन पर कोई एहसान नहीं किया जा रहा है, बल्कि ऐसा करना हमारा कर्त्तव्य है। जो हमें करना चाहिये हम कर रहे हैं। हमारे पास कोई जादू की लकड़ी तो है नहीं जिसे घुमाने से ही यह सब काम हो जायेगा किन्तु, मुझे विश्वास है कि जिनका इससे कुछ सम्बन्ध है वे इस बात को अवश्य स्वीकार करग कि इन परिस्थितियों में जो कुछ सम्भव हो सकता है, किया जा रहा है।

वास्तविक स्थिति का वर्णन मैंने कर दिया है और मुझे आशा है कि विरोधी सदस्यों का जब इससे वास्ता पड़ेगा तो वे वास्तविकता के नजदीक आयेंगे। हालांकि मैं मानता हूं कि आलोचना करना उनका कर्तव्य है जो उन्हें करनी भी चाहिये किन्तु आलोचना उपयुक्त सीमा तक और तथ्यपूर्ण होनी चाहिये। पंचाट से हमारे मजदूरों को काफी लाभ पहुंचेगा।

जहां तक छोटी-मोटी असमर्थताओं का प्रश्न है, हम खदान मजदूरों को अन्य मजदूरों के समान लाना चाहते हैं। मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य इससे सन्तुष्ट होंगे। एक महीने के बारे में जो सुझाव दिया गया है वह मुझे मान्य नहीं है क्योंकि इससे कारखाने के कर्मचारियों और खान मजदूरों में काफी

[श्री आबिद अली]

अन्तर पड़ जायेगा। क्लर्क और अन्य वर्गों के कर्मचारियों को मासिक वेतन मिलता है और उन्हें प्रतिवर्ष एक मास की छुट्टी भी मिलती रहेगी। हम इसके बारे में कुछ नहीं कर रहे हैं। जो लोग सप्ताह के हिसाब से काम कर रहे हैं उन्हें कारखाना अधिनियम वाले लाभ मिलते रहेंगे।

इन शब्दों के साथ इस विधेयक का जैसा कि यह है, मैं विरोध करता हूं। और यदि माननीय सदस्य इसे वापस लेने के लिये तत्पर नहीं हैं तो मैं सभा से निवेदन करूंगा कि वह इसे अस्वीकार कर दें।

†**डा० जयसूर्य** : उपमंत्री ने बताया था कि स्वास्थ्य निरीक्षकों की नियुक्ति की गयी थी। क्या यह निरीक्षक समय-समय पर सामूहिक रूप से उनके फेफड़ों की परीक्षा करते हैं ?

†**श्री आबिद अली** : मैं उनके काम के बारे में बता चुका हूं। वे उन कामो को करेंगे। जहां तक सिली कौसिस और अन्य दूसरी बातों का सम्बन्ध है उन पर बराबर ध्यान दिया जाता है।

†**श्री टी० बी० विट्ठलराव** : मुझे प्रसन्नता है कि माननीय मंत्री को उत्तर देने के लिये कम से कम मुझे अवसर तो मिला।

रूस के बारे में मैंने कुछ आंकड़े दिये थे वे सोवियत माइनर्स ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष से मुझे मिले थे। बिहार की खान सम्बन्धी दशा के बारे में मैं मामूली-सा उल्लेख करूंगा। श्री अशोक मेहता को एक खान में घुसने के लिये गुण्डों और पुलिस ने चार घंटे तक रोके रक्खा।

†**श्री आबिद अली** : एक औचित्य प्रश्न है। यहां गुण्डों आदि के उल्लेख की कौन-सी बात है ? यहां तो छुट्टी, अतिरिक्त समय में काम करने का भत्ता आदि की चर्चा है। अतः यह सब असंगत है।

†**श्री टी० बी० विट्ठलराव** : श्री अशोक मेहता ने बताया है कि खानों में स्थिति बहुत खराब है।

उपमंत्री जी ने जर्मनी और अमरीका के आंकड़े दिये हैं। वहां दुर्घटनाओं के आंकड़े हजार कर्मचारियों के सम्बन्ध में हैं। दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ रही है। अमरीका में जब कि उत्पादन हमारे उत्पादन की अपेक्षा बारह गुना है तो मरने वाले मजदूरों की संख्या ५४७ है जबकि हमारे यहां उनकी प्रतिवर्ष संख्या ३३० है। माननीय मंत्री को चाहिये था कि वह १० लाख टन के उत्पादन के हिसाब से मृतकों की संख्या देते।

खदानों में सुरक्षा-उपबन्ध करने के लिये जांच न्यायालय ने एक उच्च शक्ति प्राप्त आयोग के नियुक्त करने की सिफारिश की थी किन्तु इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। अमरीका में ऐसा प्रति पांच वर्ष में एक बार होता है। जबकि हमारे यहां ६०–७० वर्ष हो गये, एक बार भी ऐसा नहीं हुआ है।

सवांग खदान की दुर्घटना की जांच करने के लिये एक जांच न्यायालय नियुक्त किया गया था, किन्तु वहां के चीफ खदान-इंजीनियर ने मुकदमा चलाने में देर कर दी जिसके परिणामस्वरूप समय की अवधि पूरी हो जाने के कारण वह मामला रद्द कर दिया गया। वहां ११ व्यक्ति मारे गये थे और जांच न्यायालय ने उसके मैनेजर को इसके लिये उत्तरदायी ठहराया था किन्तु खदानों के मुख्य निरीक्षक ने जान बूझ कर इस मामले में देरी की और मामला रद्द कर दिया गया।

श्रमिकों की उत्पादनशीलता और राष्ट्रीय आय के उत्पादन में वृद्धि हुई है, किन्तु मजदूरी और कर्मचारियों को दी जाने वाली सुविधाओं में तदनुसार वृद्धि नहीं हुई है।

सभापति महोदय द्वारा प्रस्ताव मतदान के लिये रखा गया और वह अस्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अगली मद श्री वी० पी० नायर के नाम से है, परन्तु वह अनुपस्थित हैं, इसलिये अब हम उसके बादवाला कार्य-क्रम लेंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

भारतीय बाल दत्तक-ग्रहण विधेयक

†**श्रीमती जयश्री** (बम्बई—उपनगर) : मैं प्रस्ताव करती हूं :

"कि दत्तक-गृहीत बच्चों के हितों और उनके प्राकृतिक तथा दत्तक-ग्रहण करने वाले माता-पिताओं के अधिकारों के परित्राण के सम्बन्ध में दत्तक-ग्रहण की प्रक्रिया की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

हम सभी जानते हैं कि ऐसी बहुत-सी संस्थायें हैं जिनमें अनाथ बच्चों को भेजा जाता है । हमारे यहां ऐसे परिवार काफी नहीं हैं जिनमें ऐसी व्यवस्था हो । किन्तु ऐसे मामलों में अच्छी बात यह है कि ऐसे बच्चों को माता-पिता का स्नेह मिले ।

हिन्दू विधि में गोद लेने की प्रक्रिया है, किन्तु इसके दो उद्देश्य हैं । एक आध्यात्मिक और दूसरा धर्म-निरपेक्ष । हमारे यहां ऐसी विधि प्रक्रिया होनी चाहिये जो गोद लिये गये बच्चों तथा स्वाभाविक और गोद लेने वाले माता-पिताओं के हितों की रक्षा कर सके

हिन्दू-विधि में केवल पति को गोद लेने का अधिकार है । स्त्री को गोद लेने से पूर्व अपने पति की सहमति प्राप्त करनी होगी । इस विधि के अनुसार केवल लड़कों को ही गोद लिया जा सकता है, लड़कियों को नहीं, तथा वह अपने निकटतम सम्बन्धी के बच्चे को ही गोद ले सकते हैं किसी दूसरी जाति के बच्चे को नहीं । यदि किसी के कोई बच्चा है तो हिन्दू-विधि के अनुसार वह किसी और बच्चे को गोद नहीं ले सकता है । किन्तु मेरे विचार से अगर गोद लेने वाले माता-पिता के कोई बच्चा है और यदि वह दूसरा बच्चा भी गोद लेना चाहें तो ले सकते हैं । यदि उनके कोई बच्चा नहीं है, अथवा किसी निराश्रित बच्चे के प्रति उनकी सहानुभूति है तो वह गोद ले सकते हैं । सभी लोगों ने ऐसे मामलों में गोद लेने का समर्थन किया है । गोद लेने की प्रथा एक ऐसी वैधानिक प्रथा है जिसके अनुसार कोई बच्चा अपने स्वाभाविक माता-पिता के परिवार के अतिरिक्त एक दूसरे परिवार का सदस्य बन जाता है । अभिभावकता भी इस उद्देश्य की पूर्ति करती है, किन्तु गोद लेना स्थायी क्रिया है, क्योंकि यह अलग नहीं किया जा सकता है । बच्चे का पारिवारिक नाम बदला जा सकता है और वह गोद लेने वाले का वैधानिक उत्तराधिकारी बन जाता है । गोद लेने का उद्देश्य बच्चे तथा गोद लेने वाले माता-पिता के जीवन को सुखी बनाने का होना चाहिये । गोद लेने का उद्देश्य निश्चित होता है और बच्चे का भविष्य निर्धारण करता है ।

इस विधेयक में ऐसे खंड भी हैं, जो यह पता करने में कि पैतृक अधिकारों की समाप्ति सुरक्षित है, इसका पता करने में सहायता करते हैं । बम्बई विधान परिषद् ने एक सुझाव भेजा है कि एक अखिल-भारतीय सामाजिक कल्याण अभिकरण होना चाहिये जिसकी शाखायें समस्त भारत में हों जो बच्चों को गोद देने का कार्य किया करें । श्री कुलकर्नी ने अपने सुझाव में बताया है कि हमें बड़ी सावधानी से रहना है क्योंकि इस विधेयक के द्वारा लड़की भी गोद दी जायगी । इस समय हमने भारतीय बाल कल्याण परिषद् की स्थापना की है जिसकी शाखायें समस्त भारत में हैं । मैं माननीय मंत्री से प्रार्थना करूंगी कि वे इस परिषद् को यह अधिकार दें कि जो माता-पिता बच्चा गोद लेना चाहते हैं उनको सहायता दी जाये श्री कुलकर्नी ने कहा है कि इस अधिनियम की धारा ७ में पैत्रिक अधिकारों की समाप्ति के लिये व्यवस्था नहीं है ।

योजना आयोग के श्री वी० वी० शास्त्री ने भारतीय बाल कल्याण परिषद् की एक गोष्ठी में कहा था कि गोद लेने की उपयुक्त विधि की व्यवस्था करना बहुत आवश्यक है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्रीमती जयश्री]

विधेयक का उद्देश्य ऐसे असहाय बच्चों की सहायता भी करना है जिन्हें निर्धनता के कारण लोग छोड़ देते हैं। हमारा विचार बच्चों के हितों का परित्राण करता है। इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य असहाय बच्चों के लिये वांछित स्वभाविक प्रेम की व्यवस्था करना है। अतः माननीय मंत्री से मैं अपील करती हूं कि वे मेरा सुझाव स्वीकार कर लें। मैं उन सभी संशोधनों को स्वीकार करने के लिये तैयार हूं जिन्हें माननीय मंत्री ठीक समझते हैं तथा जो इस विधेयक को आसान बनाने में एवं उन माता-पिताओं की जो बच्चे गोद लेना चाहते हैं सहायता करने वाले हैं।

कुछ ऐसे मामले भी हैं जिनमें गोद लिये बच्चों को माता-पिता वापस करना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में बच्चों के हितों की रक्षा हो इसके लिये एक प्रक्रिया होनी चाहिये। कुछ ऐसे मामले भी हैं जिनमें कुछ दिन बाद स्वभाविक माता-पिता ने गोद लेने वाले माता-पिता से अपने बच्चों की मांग की है। ऐसे मामलों में गोद लेने वाले माता-पिता के साथ अन्याय किया जाता है। स्वभाविक तथा गोद लेने वाले माता-पिता और बच्चों के अधिकारों का परित्राण करने के लिये हमारी विधि में परित्राण की व्यवस्था होनी चाहिये।

मैं आशा करती हूं कि इस विधेयक को पारित करने के लिये माननीय मंत्री अपनी सहमति देंगे। यह विधि सभी जातियों के लिये एक समान बर्ताव करने वाली है। इसके साथ ही साथ अभिभावकता विधेयक को भी जो सभा में निलम्बित है, सभी जातियों पर लागू कर देना चाहिये, न कि केवल हिन्दुओं पर। आज कल हिन्दुओं के लिये तो गोद लेने की विधि है जबकि अन्य जातियों के लिये ऐसी कोई विधि नहीं है। इसलिये इस विधेयक को प्रस्तुत किया गया है। अतः मैं सदस्यों से अपील करूंगी कि वे इस विधेयक को पारित करें।

†**सभापति महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ। इस पर चर्चा आरम्भ करने से पूर्व आगामी सप्ताह के लिये सरकारी कार्यक्रम के बारे में भारतीय संसद्-कार्य मंत्री अपना वक्तव्य देंगे।

सभा का कार्य

†**संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह)** : जीवन बीमा निगम विधेयक को २२ मई या उसके आस पास पारित करने के पश्चात् सत्र के अंतिम दिवस ३० मई तक के कार्य-क्रम के बारे में मैं घोषणा करूंगा।

यदि २२ मई को समय बचा तो उस दिन त्रावनकोर-कोचीन विधान मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक पर विचार किया जायेगा। वर्तमान अनुसूची के अनुसार इस पर चर्चा ६ बजे तक होगी और हमारे पास आध घंटे का समय बच सकता है इसीलिये कहा कि "अगर समय बचा तो"। २३, २५ और २६ मई को द्वितीय पंचवर्षीय योजना पर चर्चा होगी। यह निश्चय किया गया है कि योजना के कुछ भाग पर ही इस सत्र में चर्चा होगी और शेष पर चर्चा आगामी सत्र में होगी। अतः २६ मई को चर्चा समाप्त करने का निश्चय किया गया है। त्रावनकोर-कोचीन राज्य विधान मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक अथवा इस पर अग्रिम विचार—यदि यह उस दिन न लिया गया तो—जैसी कि स्थिति हो, और भारतीय आय कर (संशोधन) विधेयक पर २८ मई को विचार होगा। यदि समय रहा तो निवारक निरोध अधिनियम के कार्य संचालन पर भी उस दिन चर्चा आरम्भ होगी और यदि आवश्यकता हुई तो, संविधान (दसवां संशोधन) विधेयक को पारित करने के पश्चात् जो विचार करने तथा पारित करने के लिये २९ मई को प्रस्तुत किया जायगा, चर्चा जारी रहेगी क्योंकि यह घोषणा की जा चुकी है कि संविधान विधेयक उस दिन लिया जायेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

यदि हमारे पास समय रहा तो कार्यक्रम का अंतिम मद, प्रतिलिप्याधिकार विधेयक को संयुक्त समिति को सौंपने के प्रस्ताव पर और आगे चर्चा, लिया जायेगा ।

†**श्री कामत** (होशंगाबाद) : मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं । मुझे हर्ष है कि एक नई प्रथा जिसका सुझाव मैं ने कुछ काल पूर्व दिया था मान्य हो रही है । परन्तु मुझे यह कहते हुये खेद होता कि १९५२ से ३६ विधेयक निलम्बित हैं । कुछ विधेयक राज्य सभा की ओर से आये थे । दुर्भाग्यवश सरकार ने संविधान के अनुच्छेद १०८ की शब्दावलि का दुरुपयोग किया है । सरकार इस धारणा के कारण उन विधेयकों को नहीं ले रही कि राष्ट्रपति उक्त अनुच्छेद के अधीन कोई कार्यवाही नहीं करेंगे । इंगलैंड में सत्रावसान के पश्चात् विचाराधीन विधेयक स्वत: व्यपगत हो जाते हैं । सरकार को अगले सत्र की योजना भली प्रकार करनी चाहिये और इन विधेयकों को भूल नहीं जाना चाहिये ।

†**श्री सत्य नारायण सिंह** : यह सत्य है कि राज्य सभा से आये हुये कुछ विधेयक इस सभा में प्रस्तुत नहीं किये जा सके । गत तीन या चार सत्रों में महत्वपूर्ण कार्य बहुत था । मैं प्रतिज्ञा नहीं कर सकता कि अगले सत्र में भी इन विधेयकों को नहीं लिया जा सकेगा क्योंकि उस सत्र में भी राज्य पुनर्गठन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक जैसे महत्वपूर्ण विधेयक रखे जायेंगे । तो भी सरकार राज्य सभा के कुछ महत्वपूर्ण विधेयकों को प्रस्तुत करेगी ।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** (गुड़गांव) : श्री कामत द्वारा निर्दिष्ट विधेयकों के सम्बन्ध में सभा के समक्ष कोई प्रस्ताव नहीं है । अत: इस पर और चर्चा नहीं होनी चाहिये । हमें सभा के अगले कार्य को लेना चाहिये ।

†**सभापति महोदय** : मैं समझता हूं कि इस विषय को कार्य मंत्रणा समिति में उठाना अधिक उपयुक्त है । पंडित ठाकुर अपना प्रतिवेदन सभा-पटल पर रखें ।

नियम समिति

चौथा प्रतिवेदन

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** (गुड़गांव) : मैं प्रक्रिया नियमों के नियम ३०६ के उपनियम (१) के अधीन नियम समिति के चौथे प्रतिवेदन की एक प्रति लोक-सभा के पटल पर रखता हूं ।

सभा का कार्य

†**श्री कामत** : संसद्-कार्य मंत्री ने कहा था कि त्रावनकोर-कोचीन राज्य विधान मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक को लिया जायेगा । यदि इसे २२ को न लिया गया तो क्या अगले दिन इसे लिया जायेगा ?

†**श्री सत्य नारायण सिंह** : २२ दिनांक को यदि कार्य समाप्त होने के पश्चात् समय हुआ तो इस विधेयक को लिया जायेगा । यदि ऐसा न किया गया तो इसे २८ या २९ को लिया जायेगा ।

भारतीय बाल दत्तक-ग्रहण विधेयक

†**सभापति महोदय** : अब हम भारतीय बाल दत्तक-ग्रहण विधेयक पर चर्चा आरम्भ करेंगे ।

श्री राधा रमण (दिल्ली नगर) : सभापति जी, अभी सदन के सामने जो विधेयक हमारी बहिन श्रीमती जयश्री राय जी ने बच्चों को गोद लेने की रस्म के सम्बन्ध में रखा है, मैं उसका हार्दिक

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री राधा रमण]

समर्थन करता हूं। मैं देखता हूं कि हमारे देश में गोद लेने की प्रथा बहुत जमाने से चली आई है। और विशेष कर हिन्दुओं में जहां परिवार को कायम रखने की इच्छा होती है, बच्चों को गोद लिया जाता है। खाविंद के जीते जी किसी भी परिवार में एक बच्चे को गोद लेना बहुत मुनासिब और सही समझा जाता है और सैकड़ों रस्में इस प्रकार की होती हैं, मगर जो गोद लेने की रस्म हिन्दुओं में मौजूद है, उसमें आज बहुत-सी त्रुटियां देखने को मिलती हैं। जब हम इस प्रकार बच्चों को गोद ले कर किसी अच्छे परिवार में शामिल करने की रस्म को देखते हैं और उसके बाद उस व्यवहार को देखते हैं, जो गोद लिये बच्चों के साथ किया जाता है तो लगता है कि कोई न कोई त्रुटि उस रस्म में रह जाती है और आगे चल कर उस में ऐसे परिणाम निकलते हैं, जिनमें अदालत और कचहरी की शरण लेनी पड़ती है। जैसे-जैसे समय बदलता जाता है और हमारे देश का वातावरण भी बदलता जाता है और नए-नए सामाजिक कानून हमारे सामने आते हैं, समाज और परिवार के पुराने ढांचे में तब्दीलियां होती जाती हैं। इसलिये इस बात की अत्यन्त आवश्यकता है कि इस कानून को भी बदला जाय। लेकिन हमारी बहिन ने जो विधेयक इस सदन के सामने रखा है उसका अभिप्राय इतना सीमित नहीं है, बल्कि उसका अभिप्राय यह है कि सारे देश में चाहे हिन्दू समाज का कोई परिवार हो और चाहे हिन्दू समाज के अलावा किसी और अन्य जाति का परिवार हो, उसे कानूनन गोद लेने की आज्ञा मिले और इस सम्बन्ध में हमारे देश में एक ऐसा कानून हो कि हमारे समाज का कोई भी अंग उससे फायदा उठाकर अपने परिवार को कायम रख सके।

इसके साथ ही साथ इस विधेयक में एक दूसरा उद्देश्य भी छिपा है और वह बहुत ही अच्छा और सुन्दर उद्देश्य है। हम देखते हैं कि हमारे देश में गरीबी बहुत काफी है और ऐसे बहुत से परिवार हैं जिनमें गुरबत की वजह से बच्चों का पालन-पोषण, उनकी पढ़ाई, उनके लिये आराम की जिन्दगी उपलब्ध नहीं होती। यह विधेयक उन परिवारों को—उन लोगों को जो कि कई-कई बच्चों के माता-पिता होते हैं—एक किस्म की सुविधा देता है कि अगर वे मुनासिब समझें, अगर उनकी इच्छा हो, तो वे अपने बच्चों को ऐसे परिवारों में गोद दे सकते हैं, जहां उनके लालन-पालन, देख-भाल का और शिक्षा इत्यादि का प्रबन्ध अच्छी तरह किया जा सके, जिससे उन का भविष्य उज्जवल हो। इस बात की आवश्यकता है कि हम जल्द से जल्द ऐसी व्यवस्था करें कि गरीब परिवारों के बच्चों को न सिर्फ राज्य द्वारा सुभीता मिले बल्कि जन-साधारण में से भी उनके परिवार ऐसे बालकों के गोद लेकर उनका भार स्वयं उठावें और ऐसे बालकों की शिक्षा, लालन-पालन ठीक प्रकार से हो, वे अपनी रोजाना की जिन्दगी ज्यादा आराम के साथ बसर कर सकें और अपना रहन-सहन अच्छा बना सकें। इस कानून के द्वारा हम उन बच्चों का भविष्य उज्जवल बना सकते हैं, जो कि आज धूलि में रमे रहते हैं और जिनको न खाना मिलता है और न कपड़ा।

जैसा कि मैंने अभी निवेदन किया है, इस प्रकार के विधेयक की बड़ी आवश्यकता है। अगर हमारे देश के एक कोने से दूसरे कोने तक गोद लेने का एक समान प्रकार का कानून हो, तो उससे हमारा यह काम बहुत सरल हो जायगा और गोद लेने के हमारे वर्तमान विधेयक में तथा प्रथा और रस्म में जो बहुत सी त्रुटियां हैं, वे भी हम दूर कर सकेंगे। मुझे इस विधेयक में किसी प्रकार की कोई हानि नजर नहीं आती है और मैं यह समझता हूं कि यह अत्यावश्यक है, समयानुकूल है और इसके द्वारा हम उन छोटे-छोटे, नन्हे-नन्हे बच्चों के प्रति एक बहुत बड़ा कर्तव्य कर सकते हैं, जिनका भविष्य आज हम अन्धेरे में देखते हैं या जिनका लालन-पालन उन परिवारों में अच्छी प्रकार से नहीं हो पाता, जिनमें वे पैदा होते हैं।

इसका एक दूसरा पहलू भी है। जो परिवार बिना औलाद के हैं, जिसके यहां कोई बच्चा नहीं है, जहां स्त्री और पुरुष हर समय अपने घर को सूना पाते हैं, जिनको अपना जीवन शून्य नजर आता है,

वह परिवार इस प्रकार एक बच्चे को गोद लेकर अपने घर में रस पैदा कर सकते हैं, अपने सूने घर को एक फुलवाड़ी में तब्दील कर सकते हैं और इसके साथ ही साथ उस परिवार की भी भलाई कर सकते हैं जिस में वह बच्चा सही रूप में नहीं पल सकता है और अपने परिवार को कायम कर सकते हैं। इसलिये मैं इस विधेयक का हार्दिक समर्थन करते हुये सरकार से प्रार्थना करता हूं कि आवश्यकता इस बात की है कि हमने अभी हिन्दू समाज के लिये और अन्य जातियों के लिये जो नए-नए सामाजिक नियम और कानून बनाये हैं, अगर उन के मातहत एडाप्शन के बिल में---गोद लेने के विधेयक में---या तरीके में आज-कल की स्थिति के अनुसार सुधार करते हैं तो सरकार इस विधेयक को स्वीकार करे और इस प्रकार से चाहे राज्य के द्वारा और चाहे उन परिवारों को गोद लेने की सुविधा देकर, जो कि धन से सम्पन्न हैं, समृद्धिशाली हैं, परन्तु औलाद के बिना बहुत निराश हैं, उन बच्चों की सहायता करे, जो कि डेस्टीच्यूट (असहाय) हैं और जिनके लालन-पालन और शिक्षा इत्यादि का प्रबन्ध उनके परिवार गरीबी के कारण नहीं कर सकते या जो बहुत गरीबी में पल रहे हैं।

इस सम्बन्ध में मैं कुछ अधिक कहने की आवश्यकता नहीं समझता, क्योंकि यह विधेयक ऐसा है, जिसके विषय में कुछ अधिक कहने की आवश्यकता ही नहीं है, बल्कि वह तो समय की आवश्यकता है---इन शब्दों के साथ मैं अपनी बहिन श्रीमती जयश्री रायजी के इस विधेयक का समर्थन करता हूं और सरकार से आशा रखता हूं कि वह इस विधेयक को मन्जूर करेगी।

पंडित सी० एन० मालवीय (रायसेन) : जनाब चेयरमैन साहब, हमारे माननीय मंत्री पाटस्कर साहब इस बिल को मन्जूर करेंगे, इस बात में मुझे कोई सन्देह नहीं है और वह इसलिये कि इसमें गवर्नमेंट को कोई खर्चा नहीं करना पड़ेगा। गवर्नमेंट जब किसी बात को मन्जूर या नामन्जूर करती है, तो उसमें ज्यादातर ख्याल इस बात का होता है कि उस विषय में उसको रुपया खर्च करना पड़ेगा या नहीं। इसमें रुपये का खर्च नहीं है, सिर्फ गवर्नमेंट के आशीर्वाद की जरूरत है, और मेरे ख्याल से वह पाटस्कर साहब के पास इतना ज्यादा है कि वह इस को देने में कभी गुरेज नहीं करेंगे।

दूसरा प्रश्न यह है कि यह बिल मुकम्मल है या नामुकम्मल। जहां तक मैंने इस को देखा है, यह बिल मुकम्मल कहा जा सकता है। वैसे अगर हम इसमें त्रुटियां निकालना शुरू करें, तो इस में बहुत सी त्रुटियां निकाल सकते हैं, लेकिन जिस उद्देश्य की सफलता के लिये यह बिल बना है, अगर हम उसको दृष्टि में रखें, तो हम अनुभव करेंगे कि यह बिल अपने आप में मुकम्मल है। बच्चे को गोद लेने के सिलसिले में जो भी बातें हैं यानी किस प्रकार का बच्चा हो, गोद लेने वाला कौन हो, उसका जाब्ता क्या हो और उस बच्चे का भविष्य क्या हो, उनके लिये इस बिल में सारी दफात मौजूद हैं। इसके अलावा यह हमारी एक बहुत बड़ी सामाजिक समस्या को हल करता है। यह ठीक है कि हिन्दू समाज में और दूसरी सोसाइटीज (समाजों) में अपने-अपने परसनल ला (व्यक्तिगत विधि) के मुताबिक एडाप्शन (दत्तक-ग्रहण) का तरीका रायज है। ऐसे कानून हैं जिनके मुताबिक एडाप्शन (दत्तक-ग्रहण) हो सकता है।

इसके खिलाफ एक ऐतराज हो सकता है कि वह किसी रिवाज के खिलाफ जाता है। लेकिन यह ऐतराज इसलिये नहीं उठ सकता कि यह चीज हुकमन जबरदस्ती नहीं की जा रही है। इस कानून का यह असर नहीं होगा कि किसी को एडाप्शन करना ही पड़े। आजकल हिन्दू समाज में जो एडाप्शन रायज है वह हो सकता है कि कुछ दुनियावी गरज से होता हो लेकिन उसमें ज्यादातर परलोक की दृष्टि रहती है। इसलिये बच्चे को गोद लिया जाता है कि वह गोद लेने वाले को पिंड दान दे सके और उसकी आत्मा को शान्ति दे सके। लेकिन इस बिल के जरिये हम समाज में जो नर्क बना हुआ है उसको स्वर्ग में बदल देना चाहते हैं। हमारे लिये यह बहुत अच्छी बात होगी।

[पंडित सी० एन० मालवीय]

हमारे मुल्क में ऐसे बच्चों की आज कमी नहीं है जो कि असहाय हैं, जो अनाथ हैं। उनके लिये कुछ अनाथालय खुले हुये हैं लेकिन फिर भी ऐसे लाखों बच्चे हैं जिनको इन अनाथालयों में जगह नहीं मिलती और जो दर-दर की ठोकरें खाते फिरते हैं। अगर किसी ने कुछ खाना और कपड़ा दे दिया तो ठीक है, नहीं तो भिखमंगों की टोलियां ऐसे बच्चों को ले जाती हैं, उनको भीख मांगना सिखाया जाता है और इस प्रकार उनके द्वारा आमदनी करके उनका शोषण किया जाता है। कुछ जेब कतरों की टोलियां भी इस तरह के बच्चों को लेकर उनको जेब काटना और बुरे काम सिखाती हैं और इस प्रकार उन का शोषण किया जाता है। अगर हम इस कानून को पास कर देते हैं तो इससे इस सामाजिक बुराई को हटाने में बहुत मदद मिलेगी ।

इसका एक नतीजा और भी होगा। आज बहुत से जोड़े समाज में ऐसे हैं जो कि विभिन्न जातियों में विवाह करते हैं। साथ ही साथ हम अपनी आबादी को एक हद तक महदूद रखना चाहते हैं और इसके लिये फैमिली प्लैनिंग (परिवार आयोजन) और दूसरी किस्म के जरिये मुहैय्या कर रहे हैं। इस बिल का पास करने का नतीजा यह होगा कि जो मातायें बिना बच्चे के होंगी उनकी गोद सूनी नहीं रहेगी और बच्चों को मातृ-प्रेम और पितृ-प्रेम भी मिल जायेगा। मैं समझता हूं कि हमार समाज में स्त्रियों की मनोवृत्ति बदलते देर नहीं लगेगी और वे गोद लिये हुये बच्चों को अपने बच्चों की तरह ही समझने लगेंगी। इसलिये मेरा ख्याल कि अगर यह कानून पास हो जाये और गवर्नमेंट इसको मंजूर कर ले तो हम उन अनाथ बच्चों की आत्माओं की दुआयें लेंगे जिनको अच्छे खानदान मिल जायेंगे, जिनको माता और पिता का प्रेम मिल जायेगा और जिनका जीवन सुधर जायेगा ।

जनाब चेयरमैन साहब, आपको विदित होगा कि हिन्दुस्तान में इतनी उथल-पुथल के बाद आज ऐसे बच्चों की बड़ी संख्या है कि जिनका कोई पूछने वाला नहीं है। पार्टीशन (विभाजन) के बाद जो बड़े लोग आये हैं वे तो मेहनत मजदूरी करके किसी न किसी तरह अपनी गुजर कर लेते हैं, लेकिन जो बच्चें आये हैं, उनकी बात कोई पूछने वाला नहीं है। यह ठीक है कि सरकार ने ऐसे बच्चों के लिये कैम्प खोले हैं जहां उनके खाने पीने का इन्तिजाम है, पढ़ाई का भी इन्तिजाम है। लेकिन फिर भी चूंकि हमारे फंड्स (निधियां) महदूद हैं, हम उतना नहीं कर सकते जितना कि हम करना चाहते हैं। लेकिन इस बिल के पास होने के बाद इस दिशा में बहुत प्रगति हो सकेगी ।

हमारी बहिन श्रीमती जयश्री रायजी केवल एक लेजिस्लेटर (विधान विधायक) ही नहीं हैं। मैं जानता हूं कि वे कितनी जबरदस्त समाज सेविका हैं। उन्होंने इस देश की नारियों की बड़ी सेवा की है और उनकी मनोवृत्ति को बदलने की चेष्टा की है। इस कानून के पास हो जाने के बाद उनका संगठन इस देश में इस भावना को भरने की कोशिश करेगा कि गोद लिया हुआ लड़का या लड़की यद्यपि उनकी अपनी संतान नहीं है लेकिन वे उसको अपने बच्चे की तरह ही प्रेम से रखें जैसे कि अपने पेट के बच्चे को रखते ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

और जब वे लोग इन बच्चों की अपने बच्चों की तरह से परवरिश करेंगे तो आप ख्याल फरमाइये कि समाज की कितनी जबरदस्त सेवा होगी। उन अनाथ बच्चों को घर मिलेगा और सरकारी तौर पर हम उनका जितना इन्तिजाम नहीं कर पाते उतना इन्तिजाम उनका हो जायेगा। उस घर में उनकी शिक्षा का, खाने-पीने का और हर बात का इन्तिजाम हो सकेगा। मैं समझता हूं कि इन सब बातों को सोचते हुये सरकार इन बच्चों का भविष्य सुधारने वाले इस कानून को मंजूर कर लेगी और इसको पास करके हम न सिर्फ अपने मुल्क की फिजा को बदल देंगे और इन बच्चों को सहारा देंगे बल्कि हम इस बिल को पास करके अपने समाज की बुनियादी सेवा भी करेंगे। इस समय हमारा समाज एक जबरदस्त क्रांति में से होकर गुजर रहा है ।

अगर्चे अभी हमारे देश में जाति पाति घर किये हुये है लेकिन फिर भी जो पढ़े लिखे और समझदार लोग हैं उनके विचार आज शहरों से देहातों में जा रहे हैं और उस तरह से आज जाति पांति की बुनियाद ढहाई जा रही है। जब यह जाति पांति की बुनियाद ढहाई जा रही है तो हमको यह बात ध्यान में रखनी चाहिये कि ऐसा करने के लिये हमें किन-किन चीजों की जरूरत हो सकती है और मेरा ख्याल है कि इस प्रकार का कानून भी हम को इस काम में सहायक हो सकता है और जरूरी है। इस काम को करने के लिये अभी हमने स्पेशल मैरिज ऐक्ट बनाया है, सकसेशन बिल हमने पास किया है और इस तरीके के कुछ और कानून पास किये हैं। लेकिन उनमें कोई हम ऐसी जोरदार चीज नहीं लाये कि इस जाति पांति के किले की फौलादी चारदीवारें ढाह सकें। लेकिन इस बिल को पास करके हम उन फौलादी चारदीवारों को भी तोड़ सकेंगे। जब विभिन्न जातियों में विवाह होंगे तो जाति पांति टूटेगी। ऐसे विवाहों से जो संतानें होंगी उनके लिये हमने कुछ कानून बनाये हैं लेकिन फिर भी उनसे उनको पूरे तरीके से सोशल सीक्योरिटी (सामाजिक सुरक्षा) नहीं मिल सकेगी। लेकिन इस बिल के पास होने से हम इस दिशा में और आगे बढ़ेंगे। इस प्रकार गोद लिये हुये बच्चों को वे सारे अधिकार होंगे जोकि असली बच्चों को होते हैं और इसमें लड़कियों के लिये भी प्रावीजन है। इस कानून के पास होने के बाद गोद लेने में केवल लड़कों का ही महत्व नहीं रह जायेगा, बल्कि लड़कियों को भी उतना ही महत्व मिल जायेगा और इस तरह हम स्त्री और पुरुष को समान सामाजिक और आर्थिक अधिकार देने की दिशा में आगे बढ़ेंगे और इस प्रकार हम इस कानून को पास करके स्त्री-पुरुष की समानता को अपने देश में बढ़ायेंगे। और इसी तरीके से हम अपने इस समाज को आगे की तरफ बढ़ाने में मदद करेंगे। इसलिये मैं हाउस के तमाम मेम्बरान से और खास कर गवर्नमेंट से दरख्वास्त करूंगा कि वह जरूर इस बिल का दिल से समर्थन करे ताकि हम इस कानून को अपने साथ ले जाकर लोगों को बता सकें कि उनके लाभ के लिये संसद् ने इस को पास किया है। इस तरह से जहां हम जो हमारी समाज सेविका बहनें हैं और भाई हैं उनकी मदद करेंगे। वहां पाटस्कर साहब को भी यह श्रेय होगा कि जहां उन्होंने और बहुत से क्रांतिकारी कदम उठाये हैं वहां इस कानून को भी अपना आशीर्वाद देकर अपने यश में चार चांद लगाये हैं। मैं इस विधेयक का हृदय से समर्थन करता हूं।

श्री धूसिया (जिला बस्ती मध्य-पूर्व व जिला गोरखपुर पश्चिम--रक्षित--अनुसूचित जातियां) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करते हुये इसमें दो एक सुझाव अपनी तरफ से देना चाहता हूं। जिस तरह से आजकल देखा जाता है कि मिथिला, बनारस और बंगाल, बम्बई और मयूखा, और मद्रास में जितने स्कूल (सिद्धांत) हैं, जो कि हिन्दू स्कूल (हिन्दू सिद्धांत) माने जाते हैं, उनमें ऐडाप्शन (दत्तक-ग्रहण) के लिये डिफरेंट सिस्टम हैं। मैं चाहता हूं कि इन में जो डिफरेंसज हैं उन सब को हटा कर एक यूनिफार्म ला कर दिया जाय ताकि ऐडाप्शन ईजी और अच्छा हो जाय। अब तक तो यह है कि बनारस और बंगाल सिस्टम में अगर औरत से मर्द नहीं कहता है कि तुम ऐडाप्शन कर सकती हो तो वह नहीं कर सकती है। उसके कहने पर ही कर सकती है नहीं तो नहीं। लेकिन बम्बई और मयूखा में यह है कि वह अपने मन से कर सकती है अगर शौहर ने मना नहीं किया है। मद्रास में यह सिस्टम है कि अगर हस्बैन्ड (पति) के मरने से पहले औरत को ऐडाप्शन की इजाजत नहीं मिली है और वह ऐडाप्ट करना चाहती है, तो वह फैमिली के दूसरे मेम्बर्स की कंसेंट (मंजूरी) से कर सकती है। यह बात नहीं होनी चाहिये, इसका नतीजा यह होता है कि अगर कोई आदमी मर गया और उसकी बीवी ने कोई ऐडाप्शन कर लिया, तो ऐडाप्टेड लड़के का कोई कुसूर न होते हुये भी उसके साथ बड़ी इन्जस्टिस होती है और उसका हक मारा जाता है प्रापर्टी का। अगर वह अपनी नैचुरल फैमिली में रहा तो उसे कोई तकलीफ नहीं होती, लेकिन अगर वह ऐडाप्ट कर लिया गया तो उसको लालच हो गई कि उसको भी कुछ प्रापर्टी (सम्पत्ति) मिलनी चाहिये, लेकिन उसको जब नहीं दिया जाता तो

[श्री धूसिया]

उसको तकलीफ होती है। दरअस्ल आवश्यकता इस बात की है कि हिन्दू ला के जितने स्कूल इस मामले में हैं उन सब को मिला कर एक कर देना चाहिये। अगर ऐडाप्शन का एक कानून हो जायेगा तो मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छा होगा। और वहां पर हमको इंटेंशन (इच्छा) देखना चाहिये। जिस तरह से हम ट्रस्ट कायम करते समय इंटेंशन देखते हैं चाहे वह प्राइवेट हो या पब्लिक उसी तरह से ऐडाप्शन में भी इंटेंशन देखना चाहिये और फैक्टम्स वैलेट (तथ्यों का विवरण) का प्रिंसिपल (सिद्धान्त) रख देना चाहिये। अभी तक तो यह होता है कि अगर किसी तरह से कोई त्रुटि रह गई है तो लड़के को उसके हक से डिबार (रोक लगान) कर दिया जाता है। अगर लड़के का कोई कुसूर हो तब तो दूसरी बात है, लेकिन यहां तो लड़के का कोई कुसूर न होते हुये भी उसे सोसायटी ने और कोर्ट ने डिबार कर दिया। इसलिये मैं इस प्वाइंट को ज्यादा इम्फैसाइज (आग्रह) करूंगा कि देश भरके लिये सारे स्कूल्स को मिला कर एक कानून कर देना चाहिये और उसमें इंटेशन देखा जाय। अगर इंटेंशन हो तो लड़के को पूरा हक प्रापर्टी में मिलना चाहिये।

दूसरी बात मैं यह कहूंगा कि ऐडाप्शन करते समय अभी तक उसमें जाति पांति की बड़ी रिजिडिटी (अन्नानाम्यता) है। लेकिन अगर हम दरअसल हिन्दुस्तान में यह कहते हैं कि हम जाति पांति को नहीं मानते तो हमें इसमें से भी जाति पांति को हटा देना चाहिये। असल में वहां पर मानवता का विचार होना चाहिये। अगर आप पूरे देश के लिये कानून बनाते हैं और पूरे देश में मानव धर्म चलाना चाहते हैं तो आप जाति पांति के रोड़े को हटाइये। इसमें यह नहीं होना चाहिये कि अगर ऐडाप्टिव ब्वाय किसी पार्टिकुलर जाति का नहीं होगा तो उसका ऐडाप्शन इन्वैलिड हो जायेगा। अभी तक तो यह होता है कि ऐडाप्टिव ब्वाय ऐडाप्टिंग फैमिली (दत्तक-ग्रहण करने वाले परिवार) की जाति का नहीं होता है तो उसको डिबार कर दिया जाता है। यह गलत है। वह किसी भी जाति का हो, अगर ऐडाप्ट करने का इंटेंशन है तो उसको प्रापर्टी के हक से डिबार नहीं होना चाहिये। किसी भी जाति का हो, चाहे हिन्दू हो, चाहे मुसलमान हो, या किसी भी कंट्री का हो और अगर ऐडाप्टिव पेरेन्ट्स ने ऐडाप्ट कर लिया है तो ऐडाप्टेड चाइल्ड को बराबर का हक मिलना चहिये।

इसके बाद मैं यह कहना चाहूंगा कि अभी तक ऐडाप्शन के मामले में शूद्रों के लिये अलग कानून है, कास्ट हिन्दू के लिये अलग कानून है। अगर किसी शूद्र ने ऐडाप्ट कर लिया है तो भले ही एडाप्शन इन्वैलिड (अमान्य) हो लेकिन ऐडाप्टिव ब्वाय को प्रापर्टी में हिस्सा मिलेगा। पर अगर किसी कास्ट हिन्दू न ऐडाप्ट किया है और ऐडाप्शन इन्वैलिड है तो ऐडाप्टेड ब्वाय को सिर्फ मेन्टेनेन्स (संधारण व्यय) मिलेगा। यह कितना बड़ा डिस्क्रिमिनेशन (भेदभाव) आप करते हैं। क्या जो शूद्र हैं वह हिन्दू नहीं हैं? जब वह भी हिन्दू कहलाते हैं तो आप उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन (भेदभाव) क्यों करते हैं। आप को ऐसा कानून नहीं रखना चाहिये और अगर ऐसा कानून है तो उसको आप को एमेंड करना चाहिये तथा सबके लिये एक कानून बनाना चाहिये। यहां पर भी इंटेंशन पर जोर दिया जाना चाहिये। अगर ऐडाप्ट करने का इंटेंशन है तो उसको पूरा हक मिलना चाहिये। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे तब तक आप मानव धर्म की सेवा नहीं कर सकेंगे। न ही आप जो सैक्रमेंट (संस्कार) की बात करना चाहते हैं वह कर सकेंगे।

इस सिलसिले में मैं यह कह दूं कि अगर आप जिन्दा आदमियों को, उसके कोलेटरल फमिली (सांपार्श्विक परिवार) में जो आसपास के नजदीक के रिश्तेदार हैं, उनको इस संसार में सुख नहीं दे सकते हैं, अगर आप लड़के के ऐडाप्शन को इन्वैलिड (अमान्य) करार देते हैं, तो यह सब झूठ है, बेकार है, कि दूसरे संसार में उसके रिश्तेदारों को सुख मिलेगा। पोप के जमाने में जब इंगलैंड में यह बात थी तब यहां के लिये भी ठीक हो सकती थी, लेकिन कम से कम अब तो आप इसको यहां पर खत्म कीजिये। अगर इंटेंशन है तो जरूर उसको हक मिलना चाहिये। अगर किसी भी बात में ऐडाप्शन के सिलसिले में कोई कमी रह गई है, तो मैं हाउस से और मिनिस्टर साहब से अर्ज करूंगा कि

फैक्टम वैलेट पर ज्यादा जोर दिया जाय। अगर इस पर जोर दिया गया तो किसी तरह की कमी रह जाने पर भी अगर ऐडाप्टेड ब्वाय का कोई कुसूर नहीं है तो उसके साथ इन्जस्टिस (अन्याय) नहीं होगा और वह ऐडाप्शन वैलिड होगा ।

इन सब सुझावों के साथ मैं हाउस से यह कहना चाहता हूं कि वह इस बिल को जरूर पास कर दे, लेकिन यह जरूर किया जाना चाहिये कि कास्ट डिस्टिंकशन (जाति भेद) हमेशा के लिये हटा दिये जायें ।

†**श्री आल्तेकर** (उत्तर सतारा) : श्रीमती जयश्री ने जो विधेयक प्रस्तुत किया है उसे सभा को स्वीकार करना चाहिये। मुझे ३० वर्ष तक अधिवक्ता कार्य के अनुभव से ज्ञात है कि हिन्दू समाज का भी कोई व्यक्ति किसी बालक को इस कारण गोद नहीं ले सकता था कि हिन्दू विधि अधीन केवल पिता, या उसकी अनुपस्थिति में माता, पुत्र को दत्तक रूप में दे सकती है। कभी ऐसा होता है कि बालक के माता-पिता के जीवित न होने के कारण उस बालक को गोद नहीं लिया जा सकता। इस विधेयक में अभिभावक को दत्तक प्रदान का अधिकार देकर यह कमी पूरी कर दी गई है। मैं इससे आगे बढ़ना चाहता हूं कि यदि कोई अभिभावक न हो तो दत्तक-ग्रहण कर्ता और दत्तक बालक की सहमति से भी उसे दत्तक बनने देना चाहिये ।

यह उपबन्ध केवल १८ वर्ष से कम आयु वालों पर ही लागू नहीं होना चाहिये । क्योंकि यह धर्म निरपेक्ष मानवीय भावना है अतः और लोगों को दत्तक बनाने का अधिकार देना चाहिये ।

इसमें लड़के और लड़की के दत्तक-ग्रहण का उपबन्ध है। यह वस्तुतः सुधार है। लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिये। कतिपय व्यक्ति लड़की का दत्तक-ग्रहण करना चाहते थे परन्तु हिन्दू विधि में ऐसा उपबन्ध नहीं था। अतः यहां यह उपबन्ध सराहनीय है। कोई यदि किसी सम्बन्धी अथवा अपरिचित के बालक को गोद लेना चाहता है तो यह स्नेह प्रेम और भावना के कारण है। यह तीव आकांक्षा संतुष्ट होनी चाहिये।

मैं अनुभव करता हूं कि दत्तक-ग्रहण में न्यायालय का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिये। न्यायालय में जाकर आज्ञप्ति जारी करवाना और फिर दत्तक-ग्रहण करना अनिवार्य नहीं होना चाहिये। दत्तक-ग्रहण में विवाह के समान पंजीयन का उपबन्ध होना चाहिये। यह सुगम होगा और इस पर व्यय भी कम होगा। इसके लिये विधेयक में संशोधन होना चाहिये ।

हिन्दू विधि के अधीन गोद लिये गये बालक को अपने माता-पिता के परिवार से सम्पत्ति उत्तराधिकार में नहीं मिलती। प्राचीन काल में दमूश्यान के मामले में बच्चे को कतिपय परिस्थितियों में दोनों परिवारों से सम्पत्ति मिल सकती थी। इसलिये मेरा सुझाव है कि यदि निकट सम्बन्धी अर्थात् भाई बहन न हों तो गोद लिये गये बालक को उस परिवार का उत्तराधिकार भी मिलना चाहिये। दत्तक-ग्रहण विधि में इसका उपबन्ध भी होना चाहिये।

क्योंकि यह विधि धर्म निरपेक्ष और मानवीय आधार पर बनाई जा रही है अतः धर्म अथवा जाति के सम्बन्ध में कोई बन्धन नहीं होना चाहिये। इस विधेयक में ऐसा भेदभाव नहीं किया गया है ।

हिन्दू विधि के अनुसार धार्मिक अनुष्ठान के लिये तर्पण आदि के लिये किसी बालक को गोद लिया जा सकता है। यह विधेयक हिन्दू विधि पर कोई प्रभाव नहीं डालता। अतः हिन्दुओं को धार्मिक संतोष के लिये दत्तक-ग्रहण की स्वतन्त्रता है और उन्ह इस विधेयक पर घबराहट नहीं होनी चाहिये। जब समाज में ऐसी धारणायें हैं तो विधि में ऐसी प्रक्रिया की यथासम्भव अनुमति होनी चाहिये।

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री आल्तेकर]

मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं क्योंकि इसमें सर्वथा मानवीय दृष्टिकोण है जो सांस्कृतिक दृष्टि से प्रगति करने वाले समाज के लिये आवश्यक है ।

†**श्री एन० राचय्या** (मैसूर—रक्षित–अनुसूचित जातियां) : क्योंकि मैं इस महत्वपूर्ण विधेयक के सिद्धांत को स्वीकार करता हूं, अतः मैं उन कठिनाइयों की ओर संकेत करना चाहता हूं । जो इस विधेयक को स्वीकार करने में सरकार के समक्ष हैं । हिन्दू संहिता के सम्बन्ध में विवाह तथा विवाह विच्छेद विधेयक और हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक पारित किये जा चुके हैं और उसी के अन्तर्गत दत्तक-ग्रहण विधेयक आने वाला है ।

†**विधि-कार्य मंत्री (श्री पाटस्कर)** : मैं माननीय सदस्य का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि उद्देश्य तथा कारणों के विवरण में कहा गया है कि "इस विधेयक का प्रथम उद्देश्य हिन्दुओं से भिन्न जातियों को लाभ पहुंचाना है" ।

†**श्री एन० राचय्या** : हमारे संविधान के अनुसार हमारा राज्य धर्म निरपेक्ष है । हिन्दू संहिता के प्रथम दो अध्यायों की चर्चा के समय श्री एन० सी० चटर्जी और अन्य सदस्यों ने यह मत प्रकट किया था कि सभी जातियों के लिये एकरूप व्यवहार संहिता होनी चाहिये । इस विधेयक को स्वीकार करने का यह फल होगा कि आप एकरूप व्यवहार संहिता का पालन नहीं करते । मुस्लिम विधि में दत्तक-ग्रहण मान्य नहीं है । मुसलमान और ईसाइयों के लिये एक व्यवहार संहिता नहीं हो सकती । अतः यह विषय में बहुत कठिनाई होगी ।

हमारे समाज का एक भाग यह चाहता है कि दत्तक-ग्रहण समाप्त कर देना चाहिये । वस्तुतः श्री एस० वी० रामस्वामी ने इस सम्बन्ध में विधेयक दिया है ।

इस विधेयक के प्रस्तावक ने कहा है कि लड़कियों का भी दत्तक-ग्रहण होना चाहिये । रुढ़िवादी हिन्दू समाज इसका विरोधी है । वे लोग इसे स्वीकार नहीं करेंगे । हिन्दू विधि की मेरी व्याख्या यह है कि दत्तक-ग्रहण का अभिप्राय कतिपय भावनाओं और धार्मिक आकांक्षाओं की पूर्ति है । लड़की का दत्तक-ग्रहण निरर्थक हो जायेगा क्योंकि वह दूसरे परिवार में ब्याह दी जाती है । परन्तु इस विधेयक में बच्चों के संरक्षण का उपबन्ध किया गया है । अतः मैं इसका समर्थन करता हूं ।

बालक देश और राष्ट्र की सम्पत्ति हैं । बच्चों का संरक्षण होना चाहिये और उन्हें सभी प्रकार का प्रोत्साहन मिलना चाहिय । बच्चों की अनिवार्य शिक्षा और कल्याण सम्बन्धी संविधान के निदेशक तत्वों को शीघ्र ही लागू करना चाहिये ।

इस विधेयक को स्वीकार करने में बहुत कठिनाइयां होंगी क्योंकि इस देश में मुस्लिम, ईसाई, हिन्दू आदि विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं । परन्तु मुझे आशा है कि सरकार सभी धर्मों के लिये एक-रूप विधान लायेगी ।

†**श्री एन० बी० चौधरी** (घटाल) : मैं श्रीमती जयश्री के विधेयक का समर्थन करता हूं । इसमें यह स्पष्ट कर दिया गया है कि इसकी किसी बात का पुत्र के दत्तक-ग्रहण सम्बन्धी हिन्दू विधि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जबकि हिन्दू विधि केवल पुत्र पर लागू होती है । इस विधेयक के प्रस्तावक का कहना है कि यह पुत्रियों पर भी लागू हो । इसमें एक विभेद हटाया जा रहा है । इसलिये मुझे आशा है कि इस विधेयक को स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**श्री एम० डी० जोशी** (रत्नगिरि—दक्षिण) : इस विधेयक के उद्देश्य तथा कारणों के पढ़ने पर मुझे कुछ विरोधाभास प्रतीत होते हैं। जैसा कि माननीय विधि मंत्री ने कहा, इसका मुख्य आशय हिन्दुओं के अतिरिक्त अन्य सम्प्रदायों को लाभ पहुंचाना है।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य अपना भाषण अगले दिन जारी रखें।

इसके पश्चात् लोक-सभा सोमवार, २१ मई, १९५६ के साढ़े दस बजे तक के लिये स्थगित हुई।

---

†मूल अंग्रेजी में।

दैनिक संक्षेपिका

[शुक्रवार, १८ मई, १९५६]

पृष्ठ

सभा-पटल पर रखा गया पत्र ३७१९

खाद्य और कृषि मंत्रालय की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० १०१८, दिनांक २ मई, १९५६ में प्रकाशित त्रिपुरा खाद्यान्न (यातायात) नियंत्रण आदेश, १९५६ की एक प्रति सभा-पटल पर रखी गयी।

राज्य-सभा से सन्देश ३७१९–२०

सचिव ने बताया

(१) कि लोक-सभा द्वारा १४ मई, १९५६ को पारित किये गये त्रावनकोर-कोचीन विनियोग विधेयक, १९५६ में राज्य-सभा को लोक-सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है;

(२) कि १० मई, १९५६ की अपनी बैठक में राज्य-सभा ने औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक, १९५६ को पारित कर दिया ;

(३) कि १४ मई, १९५६ की अपनी बैठक में राज्य-सभा ने लोक-सभा की इस सिफारिश से, कि राज्य-सभा १९५६–५७ के लिये लोक-लेखा समिति के लिये अपने सात सदस्यों को नाम-निर्देशित करने के लिये सहमत हो जाये, अपनी सहमति प्रगट की और १७ मई, १९५६ की अपनी बैठक में सभापति ने घोषणा की कि सात सदस्य उक्त समिति के लिये विधिवत निर्वाचित किये गये हैं।

विधेयक, राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में, सभा-पटल पर रखा गया ३७२०

औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक, राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में सभा-पटल पर रखा गया।

प्राक्कलन समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित ३७२०

सत्ताईसवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया।

विधेयक पुरःस्थापित ३७२०–२२

(१) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था (खड़गपुर) विधेयक।

(२) त्रावनकोर राज्य विधान-मण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक।

विधेयक पारित ३७२२–३५

लोक प्रतिनिधित्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किये जाने के प्रस्ताव पर चर्चा समाप्त हुई और विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया गया।

पृष्ठ

विधेयक विचाराधीन ३७३५–५३

जीवन बीमा निगम विधेयक पर, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, चर्चा आरम्भ हुई। चर्चा समाप्त नहीं हुई।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन ३७५४

तिरपनवां प्रतिवेदन स्वीकृत हुआ।

गैर-सरकारी सदस्य का विधेयक––पुरःस्थापित ... ३७५४

श्री एस० वी० रामस्वामी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक (धारा ४९४ का संशोधन) पुरःस्थापित किया गया।

गैर-सरकारी सदस्य का विधेयक अस्वीकृत ३७५४–६२

श्री टी० बी० विट्ठल राव के खान (संशोधन) विधेयक पर और आगे चर्चा जारी रही। विधेयक पर विचार किये जाने का प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

गैर-सरकारी सदस्य का विधेयक विचाराधीन ३७६३–६४, ३७६५–७३

भारतीय बाल दत्तक-ग्रहण विधेयक पर विचार करने के लिये श्रीमती जयश्री के प्रस्ताव पर चर्चा आरम्भ की गयी। चर्चा समाप्त नहीं हुई।

नियम-समिति का प्रतिवेदन ३७६५

चौथा प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया।

सोमवार, २१ मई, १९५६ के लिये कार्यावलि––

जीवन बीमा निगम विधेयक पर, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार।

———

M140LSD—190—9-1-58—GIPF